राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–4] नवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या–10

सोमवार,

दिनांक 18 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मी लाल। (अनुपस्थित) श्री शिवजीराम। प्रश्न संख्या–1

बीसलपुर परियोजना हेतु सीमेन्ट

2. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा बीसलपुर परियोजना के लिए ठेकेदारों को समय पर सीमेन्ट उपलब्ध नहीं करवाने से लगभग एक करोड़ का राज्य सरकार एवं ठेकेदारों को नुकसान हुआ है? यदि हां, तो इस कार्य के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा ठेकेदारों को समय पर पर्याप्त सीमेन्ट उपलब्ध नहीं करवाने एवं सीमेन्ट फैक्टरियों से सीमेन्ट परिवहन हेतु समय पर टेण्डर फाइनल नहीं होने के कारण सरकार एवं ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है? यदि हां, तो कितना तथा इसके रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है?

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदारों ने विभाग द्वारा समय पर सीमेंट नहीं दिलवाये जाने के कारण क्लेम की राज्य सरकार से मांग की है? यदि हां, तो कितनी?

(4) बीसलपुर परियोजना से प्रभावित किसानों को कहां-कहां बसाने की सरकार की योजना है? अब तक कितने प्रभावित लोगों को मुआवजा दे दिया गया है तथा कितने लोगों को दिया जाना शेष है? यह कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

सिचाई मंत्री (श्री विजय सिंह झाला) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। मैसर्स प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन कं., नई दिल्ली ने मुख्य बांध के निर्माण कार्य ब्लॉक नं. 16 से 27 तक के लिये रूपये 53, 80, 445/– का क्लेम किया है, जिसको अधिशासी अभियन्ता ने मान्य नहीं किया है।

(4) बीसलपुर परियोजना से प्रभावित किसानों को टौंक, बून्दी, अजमेर, सवाईमाधोपुर एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में बसाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के प्रभावित लोगों को

(श्री विजय सिंह झाला)

अपने 166 मकानों का 80 प्रतिशत मुआवजा दे दिया गया है। योजना के प्रथम चरण में 1080 मकान मालिकों को एवं 1596 काश्तकारों को भूमि, कुएं एवं वृक्ष का मुआवजा देने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण के शेष प्रभावित सभी किसानों को जून, 1992 तक मुआवजा देने का प्रस्ताव है।

श्री शिवजीराम : अध्यक्ष महोदय, सीमेंट का समय पर परिवहन नहीं होने से सीमेंट की बढ़ी हुई रेट से राज्य सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा? अगर पूर्व में सीमेन्ट परिवहन कर स्टोरेज कर लिया जाता तो इस नुकसान से बचा जा सकता था।

दूसरा प्रश्न है, बीसलपुर परियोजना के गोदामों के भण्डारण करने की क्षमता कितनी है और उस समय कितनी सीमेंट का बैलेन्स था? क्या ठेकेदार को टेण्डर के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सीमेंट उपलब्ध नहीं होने पर क्लेम का अधिकार है? यदि हां, तो विभाग के क्लेम देने से मना करने पर वह न्यायालय की शरण लेगा? यदि हां, तो उससे बचने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

एक माननीय सदस्य : कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी के समझ में आ गया।

श्री विजय सिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न दो तरह का है। एक परिवहन न होने की वजह से सीमेंट समय पर नहीं आने की बात इन्होंने कही है। वह बात गलत है। क्योंकि जब तक परिवहन का ठेका नहीं हुआ था विभागीय ट्रकों से सीमेंट का परिवहन किया गया था और सीमेंट नहीं आने की वजह से ठेकेदारों को कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा जो यह कहा गया है कि सीमेंट समय पर नहीं दी गई, गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीमेंट के क्लाज नं. (ई) में यह प्रावधान है कि राजस्थान सरकार की तरफ से यदि कोई सामान किसी कारणवश समय पर नहीं दिया जाता है तो ठेकेदार उसका क्लेम नहीं कर सकेगा। ऐसा एग्रीमेंट में प्रावधान है।

श्री शिवजीराम : अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया कि सीमेंट के अभाव से कोई नुकसान नहीं हुआ है तो ठेकेदार ने जो क्लेम किया है वह किसलिए किया है?

श्री विजय सिंह झाला : वह मान्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके एग्रीमेंट में प्राइस एस्केलेशन का क्लाज है? और दूसरा, सीमेंट ही नहीं डीजल भी देने का क्लाज है। इन दोनों कारणों से ठेकेदार इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं करने का एक उचित कारण बताते हुए इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं।

श्री विजय सिंह झाला : देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी सामान जो

(श्री विजय सिंह झाला)

राजस्थान सरकार को देना है, यदि वह समय पर किसी कारणवश नहीं दिया जायेगा तो (ई) क्लाज में यह साफ कहा हुआ है कि उसका क्लेम ठेकेदार नहीं कर सकता।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ठेकेदार यह तो क्लेम कर सकता है कि जो कम्प्लीशन डेट आपने दी है उस डेट को आगे बढ़ाने के दोनों वैलिड कारण हैं ?

श्री विजय सिंह झाला : ऐसा कोई क्लेम उसने नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : ठेकेदार का मामला है । आप चुप रहें तो ज्यादा अच्छा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : 80 फीसदी आपने मुआवजा देने की बात कही है। यह 20 फीसदी किसलिए रोका गया ? दूसरा, यह जो मुआवजा है, वह 1991-92 तक देने के लिए प्रस्तावित है । माननीय अध्यक्ष जी, आपकी मार्फत मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 40–40 वर्ष से किसानों की भूमि ले ली, उनको लगान देना पड़ता है और प्रस्तावित बात कहकर किसानों को लूटा जाता है। तो इसको देने की व्यवस्था आप कब तक करेंगे ? यह और बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 40 वर्ष पहले तो बीसलपुर योजना बनी ही नहीं थी।

श्री रामकरण सिंह : मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूं । मुआवजे की बात आई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुआवजे की बीसलपुर योजना की बात है।

श्री रामकरण सिंह : ये नेशनल हाइ-वेज के जितने भी केस बाकी हैं, आपके आदेश हो चुके हैं। मैंने 1977 में आपके आदेश करवा लिए थे लेकिन आपके आदेशों के बाद भी आज तक वे क्लीयर नहीं हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई जगह नहीं दिया होगा, लेकिन अभी तो सवाल बीसल-पुर योजना का है । उसमें किस प्रकार से मुआवजे का भुगतान किया जायेगा, यह जानकारी ले लीजिएगा ।

श्री रामकरण सिंह : यह स्वतः ही मान लिया जाता है, । माननीय अध्यक्ष जी, कि जब किसान की भूमि लेते हैं, बीसलपुर योजना हो, चाहे दूसरी हो, उसको बिना किसी पैसे के ले लेना, उसका लगान भी देते रहना और उसे भूमिहीन कर देना...,

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री अचलाराम ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बांध के पूर्ण भराव की जो क्षमता है वह 315.50 है। आप मुआवजा दे रहे हैं 304 तक का । यह जो बाकी की क्षमता है और इसमें जो डूब में गांव आए हैं उनको भी साथ की साथ मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है ? दूसरा, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो दरें आपने दी हैं उन दरों में और जो वर्तमान में दरें हैं चाहे वे मकानों की है, चाहे भूमि की हैं, उनमें लगभग

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

दुगुना अन्तर है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहूंगा कि मकान के प्लाट की आप दे रहे हैं 4.8 रूपए प्रति वर्ग मीटर, जबकि बाजार में है 25 रुपए प्रति मीटर । कच्चे मकान मय केलू और बांस के 110.80 रुपए प्रति मीटर आप दे रहे हैं, जबकि बाजार में है 225 रूपए । मिट्टी की दीवार की चिनाई का 20 रुपए प्रति मीटर दे रहे हैं जबकि बाजार में वह 60 में है । इसी तरह केलू और बांस की छत का आप दे रहे हैं 95 रुपए और बाजार में है 120 रूपए । कृषि भूमि का आप मुआवजा दे रहे हैं 7,000 रुपए और बाजार में है 15 हजार रुपए । बारानी है 8,000 आप दे रहे हैं 4,000 और बारानी व बारानी दोयम 2,000 दे रहे हैं, जबकि 5000 में है । तो यह आप पैसा कम दे रहे हैं किसानों को । आपने दोनों चरणों में उसको पूरा करने की घोषणा की है । मेरा निवेदन, अध्यक्ष महोदय यह है कि दोनों चरणों में जो डूब में गांव आ रहे हैं उन सबका मुआवजा दिया जाय और वर्तमान में जो दर है उस दर के हिसाब से दिया जाय, न कि जो पुरानी दर है । तीसरी बात, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, जो भूमि कमाण्ड में आरक्षित की गई है इन लोगों को देने के लिए. जब ये विस्थापित होंगे, क्या उसके सबंध में जो भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही आपने की थी वह पूरी हो गई है ? या न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण या और कोई और कारणों से वह भूमि जो आपने आरक्षित की थी, हालांकि बहुत कम है, वह भी आपको नहीं मिली ? इन चारों बातों का मेहरबानी करके जवाब देने का कष्ट करें ।

श्री विजय सिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जमीन का मुआवजा फिक्स करने का प्रश्न है, एल. ए. ओ फिक्स करता है और वह जुडीशियल कोर्ट है, उसमें हम कुछ नही बोल सकते । जहां तक मकानों और कुओं की रेट फिक्स करने का प्रश्न है वह बी. एस. आर. रेट के ऊपर 70 प्रतिशत एबव दे रहे हैं और उससे सारे किसान संतुष्ट हैं ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : बी. एस. आर. की रेट से हन्ड्रेड पर्सेन्ट एबव दे रहे हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : 70 प्रतिशत । अभी जो है उसका सब गेन करते हैं, उससे काश्तकार बिल्कुल संतुष्ट हैं । प्रथम चरण में जो डूब में जमीन आई है उसका जून, 1992 तक सारा मुआवजा दे दिया जायेगा । द्वितीय चरण का बाद में दिया जायेगा, जो डूब में आयेगी उससे पूर्व ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रोजेक्ट को दो चरणों में पहले करना था....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, अब हो गया ।

श्री सांवरलाल जाट (भिनाय): माननीय अध्यक्ष महोदय; एक ही चरण पूरा कर रहे हैं । पहले दो चरण थे उसका एक हो गया ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अब आपने यह निर्णय किया है कि उसे एक ही चरण में...

श्री अध्यक्ष : बता रहे हैं, इसका भी दे दिया जायेगा । नैक्स्ट,

श्री विजयसिंह झाला : जितनी भी जमीन डूब में आयेगी उसका मुआवजा जून, 1992 के पहले दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अचला राम

प्रश्न संख्या 3

(अनुपस्थित) कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट श्री माहिर आजाद

प्रश्न संख्या 4

(अनुपस्थित) कृपया आगे देखें।)

नेक्स्ट, श्री प्रभुराम ग्रासिया

राज्य की प्रदूषणयुक्त इकाइयां

श्री प्रभुराम ग्रासिया (पिण्डवाड़ा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कौन-कौन सी इकाई जल एवं वायु प्रदूषण के लिए कब-कब से चिन्हित की हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसी प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से कितना-कितना क्षेत्र व कितनी जनसंख्या प्रभावित हो रही है ?

(3) क्या कभी सरकार ने सर्वे करवाया है कि ऐसे प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर किस किस प्रकार का कितना-कितना प्रभाव पड़ रहा है ?

(4) प्रदूषण रोकने के लिए मण्डल द्वारा अब तक किस-किस इकाई को क्या-क्या सुझाव दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रदूषण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत किन-किन इकाईयों के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) इस कार्यवाही के परिणामस्वरुप कितनी इकाइयां बंद की गई ?

पर्यावरण मंत्री (श्री लालचन्द डूडी) : (1) राजस्थान में जल प्रदूषण के लिए चिन्हित हुई मध्यम/वृहत् श्रेणी की इकाइयों की सूची परिशिष्ट अ–1 पर तथा वायु प्रदूषण के लिए चिन्हित इकाइयों की सूची परिशिष्ट अ-2 पर संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन या शोध अभी तक नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत जिन इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी है, उनका विवरण परिशिष्ट स-1 पर संलग्न है । वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत जिन इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है उनका विवरण परिशिष्ट स-2 पर संलग्न है।

(6) उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरुप कोई वृहत् व मध्यम इकाइयां बन्द नहीं की गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री प्रभुराम ग्रांसिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लक्ष्मी सीमेंट, बनास जिला सिरोही की फैक्ट्री में केवल दिखावे के रूप में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है, उसे कभी भी चालू नहीं किया जाता है। मंत्री महोदय से मैं चाहूंगा कि इस बारे में क्या कार्यवाही करेंगे, कृपया स्पष्ट बतायें ।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया लक्ष्मी सीमेंट, सिरोही के बारे में कि ट्रीटमेन्ट प्लांट लगा रखा है लेकिन चलाते नहीं, इस बारे में कोई पर्टिकुलर शिकायत नहीं आई थी लेकिन ऐसी टेण्डेंसी देखने में आई है कि ये लोग ट्रीटमेंट प्लांट को चलाते नही हैं और उसकी वजह से कई जगह नुकसान हो रहा है। इसी सिलसिले के अन्दर कि कई फैक्ट्रियां ट्रीमेंट प्लांट नहीं चला रही थीं, उनसे नुकसान हुआ, हमारे डिपार्टमेंट के वहां के आर. ओ. को हमने सस्पैण्ड किया है। इसी तरह से जो लोग केयरलैसनैस कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह ।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के पैरा 4 में यह बताया कि हमने प्रदूषण निवारण के लिए विभिन्न सुझाव दिये हैं और सुझावों की सूची भी साथ में संलग्न की है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन सुझावों पर इन फैक्ट्रियों ने अमल किया? क्या इस तरह से उन से पूछताछ की गई? अमल नहीं किया गया तो उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? दूसरा अभी यह बताया कि लक्ष्मी सीमेंट, सिरोही के बारे में कोई पर्टिकुलर शिकायत नहीं आई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट तो लगाया गया है लेकिन उसको चालू करने में इतना खर्चा आता है कि वे चालू करते नहीं। दूसरी बात यह है कि वहां के विभिन्न संगठनों ने, आदिवासियों की जो जमीनें खराब हो रही हैं उस प्रदूषण से जो वन सम्पदा खराब हो रही है, वे लोग डिमाण्ड करते हैं, तो उन लोगों ने गुण्डे पाल रखे हैं और उन लोगों को मरवाया जाता है । मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई कारगर कार्यवाही आपके द्वारा उनके विरूद्ध की जायेगी जिससे लोगों को राहत मिल सके और जो जमीनें खराब हो रही हैं वे खराब न हों।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि राज्य सरकार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को दण्डित कर चुकी है? अगला मेरा प्रश्न है कि प्रदूषण के कारण अब तक कितने व्यक्ति व पशु मर चुके हैं? नैक्स्ट, जिन काश्तकारों की जमीन खराब हुई है उनको राज्य सरकार ने क्या-क्या सहायता प्रदान की है? अन्तिम मेरा प्रश्न है राज्य सरकार के प्रदूषण निवारण मण्डल ने ज्योति केमिकल्स, सिल्वर केमिकल्स को एच. एसिड उत्पादन करने की अनुमति दी

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

थी ? क्या विदेशों में एच. एसिड के उत्पादन पर वर्षों से प्रतिबन्ध है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है कि मंत्री महोदय बता रहे हैं कि लक्ष्मी सीमेंट द्वारा प्रदूषण फैलाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है जबकि हम लोग पूरे वर्ष भर इस मामले को उठा रहे हैं कि लक्ष्मी सीमेंट द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से वहां की जमीनें बंजर हो रही हैं, आदिवासी बीमार हो रहे हैं । और तो और, जिन आदिवासियों की जमीन लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री ने ली उन्हें केवल नाममात्र का मुआवजा देकर बेघर-बार और खेती रहित कर दिया । आज पूरे इलाके का जंगल, प्रदूषण के कारण सारा ही खराब हो रहा है और आदिवासी भी रोजी-रोटी रहित हो रहे हैं । मेरा वापस यही प्रश्न है कि लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ तो है लेकिन जब वहां पर कोई विजिट के लिए जाता है या कोई बाहरी व्यक्ति आता है तभी वे दिखावे के लिए उस ट्रीटमेंट प्लांट को चला देते हैं वरना हमेशा उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं । क्या सरकार उन्हें दण्डित करने के लिए अथवा वह ट्रीटमेंट प्लांट चालू रखने के लिए कोई कारगर उपाय करेगी या उन्हें बाध्य करेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री अमृत परमार, नहीं है । श्री मांगीलाल मेघवाल ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि इस प्रश्न के खण्ड दो का जो प्रश्न है कि ऐसी प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से कितना क्षेत्र एवं जनसंख्या प्रभावित हो रही है, इसके उत्तर में बताया गया है कि इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन या शोध अभी तक नहीं किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण के मामले को लेकर के जनसंख्या के....

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है आपका ?

श्री मांगीलाल मेघवाल : जनसंख्या के मामले को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण मामला है और अभी तक इसका कोई अध्ययन ही नहीं किया गया है, न इसका सर्वेक्षण किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका सवाल क्या है ?

श्री मांगीलाल मेघवाल : क्या इस मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार इसके जनसंख्या और क्षेत्र के दुष्प्रभाव का अध्ययन करके यह बताएगी कि कितनी जनसंख्या एवं क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । श्री रमाकांत ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : दूसरे, अधिकांश लोगों ने यह कहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, मेरे यहां लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री के माध्यम से वहां टी.बी. हो रही है ।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

है । एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कारखाना है....

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिए आप ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : दो करोड़ का संयंत्र लगाया गया है और चालू नहीं रख रहे हैं । तो क्या सरकार संयंत्रों को चालू करने के लिए इन उद्योगों को हिदायत देगी ? इन दो प्रश्नों के उत्तर दिलवायें आप ।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकांत शर्मा ।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, जो इकाईयां प्रदूषण फैलाती हैं उनके विरुद्ध दो तरह की कार्यवाही हो सकती है एक तो प्रोसीक्यूशन किया जाए और दूसरे, उनको बन्द किया जा सकता है । प्रोसीक्यूशन अगर कर दिया जाता है तो उसमें तो छह-छह, सात-सात, आठ-आठ वर्ष लग जाते हैं और उसका नतीजा भी कोई खास आता नहीं है । बंद करने का जो आल्टरनेटिव है, बन्द नहीं करें तो कम से कम बन्द करने का नोटिस तो दिया जा सकता है जिससे उनके ऊपर कुछ तलवार लटकी रहे । इन्होंने कहा है कि कोई भी बंद नहीं की । तो क्या किसी को बन्द करने का नोटिस दे रखा है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर ।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : क्या राज्य सरकार ऐसा महसूस नहीं करती कि राज्य का प्रदूषण मण्डल प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा है ? अगर हां, तो राज्य सरकार इस प्रदूषण मण्डल को प्रभावी बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने की सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री कृपलानी ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में निम्बाहेड़ा जे. के सीमेंट फैक्ट्री के सम्बन्ध में प्रदूषण से मामले में मैंने दो बार मामला उठाया । मैं आज ही निम्बाहेड़ा से आया हूं । कल मुझे वहां के किसान मिले । कल भी प्रदूषण के मामले में वही हालत थी । बीमारियां आज भी फैल रही हैं । मैं सिर्फ इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ से दो हजार यूनिट प्रति दिन बिजली प्लाण्ट में लगती है । यह संयंत्र और जो पन्द्रह ईस्ट फिल्टर प्लांट निम्बाहेड़ा सीमेंट फैक्ट्री में लगे हुए हैं, वे चलाये नहीं जाते हैं । उसका अगर एवरेज लगाया जाये तो दस लाख रुपये महीने की चुंगी बनती है, एक करोड़ रुपये साल की चुंगी बनती है । जे. के. सीमेंट फैक्ट्री, निम्बाहेड़ा को लगे हुए बीस साल हो गए, बीस करोड़ रुपये की बिजली का आज तक राज्य सरकार को नुकसान हुआ है । क्या सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोयल ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पाली में प्रदूषण फैलाने वाली नई रंगाई-छपाई की फैक्ट्रयों पर क्या राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है ? रोक लगा रखी है फिर भी दो हजार टेबलें अधिकारियों की मिलीभगत से बन रही हैं । मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई तरह के सवाल पूछे हैं। एक तो पूरक प्रश्न के खण्ड (2) के बारे में पूछा कि कोई अध्ययन या शोध अभी तक नहीं किया गया और आपने कहा कि क्या कोई कार्यवाही करने का इसमें विचार है। अध्यक्ष महोदय, यह बीमारी के बारे में चिकित्सा विभाग का कार्य है। उनका कर्त्तव्य है कि वे यह जानकारी लें कि इस बात से कहीं कोई बीमारी फैल रही है या नहीं। जमीन में अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए एग्रीकल्चर विभाग को लिखेंगे ताकि वे जानकारी लें कि उस जमीन के अन्दर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है या नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मदन कौर जो ने जो सवाल पूछा वह दरअसल सही है कि अपना पर्यावरण कन्ट्रोल बोर्ड, राजस्थान का, उस प्रभावी तरीके से काम करने में सक्षम नहीं हैं जितना कि होना चाहिए। इसके दो-तीन फैक्टर्स है। एक फैक्टर तो यह है कि अभी तक सही तौर से पूरी तरह से कानून नहीं बन सके हैं, और दूसरे, जैसा मैंने पिछली दफा कहा था कि प्रदूषण कोर्ट की भी स्थापना स्टेट के अन्दर हो रही है। आज जो कैसेज अदालतों में जाते हैं उनके बहुत लम्बा समय लगने के कारण उसका इम्पेक्ट अभी पूरी तरह से नहीं पड़ रहा है। दूसरे कुछ आर्थिक कटौतियों की वजह से और दूसरी प्रक्रियाओं की वजह से जितना स्टाफ इस बोर्ड के अन्दर होना चाहिए वह भी इसमें कम हैं। कई फैक्ट्स हैं जिनसे तुरन्त बहुत जल्दी प्रभावी बनाने की सरकार की योजना है।

सवाल यह आया कि ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चलते हैं या नहीं चलते हैं। इसमें जैसा मैंने पहले भी स्वीकार किया था कि कुछ जगह यह दरअसल नहीं चलते। उसकी हम जांच भी करवा रहे हैं। दूसरे एक इनमें हम मीटर भी लगवा रहे हैं। उस ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के अन्दर मीटर होगा तो मीटर की रीडिंग जो है वह साबित करेगी कि यह ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चला या नहीं चला। तो उसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने वह व्यवस्था भी करवाने के लिए कह दिया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री केदार जी। हो गया यह पहले भी बहुत हो गया है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि राज्य सरकार प्रदूषण फैलाने वाले कितने उद्योगों को दण्डित कर चुकी हैं। दूसरा मेरा प्रश्न था कि प्रदूषण के कारण अभी तक कितने व्यक्ति व कितने पशु मर चुके हैं और क्या विदेशों से 'एच' एसिड के उत्पादन पर वर्षों से प्रतिबन्ध है ?

श्री अध्यक्ष : वह तो लिस्ट दी है न उन्होंने ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : प्रश्न का उत्तर नहीं आया और प्रतिबन्ध के बारे में भी नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री लालचन्द डूडी : कार्यवाही की उसके बारे में कहा है कि हमने चालान कर दिये हैं। वह तो लिस्ट हमने दे दी है।

(श्री लालचन्द डूडी)

और बाकी ये अलग से प्रश्न पूछें वह तो जानकारी की बात है. उस पर कार्यवाही कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री केदारनाथ।

राज्य की बिजली परियोजनायें

6. **श्री केदारनाथ शर्मा** (श्रीगंगानगर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष राज्य की कौन-कौनसी बिजली परियोजनाऐं, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई, कौन कौन सी विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत प्रोजेक्ट में से कितनों पर काम शुरू हो गया ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री रामनारायण विश्नोई): (1) योजना आयोग द्वारा गत वर्ष दिसम्बर 1990 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की कोटा तापीय विद्युतगृह प्रथम चरण की रिनोवेशन एवं आधुनिकीकरण बिजली उत्पादन परियोजना को स्वीकृत किया गया है। योजना आयोग के पास इस समय विद्युतमण्डल की बिजली उत्पादन की कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है। अक्टूबर 1990 में सूरतगढ़ तापीय योजना की केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार इस वर्ष बरसिंहसर लिग्नाइट योजना को पब्लिक इनवेस्टमेन्ट ब्यूरो द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है।

(2) दिसम्बर, 1990 में उपरोक्त स्वीकृत विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए पावर फाइनेन्स कारपोरेशन ने 11 मार्च, 1991 को 32.61 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना कुल 39.04 करोड़ रुपये की है। इस परियोजना के लिए आवश्यक उपकरण व सामान की खरीद हेतु कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृति हाल ही में प्राप्त हुई है। सूरतगढ़ तापीय परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने धौलपुर थर्मल प्लान्ट को आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया है ? क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के डाइरेक्शन पर यह सिद्धान्तः तय कर लिया है कि कुछ हम पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे ? क्या यह सही है कि बरसिंहसर बिजली परियोजना है उसके लिए कल तारानगर में माननीय प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि एक माह के अन्दर अन्दर मन्जूरी दे दी जायेगी जबकि अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बजट की डिबेट का जवाब देते हुए कहा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मन्जूरी आ गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बरसिंहसर प्लान्ट के सम्बन्ध में माननीय प्रोफेसर साहब ने कहा, मैंने यह कहा था कि भारत सरकार की पी. आई. बी. ने इसका क्लियरेन्स कर दिया है। इसकी एक केबिनेट सब-कमेटी होती

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है उस केबिनेट सब-कमेटी के अन्दर यह मामला जाना है। मामला चला भी गया और वहां यह आपत्ति उठाई गई कि बरसिंहसर की जितनी भी बिजली का उत्पादन होगा वह केवल एक ही राज्य को क्यों मिले। इस आधार पर उन्होंने पहले के कई उदाहरण दिये कि जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं उनकी बिजली एक राज्य को नहीं मिल सकती है। यह मामला वापस पावर मिनिस्ट्री में आया और मिनिस्ट्री में भी गया। उम्मीद है मुझे कि एक दो दिन के अन्दर वह केबिनेट में चला जायेगा और जैसा प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि इस महीने के अन्त तक उसका वहां से एप्रूवल भी हो जायेगा।

नम्बर 2, धौलपुर पावर प्लाण्ट के सम्बन्ध में आपने कहा कि इसको आउटराईट रिजेक्ट कर दिया तो यह सही है कि पहले आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया था, पर उसके बाद में सरकार की ओर से आग्रह किया गया कि यदि आगरा के ट्राइपेजियमा सीमा से बाहर इसको कहीं और लोकेट किया जाये तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उस पर 3 अधिकारियों की एक कमेटी वहां आई जिसमें प्लानिंग कमीशन ने एक अधिकारी, पावर के सेक्रेटरी और एनवायर्नमैण्ट के सेक्रेटरी थे। इन तीनों सेक्रेटरी थे। इन तीनों सैक्रेटरीज ने आकर वहां पर सारे दूसरे स्थान देख लिए। कल ही इस विषय की बात हुई है। ऐसा मैं समझता हूं कि एनवायर्नमैण्ट के बारे में क्लियरेन्स एक दो दिन में हो जाये उसकी मैं कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि हो भी जायेगा।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, मेरा यह मानना है कि इलेक्ट्रीसिटी एक्ट में भी अमेन्डमेन्ट मूव करना है मगर केन्द्र सरकार के नेशनल मानीटरी फण्ड ने शर्त पेश की है कि आप सारे बिजली के जितने भी प्रोजेक्ट हैं आइन्दा प्राइवेट सेक्टर में दीजिए। यह केन्द्र ने मान लिया है और उसके हिसाब से आपने भी मान लिया। अब कौनसा प्रोजेक्ट आप प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि आई. एम. एफ. की क्या शर्त है, यह मुझे जानकारी में नहीं है और न आई. एम. एफ. की शर्तों के आधार पर हमने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया है। प्रश्न यह है कि राज्य सरकार के पास साधन होने चाहिए। अगर साधन हों तो प्राइवेट सेक्टर में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के पास अपने साधन नहीं हैं। जो साधन हैं वे सीमित हैं। सीमित साधनों के आधार पर हम बरसिंहसर का काम ले लें? वह तो नेवली लिग्नाईट कार्पोरेशन ले रहा है। सूरतगढ़ के में अभी फैसला नहीं किया है लेकिन इतना जरूर है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें यदि आगे आता है तो निश्चित रूप से हम उसका सहयोग लेंगे। अभी यह तय नहीं किया कि जाइण्ट सेक्टर में चलेगा या सीधे ही प्राइवेट सेक्टर में देंगे। यह भी तय नहीं किया कि जनरेशन और ट्रान्समीशन दोनों का ही काम देना है। अगर केवल जनरेशन का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

काम देना है तो एक्ट में अमेन्डमेन्ट होगा और तब जाकर प्रभावी रूप से इस सम्बन्ध में चर्चा की जा सकेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा अभी जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा यह बात तो पूर्व की बता रहे हैं कि आउट राइटली रिजेक्ट हो गया था। कुछ दिन पूर्व भी जयपुर से निकलने वाले नव-भारत टाइम्स में एक न्यूज आइटम था जिससे ऐसा आभास होता है कि धौलपुर तापीय बिजली योजना पिछले महीने ही पर्यावरण मन्त्रालय ने खारिज की है। क्या यह सही है कि पिछले महीने जो खारिज की गई है उसके उपरान्त भी कोई टीम आने वाली है नं. 1 ? इस प्रश्न के अन्दर आप देखेंगे, श्रीमान गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि योजना आयोग ने कौन कौन-सी योजनायें क्लियर कर दी। इसका अभिप्राय यह है कि बरसिंहसर और सूरतगढ़ को छोड़कर राज्य की कोई अन्य योजना चाहे वह माण्डलगढ़ की हो, चाहे वह धौलपुर की हो, योजना आयोग द्वारा क्लियर नहीं की गई है और धौलपुर तो पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा खारिज कर दी गई है। क्या यह सही है कि पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा धौलपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पिछले माह ही कैंसिल किया गया है। उसके उपरान्त राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, कृपया इससे अवगत कराने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मांडलगढ़ का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में जब सुपर थर्मल पावर प्लाण्ट लगाने की बात चली तो चित्तौड़ और मांडलगढ़ में ज्यादा अन्तर नहीं है। मेरे आने के पहले ही भारत सरकार ने यह निर्णय ले लिया था कि मांडलगढ़ में सुपर थर्मल पावर प्लान्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, नम्बर एक।

जहां तक धौलपुर का प्रश्न है, नव-भारत में क्या छपा वह नवभारत वाले जानें। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने कल ही प्रधानमन्त्रीजी से इस सम्बन्ध में बातचीत की है और आज आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज मैंने केबिनेट में चीफ सैक्रेटरी को कहा है कि वे शाम तक धौलपुर के बारे में एक पूरा नोट ले जा करके दिल्ली में प्रधानमन्त्रीजी के कार्यालय में भेज दें। कल पर्यावरण मन्त्री यहां नहीं थी, अगर वे यहां होती तो इस सम्बन्ध में भी चर्चा पूरी हो जाती। मैं आपको इतना विश्वास दे सकता हूं कि इस धौलपुर प्रोजेक्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं। आज एक साल हो गया आपके मुख्यमन्त्रित्व काल को। एक साल हो गया मुझे इतना बता दीजिये कि किस किस विभाग द्वारा धौलपुर क्लियर कर दिया गया ? जो प्रश्न पूछा गया यहां पर, क्या योजना आयोग ने धौलपुर थर्मल पावर स्टेशन को क्लियर कर दिया ? यह आप बता दें कृपा करके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बता देऊं, 1984 या 1985 में यह योजना बनी थी मैंने चार्ज लिया है 1989 के मार्च में

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

चार वर्ष तक तो इस धौलपुर परियोजना पर कुछ हुआ नहीं और हुआ तो केवल यही हुआ कि आगरा के ट्राइपेजियम एरिया में आता है इसलिये यहां पर नहीं हो सकता। यह मैंने एफर्ट्स किये हैं। योजना आयोग में भी कहा है। योजना आयोग में जब पूर्व वर्ष की योजना पर चर्चा हो रही थी उस समय धौलपुर का मामला उठाया गया। उसे उठाने के बाद तीन उच्च स्तरीय व्यक्ति वहां पर पहुंचे और पहुंच कर उन्होंने एक साइट का सलेक्शन कर लिया। उस सलेक्शन के बाद वह मामला वहां गया। लेकिन दुर्भाग्य से पूर्व सरकार ने उसके पास में ही एक क्रोकोडाइल पार्क का बोर्ड लगा दिया। उसमें धौलपुर का यह सारा मामला उलझा हुआ है। मैंने कल प्रधान मन्त्रीजी से बात की है। आज या कल इस बात की कोशिश करूंगा कि एनवायर्नमेंटल से इसका क्लियरेंस हो जाय तो प्लानिंग कमीशन से क्लियरेंस में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री मदन दिलावर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसका मतलब धौलपुर योजना ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, यह मान कर चला जाय?

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो पहले बन्द हो गई थी वह चालू हो गई है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बन्द बिल्कुल नहीं हुई थी, जो विचाराधीन थी वही थी। आपने सिर्फ राजनैतिक कारणों से बहुत जोर-शोर से बात की और आज साल भर निकल जाने के बाद यह योजना ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। अब अधिकारी नौ महीने पहले आये थे, अध्यक्ष महोदय, जो तीन अधिकारियों की बात मुख्य मन्त्रीजी कह रहे हैं वे नौ माह पूर्व आये थे। उनके आने के बाद भी आज दिन तक कुछ नहीं हुआ, क्या यह बात सही है?

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बात भी सही है कि पहले यह बन्द हो गई थी, बस्ता-ए-खामोशी में रख दी गई थी। धौलपुर योजना चालू नहीं होगी, इस प्रकार का फैसला हो गया था। उस फैसले को बदलाया और आप कहते हैं कि नौ महीने पहले अफसर आये, अफसरों ने रिपोर्ट दी? एनवायर्नमेंटल क्लियरेन्स के मामले में कई बार सरकारें बदली हैं तो उसमें भी थोड़ा विलम्ब हुआ है। आप इतना विश्वास रखिये। आपका इन्ट्रेस्ट है शायद कि धौलपुर योजना नहीं चालू हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा पूरा इन्ट्रेस्ट है, धौलपुर योजना चालू हो। तब तो, अध्यक्ष महोदय, इतने प्रश्न पूछ रहा हूं। नहीं वरना मेरी क्या अटकी थी, मैं प्रश्न पूछता? मेरा तो बड़ा इन्ट्रेस्ट है, यह चालू हो। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, पूर्व ऊर्जा मन्त्री श्रीमती सुमित्रासिंह ने यहां साफ कहा था कि सन् 84-85 से यह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है, यह रिकार्ड के अन्दर है। और अभी तक यह खारिज नहीं की गई है। और माननीय मुख्य मन्त्रीजी कह रहे हैं कि खारिज कर दी गई है। अब बड़ी विडम्बना है कि वहां के प्रतिनिधि हैं, हमें तो पूरी आपसे उम्मीद

(१५)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है कि ताकत लगायेंगे, हमारा पूरा सहयोग है आपके साथ। आप जैसा मजबूत मुख्य मन्त्री, ताकतवर मुख्य मन्त्री, जिसका प्रधान मन्त्री मित्र हो और ऐसी छोटी योजना आप मंजूर नहीं करा पायें, माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था, बस्ता-ए-खामोशी में रख दी, खारिज नहीं हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, बस्ता-ए-खामोशी मुख्य मन्त्रीजी का होगा, भारत सरकार में कोई बस्ता-ए-खामोशी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक निवेदन कर देऊँ कि धौलपुर योजना में जितनी आपकी रुचि है उससे ज्यादा रुचि मेरी भी है। मैं चाहता हूं कि वहां जो पावर बनेगी वह पावर चीपर है दूसरे सुपर थर्मल प्लांट्स के मुकाबले में। इतना मैं कह देऊँ कि जिस प्रकार का प्रचार आगरा से कराया जा रहा है, कम से कम आप सहयोग करके उस प्रचार को बन्द करायें। रोज अखबारों में डिमांस्ट्रेशन हो रहा है, रोज आगरा के समाचार पत्रों में यह लिखा जा रहा है कि धौलपुर में यह परियोजना लागू नहीं होनी चाहिये। और इसमें धौलपुर के लोगों का हाथ है। मैं इतना ही निवेदन कर देऊँ.... (व्यवधान) आपका नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप क्या कह रहे हैं? माननीय मुख्य मन्त्रीजी, धौलपुर के किसी आदमी का हाथ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी, लोक सभा के चुनाव सिर पर हैं, राजनैतिक लाभ लेने की चेष्टा न करें कृपया। धौलपुर के किसी आदमी का ऐसा हाथ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपका नहीं कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह योजना धौलपुर के लिये तो लाइफ लाइन साबित होगी, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है आपसे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कह रहा हूं, इसमें आपका हाथ नहीं है। आप बिल्कुल रुचि रख रहे हैं कि धौलपुर में पावर प्लांट लगना चाहिये। उतनी ही रुचि मेरी है। लेकिन कुछ आपके विरोधी और कुछ मेरे विरोधी हैं वे इसी प्रचार में लगे हुए हैं कि धौलपुर में यह प्रोजेक्ट नहीं लगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी, अब मैं आपको इन्ट्रप्ट करूं, आप परसों नाराज हो गये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 7 श्री मदन दिलावर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री ईश्वरलाल सैनी।

राजस्थान सैनिक बोर्ड के सेवानिवृत्त सचिव की पुर्ननियुक्ति

8. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सैनिक बोर्ड के सचिव कर्नल चन्दरसिंह शेखावत की 58 वर्ष सेवानिवृत्त आयु के बाद भी चौथी बार छः–छः माह की सेवा-काल की अवधि बढ़ाई गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सैनिक बोर्ड के लिये इनके अतिरिक्त कोई अन्य उपयुक्त सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी नहीं है जो कि राजस्थान सैनिक बोर्ड के सचिव पद को संभाल सके ?

(3) क्या यह भी सही है कि इनकी अनेक शिकायतें होने पर भी 60 वर्ष की आयु पार करने पर भी इन्हें ही इस पद पर रखा जा रहा है ?

राज्य मन्त्री, सैनिक कल्याण (श्री रमजान खां) : (1) जी हां।

(2) सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव पद हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रकाशन करवाया जाकर आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन प्राप्त हो चुके हैं एवं साक्षात्कार हेतु सुविधानुसार तिथि निर्धारित करने हेतु महानिदेशक पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को निवेदन किया जा चुका है।

(3) श्री शेखावत के विरुद्ध राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : कौनसे शेखावत ?

श्री रमजान खां : कर्नल शेखावत। अनुभव एवं कार्यकुशलता के कारण ही इनकी अवधि में वृद्धि की गई है। अभी तक कर्नल शेखावत ने 60 वर्ष की आयु पार नहीं की है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न यह था, क्या ऐसा कोई राजस्थान में सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी नहीं है जो सक्षम हों ? इन्होंने जवाब दिया है, अभी वे सक्षम हैं और इनकी योग्यतानुसार हमने अवधि बढ़ाई है। मेरा स्पष्ट निवेदन है कि इन्होंने अपने 58 साल की अवधि दो साल पूर्व पूरी कर ली है। यह चौथा इनको छः–छः महीने का वो दिया गया है। तो क्या राजस्थान में ऐसा कोई अधिकारी नहीं ? सही बात यह है कि जो कर्नल रिटायर होता है, फुल कर्नल, उसकी 54 साल होती है, 56 साल का ब्रिगेडियर होता है। तो इतने सक्षम अधिकारी तो मिल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने यह जवाब का पैरा नम्बर दो वाली बात पढ़ी है ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : पढ़ लिया, सर।

श्री अध्यक्ष : तो उसमें क्या लिखा है, देखिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी : उसमें यह लिखा है कि हमने यहां से पत्रादि भेज दिये है।

(16)

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

दो साल से क्या पत्रादि केन्द्र सरकार नहीं दे रही है ?

श्री अध्यक्ष : यह पूछिये आप। यह पूछिये कि दो साल से केन्द्र सरकार से क्यों नहीं मांगा जा रहा है।

श्री ईश्वर लाल सैनी : सर, मैं कहता हूं, इसमें तीन महीने से ज्यादा समय नहीं लग सकता अगर आप मांगे तो। लेकिन सही बात यह है कि सरकार की नीति नहीं है। इन्हीं बूढ़े आदमी को घसीटा जा रहा है जबकि यहां पर अच्छे व्यक्ति, रिटायर होकर बड़े-बड़े योग्य व्यक्ति, ब्रिगेडियर रेंज तक के 55-55, 54–54 साल की उम्र के बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उनको आज ही सेवानिवृत्त करके आप किसी योग्य व्यक्ति को लगायें। सदन को इतना आश्वासन दीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह बताइये कि भारत सरकार में यह मामला पड़ा हुआ है ?

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि कर्नल शेखावत की सेवा अवधि चार बार पूर्व की सरकार द्वारा बढ़ाई गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शेखावत है, भाई, योग्य है।

श्री रमजान खां : और पूर्व मुख्य मन्त्री....

श्री नत्थी सिंह : आपने खुद कहा था, शेखावत कई जगह हैं, समाज में भी हैं, जेल में भी हैं और कुछ और जगह भी हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेहता की भी कही थी, साहब, आपने कि मेहता भी बहुत हैं लेकिन सब मेहता योग्य नहीं हैं, साहब। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, उस शेखावत की बात कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शेखावत कोई भी काम करे, योग्यता से करेगा। चाहे चोरी भी करे उसमें भी योग्यता होगी।

श्री रमजान खां : पूर्व मुख्य मंत्री माननीय शिवचरण जी माथुर ने यहां कहा है कि इस अधिकारी की एक टिप्पणी है फाइल के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं है, आप तो दिल्ली की सरकार से जो आपने....

श्री रमजान खां : दिल्ली की सरकार से इनकी 7–7–90 तक तो तत्कालीन सरकार द्वारा सेवा अवधि बढ़ाई गई थी। उसके बाद जब इन्होंने पुनः दो साल के लिये....

श्री अध्यक्ष : आपने कब लिखा ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : 60 साल तक ?

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, 7-7-90 तक कह रहे हैं।

श्री रमजान खां : बात तो सुन लीजिये। पुनः इन्होंने आवेदन किया तो हमने पत्रावली माननीय मुख्य मन्त्रीजी के पास रखी। आपने आदेश दिया कि इसकी 6 महीने तक की अवधि बढ़ा दी जाय जब तक चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाये और रक्षा मंत्रालय से आदेश प्राप्त करें कि वह कौनसी तारीख दे रहे हैं साक्षात्कार के लिये। अब 6 महीने के पहले यदि साक्षात्कार हो जाता है, चयनित हो जाता है व्यक्ति तो फिर उसको रख करके इनको हटा दिया जाय। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय को चार पत्र लिख चुके हम, चार पत्र, वहां से कोई उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आखिरी पत्र कब का है वह बताइये यहां।

श्री रमजान खां : जब नियमानुसार रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक इसमें....

श्री अध्यक्ष : आपका आखिरी पत्र कौनसी तारीख का है ?

श्री रमजान खां : जी ?

श्री अध्यक्ष : आखिरी पत्र कौनसी तारीख का है ?

श्री रमजान खां : आखिरी पत्र है 11-7-90 का।

श्री अध्यक्ष : 11.7 ?

श्री रमजान खां : 90

श्री अध्यक्ष : 90

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आठ महीने हो गये।

श्री रमजान खां : पांच महीने ही गये, उसके बाद और लिखा है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जुलाई 90 के बाद, यह चल रहा है मार्च 91 जुलाई 90 के बाद मार्च, 91 आठ महीने में आपने एक रिमाइंडर भी नहीं भेजा ?

श्री रमजान खां : इसके बाद 8-1-91 को और पत्र लिखा है परन्तु रक्षा मंत्रालय जब तक जवाब नहीं दे दे, इस प्रक्रिया को कैसे शुरू कर सकते हैं ? मुख्य मन्त्रीजी ने तो कहा है कि तुरन्त इसको चयनित करके और दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति करके इनको सेवा मुक्त किया जाय परन्तु रक्षा मंत्रालय हमारे वश का रोग नहीं है। हम पत्र लिख सकते हैं। अगर सैनी जी कोशिश करके जवाब ले आयेंगे....

श्री अध्यक्ष : हो गया, बिराजिए, नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9, श्री सुरेन्द्र व्यास।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 10 श्री हीरासिंह चौहान

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें : स्थगित)

प्रश्न संख्या 11 श्री प्रेमसिंह दहिया

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 12 श्री श्रीचन्द कृपलानी

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 13 । श्री रामनारायण वर्मा

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री सांवरलाल । प्रश्न संख्या 14

राज्य के टूटे तालाबों, एनीकट आदि की मरम्मत एवं निर्माण

14. **श्री सांवरलाल जाट** (भिनाय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राजस्थान में पानी की कमी को महसूस करते हुए लघु सिंचाई योजनायें, तालाब, एनीटक आदि के निर्माण आवश्यक समझती है ?

(2) क्या सरकार अतिवृष्टि या अन्य कारणों से जो तालाब टूट गये हैं उन्हें समय पर मरम्मत करवाने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार भिनाय निर्वाचन क्षेत्र के इस वर्ष अतिवृष्टि एवं बाढ़ से टूटे हुए तालाबों व एनीकट की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई मंत्री (श्री विजयसिंह झाला) : (1) जी हां, सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 50 एकड़ से अधिक सिंचाई क्षमता की लघु सिंचाई योजनाएं एवं तालाब आते हैं । उपलब्ध धनराशि के अनुसार कार्यों के आकलनों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के बाद कार्य कराये जाते हैं ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । भिनाय क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से टूट हुए तालाबों की अति आवश्यक मरम्मत का कार्य करवा कर पानी रोकने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जा चुकी है । पूर्णतया मरम्मत कराने का कार्य भविष्य में बजट उपलब्ध होने पर कराया जाएगा ।

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार एक ओर बड़े जोर शोर से माइनर इरिगेशन के लिए नये नये प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रयास कर रही है । दूसरी ओर इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण भिनाय विधान सभा क्षेत्र में, क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि कितने तालाब टूटे ? उनमें से कितनों की मरम्मत हुई समय पर ? मरम्मत में देरी की वजह से वह पानी बह कर चला गया । उसके बाद बरसात नहीं हुई और वे तालाब भर नहीं पाये । क्या इस साल बरसात से पहले सरकार उन टूटे हुए तालाबों को ठीक कराने की मंशा रखती है या नहीं ?

दूसरी समस्या यह है कि सिंचाई विभाग के अलावा पंचायत समितियों या पंचायतों के टैंक हैं वे भी काफी मात्रा में टूट गये हैं । क्या सिंचाई विभाग या अन्य कोई भी विभाग राज्य सरकार का उन पंचायत के टैंक्स को ठीक कराने की व्यवस्था करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा ? मेरा स्पष्ट निवेदन यह है कि राजस्थान वैसे भी अनावृष्टि से प्रभावित रहता है, पानी की भयंकर कमी है । भिनाय निर्वाचन क्षेत्र में इस साल ही बरसात हुई और इस वर्ष ही सारे के सारे तालाब टूट गये हैं । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार उन तालाबों को बरसात से पहले

(श्री सांवरलाल जाट)

ठीक कराने की व्यवस्था कराएगी या नहीं ?

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, मिनाय क्षेत्र में कुल 15 तालाबों को नुकसान हुआ है जिसमें 27.20 लाख का नुकसान आंका गया है। इसमें आवश्यक कार्यवाही करवा कर पानी रोकने का प्रश्न है। वह पानी बरसात ऋतु में ही रोक दिया था। जो ज्यादा नुकसान है उसके लिए टेण्डर वगैरह काल कर लिये हैं। यदि पैसा राज्य सरकार से मिल गया तो बारिश से पहले इन कार्यों को पूरा करा लिया जाएगा।

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यहां पर यह शर्त लगाई है कि यदि यह हो गया तो तालाब रोके जाएंगे और दूसरा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि तालाब रोक दिये गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 3-3, 4-4 महीने तक इन तालाबों से पानी चलता रहा, विभाग को हमने बार बार कहा परन्तु किसी प्रकार से हमारी बात को कोई परवाह नहीं की गई और वह पानी निकल गया। उसका हर्जाना किसानों को आज तक भुगतना पड़ रहा है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर स्पष्ट रूप से मंत्री महोदय यहां पर इरादा प्रकट करें कि किसी भी स्थिति में बरसात से पहले पहले तालाब रोके जाएंगे। 15 तालाब केवल सिंचाई विभाग के हो सकते हैं। इसके अलावा कई एनीकट और तालाब, जो पंचायत टैंक्स हैं वे भी इस बरसात के कारण टूट गये थे उनकी क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में भी स्पष्ट प्रावधान चाहता हूं क्योंकि पंचायत समितियों के पास किसी प्रकार का फण्ड नहीं होता है इसलिए पंचायत समितियों को कहें तो वे उन्हें ठीक कराने की कोई व्यवस्था नहीं करा पाएगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, हो गया, आप भाषण दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी। पहले इनका सवाल पूरा हो जाए फिर जनरल।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट इरादा है कि बारिश के पहले मरम्मत करा दी जाएगी, यदि पैसा मिल गया।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह।

श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब के खण्ड दो में बताया है कि बारिश से पहले शुरू कर देंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जुलाई में बरसात आई थी। मेरे सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में एनीकट, खडीन.....

श्री अध्यक्ष : उनकी मरम्मत का बोलिये। बिराजिए, हो गया। आपके सुमेरपुर का बता देंगे। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भी अतिवृष्टि के कारण सिरोही जिले के नदी-नालों ने अपना रास्ता बदल दिया तथा कई नये नदी-नाले प्रकट हो गये जिससे कितने ही

(श्रीमती तारा भण्डारी)

गांवों के बह जाने का खतरा हो गया । क्या सरकार पूरे जिले का सर्वे करवा कर बाढ़ बचाओ कार्य प्रारम्भ करने का इरादा रखती है ? दूसरा सिरोही के दांता, अणगोर तथा ओड़ा बान्धों के ओवरफ्लो से दीवारें काफी मात्रा से क्षतिग्रस्त हो गई हैं । अध्यक्ष महोदय, इस बारिश में वहां 5-6 फीट ऊंची पानी की चादर चली । इन बांधों की दीवारों की मरम्मत कब करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका । श्रीमती मदन कौर ।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिचाई मंत्री जी जानना चाहूंगी कि जो इरिगेशन स्ट्रक्चर बाढ़ बचाव के लिए पूर्व में बना हुआ था और गत मानसून में अतिवृष्टि से और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए, उनकी मरम्मत क्या आने वाला मानसून शुरू होने के पहले करा दी जाएगी ? यदि नहीं तो क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते कि अगले साल बरसात आने के बाद इस इलाके में बड़ी भारी जन धन की हानि होने का अन्देशा है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग एक में सिचाई मंत्री जी ने कहा कि 50 बीघा पर जो सिचाई होती है वह माइनर इरिगेशन हम करते हैं और एनीकट्स वगैरह का काम नहीं करते । सतही जल जो हमारे पास उपलब्ध जल है उसमें क्या विभाग ने ऐसा कोई सर्वे किया है कि यहां पर चाहे लिफ्ट इरिगेशन से एनीकट के जरिये या छोटे मोटे बान्धों के जरिये कहां-कहां पानी उपलब्ध हो सकता है ? क्या इसका कोई सर्वे किया है ?

जहां तक बजट का सवाल है बजट तो तब आएगा जब आप यहां पर कोई प्लान करके उनका प्रावधान इसमें लगाने के लिए रखोगे यदि आपकी प्लानिंग ही नहीं है तो आएगा कहां से ? ऊपर से तो आने वाला नहीं है । तो वह जब आएगा....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ रहे हैं या धन लाने का रास्ता बता रहे हैं ? बिराजिए । माननीय मंत्री जी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा निवेदन है कि हमारा जो सतही जल उपलब्ध है उसका उपयोग करने को आप क्या पूरी योजना बनाने का विचार रखते हैं ? यदि रखते हैं तो कब तक करेंगे, उसमें कितना धन लगाएंगे और इस साल में कितना आप देंगे ?

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में डार्क जोन है, और वहां नदी नाले हैं, उनका जल स्तर बढ़े और उन जमीनों को पानी मिले, इस दृष्टि से क्या कोई विशेष योजना या विशेष व्यवस्था ऐसे डार्क जोन के लिए करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : हो गया आप रिपीट कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, गत बरसात में जो नदी

(श्री रामनारायण वर्मा)

नाले या एनीकट या बान्ध टूटे हैं उस एरिया में, जहां अभी तक ए. ई. एन. की नियुक्ति नहीं हुई है चाहे पालिटिकल रीजन हो, जैसे नैनवा में, नोइंगली या अननोइंगली, मैं नहीं कहता, ऐसे स्थानों पर जहां इंजीनियर्स नहीं हैं वहां के बारे में आप क्या विचार करेंगे ? मैंने आपके माध्यम से पर्सनली भी मंत्री जी से कहा है और व्यक्तिगत भी सी. ई. से मिला हूं फिर भी व्यवस्था नहीं की जा रही है । आप ऐसी जगहों पर कब तक व्यवस्था कर दोगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बाढ़ से नुकसान का प्रश्न है, सारे राजस्थान का सर्वे होकर 6 करोड़ 81 लाख 62 हजार का नुकसान हुआ है और उसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है । उसके लिए जो भी आवश्यक टेण्डर हैं, सब काल कर दिये गये हैं । सरकार का यह इरादा है कि इस बारिश के पूर्व इस सम्बन्ध में अधिकांश करा लिए जायं । जहां तक एनीकट्स का प्रश्न है, छोटे एनीकट्स का प्रश्न है, उसका प्लान बना हुआ है सिचाई विभाग में और गए साल भी करीबन 1000 एनीकट का सर्वे करा करके जो सारे प्रपोजल्स हैं, वे तैयार रखे हुए हैं । लेकिन एनीकट्स के नाम का अभी तक हमारे विभाग में पैसा नहीं है । इस साल हमने पैसा मांगा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री फूल चन्द गुर्जर । प्रश्न संख्या 15

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 16 । श्री राम प्रसाद ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 17 । श्री रमाकान्त ।

17. **श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नारायणपुर गौण कृषि उपज मण्डी के निर्माण पर कुल कितनी लागत आई ?

(2) कुल व्यय में, निर्माण काल के दौरान, वित्त संस्था को, देय ब्याज कितना है एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर कितना व्यय होगा ?

कृषि मन्त्री (श्री सम्पत सिंह) : (1) नारायणपुर गौण मण्डी यार्ड के निर्माण पर 8.80 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है ।

(2) गौण मण्डी के निर्माण काल के दौरान वित्त संस्था, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की कृषि विकास शाखा, अलवर को 12.50 प्रतिशत की ब्याज दर से रुपये 86,374 का भुगतान किया गया है । विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य पर 8 प्रतिशत की दर से सुपरविजन चार्ज लिया गया है, जो कुल व्यय में शामिल है ।

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि कुल

(22)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

8 लाख 80 हजार के काम को 3 वर्ष हो गये। माननीय मंत्री जी की इंटेलिजेंस से मैं बहुत ही प्रभावित हूं परन्तु यह उत्तर जिस अधिकारी ने बताया है, शायद समय नहीं मिला और उसके कारण से इस उत्तर में भारी गलती है। तीन वर्ष के समय के अन्दर 12 प्रतिशत की ब्याज दर से 8 लाख 80 हजार का एक साल के अन्दर एक लाख रुपया हो जाता है और यहां बताया गया है 86 हजार हुआ। ब्याज जो दिया गया है उसमें होशियारी क्या बरती गई है ? मैंने तो यह पूछा है कि देय ब्याज कितना है और जवाब दिया गया है कि ब्याज इतना भुगतान कर दिया गया है। देय ब्याज की बात होती तो इसमें तीन लाख रुपये आ जाते।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई एम्बीग्युटी की बात तो नहीं है। आप अगर ब्योरेवार पूरी जानकारी चाहेंगे, यार्ड में कितनी लागत आयेगी और वह सारी जानकारी करके विशेष रूप से चाहेंगे तो उसकी जानकारी करके माननीय सदस्य को हम निवेदन कर देंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट लिखा है। कुल व्यय का निर्माण काल के दौरान वित्त संस्थाओं को देय ब्याज कितना है और यहां बताया गया है कि भुगतान इतना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अब बता देंगे आपको डिटेल में। अब बता देंगे न आपको। जानकारी करके बता देंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा : इसी प्रकार से जो 8 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज की बात है....

श्री अध्यक्ष : हो गया। हिसाब-किताब है, बाद में कर लेना। नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 18। श्री प्रभुलाल (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रमाकान्त शर्मा : 8 लाख रुपये के काम में 4 लाख वेस्ट जाते हैं।

श्री सम्पत सिंह : अकाउन्ट के जरिये पेमेन्ट होता है, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई दूसरा पेमेन्ट कर देंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा : सही पेमेन्ट होता है परन्तु काम पर खर्चा नहीं होकर के बेकार में खर्चा हो रहा है। 8 लाख के काम पर 4 लाख बेकार जाते हैं। यह 6 महीने में बन जाता तो खर्चा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : हो गया। मंत्री जी।

श्री सम्पत सिंह : पेमेन्ट जल्दी-जल्दी हो जाता है और देर की प्रक्रिया में यदि कोई राशि का नुकसान है तो उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : हो गया। नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 19। श्री रामसिंह विश्नोई।

लूणी (जोधपुर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

19. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति लूणी (जोधपुर) में आर. ई. सी. स्कीम कब स्वीकृत हुई और इसमें अभी तक कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है ?

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(2) क्या यह सही है कि यह स्कीम मात्र पांच वर्षों के लिए ही बनाई जाती है जबकि 12 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अभी तक समस्त गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है?

(3) क्या यह सही है कि जिन गांवों का विद्युतीकरण हुआ बताया गया है वहां मौके पर कई गांवों में ट्रांसफार्मर भी नहीं लगाये जा सके हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं जहां विद्युतीकरण बताये जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगने से एक भी घर में विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सका है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अब शेष रहे गांवों का कब तक विद्युतीकरण करने का विचार है?

उर्जा मन्त्री (श्री रामनारायण विश्नोई): (1) पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर में प्रथम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना मार्च, 1979 में स्वीकृत हुई। दूसरी योजना ओ. बी. (कम्पोजिट) वर्ष 1980-81 में एवं तीसरी योजना एस. यू. (रिप्लेसमेन्ट) वर्ष 1987-88 में स्वीकृत हुई। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत 15 ग्रामों का विद्युतीकरण करना शेष है।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं का कार्यकाल श्रेणी/लक्ष्यानुसार भिन्न भिन्न रहता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण योजना मद में उपलब्ध धन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित समिति वित्त एवं लक्ष्यों के कारण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः प्रायः योजना कार्यालय से अधिक समय लग जाता है। अधिकांश योजनाओं में राशि की कमी के कारण विलम्ब होता है।

(3) जी हां। पंचायत समिति लूणी के 8 गांव ऐसे हैं जिन्हें विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये हैं। सूची "अ" संलग्न है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य पिछले वर्षों में घोषित कर दिये जाया करते थे परन्तु उनकी क्रियान्विति के लिए पर्याप्त राशि विद्युत मण्डल के पास नहीं होती थी। अतः कार्य अधूरे रह जाते थे।

(4) शेष रहे 15 स्वीकृत ग्रामों में से 6 ग्राम वर्ष 1990-91 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित किये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री अध्यक्ष : 6 था तीन?

श्री रामनारायण विश्नोई : इसमें तीन और कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : अब इसमें संशोधन दे दीजिये। हमने 3 का 6 कर लिया है।

श्री रामनारायण विश्नोई : शेष रहे 15 स्वीकृत ग्रामों में से 6 ग्राम वर्ष 1990-91 में वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित किये गये हैं। शेष स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जा सकेगा। अतः

(24)

(श्री रामनारायण विश्नोई)

निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा और इन्होने मंजूर भी किया है कि गांवों में लाइनें खींच दी गई, ट्रांसफार्मर रख दिये गये परन्तु वहां पर आज तक एक भी विद्युत कनेक्शन एग्रीकल्चर का या दूसरे प्रकार का नहीं दिया गया। मेरा यह मानना है कि विद्युत मण्डल वहां पर केवल औपचारिकताएं पूरी करता है कि लाइनें खींच दो लेकिन कनेक्शन बिल्कुल मत दो। माननीय मन्त्री जी, ऐसी स्थिति है वहां पर। तीन–तीन, चार–चार और पांच–पांच साल से लाइनें खीच रखी हैं और वहां पर कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। पहला तो यह है कि इसमें सरकार की क्या नीति है? एक नीति बनानी चाहिये कि जिस साल जिस गांव में विद्युतीकरण किया जाय, उसी साल उसमें चाहे एक ही कनेक्शन दें, पर उस साल में उस गांव में विद्युत कनेक्शन देना चाहिये। तो मेरा माननीय मन्त्री जी से यह सवाल है जैसाकि लूणी में आपने संख्या बताई है कि 8 गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर रख दिये गये पर कनेक्शन नहीं दिये, तो राज्य में ऐसे कितने गांव है जहां पर आपने लाइन खींच दी और ट्रांसफार्मर रख दिये, विद्युत बोर्ड का करोड़ों रुपये का खर्चा हो गया और एक भी कनेक्शन आपने जारी नहीं किया?

श्री अध्यक्ष : लूणी से लालसोट पर आ जाइये। आप राज्य की भी बात कर रहे हैं?

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, राज्य की भी है और दूसरी बात यह है कि वर्ष 1990–91 में राज्य मे जो लक्ष्य लूणी में रख दिये, आपने एक गांव का भी विद्युतीकरण किया या नहीं किया? यदि गत वर्ष में नहीं किया तो उस लक्ष्य को इस साल में लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप भाषण मत दीजिये। सवाल हो गया आपका। माननीय मन्त्री जी। आप यह पूछ रहे हैं कि ऐसी कोई नीति है कि आप जहां विद्युतीकरण कर दें वहां विद्युत कनेक्शन देंगे। एक या दो या तीन या चार साल में।

श्री परसादीलाल मीणा : 3–3,4–4 साल हो गये, कनेक्शन नहीं दिये तो क्या बोर्ड ऐसी नीति बनायेगा कि जिससे गांव में विद्युतीकरण हो उसी साल कनेक्शन भी मिले?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। समझा दिया उनको।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक लूणी पंचायत समिति क्षेत्र में कनेक्शन देने का सवाल है, इस प्रकार की नीति राज्य सरकार द्वारा इस साल बन्द कर दी गई कि जो गांव सबसे पहले विद्युतीकृत होगा उसमें एक या दो नये कनेक्शन दिये जायेंगे। पिछले साल तक यह नीति थी, इस साल इस नीति को बन्द कर दिया गया क्योंकि इस नीति के कारण सन् 1979, 1980 और 1981

(श्री रामनारायण विश्नोई)

तक के काश्तकार जिन गांवों में विद्युत कनेक्शन मांगते थे उनका नम्बर नहीं आता था और जिस साल किसी नये ग्राम के अन्दर विद्युतीकरण होता उसके अन्दर जल्दी कनेक्शन आने की वजह से इस नीति को इस साल हमने बन्द कर दिया है खास कर लूणी ग्राम पचायत समिति क्षेत्र में ऐसा कोई विद्युत कनेक्शन गांव के अन्दर खारा पानी होने की वजह से पेंडिंग नहीं है कि जिससे लोगों ने यह मांग की हो ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मनोहर सिंह ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है कि आपने लूणी पंचायत समिति क्षेत्र में 8 गांवों का विद्युतीकरण कर रखा है, क्या आपने वहां पर कोई प्रार्थना-पत्र लेने की तारीख निश्चित की ? आपके पास प्रार्थना-पत्र आये या नहीं आये ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । इन्होंने लूणी के 8 गांवों में प्रार्थना-पत्र लेने के लिए पूछा है । आप बिराजिये, यह लूणी का सवाल है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, यह लूणी का नहीं है । ये जो नए गांव हैं, यहां जो कनेक्शन देने के लिए कहा कि....

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न और पढ़ा जा सकता है । आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमने नीति बदल दी है । मतलब यह है कि उस पर सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद यदि एक या दो कनेक्शन नहीं देंगे तो उस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है ? इस पर क्या आप पुनर्विचार करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । मन्त्री जी जवाब देंगे । माननीय मन्त्री जी ।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रार्थना-पत्र लेने का सवाल है, किसी भी काश्तकार या गांव वालों के लिए किसी भी प्रकार की कोई रूकावट प्रार्थना-पत्र लेने में नहीं है ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी को जानकारी नहीं है । जब गांव का विद्युतीकरण किया जाता है पहली बार एक तारीख निश्चित की जाती है और गांवों में सूचना निकाली जाती है कि फलां गांव का विद्युतीकरण करने के लिए प्रार्थना-पत्र फलां तारीख को लिये जायेंगे । एक भी गांव में ऐसी सूचना नहीं निकलवाई है । दो–दो, तीन–तीन साल में गांव, वैसे के वैसे आज भी पड़े हैं । तो आप कृपया यह बतायें, या तो यह नीति नहीं थी, जब इस प्रकार प्रथम बार गांव का विद्युतीकरण करेंगे तो उसकी सूचना आम पब्लिक में निकलवायेंगे । क्या ऐसी सूचना मन्त्री जी, आपने इन 8 गांवों में निकलवाई ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

(26)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

आसीन्द क्षेत्र में चर्म उद्योग

1. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में कोई चर्म उद्योग कारखाना है ? यदि नहीं तो इस क्षेत्र के रैगर जाति के परिवारों को तकनीकी ज्ञान के लिये कोई योजना बनाई जावेगी ?

(2) क्या सरकार रैगर जाति परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से चर्म रंगाई के कार्य तथा अन्य चर्म सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन देगी ?

उत्तर

(1) आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में कोई चर्म उद्योग कारखाना नहीं है। इस क्षेत्र में अभी तक रैगर जाति के परिवारों को तकनीकी ज्ञान के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(2) जी हां। नई औद्योगिक नीति के अनुसरण में चर्म रंगाई एवं चर्म सम्बन्धी कार्यों हेतु कार्यक्रम लिये जावेंगे।

पाली जिले के सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति

3. **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पाली जिले में सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में कौन-कौन से विषयों के अध्यापक नहीं है। इनकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी।

(2) देसूरी (पाली) सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में वाणिज्य वर्ग (10+2) कक्षा एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी किस विद्यालय में जाकर अपना पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं ?

(3) क्या इससे देसूरी सीनियर हायर सैकण्डरी के छात्रों का परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा यदि हां, तो उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ?

उत्तर

(1) पाली जिले की सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों की सूची संलग्न है। रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र कर दी जावेगी।

(2) सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, देसूरी (पाली) वाणिज्य वर्ग (10+2) विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी अपने ही विद्यालय में पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

झुन्झुनूं जिले हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन

4. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले के लिये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

पद सृजित किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) झुन्झुनू जिले में वर्ष 1991-92 में कितनी नई पुलिस चौकियां कायम किये जाने का प्रावधान रखा गया है तथा कितनी चौकियों को थानों में बदलने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन सम्बन्धित क्षेत्र की कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशीलता, आपराधिक आंकड़ों एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रख कर किया जाता है।

(2) झुन्झुनू जिले में वर्ष 1991-92 में नई पुलिस चौकियां एवं पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है।

अटरू क्षेत्र के पूर्व सरपंचों के विरुद्ध गबन व धोखाधड़ी के मामले

7. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र के कितने पूर्व सरपंचों के विरुद्ध अब तक गबन व धोखाधड़ी के आरोप सिद्ध हुए हैं ? क्या सरपंचों के खिलाफ इस आशय की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उनसे गबन की राशि वसूलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र केवल एक सरपंच श्री बिरधीलाल सुमन ग्राम पंचायत अटरू के विरुद्ध ही गबन व धोखाधड़ी के आरोप प्राथमिक जांच में प्रमाणित पाए गये हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया जा चुका है। उनके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि विभागीय जांच उप-जिला कलेक्टर छबड़ा से कराई जा रही है।

(2) यह जांच के परिणाम पर निर्भर करेगा।

जिला नागौर के गांवों में जिप्सम की खुदाई का मुआवजा

9. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर तहसील, जायल के ग्राम मांगलोद की सीमा में खसरा नम्बर 841, 843, 922, 9221/922/1163, 841/1062 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा खड़ी (जिप्सम) की खुदाई का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त खसरा के नम्बरान में जमीन मालिक से उसकी अनुमति ले ली गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के

28

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नियमों के अनुसार जमीन के मालिक को निकाली जाने वाली जिप्सम भूमि के माप के अनुसार मुआवजा दिया जाता है ? यदि हां, तो जबसे निगम ने ग्राम मांगलोद में उपरोक्त खसरों में खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया है व वर्तमान में भी खुदाई जारी हैं, वर्षवार कितनी-कितनी राशि किस-किस भू-मालिकों को दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि जिला नागौर तहसील जायल के ग्राम मांगलोद की सीमा में खसरा नम्बर 841, 843, 92?/1063 841/1062 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि. द्वारा खड़ी (जिप्सम) की खुदाई का कार्य किया जा रहा है। उक्त खसरों की भूमि राजकीय गोचर अंगोर व पड़त भूमि हैं, अतः किसी जमीन मालिक से अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है।

(2) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा किसी भूमि मालिक (खातेदार, को मुआवजा देना अपेक्षित नहीं है क्योंकि मांगलोद के उक्त खसरा नम्बरान की भूमि राजकीय भूमि है।

तारांकित प्रश्न सख्या 10
(स्थगित)

जालौर जिले के घोषित डार्क जोन

11. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल): क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में कुछ क्षेत्रों को डार्क जोन घोषित किया हुआ है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों का ब्यौरा प्रस्तुत करें जिसे डार्क जोन माना गया है ? डार्क जोन करने के क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष जालौर जिले में अतिवृष्टि होने से सभी नदियों में पानी काफी समय तक बहता रहा और कुओं में पानी का स्तर काफी ऊपर आ गया ?

(3) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) 5 लाख रुपये कुएं खोदने हेतु बैंक के माध्यम से सहायता देने को तैयार हैं ?

(4) क्या सरकार जालौर जिले में वर्तमान परिस्थिति में भूमिगत पानी को पर्याप्त मात्रा को देखते हुए डार्क जोन हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि वर्तमान डार्क जोन के कारण उक्त क्षेत्र के किसानों को कुएं खोदने व पम्प सेट लगाने आदि पर किसी प्रकार का लोन या सहायता नहीं दी जा रही हैं ? यदि हां, तो यह रोक कब तक हटा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, जालौर जिले में कुछ क्षेत्रों को डार्क वर्गीकृत किया गया है। ये क्षेत्र बहुधा छोटे-छोटे हैं और इनकी संख्या 35 है। वैसे क्षेत्र जहां भू-जल विकास का स्तर 85 प्रतिशत से अधिक होता है उन्हें

(भू-जल मन्त्री)

भू-जल आंकलन समिति के निर्देशानुसार डार्क जोन में वर्गीकृत किया जाता है। ब्यौरा सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, डार्क क्षेत्रों के भू-जल स्तर में इस वर्ष की वर्षा के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है उसके अनुसार अगर अपेक्षित सुधार पाया गया तो ऐसे क्षेत्रों को भविष्य में पुनः वर्गीकृत करना सम्भव हो पायेगा।

(5) जी हां। रोक हटाना तभी सम्भव हो पायेगा जब पुनर्मूल्यांकन के आधार पर भू-जल विकास का स्तर 85% से कम हो जाय।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)।

जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री नीम्बाहेड़ा का वार्षिक उत्पादन एवं चुंगी की चोरी

12. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जे. के सीमेन्ट फैक्ट्री निम्बाहेड़ा का वर्ष 1988-89 एवं 89-90 का वार्षिक उत्पादन कुल कितना था ?

(2) सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा वर्ष 88–89 एवं 89–90 में कुल कितने टन हाई ग्रेड लाइम स्टोन उपयोग में लाया गया तथा उस पर कितनी चुंगी फैक्ट्री द्वारा चुकाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में फैक्ट्री द्वारा हाईग्रेड लाइम स्टोन एवं अन्य कच्चे माल पर लाखों रुपये की चुंगी चोरी करने की शिकायत की गई थी। यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि तहसील द्वारा जो सीमांकन नगरपालिका क्षेत्र का किया गया उसकी लगातार जे के. सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा अवहेलना की जा रही है तथा उसके आधार पर चुंगी चोरी की जा रही है ? यदि हां तो राज्य सरकार चुंगी चोरी रोकने के लिये फैक्ट्री के विरूद्ध क्या सख्त कदम उठाने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री निम्बाहेड़ा का वर्ष 88–89 में 12,17,319 मैट्रिक टन एवं वर्ष 89–90 में 15,16,026 मैट्रिक टन उत्पादन था।

(2) सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा वर्ष 88-89 एवं 89-90 में कुल 39,92,204 मैट्रिक टन हाईग्रेड लाइम स्टोन उपयोग में लाया गया। इस पर फैक्ट्री द्वारा 1,01,933.00 रुपये की चुंगी चुकाई गई।

(3) जी हां, फैक्ट्री के महाप्रबन्धक को चुंगी कर चुकाने के लिए कई नोटिस दिये गये नोटिस दिये जाने पर फैक्ट्री द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया। स्थगन

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

आदेश को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही जारी है।

(4) जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा नगरपालिका सीमांकन को विवादित मानकर न्यायालय में चुनौती दी एवं कर चुकाने के विरूद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। इस विवाद में दिये गये स्थगन आदेश को निरस्त कराये जाने के लिए कार्यवाही जारी है।

शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

13. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990–91 में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्या-क्या मापदण्ड तय किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 1990–91 में अब तक नैनवा तहसील के कितने शिक्षित बेरोजगारों द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये? उनमें महिला आवेदन कर्ताओं की संख्या कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र से उक्त योजना में महिलाओं का भी चयन किया गया है? यदि हां तो किन-किन महिलाओं का तथा शेष महिला आशार्थियों को किन कारणों से चयन नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बालिका वर्ष में उक्त योजना के तहत शिक्षित बालिकाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्न मापदण्ड निर्धारित हैं :—

1. युवाओं को दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. युवाओं की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष की होनी चाहिये।
3. आठवीं कक्षा पास युवा यदि आई. टी. आई. पास है, तो इस योजना में लाभान्वित हो सकता है।
4. युवा के परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से दस हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।
5. युवा को बेरोजगार होना चाहिये।

(2) वित्तीय वर्ष 1990–91 में नैनवा तहसील के 144 आवेदन पत्र शिक्षित बेरोजगारों द्वारा प्रस्तुत किये गये उनमें महिला आवेदन कर्ताओं की संख्या 1 थी।

(3) जी नहीं। उक्त योजना में एक मात्र महिला आवेदिका का टास्क फोर्स द्वारा चयन नहीं किया गया। जिसका नाम श्रीमती सरोज अरोड़ा पत्नी श्री अनिल कपूर निवासी नैनवा है।

(4) जी नहीं। इस योजना में 18 से 35 वर्ष की आयु वाली शिक्षित

(उद्योग मंत्री)

बेरोजगारों को ही लाभ दिया जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को इस योजना में लाभ देय नहीं है।

नीम का थाना क्षेत्र में माध्यमिक व सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय

15. **श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991-92 में सरकार की राजस्थान में कितने माध्यमिक व सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1991-92 में नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां माध्यमिक व सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 के लिए 80 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में एवं 20 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नति के प्रस्ताव हैं।

(2) अभी तक वर्ष 1991-92 में क्रमोन्नत किये जाने वाले माध्यमिक व सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों के नामों के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया है।

बयाना में जुआ सट्टे की रोकथाम

16. **श्री राम प्रसाद (वैर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में जुआ, सट्टा खुले-आम कई वर्षों से हो रहा है ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जुआ, सट्टा सामाजिक बुराई (अपराध) है यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(3) क्या पुलिस प्रशासन द्वारा बयाना में हो रहे जुआ सट्टे को बन्द कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। पुलिस द्वारा समय-समय पर जुआ, सट्टा, के स्थानों पर दबिश दी जाती है। सादा वस्त्रों में पुलिस को निगरानी हेतु नियुक्त किया जाता है, ताकि जुआ, सट्टा की पुनरावृति नहीं हो। जब कभी भी ऐसे मामले पकड़ में आते हैं, अपराधीगणों के खिलाफ प्रचल्नित कानून के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। प्रचलित कानून के अन्तर्गत जब कभी भी जुआ/सट्टा की सूचना प्राप्त होती है, कार्यवाही की जाती है।

सपोटरा करौली क्षेत्र में भेड़ों की चराई

18. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सपोटरा, करौली क्षेत्र में भारी संख्या में बाहर से पशुपालकों की भेड़ें चराई के लिये आती है यदि हां, तो सरकार ने इन्हें रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या चराई हेतु परमिट की पद्धति अपनाई जाती है ? यदि हां तो किस-किस क्षेत्र के लिये परमिट जारी किये गये ।

(3) क्या गत वर्षों में सपोटरा करौली में इसके कारण आन्दोलन हुये हैं ? यदि हां तो उसके बाद इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, सरकार द्वारा निष्क्रमण को सुचारु रूप से नियंत्रित करने हेतु समुचित उपाय किये जाते हैं ।

(2) निष्क्रमण करने वाली भेड़ों से चलतान की वसूली की जाती है । चराई हेतु औपचारिक रूप से कोई परमिट जारी नहीं किये जाते हैं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा निष्क्रमण करने वाली भेड़ों की संख्या जिलेवार निर्धारित की जाती है, जिससे कि निष्क्रमण को नियन्त्रित किया जा सके ।

(3) गत वर्षों में इन क्षेत्रों में चराई से नुकसान होने पर स्थानीय जनता द्वारा समय-समय पर आक्रोश व्यक्त किया जाता रहा है । इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा कृषि विभाग, भेड़ व ऊन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग व पुलिस विभाग के समन्वय से भेड़ों की जिलेवार संख्या निर्धारित की जाकर निष्क्रमण की व्यवस्था की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पाली जिले के आयुर्वेदिक औषधालय

1. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पाली जिले में कितने औषधालय हैं जो बिना वैद्य व कम्पाउडर के चल रहे हैं । सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) पाली जिले के कितने ऐसे औषधालय हैं जिनमें वैद्य कार्यरत नहीं है फिर भी उस औषधालय से वेतन उनके नाम से उठाया जाता है ?

(4) पाली जिले के हर औषधालय में विभाग द्वारा कितनी दवाईयां वर्ष भर में दी जाती हैं ? औषधालयवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पाली जिले में पूर्व के 126 आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं ।

(आयुर्वेद राज्य मंत्री

चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में एक नवीन आयुर्वेद औषधालय राज्यादेश दिनांक 15-2-91 द्वारा और स्वीकृत किया गया है। सूची (परिशिष्ट-क) सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) पाली जिले के उन आयुर्वेद औषधालयों की सूची (परिशिष्ट "ख") सदन की मेज पर रख दी गयी है जहां आयुर्वेद चिकित्सक एवं नर्स/कम्पाउण्डर पदस्थापित नहीं हैं या पद सृजित नहीं हैं।

(3) पाली जिले के निम्न दो औषधालय ऐसे है जिनमें चिकित्सक कार्यरत नहीं है, फिर भी बेतन उनके नाम से उठाया जा रहा है—

1. केसूली 2. पाचेटिया

(4) विभागीय औषधालयों को उनकी गत वर्ष की उपलब्ध वार्षिक रोगी संख्या के आधार पर निम्न मापदण्ड के अनुसार औषधियां वितरित करने हेतु औषध बजट दिया जाजर इस बजट सीमान्तर्गत उपलब्ध औषधियां दी जाती हैं—

बहिरंग विभाग-प्रतिदिन प्रति रोगी 1.00 रु.

अंतरंग विभाग-प्रतिदिन प्रति रोगी 3.00 रु.

पाली जिले के आयुर्वेद औषधालयों को वर्ष 1990-9 में स्वीकृत औषध बजट एवं दिनांक 20-1-91 तक सप्लाई की गई औषधियों की राशि का विवरण (परिशिष्ट-"ग") सदन की मेज पर रख दिया गया हैं।)

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

करौली में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

2. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)**: क्या कृषि मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार करौली में कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या पूर्व में राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी के लिये कोई स्थान निर्धारित किया गया था तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई थी ?

(3) कृषि उपज मण्डी के तहत किन-न सड़कों का निर्माण करने का विचार व उन पर कितनी-कितनी राशि वर्ष 991-92 में व्यय करने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र मण्डी समिति स्थापित करने हेतु कम से कम 4 लाख रुपये वार्षिक मण्डी शुल्क आय का मापदण्ड निर्धारित किया गया है, जबकि गौण मण्डी यार्ड करौली की पिछले तीन वर्षों की औसत आय लगभग 2.50 लाख रुपये है।

(34)

(कृषि मन्त्री)

(2) विपणन बोर्ड के वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा, करौली में 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि का भूस्थल अनुमोदित किया गया था । भूमि की अवाप्ति की जाकर तहसीलदार, करौली ने दिनांक 15-12-88 को भूमि का कब्जा मंडी समिति को संभलवा दिया । तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 28-11-88 को मुआवजा राशि मण्डी समिति द्वारा जमा करा दी गई । तत्पश्चात् 3 खातेदारों ने जिनकी भूमि 10 बीघा 10 बिस्वा है । दिनांक 16-3-89 को राज. उच्च न्यायालय में यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । जिससे चारदीवारी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है । अभी तक मण्डी समिति से स्थगन आदेश निरस्त नहीं कराया है ।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति ने करौली क्षेत्र में निम्न सड़कों का प्रस्ताव भिजवाया है :—

(1) करौली (मेला गेट) बिचपुरी-हरनपुर-खूपनगर—9.00 कि. मी.

(2) करौली (मासलपुर गेट) से सौरय-मनियापुरा सड़कें - 6.00 कि. मी.

(3) करौली पुराना ताल नाहरे का ठेकरा-भंवरपुरा तक 6 00 कि. मी.

मण्डी का 1991-92 का बजट अभी स्वीकृत नहीं हुआ है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें कितना रुपया इन सड़कों के लिए उपलब्ध हो सकेगा ।

अतारांकित प्रश्न संख्या (3)
(स्थगित)

सांचोर (जालौर) में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय

4. **श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचोर) :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के पास सांचोर, जिला जालौर में पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय खोलने के प्रस्ताव आए हैं ?

(2) उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? कब तक कार्यालय खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला जालौर में सांचोर नामक नया वृत स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(2) नये पुलिस सर्किल खोलने के मामले राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर हैं । इसके लिए समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

बांसवाड़ा जिले के थानों में दर्ज मुकदमे

5. **श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में पिछले वर्ष कितने मुकदमें दर्ज हुए, कितनों का चालान न्यायालय में पेश किया तथा कितनों पर पुलिस द्वारा (F. R.) अन्तिम रिपोर्ट

(श्री बहादुरसिंह)

दी गई ? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले में कितने हत्याओं व बलात्कार के मुकदमें दर्ज हुए।

(3) जिला बांसवाड़ा थाना पाटन के क्षेत्र में दिनांक 28-6-90 को हुए कत्ल के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही तथा जांच हुई ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में गत वर्ष कुल 4430 मुकदमें दर्ज हुए हैं। जिनमें से 3257 का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है एवं 1076 मुकदमों में एफ. आर. प्रस्तुत की गई है। सूची थानेवार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) गत वर्ष में जिला बांसवाड़ा में हत्या के 32 एवं बलात्कार के 38 मुकदमें दर्ज हुए हैं।

(3) दि. 1-7-90 को जिला बांसवाड़ा थाना पाटन में मुकदमा नं. 33/90 धारा 302, 201 भा. द. सं. के अन्तर्गत दर्ज हुआ था, जिसकी अनुसंधान चल ही रहा था कि एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-8-90 को प्राप्त हुआ कि श्री मावजी पुत्र धीरजी मुकदमें का चश्मदीद गवाह है। जांच पर यह प्रार्थना-पत्र असत्य पाया गया। अथक प्रयत्नों के उपरान्त भी अपराधियों का पता नहीं चलने पर दिनांक 30-9-90 को मुकदमा में एफ. आर. अदम पता मुल्जिमान में पतारसी जारी रखते हुए कता की गई। नतीजा मुकदमा संलग्न परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

राज्य के कारागृहों में टाडा के अन्तर्गत बन्द व्यक्ति

6. **श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान के कुल कितने व्यक्ति टाडा के तहत राज्य की विभिन्न जेलों में बन्द हैं ? इनमें से 18 वर्ष से कम आयु के कितने हैं ? शहरवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त प्रकार के व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास से कोई हथियार या आग्नेयास्त्र बरामद नहीं हुए हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में टाडा एक्ट के तहत कुल 228 व्यक्ति विभिन्न जेलों में बन्द हैं इनमें से तीन व्यक्तियों को 18 साल की आयु से कम मानते हुये गिरफ्तार किया गया था जो बाद में न्यायालय डिजिग्नेटेड कोर्ट अजमेर द्वारा आयु का मेडिकल कराने पर 18 साल से ऊपर की आयु का प्रमाणित होने पर इन्हें 18 साल की आयु से ऊपर माना गया है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त व्यक्तियों में से 178 व्यक्तियों से कोई हथियार या आग्नेयास्त्र बरामद नहीं हुये हैं।

उदयपुर नगर के पुलिस थानों में दर्ज मामले

7. **श्री शिवकिशोर सनाढय** (उदयपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) उदयपुर नगर के कुल कितने पुलिस थाने तथा चौकियां हैं ? गत तीन वर्षों में इनमें हत्या, बलात्कार, चोरी तथा अपहरण के कितने मामले दर्ज हुए और उनमें से कितने अभियुक्तों को सजा हुई ?

(2) उदयपुर नगर में 1–4–90 से 31-12-90 तक कुल कितनी चोरियां हुई एवं कितने मामलों में अभियुक्तों को पकड़ा गया ? यदि चोरियां पकड़ी गई तो कितनों को सजा दिलवाई गई ?

(3) उदयपुर के कुल कितने कैदी कारागृह में हैं ? इनमें से ऐसे कैदी कितने है जो गत 5 वर्ष से बन्द हैं, लेकिन उनके विरूद्ध कोई चार्ज सीट नहीं दी गई है ?

(4) इसी प्रकार जिनकी जमानत के न्यायिक आदेश होने पर भी जमानत नहीं प्रस्तुत की गई उन कैदियों के नाम, उम्र और अपराध का विवरण भी सदन की मेज पर रखें।

(5) सिटी पैलेस, उदयपुर में दिनांक 5-5-89 को जो दुर्घटना विस्फोट से हुई थी उसके अभियोग का अनुसंधान क्या पूरा हो गया ? यह विस्फोट सामग्री कहां से आई और किसने कब रखी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में कुल 8 थाने तथा 11 पुलिस चौकियां हैं। गत तीन वर्षों में हत्या 20, बलात्कार 15, चोरी 863, अपहरण 72, अभियोग दर्ज हुए। गत तीन वर्षों में उदयपुर नगर के उक्त अभियोग में किसी को सजा नहीं हुई है।

(2) उदयपुर नगर में 1–4–90 से 31-12-90 तक कुल 204 चोरियों के अभियोग दर्ज हुए इनमें से 37 मामलों में अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 37 मामलों में 49 व्यक्तियों के विरूद्ध चालान अदालत पेश किये जा चुके हैं जो जैर ट्रायल है।

(3) उदयपुर कारागृह में कुल 541 कैदी है इनमें से 348 दण्डित तथा 193 विचाराधीन है। ऐसा कैदी नहीं है जो गत 5 वर्षों से बन्द हो लेकिन चार्जशीट नही दी हो।

(4) एक विदेशी व्यक्ति ऐसा है जिसके राज. उच्च न्यायालय से जमानत के आदेश हो गये हैं किन्तु जमानत नहीं कराने से विरूद्ध है। नाम अली पुत्र हयाया निवासी जोर्डन है, उम्र 24 वर्ष है। अपराध धारा 411, 467, 468, 471, भा. द. स. व 3/4 विदेशी अधिनियम का है।

(5) जी नहीं, अभियोग का अनुसंधान जारी है। विस्फोट सामग्री से आई और किसने रखी की मालुमात की जाकर अभियुक्तों का पता लगाने की पूर्ण कोशिश की जा रही है।

बांदीकुई क्षेत्र के थानों में दर्ज मुकदमे

8. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री रामकिशोर सैनी)

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में किन–किन थानों में 1980 से जनवरी 1990 तक किस–किस प्रकार के कुल कितने मुकदमें दर्ज हुए ? उनमें हत्या, चोरी, डकैती के कितने मामले थे। उनमें से कोर्ट में कितने मुकदमों का चालान हुआ और कितने मामलों में एफ आर. लगी ?

(2) उक्त क्षेत्र के थानों में उक्त अवधि में कितने चोरी एवं डकैती के मामलों में माल बरामद हुआ और शेष मामलों में बरामदगी नहीं होने का क्या कारण रहा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में थाना बांदीकुई पर सन् 1980 से 1991 जनवरी तक कुल 2855 अपराध दर्ज हुए। थाना कोलवा में 251 व थाना मानपुर में 69 अपराध दर्ज हुए। इस प्रकार तीनों थानों में कुल 3165 अपराध दर्ज हुए थे। जिनमें से हत्या, चोरी व डकैती के अपराधों की थाना वाईज सूची मय निस्तारण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र के थानों में उक्त अवधि में पंजीबद्ध हुए चोरी एवं डकैती के अपराधों में बरामद माल की सूची परिशिष्ट "ब" में संलग्न है। जिन अपराधों में माल बरामद नहीं हो सका उनमें बावजूद काफी प्रयत्नों के भी अभियुक्तों का पता नहीं चल सका, जिनके कारण ऐसे अभियोगों में एफ. आर. अदम पता दी गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

विधायकों के विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्ज मामले

9. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में किन–किन माननीय विधायकों के विरूद्ध गत दो वर्षों में किस-किस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त प्रकरणों में से कितनों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न थानों में गत दो वर्षों में 29 माननीय विधायकों के विरूद्ध 30 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त प्रकरणों में से 6 में न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है, 10 में एफ. आर. दी गई है व 14 अभियोगों में अनुसंधान जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

प्रतापगढ़–अरनोद तहसील की जीवनधारा योजना

10. श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़): क्या एकीकृत ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) प्रतापगढ़ और अरनोद तहसील में जीवनधारा योजना के अन्तर्गत वर्ष

(श्री रखब चन्द मीणा)

1989–90 में कितने कुए पूरे हुए और कितने अधूरे रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1990–91 में प्रतापगढ़ और अरनोद तहसील में कितने कुओं की स्वीकृति दी गई ? काश्तकार का नाम ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1990–91 में प्रतापगढ़ व अरनोद तहसील में गरीब को छप्पर योजनान्तर्गत कितने ग्रामीणों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–अ)

(2) सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–ब)

(3) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या–11

(स्थगित)

जयपुर की आवासीय कालोनियों का नियमन

12. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि "पदमावती कालोनी" "बी" (बैंक कालोनी) न्यू सांगानेर रोड, मान सरोवर रोड, जयपुर का नियमन हो चुका है ?

(2) यदि हाँ, तो उक्त कालोनी में नल, बिजली एवं सड़क की पर्याप्त व्यवस्था न होने से वहां के नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या सरकार उक्त कालोनी में उपरोक्त सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, पदमावती कालोनी "बी" (बैंक कालोनी) नाम की कोई योजना प्राधिकरण के द्वारा नियमित अथवा विचाराधीन नहीं हैं। खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति की एक योजना पदमावती कालोनी न्यू सांगानेर रोड, प्राधिकरण में प्रस्तुत की गई है जिसका प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से जांच/अनुमोदन कर अपनी सिफारिश/तकनीकी राय अतिरिक्त कलक्टर (भू. रू.) जयपुर को भिजवाई गई है। सहकारी समितियों की योजनाओं के नियमन का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) उपरोक्त पदमावती कालोनी "बी" (बैंक कालोनी) के पेटे संबधित भू-खण्ड धारियों द्वारा प्राधिकरण कोष में कोई विकास शुल्क की राशि जमा नहीं कराई है। अतः सड़क, बिजली एवं नल का विकास कार्य नहीं कराया गया है।

(नगरीय विकास मन्त्री)

(3) उक्त पदमावती कालोनी "बी" (बैंक कालोनी) के पेटे विकास जमा नहीं होने के कारण वर्तमान में सड़क, बिजली एवं नल का विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जोधपुर नगर का मास्टर प्लान

13. श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर में स्थित चौपासनी जागीर ग्राम के खसरा संख्या 146 की भूमि का उपयोग जोधपुर नगर के मास्टर प्लान में आंशिक आवासीय है और शेष चिकित्सालय के लिये दर्शाया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर ने अतिरिक्त कलक्टर, भूमि रूपान्तरण, जोधपुर को पत्र संख्या जे. डी. जेड. 1628 जे. पी. आर. दिनांक 15-12-89 प्रेषित किया कि उक्त खसरा संख्या 146 का मास्टर प्लान में भू-उपयोग पूर्ण आवासीय है जिसके आधार पर यह पूरा का पूरा खसरा रूपान्तरित करके आवासीय पट्टे जारी कर दिये गये एवं चिकित्सालय की भूमि को निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया? दिनांक 15-12-89 के पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नं. 146 की भूमि का अधिकतर भाग मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित चिकित्सालय में पड़ता है। एवं इसका कुछ भाग पाल रोड की प्रस्तावित चौड़ाई में आता है।

(2) (3) जी, हां। वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर के पत्र क्र. जे. डी. जेड. 1628 जे. पी. आर. दिनांक 15-12-89 की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। भूमि रूपान्तरण विभाग द्वारा इस खसरा नम्बर की 21.18 बीघा भूमि में 15 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया गया है।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

चौपासनी जागीर ग्राम (जोधपुर) का नामान्तरकरण

14. श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर संकुलन की सीमा में स्थित चौपासनी जागीर ग्राम के 173 बीघा 15 बिस्वा क्षेत्रफल के खसरा संख्या 149 के 4/5 भाग अर्थात् 139 बीघे की खातेदारी जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 तक के अनुसार श्री दासु पुत्र श्री सूरजमल की थी जिसके आधार पर सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, जोधपुर ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 (2) के

(श्र पूनमचन्द विश्नोई)

अन्तर्गत नोटिस क्रमांक अ.नि./जो/सीलिंग/89/939 दिनांक 26–11–19990 को उक्त खातेदारों के नाम जारी किया ?

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन सम्बन्धित पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार ने उपरोक्त खसरे के अन्य खातेदारों से नाजायज़ सांठ-गांठ कर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 49 के विपरीत बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए फर्जी राजीनामे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 77 द्वारा खसरे संख्या 149 के नये तीन टुकड़े : 149, 149/1 व 149/2 करके श्री दासु के उत्तराधिकारी इकलौते पुत्र श्री दुर्गाराम के नाम उपरोक्त 4/5 भाग अथवा 139 बीघे के स्थान पर मात्र 16 बीघा ही भूमि खसरा संख्या 149/1 के रूप में रखी जो उपरोक्त अल्सार अधिनियम की धारा 5 (3) के अनुसार नल एण्ड वोइड है परन्तु उक्त समस्त 173 बीघा 15 बिस्वा भूमि के अवैधानिक नये खातेदारों के नाम से नगरीय विकास विभाग द्वारा नगर सुधार न्यास, जोधपुर के पूर्वी पाल रोड आवासीय योजना हेतु अपनी अधिसूचना दिनांक 18–9–1989 द्वारा जो राजस्थान राज-पत्र, दिनांक 22–2–1990 के भाग 6(ख), पृष्ठ 51 पर प्रकाशित हुई, यह भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अवाप्त की जा रही है ?

(3) यदि हां, तो उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 77 अल्सार अधिनिमय के अन्तर्गत कब तक निरस्त घोषित किया जायेगा एवं भूमि का मुआवजा उक्त संवत् 2032 से 2035 तक की जमाबन्दी में अंकित खातेदारों को ही कब तक प्रदान किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, नकल जमाबन्दी के आधार पर सर्व श्री भवरलाल, रामचन्द्र पिसरान सीताराम व दासुजी पुत्र श्री सूरजमल को नगर (भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 6(2) के तहत सक्षम अधिकारी, जोधपुर द्वारा नोटिस संख्या 939 दिनांक 26–11–90 जारी किया गया हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) हां, यह सही है कि नामान्तरण संख्या-77 दिनांक 3–8–82 तहसील जोधपुर के आदेश संख्या 2251-52 दिनांक 27-7-82 के आधार पर निष्पादित किया गया। जहां नक उक्त नामान्तरण के निष्पादन में पटवारी राजस्व निरीक्षक व तउसीलदार द्वारा उपरोक्त खसरों के अन्य खातेदारों से नाजायज साठगांठ कर फर्जी राजीनामे के आधार पर किये जाने का प्रश्न है यह जांच के बाद ही पता लग सकता है (जांच के आदेश राजस्व विभाग एवं जिलाधीश को दिये जा रहे हैं) नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम, 1976 लागू होने की तिथि दिनांक 9-3-76 के बाद किया गया हस्तान्तरण धारा 5(3) के अन्तर्गत अवैध है। या नहीं इसकी जानकारी नामान्तकरण करने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही की वैधता की जांच के पश्चात् ही ज्ञात होगी, जो पक्षकारान के बीच चल रहे न्यायालय में इससे सम्बन्धी मामले के निष्पादन के बाद ही सम्भव होगी। अल्सर

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

अधिनियम 1976 के तहत सक्षम अधिकारी के कार्यालय में प्रकरण अभी विचाराधीन है तथा पक्षकार से जवाब प्राप्त होना व खातेदारों की भूमि बाबत विभागीय सर्वेयर की रिपोर्ट आना बाकी है। जिसके प्राप्त होने के पश्चात् अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही सम्भव है। यह भी सही है कि नगरीय विकास विभाग द्वारा नगर सुधार न्यास जोधपुर के पूर्वी पाल रोड आवासीय योजना हेतु अधिसूचना दिनांक 18-9-89 जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 22-2-90 के भाग 6(ख) पृष्ठ 51 से 53 पर प्रकाशित हुई यह भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 के अन्तर्गत अवाप्ति किये जाने सम्बन्धी जारी की है। प्रति संलग्न है।

(3) इस भूमि का विवाद अदालत में पक्षकारान के बीच विचाराधीन है ऐसी स्थिति में नामान्तरण निरस्त की कार्यवाही किये जाने का मामले बाबत कोई उत्तर इस स्टेज पर दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त भूमि का मुआवजा सं. 2035 तक की जमाबन्दी में अंकित खातेदारी को ही दिया जाएगा इस समय बताना सम्भव नहीं है।

विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका, भीनमाल द्वारा भूमि का नियमन

15. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, भीनमाल ने केसरीमल पुत्र देवीकरण अग्रवाल को पीपली चौक में रिहायशी भूमि नियमन की? यदि हां, तो कितनी, कब व किस रेट से ?

(2) क्या यह सही है कि जितनी भूमि नियमन की गई थी उससे कहीं अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त भूमि को वर्तमान बाजार दर लेकर नियमम का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) क्या उक्त भूमि जो रिहायशी हेतु नगरपालिका ने नियमन की है उस भूमि पर वाणिज्य उपयोग में दुकानें बना ली गई हैं? यदि हां, तो कितनी भूमि पर कितनी दुकानें बनाई गई ?

(4) क्या यह सही है कि रिहायशी भूमि को वाणिज्य में उपयोग लाने पर नगरपालिका कॉमर्शियल रेट वसूल कर सकती है? यदि हां, तो केसरीमल के पुत्रों ने जितनी भूमि वाणिज्य में उपयोग की है उसका वर्तमान दर के हिसाब से कॉमर्शियल रेट वसूल करने का सरकार इरादा रखती से? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या केसरीमल के पुत्र गुलाबचन्द ने अपनी रिहायशी भूमि पर चार दुकानें बना कर, नगरपालिका रिकार्ड में अपनी पत्नी विमला देवी के नाम तथा दो दुकानें अपने पुत्र भंवरलाल के नाम करवाई हैं?

(6) क्या यह सही है कि इस प्रकार की ट्रांसफर कार्यवाही नियम विरुद्ध हुई हैं?

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्य-वाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 8–12–78 को कुल 5344 वर्ग गज (2'×2') भूमि का 7/– रुपये प्रति वर्ग गज की दर से नियमन किया गया था।

(2) जी हां, अतिरिक्त भूमि पर हुए कब्जे के बारे में जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद ही इस बारे में कोई निर्णय लिया जावेगा।

(3) जी हां, वर्तमान में 1030.05 वर्ग गज (2'×2') भूमि पर 18 दुकानें बनाई हुई हैं।

(4) श्री केसरीमल के पुत्रों द्वारा कुल 1030.05 (2'×2') वर्ग गज भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में लिया जा रहा है। आवासीय भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में लेने की तिथि व दरों के सम्बन्ध में जांच करवाई जा रही है। जांच पूरी होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(5) जी हां।

(6) नगरपालिका रेकार्ड में जो ट्रांसफर की कार्यवाही हुई है उसकी जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगरपालिका सोजत में रेवेन्यू इन्सपेक्टर के पद

16. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) :** **श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) :** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका सोजत में रेवेन्यू इन्सपेक्टर के कितने पद सृजित हैं ?

(2) क्या सरकार द्वारा नगरपालिका सोजत के किसी रेवेन्यू इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण किया गया ? यदि हां, तो उक्त रेवेन्यू इन्सपेक्टर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया ? स्थगन आदेश की नकल सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्थगन आदेश कब प्राप्त हुआ तथा नगरपालिका सोजत द्वारा स्थगन आदेश के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका सोजत में रेवेन्यू इन्सपेक्टर के दो पद सृजित हैं।

(2) जी हां। स्थगन आदेश की नकल सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त स्थगन आदेश दिनांक 28-5-83 को प्राप्त हुआ। इस प्रकरण में दिनांक 19–12–90 को निर्णय हो गया है।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

नगर परिषद् जोधपुर के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध जांच

17. श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद् जोधपुर के स्वास्थ्य अधिकारी श्री चिमन सिंह के विरुद्ध कितनी जांचें विचाराधीन हैं, ये जांचें कब तक पूरी हो जायेंगी व किन कारणों से रुकी हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वास्थ्य अधिकारी श्री चिमन सिंह के विरुद्ध 10 अप्रेल, 1990 को परिषद् के चार वाहन क्षतिग्रस्त करने सम्बन्धित कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट कब तक आ जावेगी ?

(3) उक्त अधिकारी की नियुक्ति कब हुई व ये कब-कब, कहां-कहां रहे ?

उत्तर

(1) नगरपरिषद, जोधपुर के स्वास्थ्य अधिकारी श्री चिमनसिंह के विरुद्ध चार जांच विचाराधीन है, दो जांच में नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने पर पूरी होगी। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। जो परीक्षणाधीन है।

(3) उक्त अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 2–3–73 को हुई व निम्नांकित अवधि में उसके सम्मुख अंकित नगर परिषदों में रहे—

अवधि		नाम न. प.
कब से	कब तक	
12.3.73 से	2.7.74	ब्यावर
3.7.74 से	18.5.79	जोधपुर
19.5.79 से	1.8.80	ब्यावर
2.8.80 से	12.1.87	जोधपुर
13.1.87 से	12.9.88	सीकर
13.9.88 से	निरन्तर	जोधपुर

[विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें]

टोंक जिले में व्यय राशि

18. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टोंक जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा वर्ष 89–90 एवं वर्ष 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक किस-किस कार्य के लिए कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई एवं प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक खर्चा कितना-कितना हुआ ? प्रत्येक का अलग-अलग वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण प्रपत्र "अ" के अनुसार संलग्न हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(५५)

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पेयजल योजना

19. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) जैतारण विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने ऐसे ग्राम हैं, जिन्हें अभी तक किसी पेयजल योजना से जोड़ा नहीं गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) किन-किन गांवों में कौन-कौन सी जलदाय योजना का कार्य चालू है और उसे कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(3) शेष समस्याग्रस्त ग्रामों के लिये कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृति हेतु सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र में 1981 की जन-गणना के अनुसार समस्त ग्रामों को पेयजल योजनाओं से लाभांवित कर दिया गया है।

(2) सूचना प्रपत्र "अ" के अनुसार संलग्न है।

(3) उत्तर संख्या 1 के अनुसार।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जिला सवाई माधोपुर में नये हैण्ड पम्प

20. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या सरकार जिला सवाई माधोपुर में नये हैण्ड पम्प की योजना चालू कर रही है ? यदि हां, तो कब से व कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां लगाने का इरादा रखती है ?

(2) टोडाभीम एवं नादोती में वर्ष 1990 में एव जनवरी, 1991 तक कितने हैण्ड पम्प लगे एवं कितने ठीक किये गये ?

(3) क्या सरकार लम्बित कार्य को शीघ्र पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1990–91 में स्वीकृत कुल हैण्डपम्पों में से शेष 183 नये हैण्डपम्प लगाये जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) टोडाभीम एवं नादोती में वर्ष 1990 में एवं जनवरी 1991 तक क्रमशः 24 एवं 25 हैण्डपम्प लगाए गए। इसी अवधि में क्रमश- 230 तथा 90 हैण्डपम्प ठीक किए गए।

(3) स्वीकृत योजनाओं के शेष कार्य धन उपलब्धि के अनुसार पूर्ण किये जाने संभव होंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विभिन्न गांवों की पेयजल योजनाएं

21. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(श्री हीरालाल आर्य)

(1) क्या यह सही है कि पेयजल की समस्या हल करने हेतु अयाना, तलाब, लुहावद, बिनायका, ढीपरी, नीमोला, नकरावदा तथा बमोलियां कलां एवं खुर्द में पम्प एवं टैंक स्कीम लागू करने हेतु वहां की जनता कई दिनों से मांग करती आ रही है ? यदि हां, तो उक्त गांवों में अभी तक नल योजना लागू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(1) क्या सरकार उक्त सभी गांवों में जनहित में पम्प व टैंक योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संदर्भित सभी ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं। जन साधारण की मांग के विरूद्ध योजनाओं को तकनीकी दृष्टि से उचित एवं धन उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वित करना सम्भव होगा।

(2) उपरोक्तानुसार।

कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद

22. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

"(1) विभाग में कितने कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद कब से रिक्त हैं ?

(2) इन पदों पर चयन हेतु विज्ञापन कब दिया गया ? साक्षात्कार कब हुए ?

(3) साक्षात्कार हेतु कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए ? कितने प्रत्याशियों को साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया गया ?

(4) कितने दिनों तक कितने अधिकारियों ने साक्षात्कार लिया, कितने कनिष्ठ अभियन्ताओं का चयन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में वर्तमान में 58 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद 1989 से रिक्त हैं।

(2) वर्ष 1987 में रिक्त 253 तथा 1988 में रिक्त 100 पदों में से 58 पद सम्मिलित थे जिन पर चयन हेतु विज्ञापन मार्च, 1988 में तथा साक्षात्कार 5-4-88 से 30-3-90 की अवधि में विभिन्न दिनांकों को किये गये।

(3) उपरोक्त वर्णित 353 पदों हेतु कुल 7141 आवेदन प्राप्त हुए तथा 5150 अभ्यार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया।

(4) विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

मंडोर मगरा जू जला क्षेत्र की सीवरेज लाइन

23. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या मण्डोर, चयनपुरा, नयापुरा मगरा इत्यादि क्षेत्रों में सीवरेज लाइन नहीं होने के कारण गन्दगी फैल रही है और इससे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या कारगर कदम उठाये गये ?

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(2) क्या मन्डोर मगरा जूंजला क्षेत्र के लिए सीवरेज लाईन डालने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक यह सीवरेज लाईन डाली जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि सीवरेज लाईन नहीं होने के कारण उपरोक्त क्षेत्र में गन्दगी के साथ-साथ मकान भी धंस रहे हैं यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या कारगर कदम उठाये गये ?

(4) क्या यह सही है कि ईसाइयों का कब्रिस्तान कॉलोनी (कच्ची बस्ती) में सीवरेज लाइन डालने का प्रस्ताव लम्बे समय से विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सफाई किये जाने को सामान्य व्यवस्था है। योजना बनाये जाने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। कार्य धन उपलब्धि के अनुसार किया जाना संभव होगा।

(3) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) योजना बनाये जाने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

बीकानेर शहर की द्वितीय चरण की सीवरेज योजना

24. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बीकानेर शहर में सीवरेज लाईन का द्वितीय चरण का कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

(2) बीकानेर शहर में सीवरेज लाइन से सम्बन्धित वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

(3) वर्ष 1990-91 में राज्य में विभिन्न शहरों में सीवरेज लाइन के कार्यों पर कितनी-कितनी धन राशि कहां-कहां व्यय की गई एवं आगामी योजना क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विश्व बैंक को इस सम्बन्ध में कोई योजना भेजी हुई है यदि हां, तो किन-किन शहरों की ? योजनाओं की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ करने सम्भव हो सकेंगे।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) व्यय का विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है। आगामी वर्ष में बांसवाडा, बीकानेर, जयपुर एवं जोधपुर शहरों में प्रस्तावित योजनाओं के कार्यों को किये जाने एवं कुछ पर्यटक स्थलों की मल निकासी योजनाओं के कार्य प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव हैं।

(4) विश्व बैंक को अभी कोई सीवरेज योजना नहीं भेजी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

कृषि उपज मंडी, निम्बाहेड़ा द्वारा सड़कों का निर्माण

25. **श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कृषि उपज मण्डी निम्बाहेडा द्वारा किन-किन गांवों में आज तक सड़कों का निर्माण कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1991 में निम्बाहेडा की कृषि उपज मण्डी द्वारा प्रस्तावित कौन-कौन सी सड़कें हैं व किन किन सड़कों की स्वीकृति आज तक हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्माणाधीन कितनी सड़के किन कारणों से आज तक अधूरी पडी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डी समिति, के माध्यम से निर्मित एवं निर्माणाधीन गांवों की सड़कों की सूची परिशिष्ट 'क" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1991 में कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित सड़के एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) मण्डी समिति द्वारा निर्माणाधीन सड़कों की सूची परिशिष्ट "क" पर है। निर्माणाधीन सड़कों में सम्पर्क सड़क आखिया से अम्बामाता की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। शेष सड़कों का कार्य प्रगति पर है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

राजस्थान बीज निगम के चारा घोटाले की जांच

26. **श्री ईश्वर लाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बीज निगम में चारा घोटाले की जांच राज्य सरकार ने हरीश नायर कमेटी से कराई थी। यदि हां तो उस कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) समिति ने अनियमित खरीद के लिए किन अधिकारियों को दोषी पाया और उनके विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

बांसवाड़ा जिले के किसानों को खाद-बीज का वितरण

27. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बांसवाड़ा जिले में रबी एवं खरीफ की फसलों में कितना खाद व बीज किस हिसाब से किसानों को वितरित किया गया ? इससे कितने कृषक लाभान्वित हुये ?

(५४)

(श्री बहादुर सिंह)

पंचायत समितियों वाईज सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाडा जिले में खरीफ एवं रबी 1990–91 में जो खाद एवं बीज वितरित किया गया, उसकी पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, तथा उसी के सामने लाभांवित कृषकों की संख्या भी अंकित है।

(सूची विधान सभा पुस्यकालय में रखी गई)

राज्य के खाद व कीटनाशक दवाओं में मिलावट के मामले

28. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डौली) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद), **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में खाद व कीटनाशक दवाओं में मिलावट व घटियापन के कितने मामले गत पांच वर्ष में पाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस प्रकार के मामलों में प्रभावित कृषकों को क्या कोई मुआवजा दिलाया गया ? यदि नहीं तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में गत पांच वर्षों में निम्न मामलों में खाद के नमूने अमानक पाये गये:–

	86–87	87–88	88–89	89–90	90–91	योग
अमानक नमूनों की संख्या।	73	96	79	58	85	=391

वर्ष 1986–87 से 31 जनवरी, 91 तक कीटनाशक औषधियों के 2590 नमूने जांच हेतु लिये गये, जिनमें से 425 नमूने अमानक पाये गये।

(2) खाद के अमानक पाये गये नमूनों के सन्दर्भ में निम्न प्रकार कार्यवाही की गई।

	86–87	87–88	88–89	89–90	90–91
1. अनुज्ञापत्रों को निरस्त	—	1	2	—	15
2. चेतावनी	—	–	1	2	1
3. कोर्ट में चालान	5	–	–	–	–

(कृषि मन्त्री)

1	2	3	4	5	6	7
4. घटी दर पर विक्रय की अनुमति	23	13	11	9	–	
5. बिक्री रोकी गई व माल जब्ती	–	–	14	7	22	
6. पुलिस में प्रथम सूचना	5	4	3	5	24	
7. अन्य	–	–	7	1	2	

वर्ष 1986–87 से जनवरी, 1991 तक अमानक पाये गये कीटनाशी रसायनों के विक्रेता व निर्माताओं के खिलाफ न्यायालय में कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत इस्तगासा पेश करने की 247 मामलों में स्वीकृति जारी की जा चुकी है। संबंधित निरीक्षकों द्वारा न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा जिस दवा का नमूना अमानक पाया जाता है, उस दवा के अमानक पाये गये बैच की बिक्री पर तुरन्त रोक लगाई जा कर वह दवा संबंधित निरीक्षकों द्वारा जब्त की जाती है। जिस फर्म की जो दवाइयां बार-बार अमानक पाई जाती है, उन्हें उस दवा हेतु ब्लेक लिस्टेड किया जाता है। अब तक 7 दवाइयां विभिन्न निर्माताओं को ब्लेक लिस्टेड की जा चुकी हैं।

(3) अमानक उर्वरक नमूनों के बारे में केवल उर्वरक नियन्त्रण आदेश, 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रावधान है, जिसको अमल में लाया गया है। किसानों को मुआवजा दिया जाना इन प्रावधानों में नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रभावित किसान सम्बन्धित कम्पनी/विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही कर क्षतिपूर्ति ले सकता है।

बांदीकुई में कृषि उपज मंडी यार्ड

*29. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बांदीकुई में कृषि उपज मण्डी यार्ड बनवाना प्रस्तावित है? यदि हां तो अब तक कृषि विपणन बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) उक्त मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य बोर्ड द्वारा कब तक प्रारम्भ कर दिये जाने का विचार है।

उत्तर

(1) जी हां। वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा मण्डी यार्ड के लिए चयनित भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18-6-86 को धारा 4 (1) तथा दिनांक 26-5-88 को धारा 17 (4) की विज्ञप्ति जारी की गई थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी

(कृषि मंत्री)

द्वारा मुआवजे का निर्धारण कर 80% राशि जमा कराने के निर्देश दिनांक 5-7-88 को मण्डी समिति को दिये गये थे । तत्पश्चात् पूर्व कृषि मन्त्री माननीय श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर द्वारा चयनित भूमि को उपयुक्त नही मानते हुए दिनांक 2-12-88 को नये स्थल के चयन के निर्देश दिये गये । भूमि चयन की कार्यवाही जारी है ।

(2) भूमि चयन एवं अवाप्ति के पश्चात् ही परियोजना बनाई जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ।

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के किसानों को आर्थिक सहायता

30. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1990 में फसलों पर पाला पड़ने से सभी फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाने सम्बन्धी कोई पत्र जन प्रतिनिधि द्वारा सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार पाले से हुए नुकसान का आंकलन करने हेतु विधायकों की जांच कमेटी गठित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त पाले से हुये नुकसान का किसानों को कोई आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी व कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में वर्ष 1990 में फसलों पर पाला पड़ने से फसलों के नष्ट होने के संबंध में जन प्रतिनिधि से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(2) जी नहीं । नुकसान का आंकलन जिला कलक्टर द्वारा ही करवाया जाता है ।

(3) जी नहीं । सरकार द्वारा पाले से हुई क्षति के लिये कोई सहायता नहीं दी जाती है ।

राज्य में पंजीकृत बेरोजगार होम्योपैथिक चिकित्सक

31. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने बेरोजगार होम्योपैथिक चिकित्सक पंजीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य सरकार की इन चिकित्सकों को कब तक रोजगार देने की योजना है ?

(3) क्या राज्य सरकार की नये होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की कोई योजना है ?

(4) यदि हां, तो कितने, कब तक और कहां-कहां, प्रस्तावानुसार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) रोजगार कार्यालय में 31-12-90 को 204 बेरोजगार चिकित्सक पंजीकृत हैं।

(आयुर्वेद राज्य मन्त्री)

(2) वर्तमान में विभागीय होम्योपैथिक औषधालय/चिकित्सालयों में 25 पद होम्योपैथिक चिकित्सकों के रिक्त हैं, जिन पर निर्धारित योग्यताधारी चिकित्सकों को शीघ्र ही रोजगार दिया जावेगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 50 नवीन होम्योपैथिक औषधालय खोलना प्रस्तावित हैं। चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 में 5 नवीन होम्योपैथिक औषधालय खोलने की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं।

(3) आगामी वित्तीय वर्ष 1991-92 में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कुल 25 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित हैं।

(4) वर्ष 1990–91 में निम्न 5 स्थानों पर होम्योपैथिक औषधालय खोलने की स्वीकृति जारी की गयी है—

क्र. सं.	नाम स्थान	जिला
1.	पुष्कर	अजमेर
2.	निवाई	टोंक
3.	जिली	चुरू
4.	बोहथ	कोटा
5.	सांडोया	पाली

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर (उदयपुर) की वन भूमि पर किसानों के नाजायज कब्जे

32. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा के क्षेत्र सलूम्बर के अधिकांश वन भूमि पर कृषकों ने नाजायज कब्जे कर कृषि कर रखी है? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में किए गए काबिज काश्त भूमि की सूची कृषक सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में पिछले 3-4 वर्षों में लकड़ी की अवैध कटाई एवं तस्करी भयानक रूप से हुई है यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा उनमें से कितनों पर मुकदमे चल रहे हैं? ब्यौरा वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। गत तीन वर्षों में सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र की 36 बीघा वन भूमि पर नाजायज कब्जा काश्त हेतु हुआ है। नाजायज काश्त करने वाले कृषकों की सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। गत 4 वर्षों में सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में अवैध कटान एवं अवैध वन उपज निकास के 142 प्रकरण दर्ज किये गये जिनका वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जंगली एवं हिंसक जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाई गई हानि की क्षतिपूर्ति

33. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री रामनारायण वर्मा)

(1) क्या यह सही है कि वन्य जीव अभयारण्यों संरक्षित वनों के समीप ग्रामों के ग्रामीणों की फसलों, मवेशियों, मानव जीवों को जंगली जानवरों, हिंसक पशुओं से पहुचाए जाने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का प्रावधान हैं ? नियमों व परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या विभाग में जंगली जानवरों एवं हिंसक पशुओं द्वारा किये जाने वाले नुकसान का रिकार्ड रखा जाता है ? यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) रामगढ़ अभयारण्य जिला बून्दी की स्थापना कब की गई थी तथा उसके प्रभाव क्षेत्र में कितने एवं कौन-कौन से गांव आते हैं ?

(4) क्या रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना के बाद से अब तक जंगली जानवरों हिंसक पशुओं द्वारा उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले गांवों के निवासियों की फसलों, मवेशियों एवं मानव जीवों को पहुंचाए गये नुकसान का ब्यौरा विभाग के पास हैं ? यदि नहीं तो क्या राज्य सरकार अब इस प्रकार की जानकारी रखी जाने की व्यवस्था करेगी ?

(5) उक्त अभयारण्य के जंगली जानवरों एवं हिंसक पशुओं द्वारा किये गये नुकसान पेटे किस-किस व्यक्ति को कब एवं कितनी राशि किस घटना की क्षतिपूर्ति हेतु गत दो वर्षों में दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं, इस सम्बन्ध में अभी कोई नियम नहीं बने हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) रामगढ़ अभयरायण्य में कुल 21 गांव आते हैं :—

1. दलेलपुरा	2. भैंसपुरा
3. भीलों का झोंपड़ा	4. केशवपुरा
5. बाणगंगा	6. भागदू का गुढा
7. गुल खेड़ी	8. हरीपुरा
9. जावरा की झोंपड़ी	
10. जावरा	11. मीमगंज
12. छीपलिया	13. मोतीपुरा
14. लुहारपुरा मानक चौक	
15. खटकड़	16. आखेर
17. झरबलपुरा	18. गणपतपुरा
19. साईपुरिया	20. खटीपाड़ी
21. बोरवास	

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं, गत दो वर्षों में किसी को भी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गई ।

मुण्डावर अलवर में कृषि कुओं के विद्युत कनेक्शन

34. **श्रीमती उजला अरोडा** (जयपुर ग्रामीण) :—क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, मुण्डावर, जिला

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अलवर द्वारा 1 जनवरी 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक कृषि कुओं के कनेक्शन हेतु कुल कितने डिमाण्ड नोटिस जारी किये ? विवरण मय आवेदक के नाम, उसके आवेदन करने की तिथि एवं उसे जारी किये गये डिमाण्ड नोटिस की तिथि के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जारी किये गये डिमाण्ड नोटिसेज में से किन-किन को कब-कब विद्युत कनेक्शन दे दिये गये तथा किन-किन को अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये ? देरी होने के कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब अन्य बकाया विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता (ग्रा.वि.नि.) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, मुण्डावर जिला अलवर द्वारा जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990 तक कृषि कनेक्शन हेतु कुल 574 डिमाण्ड नोटिस (मांग-पत्र) जारी किये गये। विवरण मय आवेदक के नाम, उसके आवेदन करने की तिथि एवं उसे जारी किये गये डिमाण्ड नोटिस की तिथि सूची "अ" में संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में जारी किये गये डिमाण्ड नोटिस में से दिये गए कनेक्शन की सूचना उपरोक्त सूची "अ" में दर्शा दी गई है तथा जिन आवेदकों को कनेक्शन नहीं दिए गए हैं उसके कारण बताते हुए सूचना सूची "ब" में संलग्न है।

(3) उक्त बकाया कृषि कनेक्शनों को आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं आदि पूर्ण होने के बाद शीघ्र कनेक्शन दे दिए जायेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

राज्य में बिजली उत्पादन

35. श्री सालिगराम (बयाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989–90 में राजस्थान में बिजली की मांग और उपलब्धता में कितनी कमी रही ?

(2) वर्ष 1990–91 में बिजली की मांग और उपलब्धता में कितने प्रतिशत बिजली की कमी रहेगी ?

(3) राज्य सरकार इस कमी को कैसे पूरा करेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1989–90 में राजस्थान में 13वें सर्वेक्षण प्रतिवेदन (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण) के अनुसार ऊर्जा की मांग 12,520 मिलियन यूनिट थी जबकि इसी वर्ष में विद्युत की उपलब्धि 10045 मिलियन यूनिट थी। इस प्रकार उपलब्धि, मांग से 2475 मिलियन यूनिट कम थी।

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) वर्ष 1990-91 में इसी सर्वेक्षण के अनुसार मांग 14,129 मिलियन यूनिट आंकी गई है, जबकि अंतिम अनुमानों के अनुसार इस वर्ष उपलब्धि 11,694 मिलियन यूनिट होने की सम्भावना है। इस प्रकार वर्ष में विद्युत उपलब्धि में 17.23% कमी रहेगी।

(3) इस कमी को केन्द्रीय उत्पादन गृहों से केन्द्रीय सहायता द्वारा पड़ौसी राज्यों से अधिक से अधिक बिजली खरीद कर पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में भी पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 112 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त खरीदी गई है जबकि वर्ष 89-90 में 88-89 के मुकाबले अतिरिक्त व्यय केवल 14 करोड़ का था।

अनचोरा से कंवरपुरा, बन विद्युत लाइन की मरम्मत

36. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनचोरा से कंवरपुरा, बलवन विद्युत लाइन लम्बे समय से क्षतिग्रस्त हैं तथा बार-बार आग्रह के बावजूद भी इसकी मरम्मत नहीं की ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार जनहित में इसकी शीघ्र मरम्मत कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि अनचोरा से कंवरपुरा 11 के. वी. लाइन जो पूर्व में कंवरपुरा के लिए खेंची गई थी, रेल्वे क्रासिंग की अनुमति नहीं प्राप्त होने के कारण पूर्ण नहीं हो सकी, वो क्षतिग्रस्त है। कंवरपुरा को विद्युत आपूर्ति वर्तमान में इन्द्रगढ़ 33 के. वी. सब-स्टेशन से बुढा बलवन्त फीडर द्वारा की जा रही है। विद्युत आपूर्ति हो रही है।

(2) रेल्वे क्रासिंग से अनुमति प्राप्त होने के बाद क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर चार्ज कर दी जावेगी।

माही परियोजना बांसवाड़ा के अधिकारियों के निजी भवन

37. **श्री सोमा भाई** (बागीडोरा), **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माही परियोजना बांसवाड़ा में किन-किन अधिकारियों के रिश्तेदार ठेकादारी करते आ रहे हैं ?

(2) माही परियोजना में किन-किन अधिकारियों ने सेवा में रहते हुए बांसवाड़ा में निजी मकान व बंगले कितनी-कितनी लागत के बनाये हैं ?

(3) माही परियोजना बांसवाड़ा में किन-किन अधिकारियों ने किस-किस गांव में या नगरपालिका सीमा में गरीब आदिवासियों की कृषि भूमि खरीद कर कृषि कार्य करवा रहे हैं ?

(श्री सोमा भाई)

(4) क्या सरकार उन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस संगठन में वर्तमान में कार्यरत किसी भी अधिकारी का कोई भी रिश्तेदार ठेकेदारी का कार्य नहीं करता है।

(2) इस संगठन में कार्यरत वर्तमान में जिन-जिन अधिकारियों ने बांसवाड़ा में निजी मकान बनाये हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	नाम अधिकारी	लागत मकान
1.	श्री आर. डी. दधीच सहायक अभियन्ता	1.88 लाख (राज्य सरकार से ऋण लेकर)
2.	श्री आर. एल. पटेल सहायक अभियंता	1.50 लाख (राज्य सरकार से ऋण लेकर)
3.	श्री दीपक कुमार दोसी, सहायक अभियन्ता	2 40 लाख (राज्य सरकार से ऋण लेकर)
4.	श्री आर. एच. नोटानी, सहायक अभियन्ता	1.50 लाख (राज्य सरकार से ऋण लेकर)

(3) इस संगठन में कार्यरत ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है, जिन्होंने गांव अथवा नगरपालिका सीमा में गरीब आदिवासियों की कृषि भूमि खरीद कर उस पर कृषि कार्य करवा रहे हैं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

सवाई माधोपुर में विभाग के कर्मचारियों द्वारा काटे गये पेड़

38. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई विभाग सवाई माधोपुर के कर्मचारियों द्वारा, कुल कितने पेड़ कहां-कहां काटे गये हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिंचाई कालोनी, सवाई-माधोपुर में भी शीशम का पेड़ काटा गया है ? यदि हां, तो कटे हुए पेड़ का क्या किया गया ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर सिंचाई खण्ड के अधीन कर्मचारियों द्वारा कोई भी पेड़ नहीं काटा गया।

(2) जी हां, सिचाई कालोनी सवाई माधोपुर में एक शीशम का पेड़ जो काफी सालों से सूखा खड़ा हुआ था काटा गया। इस पेड़ से प्राप्त लकड़ी को कालोनी के राजकीय आवास गृहो में दरवाजों की मरम्मत व नहरों पर रेगुलेशन के लिये प्लेंक की आवश्यकता होने पर काम में लिया गया है और शेष मेटेरियल अभी भी संबंधित उप अभियन्ता के अधीन रखा हुआ है।

कालीसीण बांध (सपोटरा) की नहरों को पक्का करवाना

39. **श्री प्रभूलाल (सपोटरा)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सपोटरा के काली सीण बांध की नहरों को पक्का करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार कालीसीण बांध को और ऊंचा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कितना ?

उत्तर

(1) व (2) कालीसीण बांध के आधुनिकीकरण का तखमीना बनाया जा रहा है, जिसमें बांध को 2 फिट ऊंचा करने व आवश्यकतानुसार नहरों को पक्का करने पर विचार किया जावेगा इसकी जांच के बाद उपयुक्त निर्णय लिया जावेगा ।

पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ बांधों की जल क्षमता

40. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति के मोहना बांध, मंडेसरा बांध एवं बेगूं पंचायत समिति के ओराई बांध का जनहित में क्षमता बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां तो इसकी स्वीकृति एवं क्रियान्विति कब तक हो जायेगी

उत्तर

मोहन बांध व मंडेसरा बांध सिंचाई विभाग के नहीं है । ओराई बांध की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं क्योंकि इससे नीचे पड़ने वाले बस्सी बांध पर कुप्रभाव पड़ेगा ।

बांसवाड़ा जिले के अधिकारियों का स्थानान्तरण

41. **श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बांसवाड़ा सिंचाई विभाग एवं माही परियोजना बांसवाड़ा से वर्तमान सरकार में अब तक कितने अधिकारियों के स्थानान्तरण हुये है एवं उनमें से कितनों के किन कारणों से निरस्त किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कनिष्ठ अभियन्ताओं से लेकर अधीक्षण अभियन्ताओं तक सिंचाई विभाग व माही प्रोजेक्ट बांसवाड़ा से ऐसे अफसरों के स्थानान्तरण निरस्त किये गये हैं जिन पर आदिवासी युवतियों से बलात्कार एवं भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं । यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा सिंचाई विभाग एवं माही परियोजना बांसवाड़ा से वर्तमान सरकार में राज्य सरकार द्वारा निम्न आदेशों द्वारा उनके सम्मुख अंकित संख्या में अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंताओं के स्थानांतरण/पदस्थापन प्रसारित किये गये है :—

(सिंचाई मन्त्री)

क्र. सं. आदेश स. एवं दि.	स्थानांतरित अधिकारियों की संख्या	
	अधीक्षण अभियंता	अधिशाषी अभियंता
1. एफ. 15(4) सि/90 दि. 23-5-90	1	—
2. एफ. 15(1)(4)सि/90 दि. 11-6-90	1	—
3. एफ. 15(1)(4) सि/90 दि. 1-10-90	1	—
4. एफ. 15(4) सि/90 दि. 7-11-90	—	2
5. एफ. 15(4) सि/99 दि. 23-1-91	1	—
6. एफ. 15(1)(2)सि/90 दि. 19-4-90	—	1
7. एफ. 15(1)(2)सि/90 दि. 23-5-90	—	1
8. एफ. 15(1)(2)सि/90 दि. 20-6-90	—	4
9. एफ. 15(1)(2)सि/90 दि. 11-6-90	—	1
10. एफ. 15(1)(2)सि/90 दि. 31-1-91	—	2
11. एफ. 15(1)(2)सि/90 दि. 9-11-90	—	4
योग :—	4	15

इस प्रकार अब तक राज्य सरकार द्वारा 4 अधीक्षण अभियंताओं एवं 15 अधिशाषी अभियंताओं के माही संगठन एवं सिंचाई खंड बांसवाड़ा से स्थानांतरण आदेश प्रसारित किये गये हैं। सर्वश्री के. सी. जैन, अधीक्षण अभियंता एवं श्री एस. एन. शर्मा तथा के. सी. अग्रवाल, अधिशाषी अभियन्ता के स्थानांतरण/पदस्थापन माही संगठन में एक अधीक्षण अभियंता एवं दो अधिशाषी अभियन्ता के पद समाप्ति से अधिशेष होने के कारण किये गये हैं। दो अधीक्षण अभियन्ता सर्वश्री एम. एल. जैन एवं जे. सी. लूथरा (यांत्रिक) के स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक कारणों से निरस्त किये गये। इसी प्रकार दो अधिशाषी अभिन्ताओं सर्वश्री दिवाकर महन्त, आर. एस. दवे जो कि स्थानांतरणाधीन थे, के स्थानांतरण आदेश भी प्रशासनिक दृष्टि से निरस्त किये गये। एक अधिशाषी अभियन्ता श्री एम. सी. अग्रवाल को स्थानांतरण पदोन्नति के कारण अन्यत्र पदस्थापन करने के फलस्वरूप किया गया। श्री एच. के. हिंगोरानी, अधिशाषी अभियन्ता जो कि अधीक्षण अभियन्ता के पद के विरूद्ध कार्यरत हैं का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किया गया।

बांसवाड़ा सिंचाई विभाग एवं माही परियोजना बांसवाड़ा से वर्तमान सरकार में निम्न आदेशों समसख्यक दिनांक द्वारा उनसे सम्मुख अंकित संख्या में सहायक अभियन्ताओं के स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश प्रसारित किये गये हैं :—

51

(सिंचाई मन्त्री)

क्र. सं.	आदेश सं.	एवं दिनांक	स्थानांतरित सहायक अभियन्ता की संख्या
1.	16/90	दिनांक 5-5-90	1
2.	21/90	दिनांक 20-6-90	15
3.	22/90	दिनांक 30-6-90	4
4.	23/90	दिनांक 4-8-90	1
5.	35/90	दिनांक 3-11-90	1
6.	1/91	दिनांक 16-1-91	5
7.	8/91	दिनांक 16-2-91	1
8.	15 (1)(35) सि/82 दि. 24-1-91		1
		कुल :-	29

इस प्रकार कुल 29 सहायक अभियन्ताओं के स्थानांतरण आदेश प्रसारित किये गये हैं। जिनमें से 11+7=18 पद माही संगठन में पद समाप्ति से अधिशेष होने के कारण अन्यत्र पदस्थापन हेतु स्थानांतरित किये गये। पांच सहायक अभियन्ता सर्वश्री मंगतीलाल गुप्त राजेन्द्रसिंह यादव के आदेश संख्या 23/90 दिनांक 4-8-90 द्वारा महेश माथुर का आदेश सं. 22/90 दिनांक 30-6-90 द्वारा श्री बी.एन. पी. राजवशी का आदेश सं. 24/90 दिनांक 24-8-90 द्वारा तथा आर. सी.अग्रवाल का आदेश संख्या 19/90 दिनांक 25-5-90 द्वारा(के स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक दृष्टि से राज्यहित में निरस्त कराना आवश्यक हो जाने के कारण नियमानुसार राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके ही निरस्त किये गये हैं। दो सहायक अभियन्ता (सर्वश्री रमनलाल पटेल एवं हरिराम अग्रवाल) के सिंचाई खंड बांसवाड़ा से माही परियोजना बांसवाड़ा में किया गया है। श्री पटेल के एक ही उपखंड में लम्बे समय से पदस्थापित होने के कारण राज्यहित में बांसवाड़ा जिले के अन्दर ही नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर स्थानांतरण किया गया है। श्री जी. एन. भार्गव सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) जो कि अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक) के पद के विरुद्ध कार्यरत हैं का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है।

(2) जी, नहीं।

पर्वन लिफ्ट सिंचाई योजना (कोटा) का निर्माण

42. **श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में पर्वन लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ ? इस योजना पर अभी तक कितना व्यय हुआ ?

(2) वर्ष 1990–91 में इस योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया था तथा यह राशि कब आवंटित की गई ? क्या इस राशि का इस वर्ष में उपयोग कर लिया जायेगा ?

(3) यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में पर्वन लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1981-82 में प्रारम्भ किया गया था। इस योजना पर 3/90 तक 3.88 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

(2) वर्ष 1990–91 में इस परियोजना पर 50.00 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। 0.40 लाख रूपये बजट का आवंटन 4/90 में किया गया था, जनवरी 1991 में इसको संशोधित करके 50 लाख रूपये किया गया। पूरी राशि का उपयोग कर लिया जावेगा।

(3) इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

राज्य की पंचायतों का पुनर्गठन

43. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) :** क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पंचायतों के पुनर्गठन की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार नगरपालिकाओं की तरह ग्राम पंचायतों में महिलाओं/अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित वार्ड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जनगणना कार्य की समाप्ति के बाद इसकी सम्भावना है।

(2) जी हां। प्रक्रिया चालू है।

टौंक जिले की विभिन्न पंचायतों में खर्च राशि

44. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :** क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टौंक जिले में पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत में वर्ष 89–90 एवं वर्ष 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक किस-किस कार्य के लिये कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई एवं प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक खर्चा कितना-कितना हुआ ? प्रत्येक का पंचायतवार अलग-अलग ब्यौरा वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

60

उत्तर

पंचायत राज विभाग द्वारा टोंक जिले में विभिन्न कार्यों के लिए दी गई धनराशि का पंचायत वार विवरण संलग्न है। इन योजनाओं में प्रशासनिक खर्चा के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई। अतः प्रशासनिक खर्चा भी नहीं दिखलाया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति टोडाभीम एवं नादोती (सवाई माधोपुर) की प्राथमिक शालाएं

45 **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( ) जिला सवाई माधोपुर पंचायत समिति टोडाभीम एवं नादोती में कितनी प्राथमिक शालाएं हैं तथा वर्तमान में उनमें कितने अध्यापक कार्यरत हैं विद्यालयवार अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या पंचायत समिति टोडाभीम एवं नादोती के प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं? यदि हां, तो टोडाभीम के ग्राम गढ़ी में स्कूल क्यों नहीं खोला गया? अब कब तक खोल दिया जायेगा?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, टोडाभीम में 105 प्राथमिक शालाएं हैं, जिनमें 265 अध्यापक कार्यरत हैं एवं पंचायत समिति, नादोती में 63 प्राथमिक शालाएं हैं, जिनमें 157 अध्यापक कार्यरत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक स्कूल खुले हुए नहीं हैं। ग्राम गढ़ी में नम्बर आने पर ही प्राथमिक स्कूल खोला जावेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम नाहरपुरा (बांसवाड़ा) के कुएं एवं सड़क निर्माणों में अनियमितताएं

46. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल): क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा के नाहरपुरा गांव में सार्वजनिक कुएं के निर्माण में तथा सीमेन्ट की सड़क में भारी अनियमितताएं हुई हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त किये घोटालों के सम्बन्ध में ग्रामीण नागरिकों ने जिला परिषद् को लिखित में शिकायत की है? यदि हां, तो क्या जिला परिषद् के अधिकारियों ने मनमाने ढंग से जांच करके अनियमितताओं को दबाने का प्रयास किया है?

(3) क्या सरकार जांच अधिकारियों व अनियमितताएं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(पंचायती राज मन्त्री)

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

पचायत समिति बेगू एवं भैंसरोडगढ़ की नई प्राथमिक शालाएं

47. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगू) :** क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगू पंचायत समिति एवं भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति क्षेत्रों में कितने और किन-किन गांवों में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ये स्कूल कब तक खोलने का सरकार इरादा रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) बेगू पंचायत समिति एवं भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में निम्नलिखित गांवों में नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

क्र. सं.	नाम पं. स.	गांव का नाम जहां प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
1.	बेगू	1. कड़ा-कड़ा 2. रायता (कन्या) 3. मेनाल
2.	भैंसरोडगढ़	1. हलखेड़ा 2. एकलिंगपुरा

(2) जिन गांवों में प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय हो जाता है, उनमें स्कूल खोल दिये जाते हैं।

प्रधान, पंचायत समिति छबड़ा (कोटा) की निजी जीप किराया

48. **श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा) :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा पंचायत समिति के प्रधान के पास निजी जीप है जिसे वह किराये पर चलाता है और किराया भी 300/– रुपये लेता है जबकि राज्य सरकार की ओर से 200/– रुपये निर्धारित है।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रधान अपनी प्राइवेट जीप को निजी कार्य में इस्तेमाल करता है और उस कार्य का किराया, पंचायत समिति छबड़ा से, सरकारी कार्य दिखाकर वसूल करता है ?

(3) प्रधान अब तक पंचायत समिति छबड़ा से कितना किराया वसूल कर चुका है ? जब से इस व्यक्ति ने प्रधान का कार्यभार सम्भाला है तब से आज तक किस-किस तारीख को कितना किराया किस-किस कार्य हेतु वसूल कर चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रधान श्री मानसिंह धानोरिया के पास निजी जीप है, जिसे वे किराये पर देते हैं। पंचायत समिति की निजी जीप जल आने के बाद जब-जब जीप की आवश्यकता हुई, जीप 225./- रुपये प्रति दिन की दर से किराये पर ली गई। डीजल अतिरिक्त डलवाया गया।

(2) जी नहीं। जब भी पंचायत समिति के कार्य हेतु जीप किराये पर ली जाती है तब वे उसका उपयोग निजी कार्य हेतु नहीं करते।

(3) पंचायत समिति द्वारा अब तक 15,525/- रुपये किराया भुगतान किया गया है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़, चूरू में ग्राम सेवकों के स्वीकृत पद

49. **श्री किशनाराम नाई** (श्री डूंगरगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ जिला चूरू के लिए कुल कितने ग्राम सेवकों के पद स्वीकृत हैं जिनमें से कितने भरे हुए हैं एवं कितने रिक्त हैं ?

(2) क्या रिक्त पदों पर अप्रशिक्षित ग्राम सेवकों को अस्थाई रूप से नियुक्ति दी जा सकती है ? यदि हां, तो किस नियम के अधीन व ऐसी कितनी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं ?

(3) इन रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार है ?

उत्तर

(1) कुल 24 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 7 पद भरे हुए हैं और 17 पद रिक्त हैं।

(2) जी नहीं। मृत कर्मचारियों के आश्रितों को छोड़कर अप्रशिक्षित ग्राम सेवकों को अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों के रिक्त पदों को विभिन्न विभागों के वर्कचार्ज सरप्लस कर्मचारियों को लिया जाकर उनके समायोजन द्वारा भरे जाने का राज्य सरकार का निर्णय है।

नियमों में संशोधन की कार्यवाही चल रही है। संशोधन हो जाने के बाद पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में विभिन्न विद्यालय

50. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निम्बाहेड़ा (छोटी सादड़ी) विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां पर हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस वर्ष विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निम्बाहेड़ा (छोटी सादड़ी) विधान सभा क्षेत्र में 101 प्राथमिक 40 उच्च प्राथमिक 10 माध्यमिक व 3 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। विद्यालयों के स्थानों की नामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। शिक्षा सत्र 1991-92 के दौरान।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)।

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर (पाली) के विभिन्न विद्यालयों का क्रमोन्नतिकरण

51. श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार वर्ष 1991-92 में सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को क्रमशः उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1991-92 में विद्यालय खोलते व क्रमोन्नत करते समय सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रस्तावों पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा। सूची अभी बनी नहीं हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 52

(स्थगित)

शिक्षा उपनिदेशक (पुरुष) उदयपुर में वरिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता का निर्धारण

53. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिक्षा उप निदेशक (पुरुष) उदयपुर में वरिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में श्री रेगर एवं राजोरा का मामला विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां तो क्या इस पर आपत्ति प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो विभाग ने इन पर क्या कार्यवाही की ? कृपया प्रतिवेदनों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस बारे में शिक्षा सचिव, शिक्षा एवं निदेशक से भी निर्देश शिक्षा उप निदेशक (पुरुष) उदयपुर को दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? प्राप्त पत्रों एवं उस पर

(श्री कुबेर सिंह)

की गई कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक एफ. 22(14) शिक्षा-2190 दिनांक 30-6-90 द्वारा श्री रेगर को श्री राजोरा से वरिष्ठ मानकर 31-7-90 तक, पदोन्नति, वेतन आदि सभी परिलाभ दिनांक 1-4-85 से अविलम्ब देने को लिखा था ? यदि हां, तो क्या वह दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? पत्र एवं आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार एवं विभाग उक्त प्रकरण को जल्दी ही निपटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री रेगर एवं श्री राजोरा का नाम अस्थाई वरिष्ठता सूची में प्रकाशित हो चुका है। वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। वरिष्ठता सूची का प्रकाशन दिनांक 9-9-90 को किया जा चुका है।

(3) वेतन आदि के लाभ अभी तक नहीं मिले है।

(4) जी हां। शीघ्र ही निपटाने की कार्यव ही जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में शिक्षा का स्तर

54. श्री अमीन खां (शिव) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करें—

(1) क्या यह सही है कि सारे राजस्थान में शिक्षा स्तर सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में सबसे नीचे हैं ? यदि हां, तो उसे ऊंचा उठाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

(2) सीमावर्ती जिला बाड़मेर, जैसलमेर में सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलें कितनी है ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं जिनमें कितने रिक्त हैं व कब से रिक्त हैं ? एक-एक स्कूलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के शैक्षिक स्तर को उठाने के लिये भवन हीन विद्यालयों के भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, पानी के टांके, शौचालय-मूत्रालय, प्रयोगशाला भवन का निर्माण कराया जाने, एकल अध्यापकीय विद्यालयों को द्वितीय अध्यापक एवं न्यूनतम आवश्यक सामग्री, विज्ञान उपकरण, कक्षा 1 से 5 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यक्रम, स्टेशनरी,

(शिक्षा मन्त्री)

पोशाकें, उपस्थिति छात्रवृति एवं कक्षा 9 व 10 की छात्राओं के लिए पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों के सैट्स उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।"

(2) सीमावर्ती जिलों बाड़मेर व जैसलमेर में कार्यरत राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) बाड़मेर व जैसलमेर में सीनियर हायर सैकण्डरी व सैकण्डरी स्कूलों में स्वीकृत पदों व रिक्त स्थानों के दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

औद्योगिक क्षेत्र के व्यवसायियों को रीको द्वारा सुविधाएं

55. **श्री प्रभूराम ग्रासिया** (पिण्डवाड़ा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सोजत सिटी औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बनने से आज तक प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि किस-किस प्रकार की सुविधाओं हेतु औद्योगिक व्यावसायियों को उपलब्ध करवाई गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) औद्योगिक क्षेत्र के उक्त व्यवसायियों द्वारा प्रति वर्ष कितनी राशि का सर्विस चार्ज रीको को दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रतिवर्ष सर्विस चार्ज देने पर भी उक्त क्षेत्र में रीको द्वारा, रोड लाइट, सड़क पेयजल, की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाई गई ? यदि हां, तो उपरोक्त सुविधाएं रीको द्वारा कब तक उपलब्ध करा दी जावेंगी।

उत्तर

(1) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सोजत सिटी में विभिन्न सुविधाओं पर जो राशि व्यय की गई है, उसके विवरण की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र प्रथम व द्वितीय चरण पर ही सर्विस चार्जेज लागू है। वर्ष 1985-86 से 1990-91 तक सर्विस चार्जेज के मद में प्राप्त हुई राशि के विवरण की सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है। तृतीय चरण अभी तक विकसित नहीं किया गया है। अतः उस क्षेत्र से सर्विस चार्ज नहीं लिया गया है।

(3) औद्योगिक क्षेत्र प्रथम व द्वितीय चरण में सड़क एवं पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है जो रोड लाईट खराब हैं, उनकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। वसूल किए गए सर्विस चार्जेज के विरूद्ध औद्योगिक क्षेत्र प्रथम व द्वितीय चरण में रख-रखाव पर वर्ष 1985-86 से 1990-91 तक के खर्चे के विवरण की सूची "स" सदन की मेज पर रख दी गई है। तृतीय चरण के विकास की योजना रीको के विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

रीको द्वारा निर्मित इण्डस्ट्रीयल भवन

56 **श्री हुकमाराम** (सिवाना) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या वर्ष 1987–88 में मोकलसर में रीको द्वारा ऋण देकर एक इण्डस्ट्रीज का भवन बनवाया गया था ? यदि हां, तो क्या उस स्थान को इण्डस्ट्रीज एरिया घोषित किया गया ? यदि नहीं, तो अब कब तक करने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति सिणधरी में जो इण्डस्ट्री एरिया घोषित किया गया है और वर्तमान में वहां जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनके अतिरिक्त और कोई इण्डस्ट्रीज खुलवाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1987–88 में मोकलसर में रीको द्वारा ऋण देकर किसी प्रकार का इण्डस्ट्रीज का भवन नहीं बनाया गया था एवं न ही वहां 87–88 में रीको का औद्योगिक क्षेत्र था। मोकलसर में हाल ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19-1-91 को कुल 138 बीघा 18 बिस्वा भूमि रीको के पक्ष में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु आवंटित की गई है, जिसका कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही रीको द्वारा की जा रही है।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति सिणधरी में रीको का कोई इण्डस्ट्रीयल एरिया घोषित नहीं है तथा वर्तमान में रीको द्वारा यहां पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र के बुनकरों को आर्थिक सहायता

57. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) उद्योग निदेशालय के परिपत्र क्रमांक एफ. 13/टैक्स/4/17/हा. क. दिनांक 23–6–87 द्वारा राज्य के समस्त महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्रों को यह निर्देश दिया गया था कि गामीण क्षेत्रों में जिन स्थानों पर (20) बीस से अधिक बुनकर कार्यरत हैं उनको भारत सरकार की सहायता से आवास एवं कार्यशाला बनाने हेतु बसाया जाये ?

(2) उक्त आदेश की अनुपालना में किस-किस जिले में कितने बुनकरों को किस-किस ग्राम व कस्बों में आवासीय एवं कार्यशाला की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई जिलेवार सूची–निम्न विवरण के साथ सदन की मेज पर रखें—

जिला, पंचायत समिति, ग्राम, बुनकर का नाम व पिता का नाम, कितनी सहायता दी गई।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय ऊन मिल बीकानेर

58. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय ऊन मिल, बीकानेर के लगभग 800 कर्मचारी मिल के बन्द हो जाने से बेरोजगार हैं ? यदि हां, तो इस मिल को पुनः कब आरम्भ किया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय ऊन मिल के कर्मचारियों ने सहकारिता के स्तर पर इस मिल के चालू करने की मांग की थी ? यदि हां, तो कब तक इसे मजदूरों के सहकारी संगठन को सुपुर्द कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राजकीय ऊन मिल के बन्द होने से विभाग को कब–कब कितना नुकसान हुआ ?

(4) राजकीय ऊन मिल का किन किन फर्मों में कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

(5) राजकीय ऊन मिल मजदूरों की कितनी-कितनी धन राशि बकाया है उनका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मात्र 295 कर्मचारी थे जिन्हें वर्ष 1976 में जब मिल बन्द हुई थी नियमानुसार मुआवजे के साथ सेवा से अलग किया गया था।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था।

(3) मिल को पट्टे पर दिये जाने के उपरान्त माह फरवरी, 1982 से इसे वाणिज्यिक संस्थान की सूची से हटा दिया गया था इस कारण इस इकाई के कोई लाभ-हानि के खाते तैयार नहीं किये जाते हैं।

(4) विभिन्न फर्मों की तरफ राजकीय ऊनी मिल की बकाया राशि की सूची संलग्न है जो सदन के पटल पर रख दी गई है। कुल 50 पार्टियों में मूल रूप से रुपये 9364118/– (93 लाख) की वसूली पी. डी. आर. एक्ट के तहत की गई परन्तु कुछ पार्टियों द्वारा न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के कारण 19 मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है। यह राशि ब्याज सहित दिनांक 31-3-90 को कुल 26378120/- (2.63 करोड़) हो चुकी है।

(5) राजकीय ऊनी मिल के मजदूरों की कोई धन राशि मिल पर बकाया नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

बांसवाड़ा जिले में आवंटित खानें

59. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) बांसवाड़ा जिले में गत दो वर्ष में कितनी खानें किन-किन को आवंटित की गई है ? व्यवसायियों के नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने व्यवसायी आदिवासी तथा हरिजन हैं तथा कितने जिले व जिले से बाहर के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(68)

(श्री बहादुरसिंह)

(3) नमूना क्षेत्र कितना है, वो कब तक आरक्षित रखा जायेगा? आरक्षित अवस्था हटाने की क्या कार्यवाही रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मारबल खदान को वन विभाग ने आरक्षित कर रखा है? यदि हां, तो कितने वर्षों से वन क्षेत्र में हैं?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में मारबल भण्डार के अलावा इमारती लकड़ी, चारागाह व कृषि भूमि नहीं है? यदि हां, तो इस आरक्षण अवस्था को समाप्त करने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में गत दो वर्ष में 87 खनन पट्टे आवंटित किये गये हैं। पट्टाधारियों के नाम, पते सहित सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) इनमें से निम्न तीन व्यवसायी आदिवासी व एक हरिजन है :—

1. सुश्री झंवर आदिवासी
2. सर्वश्री त्रिपुरा सुन्दरी मार्बल्स भागीदार श्री कमलाशंकर आदिवासी
3. श्री चन्दुलाल आदिवासी
4. श्री मेघाराम बलाई हरिजन

बांसवाड़ा जिले के 39 तथा बांसवाड़ा से बाहर के 48 व्यवसायी परिशिष्ट "क" के भाग 1 एवं भाग 2 अनुसार हैं।

(3) नमूना (आरक्षित) क्षेत्र 15.75 व. कि. मी. विभागीय पूर्वेक्षण हेतु आरक्षित है। पूर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने पर अनारक्षण करने के लिए विचार किया जावेगा।

(4) जी हां। उक्त आरक्षित क्षेत्र का अधिकतर भाग वन भूमि में आता है। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र कब से आरक्षित किया, इसकी सूचना इस विभाग में अभी उपलब्ध नहीं है।

(5) इस क्षेत्र में इमारती लकड़ी नहीं है परन्तु कृषि व चारागाह भूमि छोटे भागों में उपलब्ध है। वन विभाग के लिए रिजर्व्ड एरिया से अनारक्षण करने के लिए कार्यवाही "वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

जैतारण (पाली) में उपलब्ध खनिज भण्डार

60. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण):** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की जैतारण तहसील में किस-किस प्रकार का खनिज किन-किन स्थानों पर निकलता है? क्या सरकार खानों की लीज या आवंटन निर्धारित प्रणाली का पालन करके देती है?

(2) वर्तमान में किस-किस प्रकार की खनिज पदार्थ की खानें किस-किस व्यक्ति के पास हैं? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की जैतारण तहसील में खनिज लाईमस्टोन सिमला, डिगरना, कुपडावास वेड लाडोती, रणसीगांव हरिवा-ढाणी में मारबल ग्राम हेमंडाई, सेवरियां, मेसनरीस्टोन बलांडा, टूकडा समोख तथा चौयनाक्ले, बालक्ले ग्राम लिथरिया खारडी एवं राजपूतों की ढाणी में निकलता है तथा खानों की लीज का आवंटन नियमानुसार किया जाता है।

(2) वर्तमान समय में खनिज पदार्थ की जो खानें जिन-जिन व्यक्तियों के पास हैं उनकी सूचना संलग्न प्रपत्र (ए) में दर्शायी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें।)

राज्य में अवैध खनन

61. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खनिज विभाग में कुल कितनी धन राशि के अवैधानिक रूप में खनन कर खनिज पदार्थों को ले जाने के कुल कितने मामले, दिनांक 31–3–90 तक, राज्य सरकार में विभिन्न स्तरों पर लम्बित है ?

(2) ऐसे गैर कानूनी खनन होने देने के लिए कितने अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अवैधानिक रूप से खनन कर खनन पदार्थों को ले जाने के सम्बन्ध में कुल 8845 मामले विभिन्न स्तरों पर कुल राशि 4,02,38,427.36 रुपयों के दिनांक 31-3-90 तक लम्बित है।

(2) गैर कानूनी खनन के ऐसे मामलों में अवैध रूप से खनन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध खनन सामग्री की कीमत के अनुरूप मांग कायम की गई है। अधिकारियों के विरुद्ध कोई मामला नहीं बना हैं, और उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतें

62. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1987 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मुख्य अभियन्ता भू जल विभाग के विरुद्ध डीलिंग मशीन की खरीद के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो उसमें आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) यदि कार्यवाही नहीं की तो उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(3) मैसर्स कोरस इण्डिया लिमिटेड से 4½ करोड (साढ़े चार करोड़) के 7 रिग्स की खरीद के बाद मैसर्स कोरस इन्डिया, लि. एवं ड्रिल कोन से आज तक जितनी भी मशीनरी की खरीद की गई उसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(72)

उत्तर

(1) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में प्रकरण अन्वेषाधीन है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। मैसर्स कोरस इण्डिया लि. से 1.75 करोड़ की कुल 6 रिग्स ही खरीद की थी न कि रुपये 4½ करोड़ की 7 रिग्स।

(3) उक्त 6 रिग्स की खरीद के बाद फर्म कोरस इण्ड़िया लि. से निम्न मशीनरी क्रय की गई थी।

क्र. सं.	मशीनरी का विवरण	वर्ष	राशि
1.	कोरस इण्ड़िया फैलिंग मॉडल एफ. एम.-45 मड पम्प (2 नग)	1989-90	7,20,000/-

मैसर्स ड्रिल कोन प्रा.लि. दिल्ली से कोई भी मशीनरी क्रय नहीं की गई है।

राज्य के श्रम न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमें

63. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के श्रम न्यायालयों में कितने-कितने केस कितने समय से विचाराधीन हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन प्रकरणों के शीघ्र निपटाने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

(1) राज्य के श्रम न्यायालयों में वर्ष 90 के अन्त तक 11841 केस विचाराधीन थे। इनके विचाराधीन रहने की अवधि निम्नानुसार है :—

अवधि	संख्या
एक वर्ष तक	4671
एक से 2 वर्ष तक	2321
2 से 3 वर्ष तक	1771
3 से 5 वर्ष तक	1986
5 से 10 वर्ष तक	1009
10 वर्ष से अधिक	83
योग—	11841

राज्य में प्रत्येक श्रम न्यायालय में विचाराधीन मामलों को विस्तृत सूचना परिशिष्ट "क" में दी गई है।

(2) पुराने लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से निपटाने की कार्यवाही की जा रही है। विचाराधीन मामलों को संख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक न्यायालय इस वर्ष भीलवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रारम्भ हो गया है। वर्ष 92-93 में एक श्रम न्यायालय अलवर में एवं 94-95 में एक न्यायायन श्री गंगानगर में खोला जाना प्रस्तावित है जिससे कि

(श्रम मन्त्री)

विचाराधीन मामलों को और अधिक तीव्रता से निपटाया जा सके।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 64

(स्थगित)

कारागृह चूरू की इमारत

65. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला मुख्यालय में संचालित केन्द्रीय कारागृह की इमारत जेल मैनुअल के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय कारागृह, चूरू को दूसरी इमारत में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या चूरू में केन्द्रीय कारागृह की इमारत का निर्माण कार्य पिछले एक वर्ष से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार चूरू जैल निर्माण हेतु बजट आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो, कितना व कब तक ?

उत्तर

(1) चूरू जिला मुख्यालय में कोई केन्द्रीय कारागृह, संचालित नहीं है, अपितु "बी" श्रेणी जिला कारागृह है, जिसका भवन सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है। केन्द्रीय कारागृह का तो नहीं अपितु जिला कारागृह "बी" श्रेणी चूरू का नवीन भवन अवश्यमेव निर्माणाधीन है, जिसका कार्य चालू है।

(2) जी, नहीं। जिला कारागृह चूरू के भवन का निर्माण कार्य चालू है। बजट आवंटन भी किया हुआ है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 66

(स्थगित)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) सर्वश्री लक्ष्मीलाल व गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य विधान सभा की ओर से आसीन्द तहसील, जिला भीलवाड़ा के अभी हाल भू-बन्दोबस्त में की गई गम्भीर अनियमितताओं तथा अनुचित एवं अनियमित रुप से लगान वृद्धि से कृषकों में भारी आक्रोश के सम्बन्ध में।

(2) श्री चम्पालाल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर कस्बे में नगण्य पेयजल सप्लाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर कारखाने के श्रमिकों व कर्मचारियों द्वारा जहरीली गैसों के बीच कार्य करने से उसके स्वास्थ्य पर हो रहे कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा वाहनों के दुरुपयोग किये जाने से निगम को हो रहे घाटे के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री अमीन खां व पूनमचन्द विश्नोई तथा 11 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर के ग्राम अभेकापार में पशुपालक श्री जलाल पुत्र सुनार को कथित तस्करी के आरोप में पकड़े जाने के उपरान्त पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु से जनता में भय एवं आक्रोश उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(6) सर्वश्री रामनारायण वर्मा, दयाराम परमार व हरिसिंह (महुआ), सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने से, जांच के अभाव में खाद्य सामग्री में हो रही बेतहाशा मिलावट के सम्बन्ध में।

(7) सर्वश्री जनार्दनसिंह गहलोत, रामनारायण वर्मा व परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली नगरपालिका क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से कस्बे में व्याप्त भयंकर गन्दगी से आम जनता के स्वास्थ्य पर हो रहे दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में।

(8) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर नगर परिषद् क्षेत्र में जयपुर नगर के मुकाबले चुंगी दर में बढ़ोत्तरी के कारण स्थानीय बाजार पर प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में। उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः मैं इनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी:–

(1) जयपुर जिले के थाना लालसोट के अन्तर्गत दिनांक 20 फरवरी, 1991 की रात्रि खेत पर सोये हुए श्री जगन्नाथ पुत्र रामपाल मीना निवासी निझरना की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री परसादी लाल द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव।

(2) सीकर स्थित पथ परिवहन निगम के कार्यालय में 2.62 लाख रुपये तिजोरी से चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र पारीक द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव।

(3) दिनांक 13 मार्च को जल्दी सुबह चाकसू कस्बे मोहल्ला देशवालियान में सशस्त्र डकैती पड़ने व एक व्यक्ति के मर जाने से निवासियों में व्याप्त भय के वातावरण को दूर कर आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में सर्वश्री चन्द्रभान, हेतराम बेनीवाल व एक अन्य सदस्य तथा श्री प्रकाश चन्द बैरवा व तीन अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्तावों के जवाब के बारे में राज्य सरकार से मैं चाहूंगा कि वह जवाब निर्धारित अवधि में दे। ये जितने भी एडजोर्नमैण्ट मोशन हैं वे लगभग 12 दिनों से पेंडिंग हैं जिनका जवाब नहीं मिला, जबकि तीन दिन का समय दिया जाता है। राज्य सरकार इस बारे में भविष्य में ध्यान रखेगी। श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से घनी आबादी वाले क्षेत्र कोटपूतली को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुछ दुर्गम

(श्री अध्यक्ष)

जिलों तथा बड़े जिलों का पुनर्गठन करने तथा नये जिले सृजन करने के सम्बन्ध में गठित समिति ने जयपुर जिले को दो जिलों में विभक्त किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार के समक्ष विकल्प प्रस्तुत किये थे और मुख्य मंत्रीजी ने जयपुर जिले को विभाजित कर नया जिला दौसा में स्थापित करने की घोषणा अपने बजट भाषण में की है जिससे कोटपूतली में नया जिला स्थापित करना उपयुक्त नहीं पाया गया है। अतः इस स्थगन प्रस्ताव को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी जिले के नैनवा कस्बे में चार माह पूर्व हुए साम्प्रदायिक झगड़ा की न्यायिक जांच करवाने तथा मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिलवाने की इजाजत के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर जिले के आहोर क्षेत्र में अतिवृष्टि से आयी बाढ़ के कारण मकानों के बह जाने व टूट जाने में सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण राहत दिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले के चमनपुरा में स्थित मुसाफिरखाने पर वक्फ बोर्ड से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से की जा रही कार्यवाहियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकारी उपभोक्ता संघ जयपुर की मेडिकल शाखाओं में अप्रतिष्ठित कम्पनियों की औषधियां ऊंची कीमतों पर बिक्री कर उपभोक्ताओं को लूटने तथा हल्की दवाइयां देकर रोगियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बालचन्द आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र झालावाड़ तथा डग के विभिन्न गांवों में अधिकांश खराब पड़े हैण्ड पम्पों को दुरुस्त नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा क्षेत्र में डीजल पम्प स्टेशन नहीं होने से वहां की जनता एवं किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली कस्बे में अतिरिक्त न्यायालय नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(8) श्री जनार्दनसिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 16 दिसम्बर, 1990 को एक समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों पर किये गये कातिलाना हमले के उपरान्त हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री लक्ष्मीचन्द मेहता, सदस्य, विधान, सभा की ओर से सांचोर तहसील को पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र घोषित किये जाने तथा इस क्षेत्र को केन्द्र सरकार, द्वारा मिलने वाली विकास एवम् सुरक्षा

(श्री ग्रध्यक्ष)

योजनाग्रों से लाभान्वित करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री प्रकाश बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से बस्सी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दोहरे मतदाताग्रों के नाम जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में करोड़ों की हेरा-फेरी व घोटालों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से श्री. गंगानगर जिले के ग्रामीण चिकित्सालयों में गम्भीर ग्रव्यवस्था एवं चिकित्सा ग्रधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की ग्रनुमति होगी।

श्री परसादीलाल।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा पाइंट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : जोधपुर में एक समुदाय के लोगों को हथियारों की तलाशी के मामले में नाजायज परेशान करने के सम्बन्ध में ग्रौर एक डूंगरपुर के ग्रादिवासी ...

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय, एक-एक बोलिये। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके चेम्बर में मिला था। राजस्थान खास तौर से ग्रलवर जिले में जो बड़ी भारी ग्रोलावृष्टि हुई है उसके सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव ग्राये हैं, ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव ग्राये हैं। 22 तारीख से ग्रसेम्बली चल रही है, श्रीमान्, ग्रौर 18 तारीख है ग्राज, यानी 27 वें रोज भी सरकार के पास से जवाब नहीं मिला है। मेरा निवेदन है, जैसा मेरी जानकारी में है, निश्चित तौर से 2-4 दिन की ग्रसेम्बली है। सरकार भागेगी। मैंने ग्रपने जीवन में ऐसी भयंकर ग्रोलावृष्टि नहीं देखी जैसे मेरे ग्रलवर में ग्रभी हुई है। ग्रौर भी कई जगह हुई है जिसमें 4-5 क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : जवाब नहीं ग्राया तो मैं ग्रापको बोलने का मौका दूंगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा निवेदन सुन लीजिये, साहब।

श्री ग्रध्यक्ष : फिर मौका नहीं दूंगा। यदि कल तक जवाब नहीं ग्राया तो मौका दूंगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, साहब, लास्ट पाइंट है। जिलाधीश से सरकार ने यह मांगा है कि कहां-कहां, कितना-कितना नुकसान हुग्रा है। उनका ऋण माफ करना है, उनकी तकाबी माफ करनी है, उनके बिजली के बिल माफ करने हैं, उनको गेहूं पहुंचाना है। लेकिन 90-90 पर्सेण्ट, मैं पूछता हूं, ग्राज शाम को सरकार जवाब दे। ग्रगर किसी वजह से ग्राज नहीं दे तो ग्रापके पास सरकारी सुविधाएं हैं, सरकार के पास हैं। ग्रन्यथा,

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

अध्यक्ष महोदय, मैं धरने पर बैठूंगा, मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा और, मेरे तो बाल बच्चे नहीं हैं, रोने वाले भी यह सदन होगा। मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा। आप सरकार से जवाब दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। जवाब आ जायेगा।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं ने कहा है कि शीघ्र ही इस सारी नीति के ऊपर दुबारा कितना मुआवजा दिया जायेगा, क्या दिया जायेगा, वह घोषणा करने वाले हैं। जल्दी आपको उत्तर मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल। (व्यवधान) अब इसमें डिस्कस क्या करेंगे आप ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : कल देंगे, परसों देंगे ? हमको तो आप निश्चित कर दो कि कौन सी तारीख को जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब यहां डेट निश्चित नहीं हो सकती। (व्यवधान) वह नहीं करेंगे तो और रास्ता निकालेंगे आप बिराजें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : फिर मैं आपके चेम्बर में मिल लूंगा, साहब।

श्री अध्यक्ष : हां, मिल लेना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, 295 छह दिन से लगा हुआ है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : मैं यह कह रहा था कि जोधपुर शहर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हथियारों की तलाशी के नाम पर बड़ी संख्या में परेशान करने और आतंकित करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव दिया है। उस के सम्बन्ध में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है। आप बोलिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी यहां बैठे हुए हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जगन्नाथ पुत्र रामपाल मीणा निवासी नींदरणा थाना लालसोट खेत पर सोया हुआ था। उसकी हत्या कर दी गयी और हत्या करके वहां पर शराब की बोतल रख दी गयी। मेरा निवेदन है कि इस हत्या के अन्दर कम से कम वहां चार-पांच आदमी शामिल हैं और पुलिस इसमें हत्यारों की तरफ इन्वाल्व हो गयी है। जयपुर एस. पी. ग्रामीण +++ इस हत्याकाण्ड को दबाना चाहता है। मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाया। गांव वालों ने नाम बताये, उनको सब को पूछताछ करके छोड़ दिया गया। उसके बाद स्थगन प्रस्ताव लगाया गया तो एक आदमी को उन्होंने गिरफ्तार किया है। जबकि इस हत्याकाण्ड में कम से कम चार पांच आदमी लिप्त हैं, पुलिस की निगाह में हैं, एस. पी. की निगाह में हैं, थानेदार की निगाह में हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस मामले को पुलिस से हटाकर सी आई. डी. को ट्रान्सफर करके जो हत्यारे

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री परसादीलाल मीणा)

हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए । जनता में भ्रम पैदा हो गया है कि पुलिस इसमें कुछ करने वाली नहीं है । मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाया उसके बाद पांच में से एक आदमी को गिरफ्तार करके बन्द किया और बता दिया कि इसने हत्याऐं की हैं जबकि गांव वालो का मानना है कि इस हत्याकाण्ड में कम से कम चार पांच आदमी शामिल हैं तो गृहमंत्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे

(12.10 अपराह्न)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सी. आई डी को ट्रान्सफर कर दें और किसी सक्षम अधिकारी को इन्सपेक्टर लेबल के नहीं एडीशनल एस. पी. को इसकी जांच के लिए दें भ्रम पैदा हो गया है और वास्तव में ग्रामीण एस. पी ने + + + यह फैक्ट है । वे दो लाख भी दे सकते हैं इसलिए आप इस मामले को पुलिस से हटाकर इसकी सी. आई. डी. से जांच करायें ताकि जो हत्यारे हैं, चार पांच आदमियों के निशान पाये गये हैं । चार-पांच आदमियों ने मिलकर हत्या की है । एक आदमी को गिरफ्तार किया है । उससे कोई पूछताछ नहीं की । उससे पूछताछ करके किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की । मेरा निवेदन है कि आप इस मामले को सी.आई.डी. को ट्रान्सफर करने के लिए आश्वस्त करें और जो जनता में भ्रम पैदा हो गया है उसको दूर करें । आप कुछ कहें तो सही । सी.आई.डी. से जांच करायेंगे या नहीं या उसी पुलिस से करायेंगे + + + क्या करना चाहते हैं ? इसमें आठ दिन से कोई जवाब नहीं आया । कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, हत्या का मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें रिप्लाई नहीं आयेगा ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप यह बतायें कि सी. आई. डी. से जांच कराना चाहते हैं या नहीं ? यह ऐसे नहीं, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : तो कैसे ?

श्री परसादीलाल मीणा : जांच कराना चाहते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : हर चीज की जांच सी आई डी. से करा लेंगे तो पुलिस की क्या जरूरत है ?

श्री परसादीलाल मीणा : एस. पी. इन्वाल्व है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस. पी. + + + ।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह के चार्जेज लगाना मना है ।

श्री परसादीलाल मीणा : उसकी बिरादरी के लोग शामिल नहीं हैं । उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री से यह तो कहला दें । (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात का प्रोटेक्शन चाहता हूं कि जो अधिकारी यहां नहीं हैं उन पर इस प्रकार के चार्ज लगाना उचित नहीं है । यह बिल्कुल गलत है, इसको एक्सपंज करें ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री उपाध्यक्ष : इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री परसादीलाल मीणा : यह बिल्कुल सही है। क्या एक्सपंज किया जाय ?

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सूचना मिली है कि कुछ महिलाएं हत्याओं को लेकर बाहर धरने पर बैठी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बाहर तो बैठी रहती हैं कोई सूचना नहीं है। आप बाहर जाकर मिल लीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : वर्षा जैन हत्याकाण्ड में यह आरोप है कि गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री उस काण्ड में +++ दबाना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई जवाब आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें। अंकित नहीं किया जाय। श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि चाकसू डकैती हत्या काण्ड के सिलसिले में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे राजस्थान में बिगड़ रही है, विशेष तौर से राजधानी के आसपास के क्षेत्र में यह घटना हुई है, बिलवाड़ी के बाद यह हत्या काण्ड और डकैती जिस तरह से हुई है उसमें राजस्थान की पुलिस की तत्परता प्रकट होती है। वे डाकू पुलिस की वर्दी में आते हैं। पुलिस की वर्दी में आने के बाद मारे परिवार को एकत्रित करके और सोने–चांदी के जेवर लूटने के बाद जो परिवार का सदस्य बोलने की हिम्मत करता है उसको कत्ल करके चले जाते हैं। इस तरह से निर्ममतापूर्वक एक कस्बे में, बहुत बड़ा कस्बा है, कस्बे में पुलिस की चौकी है, लेकिन इस प्रकार से परिवार को एकत्र करके और लूट लें। पुलिस की वर्दी में लोग आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये घटनाएं राजस्थान के इस क्षेत्र में नहीं होती रही हैं। ये चम्बल के क्षेत्र में होती रही हैं। फिर जयपुर के नजदीक इस तरह की घटना होना राजस्थान प्रदेश के लिए चिन्ता की बात है। उस घटना के बाद राजस्थान पुलिस ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की। मैं समझता हूं इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर वही अधिकारी है जो बीलवाड़ी हत्या काण्ड हुआ था, वही एस. पी. आज भी बिराजमान है, अभी इस जयपुर जिले में। राजस्थान के गृह विभाग ने इस तरह से अधिकारियों को जो संरक्षण दिया है उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसकी जांच नहीं हो रही है। मैं उम्मीद करूंगा गृह मन्त्री जी से, जो ऐसी घटनाएं हों, उच्च अधिकारी जिम्मेदार हों, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय। वह चौकी क्या करती रही? कौन अधिकारी पीछे गया ? पुलिस की वर्दी में डाकू बनकर लूट लिये। इस सम्बन्ध में कुछ न होना चिन्ता का विषय है। मैं उम्मीद करूंगा कि गृह मन्त्री जी उस उच्च अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेकर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

होना चिन्ता का विषय है। मुझे यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके अलावा अलग से बोलना है? नयी बात है? आपने पूछा उससे कोई नयी बात है क्या?

डा. चन्द्रभान : दो मिनिट बोलने का अवसर देंगे या नहीं? स्थगन प्रस्ताव लगा रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : अवसर के लिए मना नहीं है लेकिन रिपिटीशनन हो. नयी बात कुछ कह रहे हैं तो कहिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लगे हुए 20 दिन हो गये और उसके बाद भी सम्बन्धित विभाग और सम्बन्धित सैक्शन की ओर से उत्तर नहीं दिया गया है, न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं दिया, कोई बात नहीं। आप अध्यक्ष महोदय, से चेम्बर में मिलिए और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लगाने का प्रयास करिए।

डा चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, चाकसू डकैती काण्ड 13-14 मार्च की अर्ध रात्रि का है और आज 18 मार्च हो हो गयी, पिछले 5 दिन में राज्य की पुलिस न केवल इन डकैतों को पकड़ने में असफल रही है, बल्कि, मेरी जानकारी है कि इसमें एक बड़ा षड़यंत्र है। जिन्होंने राजस्थान में डाका डाला वे राजस्थान की सीमा को पार कर चुके हैं और हरियाणा में पहुंच गये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य को पूरी जानकारी है।

डा चन्द्रभान : यह तो राजस्थान के एक दैनिक पेपर में छपा है। आपने कल पढ़ा होगा, माननीय गृह मन्त्री महोदय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने छिपा रखा है क्या?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्य की जानकारी का हम पूरा उपयोग करेंगे।

डा. चन्द्रभान : धन्यवाद। महावीर जी आपको चाकसू की इस घटना पर दुःखी होना चाहिए। चाकसू निवाई में कोई दूरी नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : चाकसू के आगे निवाई का नम्बर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नम्बर तो आपके घर का भी आ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और बहुत लम्बा चौड़ा कार्यक्रम है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : चाकसू मेरे बिल्कुल समीप है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं माननीय गृह मन्त्री जी इन चोरों और डकैतों को शिकंजे में तुरन्त लें और सक्षम तरीके से कोई एक्शन लें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बातचीत नहीं हुई क्या इस बारे में ? क्या हाऊस में ही करेंगे।

डा. चन्द्रभान : मोहल्ला देशवालियान फजलू रहमान और अख्तर हुसैन के घर पर डकैती हुई। अख्तर हुसैन स्टेट बैंक आफ इण्डिया, जयपुर में कार्यरत है और अफजल नामक लड़का है फजलू रहमान का। वहां डकैती पड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी गोली मारकर हत्या हो जाती है। आधे घण्टे तक यह वारदात चलती रहती है। जमील खां नामक उनका पड़ौसी, गोली चलाता है उसके बाद वे डकैत भागते हैं। एक किलोमीटर की दूरी पर मंगतू की ढाणी है, वहां पर जाकर यही डकैत फिर वारदात करते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे मौहल्ले में जाग हो जाती है, चाकसू में जाग हो जाती है और जहां पर वाकया हुआ, मोहल्ला देशवालियान में जहां चार लोगों को घायल कर दिया, एक अफसर को मार दिया गया, वहां से चाकसू का थाना आधा किलोमीटर की दूरी पर है फिर भी डकैत भाग जाते हैं। पुलिस के लोग आते हैं और वहां से बताते हैं तो फिर पीछे भागते हैं और वहां से एक किलोमीटर पर मंगतू की ढाणी में आधा घण्टे तक लूटपाट मचाते हैं। वहां भी दो लोगों को घायल कर देते हैं। उसके बाद भी पुलिस आधा किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाती है। चारों तरफ हल्ला मच रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 18 मार्च हो गयी पर इस डकैती का कोई सुराग नहीं लगा। उस गरीब मुस्लिम परिवार के चांदी जेवर लूट ले गये, सोना ले गये, जेवरात ले गये, तीस चालीस हजार नकद था वह ले गये, पास की ढाणी में भी वारदात कर एक आदमी को मार दिया। मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, गृहमंत्री महोदय, ये चार लोग पुलिस की वर्दी में थे। उन्होंने जगाया और उनसे यह कहा गया कि दो लोग बनियान चड्डी में थे। वे चारों लोग पुलिस की वर्दी में थे। उनसे यह कहा कि गस्त वाले लोग हैं। इस तरह से डकैतियां हो रही हैं, पुलिस की वर्दी में लोग डकैतियां कर रहे हैं और आज पांच दिन हो गये, सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं, कोई वक्तव्य नहीं, कोई जानकारी नहीं। अफसोस इस बात का है कि जहां एक ओर निहत्थे लोगों को पुलिस हत्या करती है, पुलिस की वर्दी में लोग डकैतियां करते हैं, और पांच दिन हो गये डकैत लोग जहां कभी भी चले जायें। चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, प्रदेश में कानून और व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं रह गई है। सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करें। इस संबंध में मैं गृह मन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा है कि आपकी जानकारी का लाभ उठाऊंगा। हम इनको जानकारी भी देंगे। लेकिन माननीय महावीर जी, जो निवाई से आते हैं, चिन्ता ही प्रकट नहीं करते।

इसलिये मेरा निवेदन है माननीय गृह मन्त्री जी से कि तत्काल डकैत की जांच करवायें, एक अलग से टोली इसके लिये नियुक्त करें। डी. आई. जी. रेंक का आफिसर वहां चला जाये और डकैतों को गिरफ्तार करना चाहिये। जो लोग घायल हुए हैं उनको सरकार की तरफ से इलाज

80

(डा. चन्द्रभान)

और मुआवजा मिलाना चाहिये। मुआवजे से मेरा मतलब यह है कि उनके इलाज के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। इसके साथ में इस तरह की जांच होनी चाहिये और यह डकैती काण्ड और चोरियों के जो काण्ड प्रदेश में हो रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 295। श्री राम नारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत....

श्री परसादी लाल मीणा : एक आदमी मारा गया है, इसमें स्टेटमेन्ट आना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू): उस मौहल्ले के लोग आतंकित हैं, भयभीत हैं। आज भी लोगों के मन में खतरा बैठा हुआ है कि पता नहीं कब....

श्री उपाध्यक्ष : सरकार को सुझाव दीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : हमने सुझाव दिया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आज भी जो लोग भयभीत हैं, उनके बारे में क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री हेतराम बेनीवाल : गृह मन्त्री जी सुन रहे हैं और मौन हैं। निश्चित रूप से उनको कुछ कहना चाहिये इस मामले में। कम से कम यह तो कह दें कि कुछ करेंगे। यह इनका समर्थन है, महोदय....

श्री परसादी लाल मीणा : यह सरकार है+++ डकैती जैसे मामले में स्टेटमेन्ट नहीं दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सरकार नजर आ रही है क्या आपको कहीं?

श्री परसादी लाल मीणा : एक आदमी मारा गया है, उसका अकेला लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है। आप स्टेटमेन्ट दीजिये। आप क्या छुपाना चाहते हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह डकैती के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव है, हमने इसका उत्तर भेज दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से व्यवस्था होगी कि स्टेटमेन्ट देना है या क्या करना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं उनको? (व्यवधान) आसन पैरों पर है। गृह मन्त्री जी ने क्या कहा, सुना क्या आपने?

श्री परसादी लाल मीणा : सुन लिया।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहा उन्होंने? बतायें क्या कहा? आप सुनने की कोशिश नहीं करते।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं सुनना।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सुनना?

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, सुनना है। आप स्टेटमेन्ट दिलवाइये।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने विधान सभा सचिवालय को अपना उत्तर भेज दिया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह गलत है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : अगर भेजा है तो इस पर स्टेटमेन्ट दिलाइये।

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसका जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब भेज दिया है, रिजेक्ट किया है। उसी क्रम में आपको दो मिनट बोलने का समय दिया है (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : रात को खुद पहरेदारी करें, लोग सोते नहीं हैं रात को। उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : इस प्रकार की घटना पहली बार हुई है क्या? (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : माननीय सदस्य ने इस सदन में ग्रामीण एस. पी. के खिलाफ +++ आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अच्छा कार्य किया है माननीय सदस्य ने? माननीय सदस्य ने अच्छा कार्य किया?

श्री ईश्वरलाल सैनी : जी हां। माननीय सदस्य ने कहा, ग्रामीण एस. पी. ने ली है इस सम्बन्ध में उसको बचाने के लिये। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार निश्चित तौर से सदन को कांफिडेंस में लेकर वक्तव्य दे। हम यही तो चाहते हैं (व्यवधान)

मुल्जिमों को छोड़ा जा रहा है। मुल्जिम सरेआम घूम रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : सरकार ने क्या कार्यवाही की? उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री माहिर साहब कह रहे हैं कि चाकसू में अभी भी आतंक की स्थिति है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रात को लोग अपने घरों में सोने की स्थिति में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लोग खुद पहरा देते हैं। रात को लोग सोते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस विषय को जब इतना महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप इसके बारे में अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में मिलिये। (व्यवधान) इस पर कोई अलाउ नहीं करूंगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं। उनमें भय और आतंक व्याप्त है। उनकी सुरक्षा के लिये कोई अतिरिक्त व्यवस्था की है क्या? इतना गृह मन्त्रीजी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर क्या है? श्री गोविन्द सिंहजी गुर्जर का पाइण्ट आफ आर्डर है।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(82)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : गृह मन्त्रीजी, इतना बता दो कि इनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था की है कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर है श्री गोविन्द सिंहजी का ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि आप यहां पधारे, उससे पूर्व अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी थी कि चाकसू के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव आया था । सरकार ने तीन दिन के अन्दर उसका जवाब नहीं दिया । इसलिये मैं.... (व्यवधान) सही कहा है । यह आप देख लीजिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कार्यवाही देख लीजिये निकाल के ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने सरकार को सदन में लताड़ा है कि यह नहीं जवाब दे रहे हैं इसलिये आपको बोलने का मौका दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर उसके बाद क्या बचता है ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप कोई भी व्यवस्था दे दें, स्टेटमेंट सरकार का आना चाहिये ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं कम्पलीट कर लूं । मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हो सकता है जैसा आप फर्मा रहे हैं कि इन्होंने दे दिया । अब वह बीच के अन्तराल में जवाब अध्यक्ष महोदय के सामने नहीं आया होगा तो मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय के पास अब दोनों तरफ की तस्वीर है। यह ऐसा मामला है कि जिस पर सरकार वक्तव्य दे, आगे होकर वक्तव्य दे । क्या दिक्कत है इसमें ? आपको आगे होकर देना चाहिये । आप खड़े होकर कह दीजिये कि हमें कोई ऐतराज नहीं हैं । कल दे दीजिये । अगर आप आज नहीं देना चाहते हैं तो कल दे दीजिये । आपने दे दिया, फिक्स करवा लीजिये जब भी आपकी सुविधा हो । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक एक करके ।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): तीन बजे तक वहां रहे और उसके बाद पैदल, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक किलोमीटर तक पैदल वे गये । पैदल जाने के बाद मालियों की ढाणी में फिर डाका डाला और वहां फायरिंग किया और जिसकी आवाज पुलिस वाले सुन रहे हैं । सारे गांव वाले कह रहे हैं कि साहब, इधर गये हैं पैदल । उसके बाद जंगल में कहां चले गये ? उसके बाद चार घण्टे तक कोई पीछा नहीं किया । एक इन्चार्ज और एक सिपाही....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो हो गया । झगड़ा दूसरी बात का हो रहा है ।

श्री कन्हैया लाल मीणा : तो यह एक गम्भीर मसला है । इस मामले में जो सम्बन्धित पुलिसकर्मी हैं या एस.एच.ओ. हैं, कोई भी, जिसने लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे दल के माननीय सदस्य इस मामले के ऊपर काफी एजीटेटेड हैं । यह

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मामला काफी दिनों पहले स्थगन प्रस्ताव के जरिये यहां उठाया गया था। आपने सरकार से जानकारी प्राप्त की। सरकार ने पता नहीं जानकारी भेजी या नहीं भेजी, लेकिन मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मामला काफी गंभीर है, इसमें पुलिस के लेप्सेज भी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आज आपको जब समय मिले-तीन बजे, चार बजे, आप इसमें वक्तव्य दे दें। पूर्व के अन्दर भी ऐसे मामलों में गृह मन्त्रीजी द्वारा यहां पर इस प्रकार के मामलों में वक्तव्य दिये गये हैं, पूर्व के अन्दर भी यहां पर परिपाटी रही है। यहां पर हमारी सरकार थी, हमने कई मामलों में, कई डकैतियों के बारे में यहां पर वक्तव्य दिये। कोटा के मामले में दिये। मैंने स्वयं भी यहां पर आपके जयपुर के अन्दर जैसे +++ गिरोह आ गया था, उसके मामले में कई बार वक्तव्य दिये। एक-एक सैशन में कई डकैतियों के मामले में तीन–तीन, चार–चार वक्तव्य आये हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको भी नये तथ्यों की जानकारी जो आपके पास पुलिस के द्वारा आई है, उसके अतिरिक्त आपको मिलेगी। आपका और हमारा दायित्व है कि प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं न घटित हों, लेकिन अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो इससे ऐसा आभास होगा, ऐसा लग रहा है कि मामले के अन्दर कहीं न कहीं गड़बड़ है, जिसको सरकार छिपाने की चेष्टा कर रही है। हम जो तथ्य आपको अवगत करायेंगे, एक माननीय सदस्य के क्षेत्र का मामला है और हमारे दल के ही नहीं, उस दल के सदस्य भी इस मामले में काफी एजीटेटेड हैं। तो सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है, आप किसी वक्त भी यहां वक्तव्य दे दें। थोड़ी देरी की चर्चा हो जायेगी और आपके सामने भी कुछ नये तथ्य आ जायेंगे। आप भी...

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो जानकारी थी, मैंने पहले कहा, मैंने दे दिया है। मुझे मालूम पड़ा है कि वह उत्तर अपूर्ण था, और माननीय अध्यक्षजी ने इसको अस्वीकार करते हुए, रिजेक्ट करके बोलने की इजाजत दी है। जहां तक डकैती का प्रश्न है, निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है, सरकार स्वयं भी इसको गंभीर मानती है और स्टेटमैण्ट देने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कल स्टेटमैण्ट हाउस के सामने दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कल नहीं, आज दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ठीक है। मैं माननीय गृह मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि वे कल प्रश्न काल के बाद प्रथम स्थान पर अपना वक्तव्य दे दें।

श्री दिग्विजय सिंह : बिल्कुल। बिल्कुल।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार वक्तव्य दे, उससे पहले वहां के लोगों में जो आतंक है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन-यापन करने दें। वहां अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था कर दें। वे लोग रात को सोते नहीं हैं, परेशान हैं, खुद पहरा देते हैं, वे तो वहां आराम से रह सकें।

श्री दिग्विजय सिंह : और हमारी जिम्मेदारी यह भी होती है कि यहां जिम्मेदारी से बोलें ताकि वहां पर भय नहीं बने।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक बात है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

नैनवां में साम्प्रदायिक दंगे

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, बून्दी जिले का नैनवां कस्बा साम्प्रदायिक दृष्टि से काफी ज्यादा संवेदनशील है। कुछ वर्षों पूर्व भी यहां पर साम्प्रदायिक दंगे हो गये थे। गत वर्ष यानि सन् 1990 में भी साम्प्रदायिक माहौल खराब हो जाने तथा उसे तत्काल नहीं सम्भालने के कारण दो निर्दोष व्यक्तियों की जाने गई तथा 3 व्यक्ति घायल हुए थे। नैनवां में इन साम्प्रदायिक घटनाओं के बाद पुलिस बल भेजा गया, जो कि अपर्याप्त था। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अपने अधीनस्थ अफसरों को इस दंगे को साम्प्रदायिक नहीं बताने के अलिखित निर्देश देने के कारण साम्प्रदायिक दंगे में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को एक-एक लाख रुपये तथा घायलों के परिवारों को दस-दस हजार रुपये अभी तक भी नहीं दिए गए हैं, जबकि मृतकों तथा घायलों के परिवारों की व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं थी। सांत्वना अनुदान राशि जयपुर एवं मण्डावरी तथा अन्य स्थानों की तरह नैनवां के दंगा पीड़ितों को दी जाने की वजह से प्रभावित परिवारों में साम्प्रदायिक माहौल खराब चला आ रहा है।

वास्तव में पिछले दिनों नैनवां में हुए साम्प्रदायिक दंगों को दबाने तथा दंगे ज्यादा नहीं भड़कें, इसके लिए लगाई गई पुलिस फोर्स करीब 7 वर्ष पूर्व हुए साम्प्रदायिक दंगों से भी ज्यादा थी। फिर भी साम्प्रदायिक भावना से हुए झगड़ों को आपसी लड़ाई का रंग देकर सरकार जान बूझकर उन्हें पूरी सहायता राशि देने से मुकरना चाहती है। जबकि जिला परिषद् बून्दी तथा पंचायत समिति नैनवां ने इस बाबत प्रस्ताव भी पारित किये हैं और पीड़ितों को पूरी अनुदान राशि दिये जाने हेतु सरकार से निवेदन किया है। जिला कलक्टर बून्दी ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखा है, जो इस समय गृह मन्त्रालय में है।

अतः राज्य सरकार को आदेश प्रदान किया जावे कि पिछले 4 माह पूर्व हुए नैनवां के साम्प्रदायिक झगड़ों की किसी निष्पक्ष न्यायिक अधिकारी से जांच करवाई जावे तथा दोषी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किया जावे। मृतकों के आश्रितों को एक-एक लाख रुपये तथा घायलों को दस-दस हजार रुपये दिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। इसी आशा और विश्वास के साथ में पुनः निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह। श्री रामकिशन। श्री जीतमल जैन।

उपभोक्ता संघ, जयपुर की मेडिकल शाखा में अनियमितताएं

श्री जीतमल जैन (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर की मेडिकल शाखा में जारी अनियमितता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा बिना अनुमोदित औषधियों की लाखों रुपये प्रतिमाह की बिक्री की जा रही है। जबकि नियमानुसार उपभोक्ता संघ अनुमोदित औषधियों की बिक्री करने के लिए ही अधिकृत है। इतना ही नहीं बल्कि उक्त औषधियां अनुमोदित औषधियों में महंगी भी हैं। उदाहरण के लिए HYSUL D. S. Tablets & ELIFALM TABLETS of ELIKEM LAB. POT. LTD., Ahmedabad द्वारा निर्मित हैं, अनुमोदित औषधियों की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है जबकि इस कम्पनी के उत्पादनों के बराबर अन्य कम्पनियों GLEXO, BOOTS, LYKA, P.C.I., Bombay, Alembic और Cadiala की औषधियां काफी सस्ती हैं। उक्त कम्पनियों की बाजार में अधिक प्रतिष्ठा है। Elikem Lab Pvt. Ltd. की अन्य कई औषधियां उपभोक्ता संघ द्वारा बिक्री की जा रही है।

उक्त तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि उपभोक्ता संघ, अप्रतिष्ठित कम्पनियों की औषधियां महंगे भावों पर बिक्री कर उपभोक्ता को लूट रहा है एवं हल्की दवाइयां देकर रोगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

रोगियों के जीवन के साथ जुड़ा होने के कारण इस मामले की जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।

उपभोक्ता संघ द्वारा जारी कैश मीमो की प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर। श्री नन्दकिशोर शर्मा।

डग कस्बे में हैण्ड पम्पों की खराबी

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम संख्या 295 के तहत झालावाड़ जिले और डग विधान सभा क्षेत्र में जो सारे हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं, उनकी ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। झालावाड़ जिले तथा डग विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश हैंण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो हैण्डपम्प ठीक करने जाते हैं कर्मचारी आदि, वे सारी फर्जी रिपोर्ट देते हैं और हैण्डपम्प पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते। ग्राम रोजना, पिल्याखुर्द, उमरिया, गुनाई, करावन, तिसाई, पंचहाड़, कुन्डीखेड़ा, सारंगा का खेड़ा, मिसरोली आदि कई ग्रामों में हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सरकार का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मिसरोली में जो टंकी बनी हुई है, वह क्रैक हो रही है, जिससे उसका बहुत-सा पानी व्यर्थ जाता है

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

और ग्रामीणों को पूरा पानी नहीं मिल पाता है। जनता बिल भरती है, लेकिन उनको पूरा पानी नहीं मिल पाता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो सारे ग्राम हैं उनका सर्वे करवाया जावे। जो हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं उनको पूर्ण रूप से ठीक कराया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, हैण्डपम्प बोरिंग किया जाता है।

125-150 फीट अन्दर ही बोरिंग कर जाते हैं जिससे जनता को पूर्ण रूप से पानी नहीं मिल पाता हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है राज्य सरकार को कि हैण्डपम्प 300 फीट नीचे तक बोरिंग किये जायें जिससे जनता को पानी मिल सके और हैण्ड पम्प काम आ सकें। इसी प्रकार डग में एक टंकी हैं, जो कि पूर्णरूपेण सक्षम नहीं है। जो सक्षम टंकी है उसमें से ज्यादा कनेक्शन दे रखे हैं। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डग की टंकी को अधिक बड़ा बनाया जाय। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर शर्मा।

छबड़ा में डीजल समस्या

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत छबड़ा क्षेत्र में डीजल समस्या बाबत निवेदन है। छबड़ा विधान सभा पूरे क्षेत्र में ही डीजल पम्प स्टेशन नहीं है, जबकि छबड़ा उपखण्ड व उप जिला भी है। यह मध्य प्रदेश की सीमा से लगा विधान सभा क्षेत्र है जो कोटा से 135 किलोमीटर तथा बारां से 70 किलोमीटर दूर पड़ता हैं। इस क्षेत्र में 7000 कृषि पम्प सैट, 200-250 ट्रैक्टर, 30 जीप, 15 ट्रक एवं स्थानीय क्षेत्र में 15-20 बसें चलती हैं। यहां के किसानों को बारां व अटरू आदि जगहों पर डीजल के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। इस वर्ष जब डीजल की कमी आयी तब छबड़ा व छीपाबड़ौद के किसानों का छबड़ा व छीपा बड़ौद में मेला लगा रहा व 5-10 लीटर डीजल के लिए उन्हें 2-3 दिन रूकना पड़ा। यदि वहां पहले से डीजल पम्प स्टेशन होता तो किसान इतने परेशान नहीं होते। छबड़ा व छीपाबड़ौद में 5-5 दुकानें लगी हैं, जिन्हें कभी सात दिन में, कभी पन्द्रह दिन में एक डीजल टंकी पहुंचायी जाती है। दिसम्बर से फरवरी के तीन माह में तो केवल आठ टंकी बारह हजार लीटर की दोनों जगह पहुंची, जबकि तीन माह तो दोनों जगह एक-एक टंकी रोज पहुंचनी चाहिए थी। गरीब किसान बहुत परेशान रहते हैं। तेल में घासलेट की मिलावट की जाती है। मिला हुआ डीजल भी 10 रुपये लीटर तक बिका है। जिला प्रशासक ने दोनों जगह कभी नियमबद्ध डीजल नहीं भेजा।

मेरा निवेदन है कि वहां के किसानों को सुविधा देने हेतु इस क्षेत्र में डीजल पम्प स्टेशन अवश्य ही खुलवाया जाय ताकि किसान परेशान नहीं हों, भ्रष्टाचार नहीं बढ़े। उससे दो लाभ होंगे, बारां व अटरू के पम्पों पर लगी हुई लाइन भी कम होगी और किसान भी परेशान नहीं होगा। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि छबड़ा व छीपाबड़ौद दोनों जगह 300 मोटर साइकल होंगी तथा करीब 5-6 जीपें पैट्रोल से चलने

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

वाली भी होंगी। वहां कोई पैट्रोल की दुकान नहीं है और न कोई क्रय-विक्रय समिति पैट्रोल बेचती है। पैट्रोल लाने के लिए 70 किलोमीटर दूर बारां जाना पड़ता है या फिर दुकानों से चोरी में 20–25 रुपये लीटर लेना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि जब तक वहां पैट्रोल पम्प नहीं हो तब तक क्रय विक्रय समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद दोनों को बेचने की स्वीकृति दिलायी जाय या पास के डीजल पम्प पर पैट्रोल बेचने की व्यवस्था की जाय। मेरी पुरजोर मांग है कि छबड़ा क्षेत्र में अविलम्ब डीजल पम्प लगवाने की कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामकरण सिंह।

कोटपूतली में न्यायालय खुलवाना

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत लोक महत्व के विषय पर सूचना दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली एक बड़ा कस्बा है। यहां शिक्षा स्वास्थ्य, स्वायत्त, कृषि, समाज कल्याण मन्त्री और वन मन्त्री महोदय ने जिला स्तर के कार्यालय खोल रखे हैं। तीन तहसीलों का यह उप-खण्ड है, जिसकी आबादी करीब चार लाख है। यहां मुकदमों की संख्या पूरे जिले की संख्या से अधिक है। यही नहीं यहां इतने पुराने मुकदमे लम्बित हैं कि जिनकी सुनवाई के लिए कोटपूतली में अतिरिक्त न्यायालय की अदालत होना बहुत ही आवश्यक है। कोटपूतली जयपुर से 110 किलोमीटर दूर है, यहां आने में हर न्याय प्राप्त करने वाले का कई सैकड़ों रूपये खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह न्याय बहुत महंगा पड़ता है। सरकार सस्ता न्याय दिलाने की बार-बार घोषणा करती है। इसका पालन करने के लिए कोटपूतली में न्यायालय खुलवाने के आदेश प्रदान करें। वहां पर बार रूम के माननीय सदस्य वकील साहब, जनता के वरिष्ठ लोग कोटपूतली में भूख हड़ताल और धरने पर तीन दिन से बैठे हैं। यही नहीं, लोगों में इतना आक्रोश है कि यदि कोटपूतली को जिला नहीं बनाया गया, वहां न्यायालय नहीं खोला गया और पावटा में नायब तहसील नहीं बनायी गयी तो लोक सभा के चुनावों का बहिष्कार किया जा सकता है। पावटा जयपुर स्टेट के समय में नायब तहसील का कार्यालय था, जिसका कार्यालय भवन आज भी मौजूद है। जब आज से 40 वर्ष पूर्व नायब तहसील का कार्यालय था, उसकी जरूरत थी तो आज तो हर तरह से उसकी परम आवश्यकता है, क्योंकि इन 40 वर्षों में मुकदमे बढ़े हैं। विकास कार्यों की प्रक्रिया, उनकी स्वीकृति, कृषि सम्बन्धी कार्य, खाद, तेल, सीमेण्ट व ग्रामीणों की अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए पावटा में नायब तहसीलदार का कार्यालय खोला जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए वहां केवल नायब तहसीलदार व उसका स्टाफ भेजना पड़ेगा और नायब तहसीलदार का कार्यालय चालू हो जायेगा। अतः निवेदन है कि कोटपूतली में अतिरिक्त ए.डी.जे. कोर्ट खोला जाय, कोटपूतली को जिला बनाया जाय और पावटा में तहसील कार्यालय बनाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता।

सांचौर में पाकिस्तानी तस्करों की घुसपैठ

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जालौर जिले की तहसील सांचौर से पाकिस्तान की सीमा भौगोलिक दृष्टि से जुड़ी हुई है। गुजरात राज्य के बनासकांठा में कच्छ के रन से 10 किलोमीटर दलदल की भूमि से पाक सीमा को छूती हुई सांचौर तहसील है। यहां से पाक सीमा नजदीक है इस कारण सांचौर तहसील पाकिस्तान की सीमा से प्रभावित है। सोना, चांदी, घातक नशीले पदार्थों की तस्करी, घुसपैटियों की गतिविधियां इस कारण दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं, जो भविष्य में आतंकवादियों के भी आने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं तथा जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही फरवरी, 91 में पाकिस्तान से सोने के 490 बिस्कुट कस्टम विभाग, भारत सरकार ने जिप्सी से तस्करी द्वारा बम्बई ले जाते हुए चैक पोस्ट मांखुपुरा (सांचौर) पर पकड़े थे। यह घटना राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सोना पकड़े जाने की सबसे बड़ी घटना है। इसलिए सांचौर तहसील को पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र, लोक हित में घोषित कर इस सीमावर्ती क्षेत्र को केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली विकास एवं सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री, माननीय गृह मन्त्री तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए विधान सभा में यह प्रश्न रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा।

निर्वाचन नामावली में दोहरापन

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन में महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करने के सन्दर्भ में निवेदन है कि विधान सभा अथवा लोक सभा निर्वाचक नामावली में एक मतदाता एक ही स्थान पर निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वा सकता है और उसे एक ही मत देने का अधिकार है, लेकिन जयपुर जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों बस्सी, सांगानेर, जमवारामगढ़, बनीपार्क, जौहरी बाजार तथा दौसा के मतदाताओं का नाम वहां की निर्वाचक नामावली में है। उन्हीं मतदाताओं का दुहरा नाम बस्सी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में भी गैर कानूनी तरीके से जोड़ दिया गया है, जिससे दुहरा मतदान होने अथवा फर्जी मतदान होने की घटना घटती है। निष्पक्ष निर्वाचन के लिए यह आवश्यक है कि अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों के नाम, जो करीब 10,000 हैं, जो बस्सी क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में भी दुहरे जोड़ दिये गये हैं उन्हें हटाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन ।

उपभोक्ता संघ में हेराफेरी

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत औचित्य के सवाल पर सहकारिता मन्त्रीजी का ध्यान राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में करोड़ों की हेराफेरी व घोटालों की तरफ दिलाने हेतु निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में सहकारी संस्थाओं जैसे, सैण्ट्रल को ग्रापरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, उपभोक्ता संघ, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, नागरिक सहकारी बैंक, हाउसिंग सोसायटीज, बुनकर संघ आदि का सामाजिक जीवन में बड़ा महत्व है। सरकार का सहकारिता के माध्यम से बिचौलियों को समाप्त कर लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का उद्देश्य था, किन्तु दुर्भाग्य से पिछले कामकाज के तरीकों से राजनैतिक संरक्षण के कारण ये संस्थायें भ्रष्टाचार व गड़बड़ियों का बहुत बड़ा केन्द्र बन चुकी हैं एवं समस्त व्यवस्था चरमरा गयी है।

अब उसमें श्री चतुर्भुज जी सुधार कर रहे हैं। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रयास काफी कर रहे हैं लेकिन अभी वे इनके कब्जे में आ नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मदद करिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं मदद कर रहा हूं उनको सामने ला रहा हूं। कल भी मैंने एक सवाल उठाया था कि 45 पर्सेन्ट दवाइयों की ज्यादा कीमतें वसूल की जा रही हैं। मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने तुरन्त एक्शन लिया है और उनके पेमेन्ट्स वगैरह रोक दिये हैं। काफी प्रभावी कार्यवाही हो रही है ऐसा मालूम पड़ा है। लेकिन विधान सभा में जब तक है उस समय तो कुछ हलचल हो और उसके बाद कार्यवाही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिये।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि व्यक्ति, व्यक्ति का विश्वास सहकारिता से टूटता जा रहा है। गरीबों को रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ते दामों के बजाय महंगी मिल रही हैं जिससे ऐसा प्रतित होता है कि सहकारिता का उद्देश्य और कारण ही मानों समाप्त हो गये हैं, और इसके औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। पिछली बार दिनांक 12/13-3-1991 को उपभोक्ता संघ मेडिकल शाखा द्वारा 45% मुनाफा कमाने की बात सामने आई है जिसे विभाग ने भी स्वीकार किया है।

इसी प्रकार राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा भी जनता व राज्य कोष को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि राज्य कर्मचारी, उपभोक्ता संघ से दवा खरीदने हेतु पाबन्द है। उपभोक्ता संघ की गड़बड़ियों का हौसला इतना बुलन्द हो गया है कि, इनकी मेडिकल शाखा की अनुमोदित दवा कम्पनियों की सूची शाखा में एल्केएज लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद का कहीं नाम नहीं है फिर भी उपरोक्त कम्पनी की लाखों रुपए प्रतिमाह की

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

दवाइयों का विक्रय उपभोक्ता संघ की शाखाओं से किया जा रहा है । यही नहीं, उपरोक्त कम्पनी की दवाइयां अन्य कम्पनियों जैसे केडिला, पी सी. आई., लाईका, लूमीन, ग्लेक्सो आदि से काफी महंगी है, जिससे करोड़ों रुपए का वार्षिक घाटा अनुचित तरीके से राज्य कोष पर पड़ रहा है । उदाहरण के तौर पर एविड्रियल कफ सिरप की 200 मिलीलिटर बोतल की दर उपभोक्ता संघ में 26 रुपए 18 पैसे है जबकि इसी प्रकार की अन्य कम्पनियों जैसे पार्कडेविस, बोरिंगरनोल, एलनब्रीज, पे एण्ड बेकर की कीमतें 10 और 11 रुपए मात्र हैं ।

इसी तरह सारनोफैक्स की 200 मिलीलिटर की बोतल संघ द्वारा 25 रुपए 62 नये पैसे की दर से बिक्री की जा रही है जबकि इसी प्रकार की अन्य दवाइयां जैसे जोफेमेनर्स रोम, सेन्डोज की आधी दरें हैं एवं क्वालिटी भी अच्छी है । इस प्रकार उपभोक्ता संघ जनता को हल्की दवाइयां ऊंची दरों पर बिक्री कर राज्य कोष को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है जो एक गम्भीर मामला है और मरीजों को भी नुकसान पहुंचा रहा हैं ।

उपरोक्त दोनों दवाइयां सिन्थोफार्मा, सोनीपत द्वारा निर्मित हैं जो संघ की सूची में नहीं है ।

राज्य सरकार के साथ करोड़ों रुपए की हेरा-फेरी भी उपभोक्ता संघ ने जिस प्रकार की है वह भी अपने आप में अधिकारियों की चतुराई साबित करती है । उदाहरण के तौर पर राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 20/11/कृषि–4/सहकारिता/90 पार्ट दिनांक 19-2-91 को 2 करोड़ रुपए की राशि खाड़ी युद्ध के संकट से निपटने हेतु जनता को खाद्य सामाग्री उचित मूल्य पर मिले, इस हेतु प्रबन्ध-संचालक उपभोक्ता संघ को उपलब्ध करवाई थी लेकिन उपभोक्ता संघ ने जनता की दैनिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के बजाय उपरोक्त 2 करोड़ रुपए की राशि देनदारी में चुकारा कर राज्य सरकार को 2 करोड़ रुपए का चकमा दे डाला । यह राशि आज तक भी वापस सरकार को लौटाना तो दूर राज्य सरकार के पत्रों का भी प्रबन्ध संचालक, उपभोक्ता संघ द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा ।

यह नहीं, प्रबन्ध संचालक, उपभोक्ता संघ द्वारा वर्ष 1989-90 में बाहर की सहकारी संस्थाओं हेतु चल वाहन खरीदने के लिए राज्य सरकार ने राशि आवंटित की थी । प्रबन्ध संचालक द्वारा संस्थाओं को वाहन आवंटन करवाना तो दूर रहा बल्कि संस्थाओं से 38·38 हजार की हिस्सा राशि और जमा करवा ली जिससे संस्थाओं के व्यापार में तो रुकावटें आई ही बल्कि वाहनों की दर में भारी वृद्धि हो जाने के कारण लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है ।

उपभोक्ता संघ की मेडिकल शाखा द्वारा पिछले 2 वर्षों की तुलना में जो माल क्रय किया जा रहा है उस पर खरीद पर टैक्स लगाने के बाद डिस्काउन्ट किया जा रहा है जबकि डिस्काउण्ट टैक्स से पहले लेना

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

चाहिए जिससे संस्था को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का घाटा हो रहा।

सप्लाई व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण मेडिकल शाखा द्वारा करोड़ों रुपए की राशि की एन. ए. सी. जारी की जा रही हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राइवेट दुकानदारों से मिले हुए हैं।

अतः मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल एवं कठोर कार्यवाही करें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतराम जी बेनीवाल।

श्री महावीरप्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं शायद ?

श्री उपाध्यक्ष : आप ने ही कह दिया उनकी तरफ से।

गंगानगर जिले में चिकित्सालयों की अव्यवस्था

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के सामने नियम 295 के तहत बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं विशेष तौर से गंगानगर जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें चिकित्सालयों की जो स्थिति है। वहां पर अव्यवस्था और गैर जिम्मेदारी ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि काफी सालों से चिकित्साधिकारी उनके क्षेत्र में नहीं जाकर अपने उच्चाधिकारियों से तालमेल और उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पनपने से गांवों के लोगों के लिए ये सेवाएं गौण हो गई है। लालगढ़ काफी बड़ा गांव है, गंगानगर के नजदीक 20 किलोमीटर के पास में....

श्री उपाध्यक्ष : प्रति नहीं है क्या आपके पास ?

श्री हेतराम बेनीवाल : पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें से नहीं पढ़ रहे हैं आप ?

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, नहीं, यही पढ़ रहा हूं।

7 मार्च 1991 को गांव लालगढ़ में एक हरिजन नौजवान ने स्प्रे पी लिया था। उस गरीब और साधनहीन हरिजन को उसके घर से सौ मीटर दूरी पर स्थित राजकीय चिकित्सालय में उसे ले जाया गया, परन्तु वहां कोई चिकित्सक नहीं मिला। केवल एक चपरासी व अन्य एक स्टाफ मेम्बर था। वह वहां बड़े अस्पताल तक ले जाने के लिये सवारी का प्रबन्ध करता ही रह गया। साधन प्राप्त होने में आधा घण्टा लग गया और उस नौजवान को नहीं बचाया जा सका। इसी प्रकार से दिनांक 15 मार्च, 1991 को फिर एक खेतपाल नाम के नौजवान को विषपान की वजह से भर्ती कराया गया लेकिन उस समय भी कोई डाक्टर व कम्पाउण्डर आदि नहीं थे। दोपहर के 12 बजे भी अस्पताल बिल्कुल सूना पड़ा था, फर्स्ट ऐड नहीं मिलने के कारण से उस नौजवान ने भी

092

(श्री हेतराम बेनीवाल)

दम तोड़ दिया। इसके बाद उत्तेजित जनता ने दो दिन तक लालगढ़ के राजकीय चिकित्सालय का घेराव किया। उसके बाद सी. एम. एच. ओ. ने फैसला करवा कर घेराव समाप्त करवाया।

इसी प्रकार की सारे जिले के गांवों में चिकित्सालयों व ऐड पोस्टों की दुर्दशा है। डाक्टर, कम्पाउण्डर व नर्स आदि अगर गांव में ही किसी घर में या सरकारी निवास में रहें तो ही इन केन्द्रों को गांवों में चलाने व खर्च करने का कुछ औचित्य है।

पूरे जिले में बहुत से गांवों में बहुत अच्छे भवन इन केन्द्रों के लिये जनता ने बनाये हैं और साथ ही स्टाफ के लोगों के लिये भी क्वार्टर्स की व्यवस्था की हुई है। परन्तु ये सभी चिकित्सा से सम्बन्धित लोग शहरों में ही रहते हैं और केवल उपस्थिति लगाने के लिये ही गांवों में आते हैं और उपस्थिति भी कई गांवों में तो एक बार में ही सप्ताह भर की लगा दी जाती है।

राज्य सरकार के इस आर्थिक संकट व न्यून वित्तीय साधनों के होते हुए इस प्रकार का अपव्यय आम जनता को बहुत ही अखरता है। माननीय मंत्री जी अगर इन चिकित्सा सेवाओं को बन्द कर दें तो कोई अन्यथा महसूस नहीं करेगा। आपके पूरे एक साल के प्रयत्नों से कार्य प्रणाली में कोई अन्तर नहीं आया है। अन्य विभागों की अव्यवस्था व भ्रष्टाचार इतना जान लेवा नहीं जितना आपके विभाग की लापरवाही है।

राजकीय चिकित्सा सेवा केन्द्रों के साथ साथ प्राइवेट प्रेक्टीस करने वाले नीम-हकीम डाक्टर भी प्रायः हर गांव में है। वे ज्यादातर गलत-सलत दवाइयों से ग्रामीण जनता को चिकित्सा के भ्रम में रखते हैं, परन्तु हमारी राजकीय चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से पंगु व प्राण लेवा है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त लापरवाही व अव्यवस्था के लिये तत्काल ध्यान दिया जाकर चिकित्सकों के गांवों में ही रहने की स्थायी व्यवस्था की जाय और चिकित्सालयों में समय पर उपस्थिति को आवश्यक व गैर हाजरी को दण्डनीय बनावें। धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(1) की उप धारा 3 को भाग "बी" के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1989-90 सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ग्राम पंचायत बिदियाद के सरपंच को निलम्बित न किये जाने सम्बन्धी

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में श्री बाबूलाल पंवार सरपंच ग्राम पंचायत बिदियाद को 5-12-89 को 4 साल कठोर कारावास व 1 हजार जुर्माना की सजा हुई थी। पंचायत अधिनियम की धारा 17 (4) 'क' में किसी भी सरपंच को सजा हो जाती है न्यायालय में, उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है तो भी, वह सरपंच के पद पर नहीं रह सकता है। इसलिए मैं पंचायत राज मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (पंचायत राज मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कई माननीय सदस्यों द्वारा नियम 131 के अन्तर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है उसके बारे में मेरा निवेदन इस प्रकार है।

इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि ग्राम पंचायत बिदियाद, जिला नागौर, के सरपंच श्री बाबूलाल को सैशन अदालत द्वारा दिनांक 5-12-89 को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं जुर्माने की सजा दिए जाने के बावजूद भी राज्य सरकार ने उसे राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17 (4) 'क' के तहत निलम्बित नहीं किया जबकि वह 5–12–89 से 14–12–89 तक 9 दिन सैण्ट्रल जैल नागौर, में बन्दी रहा। माननीय सदस्य ने यह आरोप भी लगाया है कि पंचायत विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की एवं राजनैतिक पक्षपात एवं दबाव के कारण पत्रावली को दबाया जा रहा है एवं न्याय का गला घोंटा जा रहा है।

यह सही है कि सरपंच श्री बाबूलाल पंवार को सजा हुई परन्तु राज्य सरकार को इस सजा होने के बाबत कोई सूचना उस वक्त नहीं मिली। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 8–12–89 को उक्त दण्ड को स्थगित कर दिया था अतः उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8-12-89 को दिए गए आदेश के अनुसार यह प्रकरण पुनः न्यायालय के विचाराधीन स्थिति में आ गया है। जब तक उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं हो जाता व उच्च न्यायालय द्वारा श्री पंवार को दण्डित नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता।

राज्य सरकार को इस सम्बन्धी शिकायत दिनांक 29-1-90 को ही प्राप्त हुई थी जिस पर कलक्टर, नागौर से रिपोर्ट मांग ली गई थी एवं श्री पंवार से भी स्पष्टीकरण मांग लिया गया है। ऊपर बताई गई वैधानिक स्थिति को देखते हुई उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने से पूर्व सरपंच के विरूद्ध पद से हटाए जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह आरोप निराधार है कि राजनैतिक कारणों से श्री पंवार को बख्शा जा रहा है अथवा पत्रावली दबाई जा रही है। इस प्रकार से यह प्रश्न महत्व का नहीं है एवं न्याय विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो कानून की समीक्षा की है कि मैटर हाई कोर्ट में पैण्डिग है और सेन्टेन्स सस्पैण्ड कर दी गई है इसके लिए मेरा निवेदन है कि लीगल पोजीशन यह है, अपने ही हाई कोर्ट के जस्टिस गुमानमल लोढ़ा का एक जजमेंट हैं, उसके अन्दर भी यही था कि

(श्री रामनारायण वर्मा)

कन्वीक्ट किया गया था, हाई कोर्ट में उसने अपील की थी। हाई कोर्ट में उसकी अपील खारिज हो गई, सजा बहाल रही। उसके बाद में ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां मैटर पैंण्डिग था। इसी प्रकार का एक सवाल आया था। उसके अन्दर भी उन्होंने यह होल्ड किया है कि किसी कन्वीक्ट अपील कर देने मात्र से यह 17 (4) में कोई रुकावट पैदा नही होती और इसके लिए भी एक रिट नम्बर 51/76 में 5-12-78 को ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया है कि जिसका क्रिमिनल या ट्रॉयल कोर्ट से कन्वीक्शन किया गया है, अपील से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह डिसक्वालिफाईड है and it should be reviewed. इसलिए माननीय मन्त्री जी ने यह बात कही है कि हाई कोर्ट में अपील पैंण्डिंग है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को ऐसे व्यक्तियों को तत्काल सजा देनी चाहिए, अपने पद से हटाना चाहिए।

श्री मोहनलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति 9 दिन जेल में रह चुका है, नियमों में है, कन्डक्ट रूल में है। दुराचरण के मामले में रहा है इसलिए यह सरपंच पद पर कतई बना नहीं रह सकता। मन्त्री जी आप स्पष्ट करिए। 17 (4) को आप पढ़ लीजिए कि किसी न्यायालय में सजा होने के बाद चाहे अपील विचाराधीन हो तो भी वह सरपंच पद पर नहीं रह सकता। आप कानून की हत्या क्यों कर रहे हो? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन में जब कानून बनता है और इस पवित्र सदन के अन्दर जब कानून की हत्या होती है तो यह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजस्थान से सम्बन्धित है और इसी से सम्बन्धित मामला है। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में आया उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान मे कितने सरपंचों को साधारण से फौजदारी मामलों में सस्पैण्ड कर रखा है तो इतने बड़े मामले में क्यों नहीं किया गया है? यह भेद-भाव नहीं होना चाहिए।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने इसमें यह कहा है कि इसका फैसला 7-12-90 को सुना दिया था। मेरा निवेदन इसमें यह है कि इनके उप सरपंच और पंच साहिबान मुझ से मिले थे निश्चित तारीख मुझे याद नहीं। मैंने उन्हें यह कहा था कि यदि उसकी गलती होगी और कानून में आएगा तो सस्पैण्ड कर दिया जाएगा। जब नीचे से रिपोर्ट मेरे पास आई तो मैंने विधि विभाग को लिखा कि क्या उसको बर्खास्त या सस्पैण्ड किया जा सकता है। तो विधि विभाग ने फाइल पर यह राय दी कि मामले में हाई कोर्ट में अपील पैंण्डिग है इसलिए सजा देना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो फाइल देख सकते हैं। मैंने विधि विभाग से राय लेने के बाद इसमें कार्यवाही नहीं की! मेरा एक और निवेदन है कि इसमें सरपंच के खिलाफ कोई केस नहीं है, बाबूलाल के खिलाफ केस है। कोई पंचायत समिति का मामला नहीं है, कोई गबन का मामला नहीं है, कोई चरित्र हीनता का भी,

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

जहां तक मैं समझता हूं, यह मामला नहीं बनता । क्योंकि यह आई. पी. सी. की धाराओं में चालान हुआ था । जिसमें पुलिस वालों का बाबूलाल से कोई झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में यह चालान हुआ था, इसलिए यह दुराचरण की परिभाषा में भी विधि विभाग ने कहा है कि नहीं आता । तो इस तरह 302 या 307 जो भी केस जिसके खिलाफ बने, वो दुराचरण में आए, बलात्कार का मामला हो, गबन का मामला हो, पंचायत समिति गबन का मामला हो, अनियमितता का मामला हो तो सजा होने से पहले सस्पेंड किया जा सकता है लेकिन यह तो मामला व्यक्तिगत था इसलिए पंचायत के सरपंच के अधिकार पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस बात की जांच कराई सरसरी तौर पर जांच हुई ।

श्री हरलालसिंह खर्रा : जांच नहीं, मैंने रिपोर्ट ली थी । (व्यवधान)

श्री मोहनलाल चौहान: इसकी एडवोकेट जनरल से राय ली जाय । उसकी भी राय आई या नहीं यह मंत्री महोदय जाने, और वास्तव में वह तो सरसरी तौर पर एक राय आई थी और कानून यह पड़ा है आपके पास, पंचायत अधिनियम पड़ा है । उसके आगे कहां जायेंगे ? विधि वाले कोई गलती नहीं करते ।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष जी, सजा पाए हुए सरपंच को निलम्बित करना चाहिए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं ।

श्री मोहन लाल चौहान : यह दुराचरण का केस नहीं है । सरपंच एक धारित पद है । जिनको वित्तीय पावर है । राज्य कर्मचारी अगर कन्डक्ट रूल में आता है तो उसको सस्पेण्ड करना पड़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी कह रहे हैं फाइल देख लीजिए । आप पता कर लीजिए ना, आपस में ।

श्री मोहनलाल चौहान : 9 दिन जेल में रहा है । वह सरपंच पद पर रहने के योग्य नहीं है । कानून के अनुसार सरपंच पद पर कतई योग्य नहीं है ।

श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, नागौर, और निदेशक ग्रामीण विभाग ने इस सरपंच को ज्युडीशल रिमांड में रहने की वजह से इसको सस्पेंड करने के लिए श्रीमान् के पास सिफारिश की थी । दूसरी बात मंत्री महोदय, से यह पूछना चाहता हूं, आपने यह बताया कि यह दुराचरण का मामला नहीं आया । तो क्या जो 17 (4) पंचायत एक्ट है उसमें यह लिखा हुआ है । ये सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें यदि सजायें होंगी तो इसको सस्पेंड किया जायेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत एक्ट की धारा 17 (4) में यह कहीं पर नहीं है कि फलां-फलां सेक्शन में सजा होगी तो उसको सस्पेंड किया जायेगा । उसमें यह कहीं नहीं है । उसमें यह है कि यदि सरपंच सजायाफ्ता है तो उसको सस्पेण्ड किया जायेगा, वह पद पर नहीं रह सकता ।

(96)

(श्री बिरदाराम चौधरी)

दूसरी बात यह है कि आपने जो दुराचरण की बात कही है, उपाध्यक्ष महोदय, सरपंच ने पुलिस के साथ मार-पीट की हैं और पुलिस गिरफ्तार करने गई तब मार-पीट हुई है और वहां पर दूसरे मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं करने दिया गया और उसकी वजह से इसके साथ मारपीट हुई है और 4 साल की सजा तथा एक हजार रूपए जुर्माना हुए हैं। जुर्माना होने पर भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट होता है उसको 24 घण्टे जेल में रहने पर सस्पेण्ड किया जा सकता है। यह 9 दिन जेल में रहा है इसको तुरन्त प्रभाव से सस्पेण्ड किया जाय। और इसमें जो ला डिपार्टमेंट ने राय दी है उसकी पुनः राय ली जावे और एडवोकेट जनरल से राय ली जावे।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सही है नीचे से डाइरेक्टर ने गवर्नमेंट को उसको सस्पेण्ड करने के लिए लिखा था। यह भी सही है जिसके ऊपर मैंने विधि विभाग की राय लेने के लिए लिखा था। विधि विभाग ने यह राय दी कि हाईकोर्ट में मामला पेण्डिंग है, इसलिए इस मामले में सस्पेण्ड किया जाना उचित नहीं होगा। माननीय सदस्यों को कोई एतराज हो तो मैं विधि विभाग से और राय ले सकता हूं आप फाइल देख सकते हैं। इसमें पार्टीबाजी या पर्सनल इन्टरेस्ट का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री बिरदाराम चौधरी : एडवोकेट जनरल से राय ली जाय और इसको सस्पेण्ड किया जाय।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : सस्पेण्ड से पहले विधि विभाग की खुद की राय है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब दोबारा राय लेने की क्या आवश्यकता है ?

श्री रामकरण चौधरी (मेड़ता) : माननीय मंत्री महोदय ने अपना स्पष्टीकरण यह दिया है कि लॉ डिपार्टमेंट की यह रिकमण्डेशंस थी। मेरा निवेदन यह है कि लॉ डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट ज्युडिसरी की हर वर्डिक्ट से, हर जजमेंट से बाउंड हैं और जब सुप्रीम कोर्ट यह क्लीयर नहीं कह रहा है, हाईकोर्ट यह क्लीयर नहीं कह रहा है, फिर महज इस वजह से कि उसकी अपील पेण्डिग है इसलिए उसको पद से नहीं हटाया जा सकता। यह लॉ की पोजिशन नहीं है (व्यवधान)

श्री हरलाल सिंह खर्रा : मेरा निवेदन यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले की नक्ल पेश करवा दो। मैं दुबारा विधि विभाग से दिखवा लूंगा। (व्यवधान) क्योंकि यह पहले तो आई नहीं। मेरा तो निवेदन यह है कि सरपंच की हैसियत से उसने न कोई दुराचरण किया, न कोई गबन किया।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी ने साफ कह दिया कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वह इनको दे दीजिए और ये कार्यराही करेंगे। (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई। ध्यानाकर्षण। श्री हेमराज मीणा। श्री टीकमचंद कांत।

अनुसूचित जनजाति के उत्थान की योजनाएं

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री

(श्री हेमराज मीणा)

महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए राज्य सरकार ही नहीं, अपितु केन्द्र सरकार भी विकास के लिए संकल्पबद्ध है। केन्द्र सरकार से भी काफी बजट अनुसूचित जन जाति के उत्थान के लिए प्राप्त होता है । राज्य सरकार भी काफी बजट इसके लिए आवंटन करती । उसके बाद भी यह दिखाई देता है कि या तो वे योजनायें वास्तविक नहीं हैं । योजनायें चलने के बाद भी वास्तव में जो लाभ ट्राइबल क्षेत्र के उस जनजाति के लोगों को होना चाहिए वह लाभ नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो योजनायें क्रियान्वित करने वाले लोग हैं उन के पास इतना काम है कि वे इन योजनाओं को चलाने में सक्षम नहीं हो पाते। मैं आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहूंगा कि किशनगंज शाहबाद में 33.5 लाख रुपया पिछले मार्च के अन्दर प्राप्त हुए थे। एक वर्ष होने के बाद भी अभी तक कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है। मैंने मंत्री महोदय के जवाब में देखा था कि 20 लाख की स्वीकृति उन्होंने अभी 10 दिन पूर्व दी है। पर साल भर से हम प्रयास कर रहे हैं उसके बाद भी योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलती, काम नहीं हो पाया। जब स्वीकृति नहीं हुई तो काम होना संभव नहीं है और यह दिनोंदिन जो राशि पड़ी रहती है उस राशि को लैप्स होने से बचाने के लिए केवल पी. डी. अकाउन्ट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसके कारण से वह लैप्स होने से बच जाती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम पी. डी. अकाउन्ट में ट्रांसफर कर केवल राशि को बचा पाते हैं। जिस लक्ष्य के लिए अनुसूचित जन जाति के कल्याण के लिए, अनुसूचित जन जाति के विकास के लिए जो योजनायें बननी चाहिए वे योजनायें वास्तव में बन नहीं पाती हैं और बजट के पी. डी. अकाउन्ट में ट्रांसफर होकर लैप्स से बचाने का प्रयास कर रहे हैं । 1989-90 में 904.34 लाख रुपए आवंटन हुए।

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यानाकर्षण कर दीजिए। मन्त्रीजी का वक्तव्य आ जाय। यह बाद में लें तो बेहतर रहेगा।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न-उत्तर मैं बाद में लूंगा। मैं अभी ध्यानाकर्षण कर रहा हूं। 904.34 लाख रुपये के स्थान पर 680.70 लाख रुपये खर्च हुए। 75.88 प्रतिशत व्यय हो गया। संस्थागत वित्तीय खर्चों में 450.22 लाख का आवंटन हुआ। इसमें से 375.64 लाख रुपये व्यय हुए। केवल 83.16 प्रतिशत व्यय हुआ। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें हैं उनमें से 2263.72 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है। इनमें से 946.13 लाख रुपए की राशि यानि 41.8 प्रतिशत व्यय हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल इस राशि को लैप्स होने से बचाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। इस राशि को हम विकास की योजनाओं में खर्च करें, विकास की योजनायें चालू हों, अनुसूचित जन जाति का उत्थान हो यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

दूसरा, मैं और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, विभाग में जो योजनायें बनाई जा रही हैं उन योजनाओं

(श्री हेमराज मीणा)

को अन्य विभागों के द्वारा हम राशि का आवंटन करते हैं। अन्य विभागों के सहारे हमको लेना पड़ता है। सिंचाई विभाग है सार्वजनिक निर्माण विभाग है, शिक्षा विभाग है, विद्युत विभाग है उन विभागों में केवल इतना काम है बजट ट्रांसफर कर देना, उसके बाद में हमारा नियन्त्रण उन विभागों में नहीं रह पाता। उसका मुख्य कारण क्या है कि उन विभागों के जो अधिकारी हैं उनके पास उनके स्वयं डिपार्टमेंट के इतने काम होते हैं कि वे हमारी जनजाति का जो बजट होता है जो स्कीम्स होती हैं, न तो उन स्कीमों को बना पाते हैं न ही उन स्कीमों को बनाने के बाद क्रियान्वित करा पाते हैं। तो इसमें मेरा निवेदन करना यह है कि या तो अधिकारी है वह विभाग के अन्दर लगाये ताकि इस बजट का समुचित उपयोग हो सके और इसकी योजना ठीक-ठीक प्रकार से बन जाये।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर उन समितियों का अध्यक्ष है। जहां-जहां उप योजना क्षेत्र हैं, सहरिया क्षेत्र है वहां पर जिला कलक्टर उन समितियों के अध्यक्ष होते हैं लेकिन जिला कलक्टर के पास इतनी समितियां होती हैं, उनके पास इतने काम होते हैं कि वे ट्राइबल की जो जनजाति समितियां होती हैं उन समितियों पर कोई ध्यान नहीं देते और ध्यान न देने के कारण हमारी योजनायें ठण्डे बस्ते में बन्द रहती हैं और पैसा दिनों-दिन पी. डी. अकाउन्ट में बढ़ता जाता है और हमारी जनजाति का विकास अवरुद्ध हो रहा है। इतना ही नहीं, जो इनकी समितियां बनी हैं उन समितियों के जो अधिकारी हैं वे जनजाति क्षेत्र में जाते नहीं जनजाति क्षेत्र में जाकर योजनायें बनाते नहीं हैं। योजनायें कहां बनती हैं? केवल सेक्रेटेरिएट के एयर कण्डीशंड कमरों के अन्दर बैठ कर बड़े-बड़े अधिकारी योजनायें बनाते हैं उन योजनाओं को जनजाति के लोगों पर थोपते हैं। योजनाएं बिल्कुल अव्यावहारिक बनती हैं। योजनायें गांवों में जाकर बननी चाहिए तभी निश्चित रूप से जन जाति के लोगों को किस बात की आवश्यकता है, किस योजना की उनको जरूरत है, किस योजना से उस जनजाति को लाभ हो सकता है, मालुम होगा। वहां अगर योजना बनेगी तो निश्चित रूप से जनजाति का उत्थान होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया, अभी मेरे पास दस-पन्द्रह सवाल और हैं, मैं माननीय मन्त्री महोदय से दोबारा पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ध्यान आकृष्ट कर दिया आपने ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया (राज्य मन्त्री जन जाति क्षेत्रीय विकास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विचारों की कद्र करते हुए, उनकी जो भावना जनजाति के विकास के प्रति है, उनकी कद्र करते हुए....(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह तो ट्रेजरी बैंचेज में हैं, काम कर देना चाहिए, ध्याना-कर्षण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनकी आदत खराब पड़ी हुई है ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान में अनुसूचित जाति के परिवारों के अत्थान के लिए जनजाति विभाग की विकास योजनाओं के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य महोदय ने जो रखा है, मैं संक्षेप में थोड़ा सा इस विभाग का परिचय माननीय सदस्य को दूं . . .

श्री रामस्वरूप मीणा : अपना भी परिचय दे दो ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आप आ जाना मेरे कमरे में ।

श्री उपाध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र, उप योजना क्षेत्र, माड़ा क्षेत्र, कलस्टर क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किये जाने वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कुछ माप-दण्ड बनाये गये हैं जो निम्नानुसार हैं । एक ऐसा क्षेत्र है जो जन जाति उप योजना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जिसमें निम्न जिले आते हैं और वह जिले हैं जिसमें पूरी जनसंख्या की पचास प्रतिशत आबादी जन-जाति की हो । माडा क्षेत्र ऐसा है जिसमें एक ही गांव में दस हजार की आबादी हो और उसका पचास प्रतिशत जनसंख्या ट्राइबल की हो, ऐसे क्षेत्र को माड़ा के रूप में माना है । तीसरा एक विभक्त, जो इसमें दिया हुआ है माड़ा कलस्टर, इसके अन्तर्गत गठित किये जाने वाले कलस्टर के गांव की कुल जनसंख्या पांच हजार होनी चाहिए और उसमें से पचास प्रतिशत जनसंख्या ट्राइबल की हो । माननीय, मैं यह तो विभाग का परिचय दे रहा था कि भारत सरकार ने यह नार्म्स बनाये हैं । माननीय सदस्य, जो सहरिया से आये हुए हैं उन्होंने पूछा है कि विभाग में पैसा केवल ट्रांसफर कर दिया जाता है पी. डी. खाते में, वैसे मैं इनकी बात का कोई नेगेटिव उत्तर नहीं दे रहा हूं, अब तक तो यह होता आया है क्योंकि आज तक हमारे पास स्वयं के पास मशीनरी न होने के कारण, मैन पावर न होने के कारण हम दूसरे विभागों के ऊपर निर्भर हैं । चूंकि आलरेडी दूसरे विभागों के स्वयं के भी काम होते हैं और जनजाति का काम भी हम उनसे कराते हैं और हमारा एक माध्यम बना है, डी.आर.डी.ए. के द्वारा, हम उस पैसे को सम्बन्धित विभाग को भिजवाते हैं । जनजाति के लोगों को सीधा लाभ पहुचाने की हम योजना बनाते हैं उसको सही समय पर क्रियान्वित करने में वास्तव में विलम्ब होने का कारण हमारे पास मेन पावर नहीं होना है । वैसे माननीय सदस्य ने अपनी तरफ से यह विचार रखा है कि हमारे पास मेन पावर होनी चाहिए लेकिन भारत सरकार जो इस तरह की योजनाओं को लेकर पैसा देती है उन योज-नाओं का पैसा मेन पावर में, तनख्वाह और ऑफिस पर खर्च न हो, इस कारण से अन्य विभागों द्वारा काम कराने का विभाग ने तय कर रखा है क्योंकि हम अपने स्वयं का

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

मेन पावर अपने पास रखेंगे तो जो प्लान का पैसा है वह अधिकतर तनख्वाह में और ऑफिस खर्चों में ही चला जायेगा, इसी कारण से हम दूसरे माध्यमों का सहारा लेते हैं । दूसरे माध्यम का सहारा लेने के कारण आज तक योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाई, उसके लिए तो वास्तव में यह विभाग माननीय सदस्य के विचारों से सहमत है । जहां तक इन्होंने 35 लाख रुपये की स्वीकृति होना बताया है और समय पर इसको रिलीज नहीं किया जाना बताया है, सहरिया क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां बरसात में समय पर सर्वे वगैरह नहीं हो पाया और इन्होंने जो एस्टीमेंट बना कर विभाग को भेजा था उसमें कुछ त्रुटियां होने के कारण विभाग ने सही करने के लिए भेजा, इस तरह जो समय लगा है विलम्ब का, कि सही ढंग से प्लान को बना कर गवर्नमेंट के पास भेजा जाय, तो यह जो वहां हमारी मशीनरी काम करने वाली है, उसके द्वारा त्रुटियां समय पर न निकलने के कारण यह समय लगा है । अब हमने 22 लाख रुपये तो और रिलीज कर दिये हैं और जो शेष हैं वह भी नेक्स्ट टाईम में रिलीज हो जायेंगे, वह माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूं । जो इन्होंने बताया है कि ट्राइबल एरिया में समय पर पी. डी. खाते में पैसा जमा नहीं होने से समय पर योजनाएं क्रियान्वित नहीं होती हैं उसके लिए तो बहुत जल्दी ही माननीय सदस्य, जो जनजाति क्षेत्र और सहरिया से आये हुए हैं, उनकी कमेटी बनाने की सोच रहे हैं । उनके ही नेतृत्व में योजना बनेगी और वही सलाह देंगे, अधिकारी लोग साथ में आयेंगे और फील्ड में जाकर योजनाएं बनायेंगे, वह हमारे विचारों की कद्र हमेशा करेंगे भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो योजनाएं जरूरी हैं उसी तरह से योजना बनायेंगे । यह मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो है नहीं, आपसे मिल कर ही योजना बनायेंगे यह ।

श्री हेमराज मीणा : कई योजनाएं अभी ऐसी हो एक तो हवाई बीजारोपण, जिसमें आदिवासी क्षेत्र में हैलीकॉप्टर से बीजों का रोपण किया जाता है, यह कितनी बड़ी अव्यावहारिक योजना है जिसमें खर्चा तो इतना आता है और उसका प्रोडक्शन हमको नहीं मिलता है । केवल खर्चा ही खर्चा उसमें होता है । दूसरी, मेरे यहां दो योजनाएं हैं । एक हलावनी और दूसरी बडारा । पिछले पांच वर्ष से लगातार यह योजनाएं उदयपुर में कमिश्नर ऑफिस में स्वीकृति के लिए पेंडिंग हैं । इसमें 21 गांव हैं जो शुद्ध रूप से आदिवासियों के हैं, एक भी परिवार दूसरा नहीं रहता है, वहां पर पानी दस-दस किलोमीटर दूर से आता है, अभी तक पानी का कोई इन्तजाम नहीं है । वहां पर जितने भी ट्यूब वैल व हैण्ड पम्प लगे हुए हैं उनमें अब पानी सूखने लग गया है, पानी वहां नहीं बचा है । माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया था कि केन्द्र सरकार को हमने भेजा है लेकिन मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार का पैसा, जो हमसे खर्च नहीं हो रहा है तो केन्द्र सरकार को भेजने की बजाय हमारे

(श्री हेमराज मीणा)

पास केन्द्र सरकार का जो पैसा पड़ा है, उस पैसे में से इन योजनाओं को स्वीकृति दें, यह मैं आपके से माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। 1.2 करोड़ रुपये, जो केन्द्र सरकार ने रोड्स के प्रस्ताव उदयपुर से हमसे मंगवाये थे, हमने प्रस्ताव भिजवाये हैं, जब केन्द्र सरकार का पैसा चालीस प्रतिशत पी. डी. खाते में है तो इन सब योजनाओं को स्वीकृति जारी करें माननीय मन्त्री महोदय। जिला कलक्टरों को फुर्सत नहीं मिलती, वह बहुत बिजी रहते हैं उसके लिए भी कोई अल्टरनेट ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि स्वयं उस विभाग द्वारा योजनाओं को संचालित करने का नियंत्रण भी ठीक-ठीक प्रकार से हो सके। सहरिया क्षेत्र में बेरोजगारी मिटाने की दृष्टि से कुछ सुझाव माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर में आये हैं। केवल उदयपुर में ही सारे संस्थान इन्होंने खोल रखे हैं, वह क्षेत्र काफी दूर पड़ता है इसलिए मैं चाहूंगा कि तकनीकी या जो मिनी आई. टी. आई. स्कूल बनते हैं उसको किशनगंज शाहबाद में खोला जाना अपेक्षित है ताकि वहां के जो सहरिया जन जाति क्षेत्र के लोग हैं उनको भी बेरोजगारी को दूर करने में सहायता मिल सके।

श्री रामनारायण वर्मा : छोटे जिलों को प्राथमिकता दी जाय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : सभी जगह की बात करी है उन्होंने।

श्री हेमराज मीणा : एक सवाल मेरा और है। माननीय मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया कि हमारे पास ऑफिस एस्टेब्लिश करने के लिए केन्द्र सरकार से पैसा नहीं आता है परन्तु करोड़ों रुपये लगा कर हमने उदयपुर में ऑफिस एस्टेब्लिश किया हुआ है इसलिए इसकी कोई बात ही नहीं है। हमको केवल तकनीकी अधिकारी डेपुटेशन पर हमारे विभाग में लेना पड़ेगा जिसमें भी एक-दो अधिकारी तो किशनगंज शाहबाद में रहेंगे बाकी अधिकारी तो पहले से मौजूद हैं। यदि बाकी अधिकारी हमारे यहां डेपुटेशन पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से योजनाएं भी त्वरित गति से बनेंगी और योजनाओं की क्रियान्विति भी जल्दी होगी। ऐसा मेरा माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष श्री : मन्त्री महोदय....

श्री नन्दकिशोर शर्मा : मेरा निवेदन है कि मेरा बात अभी बताई कि पैसा लेप्स होता है, वह खर्च नहीं हो पाता। उसके लिए जैसे अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि पहले ही हम विभागों से व्यवस्था कर लेंगे, इसमें भी क्यों नहीं कर लिया जाय 31 मार्च के पहले ही, जनवरी में ही शुरू हो जाय और मंजूर होकर एक अप्रेल से ही क्यों न काम शुरू हो जाये, यह निश्चित कर लिया। माननीय मन्त्री जी ने कमेटी बनाने का सुझाव दिया वह भी बहुत सुन्दर है लेकिन यह सारी योजनाएं कहां बनें, इसका नियम जनवरी से शुरू हो और मार्च तक समाप्त हो जाय। हमारे छबड़ा में भी 70 गांव माडा के हैं लेकिन उनकी स्थिति भी ऐसी ही होती है जैसी कि बताई कि मंजूरियां तो होती है, लिपट होती हैं लेकिन मंजूर नहीं हो पाती। कोई सर्वे नहीं

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

हो पाता और वह पैसा वैसे ही चला जाता है। डी. पी. ए. पी. का पैसा इस साल एक भी वहां खर्चा नहीं हो पाया है। समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित हो कि समय पर ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा तो एक ही प्रश्न है साहब। मैं अनुसूचित जन जाति का हूं, मन्त्री महोदय भी अनुसूचित जन जाति के हैं, मेरी एक छोटी सी बात सुनी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप प्रस्ताव लाते।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं यह माडा योजना है क्या आपको अभी यही पता नहीं है कि माडा योजना क्या है और आप माडा योजना के बारे में कह रहे हैं। दूसरी बात मेरा यह प्रश्न है कि माडा योजना के तहत जितने भी हैण्ड पम्प और स्कूल वगैरह स्वीकृत हुए थे आपने अभी तक उनकी यह पूर्ण जानकारी नहीं दी है कि कितने बने हैं और कितने अधूरे पड़े हुए हैं और उनके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है। जितने भी हैण्ड पम्प लगे हैं उनमें पानी मौजूद नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से हैण्ड पम्प स्वीकृत किये हैं, माडा योजना में किये पर वह लग गए दूसरी जातियों के यहां। इसलिए आप कृपया कम से कम इसकी इन्क्वायरी तो करावें और अनुसूचित जाति जनजाति के होते हुए आप अनुसूचित जाति के भले के बारे में तो सोचें। कमेटी आप बनाने जा रहे हैं तो कम से कम कमेटी आप निष्पक्ष बनाना। यह नहीं हो कि आप अपने आदमियों को लेकर दूर हट जाओ और दूसरे व्यक्तियों के नाम ही नहीं लो उसमें। सारे लोग होने चाहिए कमेटी में ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और उसमें कार्यवाही हो सके। आप अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में सोचें, आप उसके मन्त्री हो। थोड़े दिन के और हो फिर तो जाने वाले हो....

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री जी ने यह माना है कि इस विभाग का कार्य केवल मॉनीटरिंग है, तो इस विभाग के खोलने से आदिवासियों का विकास सम्भव है ? और अगर नहीं तो इस विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और मंत्री जी इस बारे में क्या करने जा रहे हैं।

दूसरे अक्सर इस विभाग के द्वारा आदिवासियों का कितना प्रतिशत विकास हुआ यह विभाग के पास या मन्त्री जी के पास क्या रिपोर्ट है, यह बताया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री रामनारायण वर्मा : एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : आप हर विषय में बोलने लगे हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री रामनारायण वर्मा : एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा बोलें।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय मन्त्री जी जिला ग्रामीण विकास अधिकरण को एक्टिकट्स के बारे में और आदिवासी इलाकों के बारे में लिखते हैं उसके बाद जिला ग्रामीण विकास अधिकरण उसमें कार्यवाही नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद आपके पास उसकी पालना के लिए कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती उसके बारे में कुछ करें ताकि आप जो पैसा देते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग उस इलाके में हो। नैनवा तहसील में है उसके बारे में लिखा। दो महीने हो गए और अभी तक तो उस कागज पर एक भी आफिसर ने नहीं लिखा है। जैसे मुरली का बालाजी है।

श्री चुन्नीलाल ग्रांसिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि बताया कि हमारे पास में टैक्नीकल अधिकारी होने चाहिए। वैसे टैक्नीकल के हिसाब से उदयपुर में एक कार्यालय खोला हुआ है। सिंचाई और पी. डब्ल्यू. डी. के हिसाब से हमने एक्स. ई. एन. बैठा रखे हैं। हम शिक्षा के हिसाब से भी बैठा रहे हैं और डेपुटेशन पर विभिन्न विभागों से ले रखे हैं लेकिन केवल चार या पांच अधिकारी होने से सारे विभाग के जो कार्य हमारे चल रहे हैं उनका वह बराबर नियोजन रखें या उनके ऊपर ध्यान रखें यह सम्भव नहीं है....

एक माननीय सदस्य : तो इस विभाग के खोलने का क्या तात्पर्य है?

श्री चुन्नीलाल ग्रांसिया : आप पहले जवाब तो सुनिये। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदस्य महोदयों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वास्तव में अब तक जो बजट खर्च नहीं हुआ सही सुपरवीजन नहीं होने के कारण, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस वर्ष बजट सैशन जैसे ही समाप्त हो जायेगा मैं उनके साथ बैठकर हर क्वार्टरली इसका एग्जीक्यूशन करूंगा और क्वार्टरली खर्च किस तरह से हुआ है या नहीं हो रहा है, सभी सदस्य महोदयों को आश्वस्त करता हूं कि इस साल बजट हमारे पास पी. डी. खाते में जमा नहीं होगा वह योजना में खर्च होगा, यह मैं आप सदस्यों को पूरा विश्वास दिलाता हूं। रही बात माननीय सदस्य जो सामने बैठे हैं....

श्री रामस्वरुप मीणा : तब तक आप रहेंगे क्या?

श्री चुन्नीलाल ग्रांसिया : उसकी आप चिन्ता मत करो....

श्री रामस्वरुप मीणा : माननीय मंत्री जी आप कृपया यह बतायें कि आप अब क्या कर रहे हैं? आगे की बात छोड़िये। आगे तो कोई पता नहीं है।

श्री चुन्नीलाल ग्रांसिया : उपाध्यक्ष महोदय आप सुनने की क्षमता रखिये तो कम से कम मैं आपका जवाब दे सकूं मैं भी आदिवासी हूं इसलिए आदिवासी को आदिवासी की बात सुनने में थोड़ी क्षमता तो रखनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या के बारे में माननीय सदस्यों ने बताया। वास्तव में पानी की जटिल समस्या

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

उस क्षेत्र में है । पहले जो हैंडपम्प लगाये थे वहां पानी सूख गया है । वहां सिंचाई विभाग के माध्यम से इनकी योजना भारत सरकार को भेजी है वह जल्दी ही सैंक्शन होकर आ जायेगी । हम इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र हाथ में लेकर जो पानी की जटिल समस्या है उसके बारे में पूरा हल करने का प्रयास करेंगे विभाग के द्वारा ।

हवाई सर्वेक्षण का जो बताया है माननीय सदस्य ने, डूंगरपुर जिले में बंजारा भूमि विकास के नाम से एक कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा हाथ में लिया है । वहां हवाई सर्वेक्षण हुआ है । हवाई सर्वेक्षण में मैं मानता हूं कि उसमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं थी । यह बात जरूर है कि हवाई सर्वेक्षण पूरा होता तो ट्राइबल एरिया के लोगों को उसमें एम्पलायमेन्ट मिलता लेकिन हवाई सर्वेक्षण में जो राशि खर्च हुई है वह एम्पलायमेन्ट के अनुपात में कम है । मैं समझता हूं कि जो मुख्य हमारी योजना है उसमें अधिक राशि खर्च नहीं हुई और न कोई हानि हुई है । स्वयं मैं कलेक्टर साहब को साथ लेकर उस क्षेत्र में देखा है । मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि इस हवाई सर्वेक्षण में कोई त्रुटि या नुकसान नहीं हुआ है । मैं चाहूंगा कि वह स्वयं भी आश्वस्त देना चाहें तो वह कोई कार्यक्रम बना लें मेरे साथ में, मैं डूंगरपुर क्षेत्र का दौरा करवा दूंगा उनको ।

रोड्स के बारे में बताया है कि सहरिया क्षेत्र में और जो माडा वगैरह है वहां हम एक किलोमीटर, दो किलोमीटर की एप्रोच रोड बनाते हैं । जो स्पेशल स्कीम से पैसा आता है उसमें हम एप्रोच रोड के नाम से पैसा देते हैं और पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से हम रोड को बनवाते हैं । हमारे पास जो वित्तीय साधन होते हैं उसी के अनुरूप हम विकास को ध्यान में रखते हैं ।

बेरोजगारी का माननीय सदस्य ने बताया है कि हमारी इतनी संस्थायें टेक्निकल चल रही हैं उसमें सहरिया क्षेत्र में जो छात्र बधु हैं उनके लिए सीट रिजर्व हैं जिनको हम वहां ट्रेनिंग दिलवाते हैं । माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां भी कोई ऐसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोली जाये तो मैं आपके विचारों की कद्र करते हुए इस दिशा में सोचने का प्रयास करूंगा और जरूर आने वाले समय में इस तरह का मेरा प्रयास रहेगा । धन्यवाद

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बात कर लीजिए । आप साथ जा रहे हैं दौरे पर ।

श्री हेमराज मीणा : मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और उसकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में सहरिया आदिवासी क्षेत्र है और सहरिया वहां पर रहते हैं । वह ट्राइबल अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं लेकिन पटवारियों ने, तहसीलदारों ने क्या गड़बड़ की है कि सहरिया को काटकर सहर कर दिया है उसके कारण से उनकी भूमि दूसरे लोगों के नाम रजिस्ट्रियां होनी प्रारम्भ हो गयी हैं । रेवेन्यु बोर्ड

(श्री हेमराज मीणा)

की एक रूलिंग आई है उसमें सहर शब्द को अनुसूचित जाति और जनजाति में नहीं माना गया है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए और पटवारियों ने जो सहरिया को काटकर सहर करना प्रारम्भ किया है इससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जमीनें बिक रही हैं, इस पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए।

दूसरा मेरा सवाल है छात्रावास के अन्दर 25 छात्रों के ऊपर 5 हजार रुपया प्रतिमाह का खर्च होता है। 5 हजार रुपया एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में जो वार्डन डेपुटेशन पर आते हैं उसके लिए खर्च करते हैं लेकिन दुख इस बात का है कि डेपुटेशन पर हमारा सैकण्ड ग्रेड का अध्यापक आता है, वह काम नहीं करता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक हैं उनको होस्टल का वार्डन बनाया जाये और उनको कान्ट्रेक्ट पर या डेली वेजेज पर रख कर उनसे उसकी व्यवस्था चलाई जाये तो निश्चित रूप से यह 5 हजार की जगह केवल 2 हजार में ही हमारा काम चल जायेगा। यह मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने बताया कि सहरिया शब्द के बजाय सहर शब्द वहां के पटवारी या वहां जो कर्मचारी महोदय बैठे हैं उन्होंने लगा कर वहां जो सहरिया जनजाति क्षेत्र है वहां अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनें रजिस्ट्रयां हो रही हैं। वहां के जिला कलक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अतिशीघ्र विभाग के द्वारा लिखकर इस त्रुटि को दूर करवा लिया जायेगा। दूसरा जो इन्होंने होस्टल वार्डन के बारे में बताया कि होस्टल वार्डन शिक्षा विभाग से डेपुटेशन पर लेते हैं, इन्होंने एक सलाह दी है अपने जनजाति का व्यक्ति उस पर अगर रखा जाय तो रोजगार मिलेगा। आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को विश्वास दिलाता हूं कि इस दिशा में विचार किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है, सहर और सहरिया का। जो पहले रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उनके बारे में क्या कहते हैं?

श्री रामस्वरूप मीणा : अनुसूचित जनजाति के बारे में विचार हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इस पर पूरी बहस होनी चाहिये। (व्यवधान) महावीरजी, आप बार-बार अनुसूचित जनजाति के मामले में बीच में आ जाते हो, फिर खड़े हो गये। आप हमारी बात को नहीं कहने देते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप आसन पर व्यवस्था लाद रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ कर बात कर लेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : तो बैठकर कहां बातचीत होगी, साहब? आप तय करलो। माननीय मंत्रीजी तो कह ही नहीं रहे इस

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बात को। (व्यवधान) वह तो यह कह रहे हैं हमारे साथ चलो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप थोप नहीं सकते।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करा दो कि बैठ कर बातचीत कर लेंगे। मंत्रीजी से इस बात की घोषणा करा दें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय को मैं आग्रह करता हूं कि आप स्वयं दोनों पधारें मेरे कक्ष में, आपके विचारों की कद्र करते हुए आप जो सलाह देंगे उस पर भी ध्यान दिया जायगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज ही।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : खाने पर क्यों नहीं बुलाते हैं मंत्रीजी को शाम को।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह तो हम बिल्कुल ही बुला लेंगे, खाने पर ही क्या। आ रहा है समय।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान रोडवेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिये मैंने मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट कराने के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था। पांच दिन हो गये, सरकार अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। या आपके पास आ गया तो आप उसको लिस्ट करायें, नहीं तो सरकार से जवाब मंगवायें।

श्री उपाध्यक्ष : आप जरा चैम्बर में आकर देख लीजिये आया कि नहीं आया, क्या व्यवस्था हुई है।

याचिकाओं का उपस्थापन। श्री महाबीर प्रसाद जैन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं:—

(1) टौंक जिले की पंचायत काबरा के ग्राम झालरा, काबरा एवं ऊम आदि का विद्युतीकरण एवं सम्पर्क सड़कों से जोड़े जाने बाबत,

(2) टौंक पंचायत समिति में बनास नदी के किनारे बसने वाले गांव गहलोद, मारखेड़ा, मुडिया, डोडगड़ी, देवरी लाक, लाकड़ा, किशनपुरा आदि की सिंचाई हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति बाबत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

(1) जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव के ग्राम जैसीन्दर स्टेशन की 1981 की जनगणना के अनुसार 2900 से अधिक आबादी वाले ग्राम में सब सेन्टर खोलने बाबत,

(श्री अमीन खां)

(2) जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव के कस्बा हुरसानी के एडपोस्ट को क्रमोन्नत कर डिस्पेंसरी खोलने बाबत।

घोषणा

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की घोषणा। अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जायेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसा कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये हुए समझा जाय और उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये वे अपने सारे कटौती प्रस्ताव पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे अपने विचार व्यक्त कर कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके आग्रह पर सरकार की ओर से सम्बन्धित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जायें, ऐसा मेरा निवेदन है।

आय/व्ययक बजट 1991–92, अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान। श्री विजय सिंह झाला।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, गये साल भी आपने इस तरह की व्यवस्था दी थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गये साल नहीं थी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : गये साल भी यह व्यवस्था थी, लेकिन गये साल में जो कटौती प्रस्ताव दिये थे उस पर जो माननीय सदस्य नहीं बोल सके थे, उनके आज तक उत्तर नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष : यह सरकार को देखना चाहिये कि उत्तर पहुंचे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : गये साल के भी दिलवा दो इस साल के साथ साथ।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देशित करिये। जब आसन से सरकार से अनुरोध किया जाता है तो....

श्री भंवर लाल शर्मा (सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री भंवर लाल शर्मा)

आपकी मार्फत विश्वास दिलाता हूं कि कटौती प्रस्ताव आये हैं, सबका जवाब दिया जायेगा।

श्री हरिसिंह : माननीय सदस्य जो कटौती प्रस्ताव देते हैं....

श्री भंवर लाल शर्मा : जवाब भिजवा दिये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आवश्यक रूप से उनका जवाब उन सदस्यों के पास पहुंचना ही चाहिये। एक स्थायी व्यवस्था आप कर दो हम अनुरोध करेंगे तब सरकार हमारे कटौती प्रस्तावों का जवाब भिजवायेगी तो कटौती प्रस्ताव लगाने का अर्थ ही क्या निकला ?

श्री भंवर लाल शर्मा : सिंचित क्षेत्र विकास और इंदिरागांधी नहर के जितने हैं, सब जवाब तैयार करवा लिये, बाकी झाला साहब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सारी सरकार की ओर से पूछ रहे हैं। पूरी सरकार की ओर से पूछ रहे हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : अब सरकार अधूरी थोड़ी होती है, उपाध्यक्ष महोदय. सरकार तो पूरी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्री जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने जवाब भिजवाये क्यों नहीं ? जवाब ही नहीं भिजवाये जाते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जागरूक नहीं हो आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप तो जागरूक हो। आप तो जागरूक हो ना, महावीर जी। आप बारबार टोकते हो बीच में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्यों की भावना को जानते हुए मैंने मूव किया है और उसी मूवमेंट पर यहां व्यवस्था दी गई है। मैं आपको जानकारी के लिये कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब यहां मूवमेंट रुक रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय महावीरजी, आप बार-बार व्यवधान करते हैं हमने आपका नाम व्यवधान मंत्री इसलिये रखा है। आप सरकार को कहें जो कुछ कहना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य, आपकी व्यवस्था करवा रहा हूं। व्यवधान नहीं आपकी व्यवस्था करवा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

आय-व्ययक 1991-92

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46-सिंचाई की प्रस्तुति

श्री विजय सिंह झाला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46, सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,19,92,05,000 रूपये (पांच अरब उन्नीस करोड़ बियानवे लाख पांच हजार रूपये) तक की राशि प्रदान की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : सारी टोटल आ गई। आई.जी.एन.पी. सब आ गई।

श्री उपाध्यक्ष : सब।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46 मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :—

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

1. तहसील कोटपूतली क्षेत्र के छोटे बांध से पानी रोक कर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. तहसील कोटपूतली, नीमकाथाना, खेतड़ी, बहरोड़, बानसूर, तिजारा, मन्डावर आदि तहसीलों को हरियाणा की नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. तहसील कोटपूतली के पुराने बांध एवं नहरों के लिए धन राशि उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. खुहाडा, शुकलावास, प्रशोतमपुरा, रूपपुरा, भुतड़ा, नाला तहसील कोटपूतली में बांध बार-2 प्रस्ताव भेजने पर भी मंजूर न करने पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर)

5. नर्बदा परियोजना के अन्तर्गत जालौर जिला के सांचौर तहसील में प्राइमरी कार्य चालू न कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

6. जालौर जिले से क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत का कार्य चालू करने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा)

7. पुरस, करवाडा, दानवाडा, साथरन वगैरह टूटे हुए बन्धों का पुनः निर्माण नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

8. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण में हो रही अनियमितताओं को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. पश्चिमी राजस्थान में नहर का अधूरा कार्य पूरा करने पर चर्चा के लिये।

10. राष्ट्रीय सुरक्षा कार्य की दृष्टि से इन्दिरा गांधी नहर को युद्ध स्तर पर पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. इन्दिरा गांधी नहर की सागर मल गोपा ब्रांच का कार्य सम-बैघड़ा व गडरा रोड़ से चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. इन्दिरा गांधी नहर की सागर-मल गोपा ब्रांच के कार्य न चलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

13. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की कोलायत, गजनेर, पोकरण, फलौदी, साहवा लिफ्टों की सड़कों एवं अन्य के विभिन्न कार्यों में भेदभाव पूर्ण तरीके से बजट प्रावधान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. सीमेन्ट की आपूर्ति के अभाव में इन्दिरा गांधी नहर का कार्य ठप्प होने तथा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

खाजूवाला, छतरगढ़ एवं बज्जू, पूगल आदि क्षेत्रों में रबी की फसल पर पर्याप्त पानी न मिलने पर किसानों को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. कोलायत, मजनेर, सोहवा, पोकरण एवं फलौदी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की धीमी प्रगति एवं इनके हैड वर्क्स् का कार्य तय न होने तथा इनके निर्माण हेतु चालू वर्ष के बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

16. विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य धीमी गति से होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

17. आदिवासी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के अधूरे बांधों को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में सिंचाई के साधनों की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में सिंचाई हेतु विभाग द्वारा पर्याप्त धनराशि आवंटन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

21. सवाई माधोपुर जिले की पांचना योजना से नादोती तहसील में लिफ्ट द्वारा पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

22. टोरडा ग्राम के किसानों की फसल को बूचारा बांध की नहर टूटने से भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा सिंचाई विभाग द्वारा नहीं दिलाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

23. बूचारा बांध की नहरों का पक्का निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. टसकोला पंचायत क्षेत्र के रूपपुरा ग्राम के भूतडा नाला को रोककर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

25. ईसरदा (बनास नदी) बांध बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. बीसलपुर योजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले व्यक्तियों को मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

27. बीसलपुर योजना में नहरों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी)

28. गांव सिणधरी, जिला बाड़मेर में पेटा कास्त हेतु बांध बनाने की सम्भावना पर सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

29. गांव बीठूजा और बालोतरा नगर, तहसील पचपदरा में लूनी नदी पर बने स्पर (spur) की क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

30. गांव डेडावास, तहसील गुढ़ा मालानी में बने स्पर (spur) की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खाँन (नागौर)

31. नागौर तहसील के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिये सिंचाई की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

32. मेड़ता सिटी के पास वर्षा का पानी इकट्ठा कर सिंचाई हेतु बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

33. बीकानेर से चिपते नागौर जिले में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु इन्दिरा गांधी नहर को नागौर जिले में लाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)

34. नैनवां की भावपुरा फीडर को पूरी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

35. बिजधारी बांध के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पुनः चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

36. सीसोला बांध के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पुनः चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

37. कुरल नदी के जल के उपयोग से नदी के किनारे पर बसे हुए गांव वालों की कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

38. मूरली के बालाजी नामक स्थान के पास बहने वाली मेज नदी से नैनवां तहसील के गांव काला नला, सादेड़ा मूण्डली, कल्याणपुरा को लिफ्ट योजना से पानी पहुंचाने में बरती जा रही सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

39. बून्दी जिले में गोबरिया गांव को लिफ्ट के जरिये कुरल नदी से सिंचाई सुविधा दिलाने में बरती जा रही सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये

40. जखाना पंचायत रायथल की सर्वे शुदा लिफ्ट योजना को चालू करने के प्रति सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

41. बून्दी जिले की मांछली नदी पर बांध के निर्माण स्वीकृति प्रदान करने में सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

42. आला भारा बांध ग्राम सबलपुरा जिला बून्दी के सर्वे में की जा रही देरी से किसानों के होने वाले लाभ से वंचित रह जाने पर चर्चा के लिये ।

(112)

(श्री रामनारायण वर्मा)

43. सुसा (तहसील नैनवां) बांध की दिवार व पानी निकासी की दिवार की ऊंचाई कम रह जाने से वांछित लाभ मिलने पर चर्चा के लिये।

44. धाई बालापुरा बांध जिला बून्दी की भराव क्षमता कम हो जाने से सिंचाई पर पड़े विपरीत प्रभाव पर चर्चा के लिये।

45. ग्राम कोलाहेड़ा तहसील नैनवां के बांध की क्षतिग्रस्त दिवार की मरम्मत करने में हो रही देरी पर चर्चा के लिये।

46. चम्बल परियोजनान्तर्गत बून्दी जिले के ग्राम जावरी खुर्द से बम्बोरी रास्ते पर पड़ने वाली ड्रेन माटून्दा की जीरो चेन की अधूरी पुलिया को पूरी नहीं कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

47. रायथल के पास बने कुरल काजवे की मरम्मत न करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

48. चम्बल की नहरों के व्यर्थ हो रहे पानी से नन्दपुरा से बम्बोरी (जिला-बूंदी) के रास्ते पर बलाण्डो पर पुलिया निर्माण नहीं की जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

49. चम्बल परियोजना की बूंदी ब्रांच केनाल की जर्जर हालत के लिए आधुनिकीकरण नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूणकरणसर)

50. लूणकरणसर लिफ्ट नहर पर बिजली आपूर्ति की कमी को दूर करवाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करवाने पर चर्चा के लिये।

51. लूणकरणसर लिफ्ट नहर से सिंचित काफी रकबा सेम से प्रभावित हो जाने पर भी विभाग द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

52. साहवा लिफ्ट से लूणकरणसर तहसील के केवल आठ गांव ही सिंचाई के लिए प्रस्तावित हैं जबकि ग्राम शेरपुरा के पूर्वी दिशा का समस्त रकबा समतल होने के बावजूद सिंचाई से वंचित रखने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

53. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की काफी वितरिकाओं में मिट्टी भर जाने से फसल के लिए उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

54. कंवर सेन लिफ्ट नहर लूणकरणसर तीन माह से अनियमित चलने की वजह से किसानों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

55. इन्दिरा गांधी नहर की पूंगल ब्रांच में सिंचाई हेतु पूरा पानी उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

56. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की लोलेवल नहर काश्तकारों को बिना सूचना दिये एक माह से ऊपर बन्द रखने से किसानों को हो रही क्षति पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)

57. इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य धीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली)

58. इन्दिरा गांधी नहर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुड़ामालानी)

59. नदी घाटियों में मृदा संरक्षण के अभाव में निर्मित बांध में खतरा उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये।

60. जवाई बांध की नहरों के रख रखाव में शिथिलता बरते जाने पर चर्चा के लिये।

61. बाढ़ के पानी से मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई का लाभ लेने सम्बन्धी योजनाएँ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. सिंचाई परियोजनाओं के फलस्वरूप सेम (वाटर लोगिंग) की ओर ध्यान के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

63. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

64. इन्दिरा गांधी नहर की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये।

65. झुन्झुनू जिले में नहर से सिंचाई की सुविधा न होने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय-पाटन)

66. सिंचाई विभाग में बाकी रहे अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षित पदों को भरा जाकर आरक्षित कोटा पूरा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. केशोराय पाटन क्षेत्र को ड्रेनों पर विभिन्न स्थानों पर पुलिया बनवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. मायजा करवाला, मारवीदा, बसवाड़ा, पापड़ी, बड़ाखेड़ा, डगारिया तथा रेवारपुरा आदि ग्राम पंचायत क्षेत्रों के गांवों की नहरों को सुधारा जाकर सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. केशोराय पाटन क्षेत्र में नहरों को गांव के पास एवं मोड़ों पर पक्का बनवाया जाकर पानी की बरबादी को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. चम्बल सिंचित क्षेत्र में केनेडा द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि का अतिशीघ्र उपयोग कर ड्रेनों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. केशोराय पाटन ब्रांच में घाट का बराना से लिफ्ट द्वारा चम्बल से पानी डालकर टेल क्षेत्र की सिंचाई समस्या का समाधान करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. केशोराय पाटन क्षेत्र में वर्ष भर बहने वाली चम्बल एवं मेज नदी के जल का लिफ्ट सिंचाई से कृषि क्षेत्र को सुविधा प्रदान कराकर क्षेत्र का विकास करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. केशोराय पाटन क्षेत्र की सभी क्षतिग्रस्त नहरों का खुदाई एवं सफाई का

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कार्य मई एवं जून, 91 तक विशेष अभियान चलाकर करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

74. बांई मुख्य नहर की उचित व्यवस्था हेतु अधिशाषी अभियन्ता का मुख्यालय केशोराय पाटन में रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. बांई मुख्य नहर में 15 जून से पानी प्रदाय कर चावल की खेती को प्राथमिकता दिलाने पर चर्चा के लिये।

76. करवाला, मेनोली, अड़ीला, कोडकिया, बालापुरा, बोयांखेड़ा आदि माइनरों की खुदाई एवं सफाई करवाई जाने पर चर्चा के लिये।

77. नहरों एव ड्रेनों पर खराब रास्तों के सुधार हेतु पाइप (ढोल) तुरन्त प्रभाव से मुहैया करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

78. चम्बल सिंचित क्षेत्र में प्रति नहर एक बेलदार नियुक्त कर समस्या का समाधान करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

79. केशोराय पाटन क्षेत्र में वर्ष भर बहने वाले खालो एवं नालों पर काली खाड़ (नागजा) पील्याखाल (सारंसला) मेथोली खाल, चामला खाल, थोताड़ा धरावल खाल, ईसरदा खाल आदि पर कॉजवे या पुलिया बनवाई जाने पर चर्चा के लिये।

80. केशोराय पाटन क्षेत्र में सभी स्थानों पर टूटे फाल पुलियायें, साइफा आदि को पुनः पक्का बनवाया जाने पर चर्चा के लिये।

81. पादड़ा गांव में सिंचाई से वंचित रहने वाले क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु पादड़ा माइनर को आगे खुदवाई जाने पर चर्चा के लिये।

82. मारवीदा राजवाह की टेल को बसवाड़ा गांव में पानी देने हेतु खुदाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. केशोराय पाटन ब्रांच की टेल की 10 ग्राम पंचायतों को सही पानी सुविधा देने हेतु लबान सब-डिवीजन पर सहायक अभियन्ता कार्यालय पुनः चालू करवाये जाने पर चर्चा लिये।

84. केशोराय पाटन क्षेत्र की सभी ड्रेनों की तुरन्त सफाई करवाई जाकर सिपेज से राहत दिलाने पर चर्चा के लिये।

85. बून्दी जिले की प्रस्तावित मेज परियोजना जिससे 32 गांवों की 40 हजार बीघा कृषि भूमि सिंचित होगी को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करवाने पर चर्चा के लिये।

86. चम्बल की नहरों का डिजाइन बदला जाने एवं 100 प्रतिशत क्षमता रखने पर चर्चा के लिये।

87. केशोराय पाटन क्षेत्र में चितावा, बलकासा, मालिकपुरा, डगरिया, मारवीदा, अरणदपुरा आदि डिस्ट्रीब्यूट्रियों की मरम्मत एवं सफाई करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

88. टौंक जिले में ईसरदा बांध के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

89. बीसलपुर परियोजना में डूब में आने वाली भूमि का मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

90. बीसलपुर परियोजना में डूब में आने वाले पेड़ों की दरें (कीमत) तय नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

91. टौंक जिले में सिंचाई विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

92. टौंक जिले में स्थित मांशी बांध की भराव क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

93. टौंक जिले में रूपवास बांध के निर्माण कार्य की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

94. टौंक जिले स्थित मोती सागर बांध की नहरे पक्की बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

95. टौंक जिले में ठीकरिया बांध में हुए अनियमित व्यय व स्पेशिफिकेशन के अनुसार निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

96. टौंक जिले में बोरून्दा बांध में हुए निर्माण में गड़बड़ एवं स्पेशिफिकेशन के अनुसार निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

97. टौंक जिले में गहोदरा बांध पर वर्ष 1989–90 व 1990–91 में हुए व्यय में अनियमितता पूर्ण कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

98. टौंक जिले में वर्ष 1989–90 में गलवा बांध पर हुए व्यय में हुए अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

99. सिंचाई विभाग द्वारा अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं किये जाने तथा उनमें भयंकर अनियमितता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

100. मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा चलाई जा रही परियोजना में होने वाले व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं होने एवं प्रशासनिक लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

101. विभाग द्वारा सतही जल का उपयोग नहीं कर पाने एवं लापरवाही बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

102. टौंक जिले में पर्याप्त सतही जल उपलब्ध होने एवं प्रशासनिक खर्चा सरकार द्वारा पूरा करने के उपरान्त भी विभाग द्वारा योजना बनाकर उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

103. मांशी बांध की नहरों पर लाइनिंग का कार्य नहीं कराये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर)

104. भरतपुर, धौलपुर व अलवर जिलों के लिए चम्बल नदी से लिपट सिंचाई की कोई परियोजना एवं बजट प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(116)

(श्री नत्थी सिंह)

105. भरतपुर जिले के सिंचाई सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु प्रावधान नहीं करने तथा अन्य कार्यों में अनावश्यक व्यय करने पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (भीनमाल)

106. कुशलगढ़ क्षेत्र सासखेरा बांध के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

107. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के चोंटीया (टाडी) बांध की अपूर्ण नहरों व पुलियाएं बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

108. कुशलगढ़ क्षेत्र के गोयकाप्रसाद बांध की बायीं दायीं नहरों की रिपेयरिंग करवाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

109. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के (खुन्दनी) चतरा खुरा बांध की टूटी-फूटी नहरों की रिपेयरिंग करवाकर किसानों को पर्याप्त पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. कुशलगढ़ क्षेत्र के सज्जनगढ़ बांध की अपूर्ण नहर को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में शमरी टाडी बांध की नहरें पूर्ण कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के जिये।

112. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के सुरवन बांध की नहर के अपूर्ण कार्य को पूरा कराने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

113. कुशलगढ़ क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा कोई सिंचाई योजना नहीं बनाने से कृषकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

114. माइनर नहरें सिपेज होने पर काश्तकारों के खेत खराब व ऊसराने से उत्पन्न भारी नुकसान पर चर्चा के लिये।

115. जिला बांसवाड़ा के दायीं (आर. एम. सी.) मुख्य नहर की डिस्ट्रीब्यूटरी घनोड़ा से मीमपुर के बीच में नागनसेल जाने वाली सब माइनर की खेतों तक जाने वाली नालियां पक्की करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. जिला बांसवाड़ा के गोपीनाथ को गढ़ा माइनर में पानी सीपेज को रोकने एवं पक्की नहर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. बांसवाड़ा सिंचाई खण्ड में अधूरा निर्माण कार्य को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. जिला बांसवाड़ा में सोगपुरा माइनर (कैनाल) टूटने से काश्तकारों को पानी नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

119. जिला बांसवाड़ा के छींच माइनर नहर टूटने व सिपेज होने से कृषि के हो रहे भारी नुकसान पर चर्चा के लिये।

120. माही परियोजना, बांसवाड़ा के खेतों में पक्की नालियां बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुर सिंह)

121. जिला बांसवाड़ा में गरांडिया माइनर (कैनाल) ठेके पर देने के बावजूद काम नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. सिचाई खण्ड बांसवाड़ा के नवाखेड़ा बांध को बनाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री समेता भाई मीणा (बागीडोरा)

123. परसोला माइनर नहर को पूरा करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

124. गोपीनाथगढ़ माइनर को पूरा करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

125. आनन्दपुर प. स. नहर को पूरा करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

126. अरथूना माइनर नहर को पूरा करने में सरकारी असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)

127. तीतर खेड़ी छमन तथा गूंगारे की लिफ्ट योजना की शीघ्र क्रियान्विति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. बेंटली मांसी सिंचाई योजनाओं को शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

129. सिंचाई की नहरों के निर्माण एवं विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. सिंचाई परियोजना कार्यों में बढ़ती अनियमितताओं को दूर कर पुनः सर्वेक्षण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

131. गरड़ा, गोपालपुरा की नहर की मरम्मत कराई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. शाहबाद (कोटा) में बैंतरा सिचाई योजना हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान कर सहरिया किसानों को लाभ पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. रातई सिंचाई परियोजना से अवाप्त भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. बम्बोरी मोहन ग्राम सकरावदा में लिफ्ट सिचाई योजना प्रारम्भ कराने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

135. बिलास सिंचाई परियोजना भंवरगढ़ की नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. किशनगंज व शाहबाद में पुरानी सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(118)

(श्री हेमराज मीणा)

137. बिलास सिंचाई परियोजना मंकरगढ़ (कोटा) में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर)

138. जवाई बांध तथा हेमावास बांध की नहरों पर निर्माण कार्य कर आगे बढ़ाई जाने पर चर्चा के लिये।

139. चाणोद, अनोपपुरा, पीचावा, बिटूड़ा ग्राम पंचायतों के सिंचाई के लिये नहरें बनाकर जवाई बांध का पानी उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

140. हेमावास और सेई बांध की दीवारों को ऊंचा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. जवाई बांध की नहरों को पक्की किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. हेमावास बांध की नहरों को पक्की किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (सांगोद)

143. कोटा जिले की तहसील सांगोद में काली सिन्ध नदी पर ग्राम लोढ़ा–हेड़ा, टोंस्या, सेलोनियां, मामोर आदि स्थानों पर लिफ्ट इरिगेशन की योजनाएं बनाई जाकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. सावन भादों परियोजना की अवाप्त की गई ग्राम कनवास एवं प्रभावित ग्रामों की भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य के आधार पर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. सावन भादों बांध का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

146. सावन भादों बांध के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच कराई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. कोटा जिला की सांगोद तहसील के ग्राम मदारिया, दांता के अधूरे बांध को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. चम्बल कमाण्ड एरिया की दांई मुख्य नहर, छोटे माइनर बदोड ब्रांच सुल्तानपुर ब्रांच तथा किशनगंज डिस्ट्रीब्यूटरी की शीघ्र ही सफाई करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. ग्राम एकरा, फतेहपुर खेड़ली स्थानों पर लिफ्ट इरीगेशन योजना बनाकर सिंचाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुड़ामालानी)

150. सिंचाई विभाग एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में कुछ विशेष कार्य डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. नामक संस्था को सुपुर्द कराने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती मदन कौर)

151. इन्दिरा गांधी नहर से फलसुण्ड वितरिका निर्माण की मांग पर चर्चा के लिये।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा)

152. उदयपुर वाटी तहसील को सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही उपेक्षा पर तथा ए. ईएन. कार्यालय खोलने तथा अधिकारियों को लगाने पर चर्चा के लिये।

153. उदयपुर वाटी तहसील के बांधों तथा बागोली का मोजेडा बांध मण्डावरा छापोली का अधूरा बांध शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़)

154. कामलीया खाल पर मिनी डेम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. कानगढ़ खाल पर मिनी डेम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

156. नाडातोड़ा बांध पीलवा तह. परबतसर के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. पीपोलाई बांध गोगवा तह. परबतसर के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. खोखरिया बांध तह. परबतसर के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये।

159. रघुनाथपुरा बांध तह. परबतसर के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

160. खारी वाली बांध मकरी तह. परबतसर के अपूर्ण कार्य को पूर्ण नहीं कराने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

161. कोलिरड़ा अपूर्ण बांध को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. कंवलाद बांध तह. परबतसर के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. रावड़ियाद बांध तह. परबतसर के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

164 ग्राम गुढ़ा तह. परबतसर के सर्वे सुदा मजेवला बांध के निर्माण की स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. ग्राम बिठवालिया में प्रोटेक्सन वाल के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166. प्रोटेक्सन वाल रेगराण मोहल्ला ग्राम बस्सी तहसील परबतसर का सर्वे कराकर निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़)

167. सूरजकुण्ड बांध बवाल, कावरा बांध पीलवा, कोड़िया बांध रघुनाथपुरा शीव वाला बांध पीह, केरिया बांध गौरजी का पुरा (बान्डेहड़ा) का सर्वे कराकर निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(120)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

168. बूंदी जिले की अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ हेतु पापड़ा सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

169. चम्बल की दांई मुख्य नहर से दांई ओर हिंगोनिया, पारलिया, श्यामपुरा, रकसपुरा आदि गांवों हेतु बनी लिफ्ट सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

170. गनेशगंज लिफ्ट सिंचाई योजना को शीघ्र चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. पीपल्दा तहसील के सिंचित क्षेत्र में जहां सिंचाई नहीं होती है, में लिफ्ट सिंचाई योजना से पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. इटावा सब-डिविजन के हथोली माइनर की मरम्मत, सफाई एवं खुदाई के लिए पिछले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष खर्च की गई रकम का सदुपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

173. अन्ता सब-डिविजन में महुवा गांव में फैल रहे सीपेज को ड्रेन बनाकर रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. इटावा में अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय द्वारा बनाये गये भवन का उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

175. इटावा ब्रांच केनाल से डोरली के बांध से नई नहर निकाल कर विनायका क्षेत्र के खेतों में सिंचाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. पीपल्दा क्षेत्र के बिजावता, नोनेरा, रघुनाथपुरा, ककरावदा, भैरूपुरा, नयागांव, डोबड़ली, कैथोदा, फूसोद, मोरखुदना आदि स्थानों पर नहरें नहीं होने से नदियों से लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. इटावा सब डिविजन में सकनी साइफन से पश्चिम की ओर रनोदिया गांव तक ड्रेन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. इटावा ब्रांच केनाल से नहर निकाल कर ककरावदा डिस्ट्रीब्यूटरी में मिलाकर टेल तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. चम्बल क्षेत्र के इटावा एवं मांगरोल सब-डिविजनों में नहरों व ड्रेनों पर पुलिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. चम्बल क्षेत्र के इटावा एवं मांगरोल सब डिविजन के टेल क्षेत्रों से समय पर पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

181. चम्बल क्षेत्र के इटावा सब डिविजन में हुए केचमेंट के विभिन्न कार्यों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

182. चम्बल क्षेत्र की इटावा एवं मांगरोल सब-डिविजन की विभिन्न ड्रेनेज की

(श्री हीरालाल आर्य)

सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने की की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. अयाना ब्रांच केनाल की लक्ष्मीपुरा, कजलिया, हरिपुरा आदि डिस्ट्रीब्यूटरीज की सफाई, खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

184. अयाना ब्रांच केनाल की लुहावद, विजनपुरा, कवल्दा, पीपल्दा, मीठोद, हरिपुरा आदि माइनर्स, की सफाई, खुदाई तथा मरम्मत नही होने से सिंचाई के लिए उत्पन्न बाधा पर चर्चा के लिये।

185. इटावा ब्रांच केनाल की विभिन्न नहरें कोलाना, खेडली, रामपुरा, हथोली, राजपुरा, बजूलिया, शेरगंज, फतेहपुर माइनर्स की सफाई खुदाई एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

186. इटावा ब्रांच केनाल, गैता, छापोल, मगैना, खातोली डिस्ट्रीब्यूटरीज की सफाई, मरम्मत एवं खुदाई किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग)

187. भरतपुर जिले के बांधों तथा नहरों की मरम्मत के अभाव में सिंचाई व्यवस्था बिगड़ जाने पर चर्चा के लिये।

188. अरौदा हन्तरा के बन्धों में 18 साल से पानी नहीं आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

189. गांव जनूथर के बांध में 20 सालों से पानी नहीं आने से उत्पन्न संकट को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. डीग क्षेत्र की नहरों की अनेक अधूरी पुलियाओं को पूरी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. डीग ऐस्केप में उत्तर प्रदेश से सही समय पर पानी छुड़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. बन्ध-बारेठा के सीपेज को रोकने तथा नहरों को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. भरतपुर फीडर में 12 महीनों पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. भरतपुर के जलप्लावन (इनन्डेशन) सिस्टम के लिए कोई प्रावधान नहीं होने एवं सिंचाई व्यवस्था समाप्त प्रायः होने पर चर्चा के लिये।

195. भरतपुर फीडर गुड़गांवा नहर में गंगा जमुना के पानी का राजस्थान का हिस्सा तय कर शीघ्र सिंचाई व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. गुड़गांवा नहर को पूरा करवाकर पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. गुडगांवा नहर सिंचाई परियोजना की सिंचाई करने वाली माइनरों को पूरा कराने पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

198. सिचाई उपखण्ड मोरेल का कार्यालय लालसोट विश्राम गृह से हटाकर मोरेल बंधे के विश्राम-गृह पर ही स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

199. त्रिनोरी सागर तथा दक्षिण सागर को मिलाकर और उनका आधुनिकीकरण कर किसानों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

200. मोरेल बांध की नहरों के रख रखाव का कार्य अधिशाषी अभियन्ता सवाई माधोपुर से लेकर अधिशाषी अभियन्ता जयपुर को स्थानान्तरित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

201. मोरेल बांध का प्रस्तावित आधुनिकीकरण को केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत करवाकर किसानों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

202. लालसोट तहसील से बहकर जाने वाले पानी को रोककर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

203. लालसोट में मायला कुआं के पास बांध बनाकर लालसोट सिंचाई से वंचित किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के सबंध में चर्चा के लिये ।

204. मोरेल बांध की भराव में आई जमीन का मुआवजा किसानों को नहीं मिलने से किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल)

205. माही डेम की भुगड़ा केनाल का बन्द पड़ा कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

206. भुगड़ा केनाल पर गांव माहिया में सर्वे कराने एवं नहर द्वारा ग्राम पंचायत खमेरा, खेरवा, रूपजी का खेड़ा के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

207. माही डेम की दांई मुख्य नहर पर हो रही सीपेज को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

208. दायीं मुख्य नहर की अन्तकालीया नहर का सर्वे करवाकर पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

209. माही डेम की कन्डाव माइनर की दुकवाड़ा नहर का कार्य तुरन्त प्रभाव से पुनः प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

210. गांव सूरजपुरा पंचायत सेमलिया तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में मजेड़िया पहाड़ी नाला का सर्वे करवाकर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

211. गांव वालगटी तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के बांध का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कराने के बारे में चर्चा के लिये ।

212. गांव जामली पंचायत घन्टाली जिला बांसवाड़ा में मोका टौंक स्थान पर

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

सर्वे करवाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. गांव देलवाड़ा पाग तरतई तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में सर्वे करवाकर लम्बागवरा स्थान पर बांध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. गांव घाटापाड़ा पंचायत बस्सी आड़ी तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में सर्वे करवाकर सिंचाई सुविधा मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. गांव सीदड़ी मऊडी पटवार मण्डल सेमलिया तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में मोयाखाल के मोका टोक स्थान पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. गांव डुगलावाणी पटवार मंडल जुगलावाड़ा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में चुराकुण्ड स्थान पर नाला का सर्वे करवाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

217. मुंगाणा से बोरिया सड़क की नहरों द्वारा हुई क्षति का पुनः निर्माण जाखम परियोजना धरियावाद उदयपुर द्वारा कराई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण लाल (लसाड़िया)

218. पंडावा वितरिका की सब माइनर सूराजी खेड़ा द्वारा सिंचाई हेतु पानी नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

219. माण्डफल मरड़ी खेड़ा का नला जहदा आदि गांवों के लिए माइनर निकाल कर जाखम परियोजना धरियावद, उदयपुर के किसानों को पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. बायीं मुख्य नहर जाखमा परियोजना को रेज करने एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. पारसोला वितरिका जाखम परियोजना धरियावद उदयपुर के गांव पारसोला, आड़ राती खांई धावडी टेक की माइनर निकाल कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गम्भीर लाल मीणा (सराड़ा)

222. देवपुरा धावड़िया मडवाड़ा सरसिया पिलादरवोवस गिगचीखेड़ा आदि गांवों को डाया बांध की रींइट केनाल निकाल कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर)

223. अधिक कृषि भूमि में सिंचाई हेतु जयसमन्द से निकाली गई नहरों की लम्बाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224. जयसमन्द नहरों की मरम्मत एवं सीपेज की रोकथाम शीघ्रातिशीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. डाल-सलूम्बर की अपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(124)

(श्री फूलचन्द मीणा)

226. जयसमन्द से लिफ्ट सिंचाई योजना आरम्भ कर सलूम्बर के गांव गावड़ा पाल, घाटी, ईशवरवास को पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. धावड़ी मठारी सलूम्बर सिंचाई योजना का निर्माण कार्य पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. खरका सलूम्बर बांध की अधूरी दांई बांई नहरों को पूरा कर किसानों को पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. सलूम्बर के सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड द्वारा सिल्ड क्लीयरेन्ज कार्यों में भयंकर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

230. सलूम्बर क्षेत्र के सोम कमला आम्बा परियोजना विस्थापित किसानों को डूंगरपुर के समान मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. लकाया सलूम्बर को जयसमन्द नहर से पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. अमलोदा, समोड़ा, परोडा आदि पिछड़े गांवों को सिंचाई विभाग द्वारा पूरी तरह से पानी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

233. विभाग द्वारा जयसमन्द की नहरों से सड़क काटकर पानी ले जाने से सड़कों की हो रही क्षति को रोकने हेतु अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

234. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के श्यामपुरा, खारली, देहलाला, दोपुर, कानोता आदि बांधों का निर्माण कार्य पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के तूंगा से हिम्मतपुरा जाने वाले पानी के नहर की खुदवाई कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. तहसील बस्सी रामरखपुरा (काशीपुरा) के बांध का निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

237. बीसलपुर परियोजना में हुई अनियमितता एवं जानबूझ कर निर्माण कार्य मे व्यवधान पैदा करने वालों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

238. बीसलपुर बांध के निर्माण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

239. बीसलपुर परियोजना में विस्थापितों के लिए विकसित कालोनियों का विभाग द्वारा निर्माण नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

240. बीसलपुर परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए ऋण की व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

241. बीसलपुर बांध में डूब में आने वाले व्यक्तियों को आवास हेतु जमीन उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

242. खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के झांझरी नामक अधूरे बांध को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. लोढ़दा बांध की नहरों की मरम्मत करवाने हेतु चर्चा के लिये।

244. गोदावरी बांध की नहरों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के विलख बांध को ऊंचा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

246. सिरोही जिले के अणगोर, चान्ता एवं ओडा बांध की नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. गत वर्ष टूटे कमेरी बांध की मरम्मत करवाने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर मुझे बड़ा अफसोस है कि इतनी बड़ी इम्पार्टेण्ट मांग जो सिंचाई की है, ऐसा लगता है हाउस को कोई इंट्रेस्ट नहीं है, माननीय सदस्यों को।

श्री उपाध्यक्ष : कहां ध्यान है लोगों का, आपको मालूम ही है।

श्री केदार नाथ शर्मा : मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि सिंचाई और उसके साथ आई.जी.एन.पी., उसके साथ कालोनाइजेशन और उसके साथ कमांड एरिया डवलपमेण्ट, यह चारों महकमों का आपस में बहुत बड़ा मेल है। बिना कोआर्डिनेशन के जो इम्पेक्ट चाहते हैं, वह नहीं हो पाता। जो रिजल्ट चाहते हैं वह रिजल्ट आते नहीं। यह काफी दिनों से इस सदन के अन्दर, मान्यवर, आपने भी उठाई। जो हमारे आज मुख्य मन्त्री हैं, जब विपक्ष में बैठते थे, काफी बड़े इम्फेटिकली इस मांग को दोहराया करते थे, यहां पर रखा करते थे कि इनका कोई न कोई कोआर्डिनेशन इवाल्व होना चाहिये ताकि इसके रिजल्ट हम अचीव कर पायें। आज भी दिक्कतें हैं। मैंने इरिगेशन है माननीय झाला साहब के पास, आई. जी. एन. पी. है हमारे माननीय भंवरलाल जी शर्मा के पास, कालोनाइजेशन जैसा मैं मानता हूं माननीय गंगारामजी के पास है और सी. ए. डी. का मुझे खयाल नहीं है, महकमा किसके पास है।

श्री भंवरलाल शर्मा (राज्य मन्त्री, सिंचित क्षेत्र विकास) : मेरे पास है।

श्री केदारनाथ शर्मा : आपके पास ही है क्या? शायद भाटीजी के पास हो। इसलिये कभी इन तीन चार मांगों के अन्दर आफिशियल्स की कोआर्डिनेशन कमेटी बना कर यह नहीं सोचा क्या प्राब्लेम्स एक दूसरे की होगी और कैसे इनका हम समाधान कर सकते हैं। कैसे बेटर रिजल्ट ला सकते हैं।

(श्री केदार नाथ शर्मा)

यह कोई कोआर्डिनेशन की मीटिंग नहीं हो पायी। मान्यवर, यहां मैं लम्बा भाषण नहीं देने आया। मैं मास्टर प्लान के बारे में बात करूं, कितना सरफेस वाटर है, कितना अण्डर ग्राउण्ड वाटर है, कितनी कुओं के पानी से हम सिंचाई करते हैं, कितनी बांध और तालाबों के पानी से करते हैं, यहां पर कुछ मसले हैं जो काफी क्लेश हुए हैं, जिन पर काफी डिस्कशन हो चुका है उनके बारे में ना तो राज्यपाल महोदय के भाषण में कुछ क्लियर मैन्शन हुआ, इन्टर स्टेट मसले हैं उनके बारे में, न बजट भाषण में भी जवाब में, और बजट स्पीच में भी कोई ऐसा मैन्शन नहीं था कि हमारे इंटर स्टेट मसलों के बारे में कोई हल निकल पाये आज तक। मान्यवर, मैं पहले निवेदन करना चाहता हूं कि तीन बार एग्रीमेण्ट हुए आज तक। एक तो 1981 का एग्रीमेण्ट है रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में। 1984 का एग्रीमेण्ट है हमारा जो रावी व्यास दोनों के पानी से जो बिजली के प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में राजस्थान के शेयर के बारे में, बहुत बड़ा मसला काफी लांग पैंडिंग है। 1985 में फिर हमारा पैक्ट इरिगेशन का लोंगोवाल से हुआ। और रावी व्यास के एडीशनल पानी में कितना शेयर हमारा हो, कितना पंजाब और हरियाणा का हो वह भी अभी तय नहीं हो पाया। उसके बाद काफी खर्च और काफी मेहनत के बाद इराडी कमीशन की रिकमण्डेशंस आयीं, उसे पंजाब और हरियाणा ने इन्कार कर दिया मानने से और हमारा शेयर पुराना जो उनमें इन्टेगल्ड था 8.8, जो इन स्टेशन्स के नीचे अतिरिक्त पानी निकलेगा उस पानी का बंटवारा हमें न होकर उन्होंने हरियाणा और पंजाब में बांट दिया दोनों में। हमने इसके बाद केन्द्र सरकार के पास रिप्रजेण्टेशन किया। इराडी कमीशन समाप्त हो गया, वाइण्ड अप हो गया, अब वह पानी किस स्थिति में है, कहां है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में राज्य सरकार चुप है। मान्यवर, वह इन्टर-सैक्शन कर रहे हैं मध्यप्रदेश, गांधी सागर एरिया में हमारे कैचमेण्ट एरिया में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। आज एक साल हो गया हमारी सरकार बने हुए। नर्मदा का अवार्ड आ गया 0.5 एम.ए.एफ. पानी हमको दे दिया गया उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या हमने स्कीम बनाई? केन्द्र से क्या डायरेक्शन मिले हैं, क्या स्टेट का फैसला हो गया है? ऐसे ही माही योजना का है। ऐसे अनेकों मसले अब भी हैं जो कि इन्टर स्टेट मसले हैं। हमारा उनमें हल अब भी नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हमारा तीन हैड वर्क्स से पानी आता है रावी व्यास, हरिके, रोपड़ और फिरोजपुर। 1981 के एग्रीमेण्ट में साफ लिखा हुआ है कि इनका जोइंट कंट्रोल है। हमारी अपनी सप्लाई इरेटिक है, इनसफिशिएंट है। मैं दोनों शब्द बड़ा सोचकर इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि फिजीकल कन्ट्रोल पंजाब का है। पंजाब की लाबी बड़ी मजबूत है मैं यहां कोई मोटिव इम्प्यूट करने नहीं आया। वहां अभी सरकार नहीं है, पिछले 2-3 साल से केन्द्र के हाथ में है और अब भी पंजाब में हमारी ओर से क्या मुख्य मन्त्री जी ने सी.एम्स. कांफ्रेंस में और नेशनल डवलपमेण्ट कौंसिल में या किसी और तरीके से जो नार्दर्न जोन्स की कमेटीज होती हैं उनमें हमारी ओर से क्या मूव किया और पंजाब का क्या जवाब आया इसके बारे

(श्री केदार नाथ शर्मा)

में कोई सन्तोषजनक जवाब हमारे सामने नहीं आया। मैं यह मान कर चलता हूं कि उस पानी में, उन डेम्स में हमारा पूरा हिस्सा है, हमने पैसा दे दिया। शेयर हमारा बिल्कुल तय है 55 और 81 के एग्रीमेण्ट से। कोई झगड़ा नहीं है। ज्यों ज्यों पानी बढ़ेगा, हमारा शेयर बढ़ता जायगा यह बिल्कुल तय है। मगर जब तक फिजीकल कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं आता, यह दिक्कत बढ़ेगी। अब भी पिछले दिनों में भाखरा डेम का वाटर लेवल हमारा 5–10 फीट के बीच में कम हो गया है और पोंग डेम में हमारा वाटर लेवल कम हो गया। हमारा जो भाखरा-व्यास मैनेजमेण्ट बोर्ड है उसके फैसले की बात पंजाब मानता नहीं और आपको मालूम है सारी बात का उनका एक ही कहना है कि पानी का लेवल इसलिए कम हो गया कि फ्लो मेग्नीट्यूड है। हम इसको कंट्रोल करेंगे क्योंकि कहीं बाढ़ न आ जाय। अब सैफ गाइस इस्तेमाल किये हैं ताकि बाढ़ न आ जाय। मगर अन्दरूनी उनकी मंशा यह थी कि उनके यहां पिछली बार जब फ्लड हुआ तो 1600 करोड़ का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा केन्द्र पैसा दे या राज्य सरकार पैसा दे। हमने तो केवल हमारी कैनाल में जो डेमेज हुआ, उसके दो करोड़ दे दिये बाकी तो केन्द्र जाने या पंजाब जाने। मन्शा उनकी यह थी इसलिए वह अब भी पार्टली कह रहे हैं। तीसरी बात मैं और कहना चाहता था कि आज माननीय झालाजी, माननीय मुख्य मन्त्री जी से बात करके ऐलान कीजिए कि आपने इन 4–6 महीने या एक साल में फिजीकल कंट्रोल हमारे हाथ में आये, साझा कंट्रोल हो तीनों डेम्स, तीनों वाटर वर्क्स के जो हैड वर्क्स हैं उसके बारे में क्या पत्र व्यवहार किया, क्या आपने कोशिश की ताकि हाउस के सामने पूरा स्पष्ट आ जाय इस बात का भी और हमें विश्वास हो जाय कि आपने अपने प्रयास किये।

दूसरी चीज, 1984 में एग्रीमेण्ट हुआ उसमें आपने काफी बातें कहीं। जब आप यहां बोलते थे कि हमारे पांचों प्रोजेक्ट, व्यास के इसमें दो प्रोजेक्ट हैं बिजली के और रावी में तीन हैं, पांच है टोटल, कुछ तो कमीशण्ड हो गये और कुछ होने जा रहे हैं, आज सैकड़ों मेगावाट बिजली हमें मिलती अगर हमारा शेयर तय हो जाता। उस पानी के यूटिलाइज करने में हमारा हिस्सा है। डेम बनाने में जब हमारा पैसा लग गया तो फिर बिजली में हमारा हिस्सा क्यों न हो। यह एग्रीमेण्ट 1984 में हुआ था उसमें तय हुआ था कि अगर स्टेट्स आपस में तय नहीं कर पाये तो हम सुप्रीम कोर्ट को रेफरेन्स कर दें और टर्म्स ऑफ रेफरेन्स भी तय की गयीं और सुप्रीम कोर्ट किसी जज को नियुक्त कर दे ताकि इसे तय कर दे। यह बिल्कुल टर्म्स ऑफ रेफरेन्स थी। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है तो केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की नियुक्त कर दे और इसका फैसला हो जाय। राज्य सरकार के जब मुख्य मन्त्रीजी विरोध पक्ष के नेता थे तो हमने एक दिन इन्टर स्टेट मसले को यहां पर उठाया था। खूब अच्छी बहस हुई। उसमें यह जवाब दिया गया था कि हमारी ओर से हमने बड़ी कोशिश की है कि हमारा शेयर तय हो जाय और शेयर नहीं मिल पाये तो क्या रेफरेन्स सुप्रीम कोर्ट की, केन्द्र सरकार की मार्फत

(श्री केदार नाथ शर्मा)

करवा पाये आप ? और सुप्रीम कोर्ट को मूव किया यह भी हमारे सामने पिक्चर बड़ी धूमिल है । हमारी स्टेट का, जैसे हम पहले कहा करते थे पूर्व सरकार हमारी इन्ट्रेस्ट को बिगड़ा कर गई, राजस्थान के इन्ट्रेस्ट के ऊपर अच्छी तरह बनवाने में फेल हो गई । यह यहां चार्ज लगाने से पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर आकर जवाब देंगे उसके बाद चार्ज लगाऊंगा कि आखिरी कोशिश, प्रयास किस स्टेज पर है, क्या इसका हल निकल सकता है । क्योंकि मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि आज तक इस बारे में कोई प्रयास नहीं किये गये । न तो राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र, न बजट स्पीच में इसका जिक्र और न रिप्लाई में इसका जिक्र । अब तक इसका कोई जिक्र नहीं ।

मान्यवर, यहां पर मध्यप्रदेश के बारे में काफी चर्चा चली थी कि जो गांधी सागर एरिया है जो कैचमेण्ट एरिया है उसके पीछे बांध बनाने से पूरा पानी आता नहीं और कुछ पानी बह कर आज भी नदी में चला जाता है । मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता । काफी नुकसान हमारा होता रहा । यह इन्टर सैक्शन काफी कांफ्रेंस होने के बाद भी अभी तक बांध नहीं हो पाया । इसे इन्टर सैक्शन कहूं या क्या कहूं जो वहां अवरोध है जिस ढंग से छोटे-छोटे बांध बना कर अपने खेतों में पानी इस्तेमाल करते हैं, यह एग्रीमेण्ट का वायलेशन है । इसके बारे में क्या किया, क्या आपने मुआवजा मांगा ?

अब मैं सीधे राजस्थान कैनाल पर आता हूं, मान्यवर, सबसे बड़ा जेजेंटिक यह प्रोजेक्ट है । हमारे इंजीनियर्स ने काफी काम भी किया । कुछ फेलियर्स, कुछ लैप्सेज हो सकते हैं । आम तौर पर इन्जीनियर्स ने बहुत बड़ा काम किया है । सैकण्ड स्टेज चल रही है । सैकण्ड स्टेज में दिक्कत क्या है, काफी पानी तो गांवों में ले आये, वितरिकाएं भी आ गई, वाटर कोर्सेज भी चल रहे हैं पर पानी को इस्तेमाल करने के लिए काश्तकार नहीं हैं अपने पास । जब तक कोलोनाइजेशन न हो, आप काश्तकारों की अपील नहीं करते और उन काश्तकारों को अलाट करने के लिए जो जमीन की टेक्नीक जानते हैं, कैसे खेती होती है उनको बहुत कम अलाटमेण्ट है, बहुत कम पानी इस्तेमाल किया । वहां पर सैकण्ड फेज में यह भी था कि कुछ जमीन चरागाह के लिए, सेवण घास के लिए और ट्री प्लाण्टेशन के लिए भी छोड़ी जायेगी । इस दृष्टि से हमारा काम बहुत कम हुआ । यह ठीक है, वहां दिक्कत बहुत है । लाईनिंग करते वक्त मिट्टी से वितरिकाएं भर जाती हैं यह मैं मानता हूं । टेरेन भी बहुत सख्त है, अन-इवन है, काफी दिक्कत आती हैं वहां इन्जीनियर्स को काम करने में, कंस्ट्रक्शन में, इस बात को मैं मानता हूं । कहीं ठेकेदार नहीं, कहीं मजदूर नहीं, कहीं साज-सामान पूरा नहीं मिलता, फिर भी काम हो रहा है । हमारे मन्त्री जी मेहनत भी कर रहे हैं, कई बार गये भी हैं और मुझे विश्वास है कि यह दिक्कतों का सामना कर लेंगे लेकिन पूरा पैसा मार्च तक यूटिलाइज कर पाएंगे यह तो आपके रिप्लाई से मालूम पड़ेगा ।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

यहां पर बजट स्पीच में कहा गया कि खालों की कीमत वसूल नहीं की, यह काफी नहीं है। हमने कमिटमेंट किया था कि खालों की कीमत हम माफ करेंगे। यह ठीक है कुछ पैसा केन्द्र से मांगा, नहीं दिया। कुछ पैसा हमें अपना देना था। अब वसूली आपने बन्द कर दी। मन्त्री जी यहां बैठे हैं। यह बैंक का पैसा है, नोटिसेज पर चल रहे हैं, वहां पर जो जमीन आप अपनी बेचना चाहते हैं मुझे, आपको पैसा भरना पड़ेगा तभी जमीन आप बेच पाओगे, सैल डीड तभी जाकर होता है जब खालों का पैसा भर दोगे आप। सैकण्ड स्टेज में आपने हमारी कीमत में खालों की कीमत जोड़ दी जैसे माही योजना में जोड़ दी। पंजाब और हरियाणा ने बिल्कुल इसको वाइप-आउट, माफ कर दिया। अब केन्द्र का वायदा होने के बाद भी, माननीय भजनलाल जी ने वायदा किया, मौजूदा उप प्रधान मन्त्रीजी ने भी वायदा किया, अब भी कर रहे हैं मगर अब तक पैसा नहीं आया। रिएम्बर्समेंट हो नहीं रहा, बैंकों के नोटिस जारी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी घोषणा करें बहुत अच्छा मौका है, खालों की कीमत हमेशा के लिए माफ कर दें क्योंकि सैकण्ड स्टेज में तो कोई मामला नहीं रहा, फर्स्ट स्टेज में जो भी है सस्पेंस का जो वातावरण है उसको दूर कर दें। यह ठीक है कि आज काफी कम्पलीशन के नजदीक है मगर जब तक बन्दी नहीं हुए फ़ीडर्स तब तक हम उनको रेगूलेटिव नहीं बना पाते। बहुत दिक्कत है। अक्टूबर से बंदी की मांग करते आ रहे हैं पंजाब से और अक्टूबर गया, नवम्बर गया, दिसम्बर गया, जनवरी गई, फरवरी गई, मार्च है, अभी तक पंजाब सरकार से बन्दी का आश्वासन नहीं मिल पाया। अब हमने तीन पम्पिंग स्टेशन बना लिये। तीन पम्पिंग स्टेशन और बना लिये, हमारा जो शिवपुर का एरिया है, उसका लेवल ऊंचा है, वहां लिफ्ट से पानी नहीं जा सकता। उसमें काफी पैसा लगेगा, काफी समय लगेगा, इसलिए हमारी सरकार अब तक, पंजाब का राज्यपाल जो हमारा है, केन्द्र का नामिनी है, उसको मना नहीं सके कि बंदियों के लिए मंजूरी दे दो। यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। इस बात को केवल आप सेन्टर पर छोड़ देते हैं। माननीय झाला साहब, आपको जाना चाहिये। माननीय मुख्य मन्त्रीजी वहां जायें। सेन्टर की जोइंट मीटिंग हो, वहां इनको फोर्स करेंगे आप कि हमें बन्दियों का आश्वासन दो। मगर अब बन्दी नहीं हुए, फिर बरसात का वक्त आ जायेगा और उसके बाद एक साल का पीरियड और निकल जायेगा।

मान्यवर, यहां पर 1981 में सिद्धमुख नहर के लिए हमारा एग्रीमेन्ट था। उसमें पानी 0.4 या 0.6 है, यह बिल्कुल रिजर्व है। 1981 से पानी का इस्तेमाल हरियाणा कर रहा है और 1981 में हमारा जो हिस्सा था 8.60 वह पानी पंजाब इस्तेमाल करता आ रहा है 1981 से और आज तक एग्रीमेन्ट में यह लिखा हुआ है कि जब राजस्थान सरकार अपना अल्टरनेटिव अरेन्जमेन्ट कर लेगी तब हम पानी रिलीज कर देंगे, पानी आपको दे देंगे। हमारे पास पानी की कमी है। हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी तैयार है। लिफ्ट इरिगेशन के लिए 1200

(श्री केदारनाथ शर्मा)

क्यूसेक पानी चाहिये। हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है पानी का इस्तेमाल करने के लिए मगर राजस्थान सरकार चुप है। उसके लिए उसने एक भी लैटर नहीं लिखा है कि 0.60 एम. ए एफ. पानी जो पंजाब इस्तेमाल कर रहा है बाई एग्रीमेंट, वह पानी हमको रिलीज कर दें, वापस कर दें ताकि हमें फायदा मिले। आप नहीं कर सकते और जो ठीक हरियाणा का पानी हमारा है, आपने पिछली बार वहां सिद्धमुख नहर स्टार्ट की, डेढ़ करोड़ रुपया दिया और शायद प्रोविजन है पांच करोड़ का, यह 140–145 करोड़ की है, 10 साल बाद बनेगी वह, आपने शुरू की आपने अच्छा किया शुरुआत तो की, इसलिए मैं आपकी मार्फत निवेदन करता हूं ये जो पानी हमारा है, बिजली के प्रोजेक्ट में हमारा जो शेयर है, जोइन्ट कन्ट्रोल है सारी रिवर्स का, ये मसले ऐसे हैं कि बिना माननीय मुख्य मन्त्री के जवाब से न मुझे सन्तोष होगा और न हाउस को सन्तोष और न इसका हल निकल पायेगा।

मान्यवर, यहां पर घग्घर डाईवर्शन चैनल हैं, उसकी केपेसिटी 8000 क्यूसेक की है। मगर दो तीन बाढ़ आई थी तो 25-30 हजार क्यूसेक पानी हो गया था। हम नहीं ले पाये। बहुत बड़ा फ्लड आया, लोगों का नुकसान हुआ उसका एक कारण यह भी है कि बेड है उस बेड पर आहिस्ता–आहिस्ता लोगों ने कब्जा कर लिया और जो ट्रेडिशनल बेड हमारा है वह बेड बहुत छोटा है। अब जून–जुलाई का वक्त आने वाला है, खुदा करे ऐसा फ्लड न आये, मगर सेफगार्ड के स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे। उन सारी इम्पेडिमेन्ट को दूर करो आप। घग्घर डाइवर्शन चैनल को आप रिपेयर कीजिये ताकि हम इस फ्लड से बच सकें और जो नुकसान हो रहा है उसका बचाव हो सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं करीब 17–18 डिप्रेशन हैं। माननीय मन्त्रीजी गये थे पिछली बार रंग महल पर और स्कीम का उद्घाटन किया। उसके अभी तक टेण्डर्स नहीं हो पाये हैं। दो माह का समय गुजर गया है लेकिन टेण्डर्स नहीं हो पाए हैं। आप वहां गये, पैसे अलाट किये गये तो दिक्कत किस बात की है और पानी यहां पर इतना है कि अगले 10 साल में यूटिलाइज कर पायेंगे अगर मौजूदा स्कीम है उसके लिहाज से। फिर भी इन्होंने शुरूआत की है। शुरूआत तो 1975 में हो गई थी लेकिन मेरा आपसे निवेदन करना है कि जो 10–15 साल से वहां डूब में आये हैं, सेम में आये हैं, नींव का नुकसान हुआ और मकान गिर गये, 1975–76 में हमने यह मामला लिया था जब जनता पार्टी की सरकार थी उसके बाद से मुआवजा का नाम नहीं लिया आपने। कोई मुआवजा नहीं। इसलिए अब भी जो डूब में हैं आप सोचते हो आप यह पानी एस्केप नहीं कर पाओगे, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। वहां पानी रहेगा और पानी आयेगा। अतः आपको मुआवजा देना चाहिये, मकान देने चाहिये ताकि आइन्दा यह न पड़े।

मान्यवर, मैं यहां आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके में कोई डेढ़–दो लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर आज भी हमेशा पानी रहता है। उस पर मनमानी भी चलती है, डिस्क्रिमीनेशन भी चलता है, उस पर फेयर

(श्री केदारनाथ शर्मा)

डीलिंग नहीं हो पाती है, बंगलिंग्ज भी होती है, मैं मानता हूं, इसलिए आपने रेगूलाइज कर दी, ऐलान कर दिया। लगातार 10 साल से पानी चलता आ रहा है, इरिगेटेड कमाण्ड एरिया है, पानी लगता आ रहा है, आज जो आदमी है उनको परमानेन्ट कर दीजिये आप।

मान्यवर, हमारे यहां वाटर एण्ड ड्रेनेज एक्ट बहुत पहले बन गया था। ओवर पेमेन्ट पड़ा है, उसका कब तक पेमेन्ट विन्ड-अप करोगे आप। बहुत से लोगों का ओवर ड्यू हैं। मैंने ये समस्याएं आपके सामने रखीं। बड़े इम्पार्टेन्ट मसले रखे आपके सामने और मैं सोचता हूं कि जो कालोनाइजेशन का काम है उसे, जब तक जो कमाण्ड एरिया है, वहां लोगों को काश्तकारी हेतु जमीन के अलाटमेंट का काम पूरा नहीं करेंगे, विशेषकर जैसलमेर और बाड़मेर में जो इलाका ऐसा है जहां पर न तो रिकार्ड है इस बारे में, मेरे वक्त में हमने यह फैसला किया था कि हम कैम्प्स लगायेंगे, एफीडेविट लेंगे, और मौके पर ही जमीन अलाट कर देंगे, पैसे ले लेंगे, और यही तरीका, माननीय गंगाराम जी, आप अपनाइये तब ही हल निकल पायेगा। अगर कालोनाइजेशन में आप लेक करते हैं, अगर कालोनाइजेशन नहीं कर पाये तो इस पानी का यूटिलाइजेशन हो नहीं पायेगा चाहे कितनी ही कोशिश कर लीजिये।

यहां पर, माननीय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान का मास्टर प्लान बनने के बाद प्लान में तो आपने कुछ किया मगर आई. जी. एन. पी. में जो पैसा दिया है आपने, कुछ तो बोर्डर इम्प्रूवमेन्ट के नाम से आता है, कुछ तो कुछ आपने दिया है, कुछ और मिल जायेगा। आप सोचिये कि यह कब कम्प्लीट हो जायेगी। कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एलोकेशन भी आपका बढ़ता जा रहा है और काम में दिक्कत आ रही है, 10 साल और लेगी यह आई. जी. एन. पी. कम्प्लीट होने में। कितना नुकसान होगा ? अतः अगर आप इसे 2—3 साल में पूरी कर दें तो जो डेजर्ट है, जो फेमिन से नुकसान होता है, वह आफ सेट हो जायेगा और पशुधन जो पिछले साल 5 करोड़ था उसमें से एक करोड़ नष्ट हो गया, अतः इसके कम्प्लीट होने से आपको टैक्सेज मिले, लोगों की आमदनी बढ़ जायेगी, कुछ मण्डियां बन जायें और यह इलाका आबाद हो जाय। माननीय मुख्य मन्त्रीजी जब यहां बैठते थे तब हम लोग सारे एक आवाज में बोला करते थे कि यह नेशनल प्रोजेक्ट बन जाय, सेन्टर अपने हाथ में ले ले और सेन्टर इसको फाइनेन्स करे और ज्यादा मैन पावर हम लगायें, ज्यादा इंजीनियर्स लगायें और इसको एक वार-फुटिंग पर पूरा करें ताकि राजस्थान की बेरोज़गारी और भूखमरी मिट जाय। यह हमारा कमिटमेन्ट था और हम भाषण दिया करते थे। उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। अब माननीय भंवरलाल जी को महकमा दे दिया और ये घूमते-फिरते भी बहुत हैं लेकिन जब तक एक्शन प्लान बनाकर वार फुटिंग में काम नहीं करोगे, तो आई. जी. एन. पी. का काम आइन्दा 2-3 साल में पूरा नहीं कर पाओगे।

माननीय, लिफ्ट इरिगेशन के संदर्भ में भी हमारा आफ हार्टेड अप्रोच है। बारह सौ क्यूसेक पानी है और लिफ्ट इरिगेशन

(श्री केदारनाथ शर्मा)

की जाय तो पानी पीने की भी दिक्कत मिट जायेगी और सिंचाई भी हो जायेगी। यह सारा एरिया गौ-पालकों का है, भेड़-बकरियों का है। अतः माननीय, मुख्य मन्त्रीजी, को-ग्रोडिनेशन कमेटी में बैठ करके इसके लिए ज्यादा फण्ड अलोकेट करें और ज्यादा इस पर अटेंशन दें ताकि यह काम द्रुत गति से पूरा हो जाय।

माननीय, राजस्थान सरकार के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। पंजाब की हालत ठीक नहीं है। बार-बार उनके द्वारा वार्निंग देना और पानी का ढंग से इस्तेमाल नहीं करने देना। आपको, मान्यवर, याद है कि गंग कैनाल का एक हिस्सा काट दिया गया था तथा अपनी ओर एक कैनाल निकाल ली थी और 20 से 30 फीट पानी वहां पर था जब पूर्व राष्ट्रपति वहां मुख्य मन्त्री थे, जब भी उन्होंने हमारे खिलाफ एक्शन लिया तब हम उनके मुकाबले में कोई स्टेप नहीं उठा पाये इसलिए उनकी मनमानी चलती आ रही है चाहे पानी के बटवारे का सवाल हो, फिजीकल कन्ट्रोल का सवाल हो, इन सारी बातों का अब भी हमें बहुत खतरा है। तो, मान्यवर, मैं सोचता हूं कि राजस्थान कैनाल जो बोर्डर के साथ जाती है और मैंने इन्टर स्टेट मसले उठाये हैं, इसके साथ-साथ बरसाती तालाबों की मरम्मत करना, और भी इरिगेशन स्कीम्स हैं, उनको लागू करना, सेन्टर में पैंडिंग पड़ी स्कीम्स को पुश अप करना, ये सारे मसले आपके सामने हैं। आज इन्टर स्टेट मसले जो उठाये हैं उनका जवाब मिल जायेगा, इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है और सिंचाई तथा कृषि का संबंध है। आजादी के 45 वर्ष में जिस प्रकार का सिंचाई का विकास हमारे राज्य में होना चाहिये उस गति से विकास नहीं होने के कारण से राजस्थान का आधे से ज्यादा भू-भाग असिंचित क्षेत्र है। यहां लोगों का मुख्य धन्धा जीवनयापन का कृषि कार्य है और कृषि कार्य केवल बरसात पर निर्भर रह करके हम लोगों में सम्पन्नता लाना चाहते हैं, हम लोगों का आर्थिक विकास करना चाहते हैं यह कतई सम्भव नहीं होगा। मेरा तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह विचार है कि हमने स्कूलें भी खूब खोल दीं, शफाखाने भी खूब खोल दिये, सड़कें भी बन रही हैं, चारों तरफ विकास के मद में जितना भी खर्च हुआ है वह खर्च होता रहेगा। अगर एक साल का बजट इस राजस्थान के सिंचाई के कार्यों पर, अच्छा अनुसंधान और सर्वे करके दे दिया जाय और इस प्रान्त को खुशहाल और खेतों को हराभरा बनाने और उपजाऊ करने का मानस बना लें तो 45 साल तक हमारे राज्य में जो सूखा है उससे हम निपट सकते हैं। हमारे प्रान्त में किसी न किसी हिस्से में 2 साल या 3 साल बाद अकाल पड़ता रहता है और अकाल पड़ने के बाद वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं रहता है। कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां पर बड़ी-बड़ी नदियां बहती हैं। जैसे माही है। माही पर डेम बनने से बांसवाड़ा बहुत हरा-भरा हो गया। कोटा में बांध बनने से कोटा और बून्दी एरिया में बहुत हरा-भरा हो गया। दूसरे

(श्री हीरासिंह चौहान)

एरिया में गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर के आस पास इन्दिरा गांधी नहर निकली है उससे उसका कुछ हिस्सा कृषि योग्य हो गया, हरियाली और खेती होने योग्य हो गया। इसी प्रकार जयपुर है, सवाईमाधोपुर है, अलवर है, भरतपुर है, इन हिस्सों में भी सिंचाई के अच्छे साधन हो गये हैं। पिछले कई वर्षों तक उदयपुर सम्भाग के मुख्य मन्त्री रहे, जैसे भीलवाड़ा, उदयपुर, इन क्षेत्रों में कई तो बांध बना दिये और नहरें निकाल दीं। लेकिन आज के दिन पाली, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर और अजमेर हिस्से के किसानों की दयनीय और गरीबी की स्थिति है। वे आज कृषि कार्यों को छोड़-छोड़ कर मजदूरी के लिए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बरसात पर निर्भर रह कर हमारे किसान अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर सकते। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, माननीय सिंचाई मन्त्री जी से और राज्य सरकार से यह अपील करना चाहता हूं, यह मेरा एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न है जिस पर बड़ी गम्भीरता और चिन्तन और मनन करना चाहिये और मनन करके इस प्राब्लम को, इस कठिनाई को साल्व करना चाहिये। हमारे खेत सूखे पड़े हैं और हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो। तो वह विकास किसी तरह से नहीं हो सकता है। पिछले 40 साल की पिछली सरकारों ने सिंचाई की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। पिछले दो साल से हमारी जब सरकार आयी है तो इस सिंचाई की तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है। पिछले वर्ष के बजट में....(व्यवधान) बजट में निश्चित तौर से दिया जा रहा है। 40 साल तक अगर आपने ढंग से काम किया होता तो राजस्थान का यह नक्शा नहीं रहता।....(व्यवधान) मैं बता रहा हूं। पिछले वर्ष के बजट में 142.73 करोड़ रुपये रखे गये और इस साल उसको बढ़ा करके 238.87 करोड़ रुपये किये गये हैं।....

एक माननीय सदस्य : खर्च तो किया ही नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : खर्च सब हो जायेगा।..(व्यवधान) उसमें से बचा है, आपने देखा है क्या, आपने समीक्षा की है कि कितना धन बचा है, कितना नहीं बचा है? पहले आप सिंचाई मन्त्री से मिल करके कितना बचा है कितना नहीं समीक्षा करें।....(व्यवधान) मैं आरोप लगाता हूं कांग्रेस सरकार पर, 40 सालों में कभी भी राजस्थान के किसानों की खुशहाली के लिए नहीं सोचा। क्या कारण है 40 साल तक विकास नहीं कर पाये। 1985 के पहले इन्दिरा गांधी कैनाल का मोहनगढ़ के पास आपके भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने उद्घाटन किया। गत वर्ष मेरा भी वहां जाना हुआ था, मैंने भी देखा कि इन्दिरा नहर से पानी बह रहा है लेकिन पांच सालों से उसको किसी प्रकार की जमीन अलाट करना, उस पानी का उपयोग में लेना कभी भी आप लोगों ने नहीं सोचा। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं नहर मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी को, इस साल इन्होंने स्पेशल अलाटमेण्ट के जरिये अप्लीकेशन्स मांग ली हैं। हालांकि कुछ लोगों का एतराज हुआ,

(श्री हीरासिंह चौहान)

एतराज होने के कारण से उसकी जांच हो रही है । तत्काल उस पानी का उपयोग किया जायेगा और उपयोग करके उससे पैदावार ली जायेगी । एक तरफ अभी माननीय प्रोफेसर केदार साहब बोल रहे थे कि किस प्रकार हम पंजाब सरकार से अन्य सरकारों से पानी के उपयोग के लिए बार बार मीटिंग करते हैं, कमेटी करते हैं लेकिन हम बराबर उपयोग नहीं कर पा रहे है मौजूदा पानी का, और कुछ पानी शेष रह जाता है । इसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उसका तत्काल उपयोग किया जाय, जो वेस्टेज हो रहा है उसका तत्काल उपयोग किया जाय और किसानों को अलाट किया जाय और अलाट करने से वहां पर लाखों मन पैदावार ली जा सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी तरफ सरकार तत्काल कार्यवाही करे इस पानी का उपयोग किया जाए जिससे राजस्थान के उस भू-भाग में, जहां पानी नहीं था और जहां पर जमीन सूखी पड़ी रहती थी, वहां उसका उपयोग हो सके । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी कहावत है "जल है जहां जगदीश है", "जहां पानी है वहां भगवान रहता है" । इस देश के बहुत सारे प्रान्त हैं जहां पर हरियाली रहती है लेकिन हमारा राजस्थान सूखे की चपेट में रहता है । मैंने इस साल के बजट को देखा है, बजट को देखने से मालूम होता है कि इन्दिरा गांधी कैनाल के ऊपर 48 करोड़ रुपये, माही परियोजना पर 23 करोड़ रुपये, बीसलपुर पर 10 करोड़ रुपये रखे हैं, कुल मिलाकर 81 करोड़ रुपये होते हैं उसके बाद में जो चालू परियोजनाएं हैं, लघु परियोजना सिंचाई की है । इसी प्रकार सिंचाई विभाग ने जिन योजनाओं को हाथ में लिया है उसमें 84 करोड़ रुपया है और दूसरी जो सिंचित क्षेत्र विकास है उसमें 62 करोड़ है । कुल मिलाकर इन्होंने 228 करोड़ रुपये इन परियोजनाओं पर खर्च बताया है, इन स्कीमों पर खर्च बताया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर छोटे छोटे एनीटक बनाये जायं और एनीटक बनने से वहां पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है और व्यर्थ में पानी बह जाता है और उस पानी के बहाव के साथ में आसपास के कुओं में जल स्तर बढ़ता है और 2-3 साल अकाल भी पड़ता है तो इन अकाल के वर्षों में उस एनीटक से सिंचाई नहीं होती है केवल पानी भरा रहता है. पानी के भराव होने से आस पास मीलों तक जो जमीन रहती है वहां नीचे भूमिगत जल हो जाता है और किसान कुएं खोद कर उसको उपयोग में ले सकते हैं । इसलिए माननीय सिंचाई मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन एनीकटों के पुन-निर्माण के लिए, पहाड़ी क्षेत्र है, इनके निर्माण के लिए बजट में 2-3 करोड़ की तत्काल व्यवस्था कीजिये और व्यवस्था करके अगर हमें खुशहाली लानी है, पिछड़े एरिया में जहां पर पानी की कमी है तो यह व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है । मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं, यह बड़ी खुशी की बात है कि इतने साल तक पुराने बांधों के रख रखाव या उनकी सुरक्षा में कितनी टूट-फूट हुई है, पहले कोई बजट का प्रोविजन नहीं था और बजट का प्रोविजन नहीं होने से

(श्री हीरासिंह चौहान)

अतिवृष्टि के समय या ज्यादा बरसात आ जाय किसी एरिया में तो नुकसान हो सकता है, कई एनीकट कहीं से टूट गये हैं, कहीं नाले टूट गये हैं, कहीं थोड़ा कुछ नुकसान हो गया कहीं पर रपट का थोड़ा नुकसान हो गया उसके लिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस साल अच्छी व्यवस्था की है, दो करोड़ की व्यवस्था करके इसके लिए अलग से प्रोजेक्ट बनाया है। उसके तहत जितने भी बांध बने हैं....

एक माननीय सदस्य : इससे कुछ नहीं होगा।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं निवेदन करना चाहता हूं वैसे तो बहुत सारी मदो में बहुत सारा पैसा चाहिए लेकिन राज्य की जितनी वित्तीय स्थिति होती है उसके अनुसार खर्चा करना पड़ता है। फिर मैंने तो निवेदन किया है कि आने वाले एक वर्ष को सिंचाई का ही वर्ष क्यों न मान लें अन्य योजनाएं क्यों न बंद कर दी जायं ताकि हमारी आर्थिक हालत सुधरे। बेरोजगार लड़कों को कोई काम नहीं है। पर जब हमारे पास एक काम है जिसके तहत हजारों लोगों को काम दिया जा सकता है और हजारों लोगों को काम देने के लिए हमारे पास कृषि भूमि है और उसमें उत्पादन किया जा सकता है और लाखों लोगों को खपाया जा सकता है। इसलिए मेरा तो सरकार से निवेदन था कि एक वर्ष का पूरा बजट क्यों न इसमें दे दिया जाय। दूसरी योजनाएं एक वर्ष तक रोक दी जायं तो कोई आकाश पाताल नहीं फट जायेगा। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है लेकिन सूखी धरती में पानी देना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है और मैं तो यही कह रहा हूं कि इस तरह भी हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है। सारे सदस्यगण बैठे हैं, सरकार से निवेदन करना चाहिए कि एक बहुत वास्तविक और उचित समस्या का निराकरण करना चाहिए।

पिछले वर्षों में हमारे राजस्थान के बहुत सारे भू-भाग को डार्क जोन घोषित कर दिया। इससे बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं, कुओं को गहरा करने के लिए बैंकों द्वारा मदद दी जाती है। हमारे पाली जिले में भी पिछले चार सालों से एक बार 1987 में अकाल में कुवे खोदने के लिए राज्य सरकार ने इस प्रकार का प्रोविजन बनाया था उसके अन्तर्गत कुएं खोदे गये थे। तो हमारे एरिया में भू-जल विभाग वाले कहते हैं कि डार्क जोन के कारण आपको कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है। उसका हम ने वापस सर्वे कराया। मैं उस कमेटी का मेम्बर था उस समय भू-जल विभाग के चीफ इंजीनियर को बुलाया और उनको बुलाकर क्रास क्वेश्चन किये कि डार्क जोन है क्या। उन्होंने डार्क जोन का अर्थ जो बताया उससे हम सहमत नहीं थे। उसी कारण अब सरकार ने इस वर्ष भारत सरकार को वापस लिखा है कि हमारे एरिया में पानी अच्छा हो गया है इसलिए डार्क जोन बिल्कुल हटाया जाय। इसके लिए हमारी सरकार ने प्रयत्न किये और बहुत जल्दी आने वाले 15-20 दिन में डार्क जोन हटने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य जातियों के लोगों को 15 हजार तक कुएं खोदने के लिए व्यवस्था की है जिन कुओं को खोदने में डार्क जोन के

(श्री हीरासिंह चौहान)

कारण बाधा आ रही थी वह दूर हो जायेगी और सिंचाई का एक साधन जो कुवे हैं उससे सिंचाई हो सकेगी।

मेरा माननीय भू-जल मन्त्रीजी और सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन है कि इसके लिए भारत सरकार से तत्काल लिखा पढ़ी करें और तत्काल इस प्रकार के आदेश प्राप्त करें। क्योंकि इस समय गर्मी की ऋतु शुरू हो गयी है और यह उपयुक्त समय है। इस रबी की फसल के बाद जो हमारे मजदूर हैं, श्रमिक हैं, काश्तकार हैं वह खाली रहते हैं। इसलिए यह उपयुक्त समय होता है जब कुआं गहरा खोदने या नये कुएं खोदने के लिए काम शुरू किया जाता है। वर्षा ऋतु में यह समय नहीं होता है और सर्दी की ऋतु में भी यह काम अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता है। यह प्रापर टइम है। मार्च के बाद का समय नएं कुवे खोदने और गहरे करने का उपयुक्त समय है। कुछ पानी भी गहरा चला जाता है जिससे इस समय किसान जितना भी पानी भरा होता है उसको किसी न किसी प्रकार निकाल देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें भी तत्काल व्यवस्था की जाय ताकि हमारे किसान कुए खोद सकें।

मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं आपकी जो प्रगति रिपोर्ट है उसको मैंने देखा है और उसमें सिंचाई योजनायें और सर्वेक्षण करने के लिए एवं अनुसंधान परीक्षण करने के लिए चार पांच कार्यालय इस राज्य में फैले हुए हैं। एक बार 1987 में माननीय कमलाजी सिंचाई मंत्री थी उस समय हम सब को लैटर लिखा गया कि आप कौन-सी योजनाओं का सर्वे कराना चाहते हैं। मैंने भी पांच सात लघु सिंचाई योजनाओं के लिए नाम भेजे थे। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है यह जो मूल्यांकन और सर्वेक्षण विभाग है यह किसी प्रकार का काम नहीं करता है, केवल दफतर में बैठा रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है इन से प्रगति लीजिये। कहां-कहां कितना सर्वेक्षण हुआ, कहां-कहां पर उपयुक्त है। अधिकारियों का एक मात्र ध्यान जाता है, बीसलपुर पर, माही पर, इंदिरा गांधी नहर पर। मेरे क्षेत्र में गजनेई बांध है। यह 1982 में टूटा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1982 में 30 लाख मंजूर कर दिये गये इसको वापस बनाने के लिए पर आपको सुनकर ताज्जुब होगा 1989 तक, सात वर्ष तक सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने केवल एक जांच के लिए कि बांध क्यों टूटा सात साल तक उस जांच को चलाया और उसकी आउट लेट डिजाइन नहीं बनायी। पिछले पांच वर्ष से मैं हर बार सवाल उठाता रहा हूं और पूर्व मंत्री श्री माधव सिंह दीवान का आधा क्षेत्र आता है, वह मन्त्री रहते हुए भी, सारी ताकत लगाते हुए भी इसको नहीं करा सके। लेकिन इस साल खुशी की बात है कि परियोजना पूरी बन गयी है और किस प्रकार का बांध बनना चाहिए, मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही लघु सिंचाई परियोजना है जिसकी अनुमानित लागत 1 करोड़ 40 लाख बताई है, यह सिंचाई विभाग के अधिकारियों की गलती ही कहूंगा, वें इस फाइल को कहां से स्वीकृति होनी चाहिए, यह तय नहीं कर सके। मैंने प्रयास करके विशिष्ट योजना सगठन को भेजा तो उन्होंने कहा हम तो

(श्री हीरासिंह चौहान)

पांच लाख से ऊपर बजट नहीं दे सकते हैं। हमारे पास भारत सरकार की ऐसी गाइड लाइन्स हैं। मैं माननीय सिचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा इस गजनेई बांध के बनने से आठ-दस गांव की हजारों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकेगी अन्यथा आज सूखी पड़ी हुई है। इस बांध को बनाने के लिए मेरा स्पेशल निवेदन है कि आने वाले महीनों में ही इसकी स्वीकृति की जाय ताकि बांध आरम्भ हो जाय। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले अकाल के वर्ष में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मेरे एरिया की समस्या है, मैं निवेदन करना चाहूंगा पिछले अकाल वर्ष में 1987-88 में मेरे एरिया में अकाल राहत में बहुत से अधूरे काम हुए। तीन साल हो गये, सरकार के साथ, मंत्री के साथ और अन्य जो सिचाई के अधिकारी हैं उनसे लगातार मेरा सम्पर्क है। इसके बावजूद बहुत अच्छे छोटे-छोटे एनीकट बने हुए हैं लेकिन आज दिन तक पूरे नहीं कराये जा रहे हैं। मुझे पिछले दिनों में सिचाई मन्त्री जी ने निर्देश दिया कि आप तो मरु विकास कमिश्नर से लिखा-पढ़ी करो। मैं मरु विकास कमिश्नर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्काल उस पर कार्यवाही करके प्रोजेक्ट डायरेक्टर पाली और एक्स. ई.एन. पाली को लिखा लेकिन किस स्थिति में हैं। आज भी नहीं कह सकता हूं कि इसकी स्वीकृति होगी या नहीं होगी। यह छोटे-छोटे एनीकट में आता है जिस पर लाखों रुपया पहले खर्च हो चुका है इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि छोटे-छोटे एनीकट्स हैं, आलरेडी पहले से लिस्टेड हैं, उनको पूर्ण करने की कोशिश की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हीरासिंह चौहान : बहुत संक्षेप में, दो लाइन में।

रायपुर तहसील सांचौर में रायपुर बांध, झिलमिल बांध, गिरनदी बांध और इसी प्रकार के छोटे-छोटे आठ-दस बांध आये हुए हैं लेकिन हमारे ए. ई.एन. का आफिस जैतारण में है, जबकि जैतारण में केवल एक कुड़की बांध के अलावा कोई बांध नहीं है। आफिस रायपुर बांध से चालीस किलोमीटर नीचे चल रहा है। जबकि वर्षा ऋतु में पूरा सिचाई विभाग कहीं बांध टूट नहीं जाय इसकी निगाह रखता है। पाली से अधीक्षण अभियंता तीन चार महीने पहले रिपोर्ट दे चुका है कि इसका आफिस बर या रायपुर किया जाय जो मैन सड़क पर है, यह बर जैतारण और रायपुर के बीच में है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बांध के रख-रखाव के लिए एक्स. ई. एन. आफिस होता है। बर दोनों तहसीलों के नजदीक है इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसी आपके अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है और मेरी रिपोर्ट है उस पर विश्वास करके और सर्वे करा लें और इस आफिस को बीच में लायें ताकि इस जैतारण आफिस का उपयोग हो सके। अन्त में मेरा निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : हर बार "अन्त में" बोलते हैं आप।

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो, उपाध्यक्ष महोदय, बोलने लगते हैं कि पांच मिनट में घंटी लग जाती है। अब घण्टी और आपके साथ वार्तालाप में बोलने का क्रम है वह और टूट जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : इसलिए मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं थोड़ा बोलने दीजिए। एक गम्भीर विषय के ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : बोल लो, काम तो कुछ होगा नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करेगी तो यही सरकार करेगी आपकी तो सरकार वापस आने वाली नहीं है। आज कह रहा हूं आपको आने वाले पांच वर्ष तो आने नहीं देंगे। आप कितनी ही खुशियां मनायें कि दिल्ली की सरकार गिर गई लेकिन आप नहीं आ सकेंगे। आज दावे के साथ कहता हूं हम लोग भी लोगों में रहते हैं, लोगों की भावनायें जानते हैं, लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं सारा हमें भी ध्यान है और आप क्या कह कर के वोट मांगेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम स्थायी सरकार देंगे। केवल यही है और दूसरे सरकार नहीं दे रहे हैं। हम मांगेंगे. अब के लोगों को यह कहेंगे भाजपा को पहली बार राष्ट्रीय सरकार बनाने का मौका दो और भाजपा केन्द्र में सरकार बनायेगी और आप ताकते रह जायेंगे। हम पहली बार मांगेंगे, हमारी राष्ट्रीय पार्टी, हमारे पास मुद्दे हैं धारा 370 को आप नहीं हटा सके, किसके लिए रखी है ?

इसलिए आप तो बैठे रहिये। कई साल तक खामोश रखेंगे। समय भी आ गया है, कोई ज्यादा दिन नहीं हैं। आप भी तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हैं। राष्ट्रीय मुद्दे पर होगा झगड़ा। छोटी-मोटी बात नहीं है। यह दिल्ली वाली सरकार बनानी है। चाहे कांग्रेस बनावे, हम बनावें, जनता किसको पसंद करती है देखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये यह काहे बहस कर रहे हो ?

श्री हीरासिंह चौहान : यह सारा जनता पर डिपेण्ड करता है।

अन्त में मेरा, माननीय उपाध्यक्षजी, निवेदन है कि सिंचाई की तरफ सरकार विशेष ध्यान दे और जो-जो विशेष सुविधा इस बजट में की गई है उसके लिये मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद और राजस्थान की जनता की ओर से बधाई देता हूं। साथ ही यह निवेदन भी करता हूं कि बजट में इस मद में बहुत ज्यादा राशि रखी जाय ताकि यह जो हमारे काम अधूरे हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, अन्तर्राज्यीय एग्रीमेण्ट पूरे नहीं हो रहे हैं, वे पूरे हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रो. सांवरलाल।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान एक विकासशील राष्ट्र है। विकासशील राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और कृषि के

(श्री सांवर लाल)

लिये सिंचाई परम आवश्यक है। हिन्दुस्तान की कृषि को जुआ कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस देश में सिंचाई के साधनों की ओर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। इसकी वजह से कृषि की उपज और राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा प्रभावित होता रहा। मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान में राजस्थान की स्थिति विचित्र है और राजस्थान में सभी जिलों में सिंचाई के भिन्न-भिन्न साधन काम में लाये जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में बांधों, तालाबों और एनीकटस के माध्यम से सिंचाई होती हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : हमारा नम्बर नहीं आ रहा। एक ही दल के दो-दो आ रहे हैं। मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं, आज की तारीख में हमें बोलने भी दिया जायेगा या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों नहीं बोलने दिया जायेगा?

श्री रामनारायण वर्मा : दो आदमी एक ही पार्टी के। निवेदन कर रहे हैं हम तो। आसन से व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, अगली बार आपको बुलवा देंगे।

श्री रामकरण सिंह : पाइण्ट ऑफ आर्डर, सर।

यह जो डिमाण्ड दी गई, उस डिमाण्ड को देने से क्या सेंस है जब हमें टाइम ही नहीं दिया जा रहा?

श्री उपाध्यक्ष : आपने टाइम मांगा ही कहां है?

श्री रामकरण सिंह : मांगा क्या है? डिमाण्ड गई हुई है। ऐसी परम्परा रही है। जब मेरा नाम पहले नम्बर पर है तो मांगने वाली बात कौन-सी आती है? आपने कौन-सी ऐसी व्यवस्था कर दी?

श्री उपाध्यक्ष : मूव मान लिया गया, आपके कटौती प्रस्ताव को। लेकिन सब पर बुलवाना सम्भव नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : लेकिन जो मैंने पहले दिया है तो उस पर....

श्री उपाध्यक्ष : आप लिखकर दीजिये।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, लिखकर नहीं दिया तो क्या हाउस के लिये नई बात है क्या? अब तक की परम्परा यह रही है कि डिमाण्ड मैंने दे दो....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : और देने के बाद में इस तरह से यह मनमानी नहीं होनी चाहिये। यह सुप्रीम बाडी है और यही कारण है कि आज माननीय अध्यक्षजी और आपको बारबार सरकार को कहना पड़ता है। सरकार ने पोल देख रखी है कि ठीक है, इनके अपने हिसाब के ही विचार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हो?

श्री रामकरण सिंह : हां, मैं बोलना चाहता हूं। मैंने कट मोशन दिया हैं। मेरा पहले नम्बर पर है बोलने में, और मैं तो सब्र किये बैठा हूं। लेकिन यह व्यवस्था उचित नहीं है।

(140)

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा सब्र और कर लें।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सभी जगह अलग-अलग सिंचाई के साधन काम में लिये जाते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कुओं-ट्यूबवैलों से सिंचाई होती है। इस वर्ष राजस्थान सरकार ने अपने बजट में सिंचाई के लिये 232.57 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, जो गत वर्ष की तुलना में कुछ अधिक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सभी प्रावधानों से इस वर्ष लगभग 58 हजार हैक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसा अनुमान है। इसमें 38 हजार इंदिरा गांधी क्षेत्र में, दो हजार माही क्षेत्र में और 20 हजार अन्य जो सभी क्षेत्र आ जायेंगे सभी स्रोतों से। उसके माध्यम से वृद्धि होगी। तो मेरा निवेदन है कि कृषि प्रमुख है। इसके ऊपर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। कई वर्षों से जो एनीकट्स अधूरे पड़े हुए हैं, जो तालाब अधूरे पड़े हुए हैं, उन तालाबों के ऊपर समुचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। प्रायः देखने में यह आता है कि कई बार जहां पर आवश्यकता नहीं है, वहां पर पैसा खर्चा किया जाता है। जहां जरूरत है, वहां पर धनराशि व्यय नहीं की जाती है। अभी मैं दिन में ही चर्चा कर रहा था और सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कहा था कि राशि होगी तो ध्यान दिया जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि जहां 10 रुपये से काम चल जाता है वहां पर अगर सरकार 100 रुपया खर्चा करके अपव्यय करना चाहती है तो यह सरकार की मंशा हो सकती है। मेरा निवेदन यह है कि जो तालाब टूट जाते हैं, जो बहुत कम राशि के अन्दर ठीक हो सकते हैं अगर उसमें जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से सरकार ध्यान नहीं देगी तो निश्चित रूप से नये जो प्रोजेक्ट बनाये जाते हैं, उनका मैं महत्व नहीं समझता हूं। इस साल गड़ायत क्षेत्र के अन्दर लगभग 80 तालाब टूटे हैं और उनकी आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक गंभीर मामला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये क्योंकि टूटे-फूटे कम पैसे में ठीक हो जायेंगे और किसानों की स्थिति भी सुधर जायेगी और बहता हुआ पानी भी रुक जायेगा। तो मैं आशा करता हूं कि इसके ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे।

सिंचाई के साधनों से जो जुड़ी हुई बात है, वह ऊर्जा है। जहां कुओं के माध्यम से सिंचाई होती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुओं में भी जहां पानी है, भिन्न-भिन्न जगहों पर भिन्न-भिन्न साधन हैं। हमारे अजमेर जिले की स्थिति विचित्र है। वहां पर 2-3 घंटे मोटर चलती है। इस साल से सरकार ने वहां फ्लेट रेट लागू किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर फ्लैट रेट से पड़ते नहीं खाता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका भी सर्वे हो और अलग क्षेत्र बनाया जाय और वहां पर, मंत्रीजी, यहां से जो वास्तविक व्यय आता है, उसके आधार पर कनेक्शन दिये जायं जिससे किसान गांव-गांव में कुएं खोदकर अपनी व्यवस्था करवा सके।

इसी प्रकार आज दिन में एक बात आयी थी कि बीसलपुर के विस्थापित कुओं

(श्री सांवरलाल)

को मुआवजा किस प्रकार से दिया जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज जीवन-धारा के अन्दर सरकार कुआं खोदने के लिये 20-20 हजार रुपया देती है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बांध बनाने से जो लोगों को घर छोड़ना पड़ा, जिनको जमीन जायदाद छोड़नी पड़ी, कुएं का किसान को मुआवजा, 20 हजार रुपया होना चाहिये। क्योंकि जब जीवनधारा के अन्तर्गत नया कुआं खोदने के लिये 20 हजार रुपया सरकार खुद देती है तो क्या सरकार यह सोच सकती है कि 20 हजार से कम राशि से किसान कुआं खोदकर रह सकता है।

इसी प्रकार मेरा निवेदन यह है कि जो योजनाएं लम्बे समय से लम्बित पड़ी हुई हैं, इन्दिरा गांधी नहर योजना में आये दिन हमें एस्टीमेट रिवाइज करना पड़ता है। हर साल हर योजना के अन्दर उसके लिये प्रावधान करना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर को कब तक आप पूरा करने की मंशा रखते हैं। यह स्पष्ट हो जाय तो कम से कम हमें एक बात का तो उत्तर मिल जाय कि यह योजना इस निश्चित अवधि के अन्तर्गत पूरी हो जायेगी। चूंकि आये दिन कभी सीमेंट का भाव बढ़ता है, कभी किसी के भाव बढ़ते हैं और यह योजना हर बार रिवाइज्ड एस्टीमेट बन-बनकर इतनी महंगी हो गई कि लोग कहते हैं कि इतने करोड़ की यह योजना हो जायेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में स्पष्ट आश्वासन होना चाहिये।

(2.38 म. प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

इसी प्रकार अजमेर जिले के बारे में मेरा एक निवेदन है। हमारा अजमेर जिला इस दृष्टि से बड़ा पिछड़ा हुआ है। चम्बल राजस्थान में सदाबहार नदी है। इसमें पानी बहकर चला जाता है। मेरा एक निवेदन है कि पहले भी इसके बारे में चर्चा चली थी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल का जो पानी बहकर जाता है, उसे अजमेर और टौंक जिले में लाने के लिये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट अगर सफल हो सकता हो तो इसका सर्वे करवाया जाय जिससे हजारों एकड़ जो भूमि बड़ी उपजाऊ है, चाहे अजमेर की हो, चाहे टौंक की हो, उस उपजाऊ भूमि को राष्ट्र के काम में लिया जा सके। इससे किसान की माली हालत भी सुधर जायेगी। इसके अलावा जो सरकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, जिसमें बूंद-बूंद सिंचाई योजना, इसके साथ ही चम्बल योजना भी कनाड़ा सरकार की सहायता से, जिसमें भूमिगत जल निकासी नालियों का निर्माण करवाया जायेगा, यह सब कार्य प्रशंसनीय हैं, मैं मानता हूं। तो मेरा यही निवेदन है कि सरकार को कम से कम सिंचाई के साधनों और बिजली की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और इसके माध्यम से हमारे किसानों की और राष्ट्र की सेवा हो सकती है और मैं कम से कम यह कह सकता हूं कि जितना बजट सिंचाई के लिए काम में लिया जायेगा, वह शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, उनके काम आयेगा। इसलिए सिंचाई का बजट प्रावधान और बढ़ाकर

(श्री सांवरलाल)

अगर छोटे मोटे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाये जायें, तो निःसंदेह लाभदायक होगा।

इसके साथ ही जो हरियाणा से पानी आता है, उसमें हमारा जो हिस्सा है, वह हिस्सा, निर्धारित पानी हमें मिलना चाहिये। इसके साथ ही जो पड़ोसी राज्य हैं....

श्री सभापति : कोई बात नहीं, पड़ोसी राज्य बोल दीजिये।

श्री सांवरलाल : नहीं, मैं पूरा ही बोल दूं, न।

श्री सभापति : ठीक ही कर देंगे।

श्री सांवरलाल : गुड़गांवा नहर का जो कार्य है, वह काफी प्रगति पर है, तो मैं यह चाहूंगा कि इस नहर को भी प्राथमिकता से पूरा करवाया जाये, जिससे हमारे डीग और भरतपुर क्षेत्र में सिंचाई हो सके। चूंकि वहां भी पानी में खारापन हो रहा है, उस क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके, तो मेरा यही निवेदन है कि सिंचाई में आप विकासशील राष्ट्र और प्रांत को पहली प्राथमिकता दें। माननीय मन्त्री जी इसके लिए आप बजट में अधिक से अधिक राशि अलाट करें ताकि टूटे-फूटे जो बांध, तालाब हैं, उनकी मरम्मत हो सकें और जो अधूरे एनीकट हैं, उनको भी पूरा करवायें। और इस वर्षा ऋतु के पहले अगर आप करवायेंगे, तब तो जो पैसा सरकार खर्च करेगी, उसका फायदा मिलेगा अन्यथा फायदा होने वाला नहीं है।

श्री सभापति : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामकरण सिंह : सभापति महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। सभापति जी....

श्री सभापति : इसके बाद आपको चांस मिल जायेगा।

श्री रामकरण सिंह : मेरी बात सुन लीजिये आप।

श्री सभापति : आप यही कहना चाहते हैं। आप बोलना चाहते हैं।

श्री रामकरण सिंह : सभापति जी, व्यवस्था दे दीजिये आप।

श्री सभापति : इसके बाद मिल जायेगा। मैं नाम बोल चुका हूं।

श्री रामकरण सिंह : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है। मैं इसकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था आपके कहने से पहले ही दे दी है कि इनके बाद में आपको....

श्री रामकरण सिंह : नहीं, नहीं आपको क्या मालूम, मुझे क्या कहना है।

श्री सभापति : आप यह चाहते हो कि....

श्री रामकरण सिंह : आपकी कार्यसूची जो आज हमको मिली है, उस कार्यसूची में मेरी डिमाण्ड पहले नम्बर पर है, तो क्या आज आपने कार्यसूची सस्पेण्ड कर दी है? इस तरह का कोई हाऊस में प्रस्ताव आया है, या हमें सूचना दी है, इसकी व्यवस्था दे दीजिए।

श्री सभापति : नहीं, मैं व्यवस्था पहले दे चुका हूं।

श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामकरण सिंह : नहीं आप पहले लो....

श्री सभापति : श्री रामनारायण वर्मा का नाम मैं बोल चुका।

श्री रामकरण सिंह : मैं तो व्यवस्था चाहता हूं कि कार्य सूची जो हमें उपलब्ध हुई उस कार्य सूची में मेरा नाम पहले नंबर पर है।

श्री सभापति : कार्य सूची में जो कट-मोशन....

श्री रामकरण सिंह : कार्य सूची आपने सस्पैण्ड कर दी है, या हाउस से प्रस्ताव लेकर इसको बदल दी है, वह मुझे बता दीजिए आप।

श्री सभापति : कार्य सूची तो....

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, इनको समय दे दें।

श्री सभापति : नहीं कटमोशन के खाली नाम हैं, उसके अन्दर वह प्राथमिकता नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : प्राथमिकता क्यों नहीं है ? कार्य सूची किसलिए होती है ? कल माननीय मुख्य मन्त्रीजी, या कोई मन्त्री जी विधेयक प्रस्तुत करेंगे, हम कह देंगे कि यह तो केवल नाम है, आप नहीं कर सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तशरीफ रखिये। बिराजिये।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, आप तो व्यवस्था दे दीजिये।

श्री सभापति : मेरी तो सुन लीजिए। मैं बता दूं आपको।

श्री रामकरण सिंह : मुझे व्यवस्था चाहिये।

श्री सभापति : हां, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। बात सुनिये। बिराजिये, आप। कट-मोशन्स तो कभी-कभी 50–50 सदस्यों के आ जाते हैं, परन्तु बोलने वाले सदस्य कुल मिलाकर 15–16 ही होते हैं। आवश्यक नहीं है कि जिन लोगों ने कटमोशन दिये हों, वह सब बोलें और कटमोशन जो दिये जाते हैं, उसमें कोई प्राथमिकता नहीं होती है।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, यह व्यवस्था नहीं है। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री सभापति : व्यवस्था मैं आपको....

श्री रामकरण सिंह : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि कार्य सूची जो आपने दी, हाउस की तरफ से हमें मिली, उस कार्य सूची को आपने सस्पैण्ड कर दिया है, क्या ? हम यह चाहते हैं।

श्री सभापति : नहीं, देखिये सूची सस्पैण्ड नहीं की है। आप तशरीफ रखिये और इनके बाद आपका नाम बुलाया जायेगा और आप मेरा सहयोग कीजिए।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, नहीं....

श्री सभापति : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामकरण सिंह : इसमें व्यवस्था दे दीजिए। मैं कोई ऐसी विशेष....

(१४४)

श्री सभापति : मैंने आपको निवेदन किया कि कार्य सूची सम्पूर्ण नहीं की है।

श्री रामकरण सिंह : चाहे नहीं बुलायें लेकिन मुझे इसकी व्यवस्था दे दीजिए, आप।

श्री सभापति : अब आप सहयोग करें।

श्री रामकरण सिंह : सहयोग कर रहा हूं। मैं तो व्यवस्था चाहता हूं। आप जो आदेश देंगे, पालन करूंगा।

श्री सभापति : आपकी व्यवस्था में अभी...

श्री रामकरण सिंह : आप जो आदेश देंगे, मैं पालना करूंगा लेकिन मुझे व्यवस्था तो दें।

श्री सभापति : आपकी व्यवस्था, मैंने अभी रिजर्व रख दी है। बता दूंगा आपको।

श्री रामकरण सिंह : रिजर्व रखने....

श्री सभापति : हां रख सकता हूं मैं। बैठ जाइये।

श्री रामकरण सिंह : तो यह माना जाये...

श्री सभापति : कृपया बिराज जाइये।

श्री रामकरण सिंह : सभापति जी, जोर से बोलकर हमको बैठाओ ? आप क्यों नहीं वैसे आदेश दे देते ?

श्री सभापति : मैंने आपको निवेदन किया है कि व्यवस्था बाद में दी जायेगी। तशरीफ रखिये।

श्री रामकरण सिंह : देखिये, आसन का बहुत आदर करता हुआ मैं चाहता हूं कि आपके शब्द भी विनम्र होने चाहिये।

श्री सभापति : मैं आपको बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि अब आप समय मत बरबाद कीजिए। आप बिराज जाइये।

श्री रामकरण सिंह : मैं आसन का बहुत आदर करता हुआ सम्मान के साथ यह कहता हूं कि या तो व्यवस्था देते, +++?

श्री सभापति : माननीय रामनारायण वर्मा।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, नहीं इस तरह से देखिये, व्यवस्था तो दीजिए मुझे आप।

श्री सभापति : मैं आपसे बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि तशरीफ रखिये। मैं अभी इसके बाद आपका नाम बोलने वाला हूं।

श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : सभापति महोदय, मांग संख्या 46 जो 519 करोड़ की मंजूरी के लिए माननीय मंत्री जी ने रखी है, उसके सम्बन्ध में वाद-विवाद हो रहा है। मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूं कि सिंचाई का रकबा राजस्थान में बढ़े, इसके बारे में मेरा जहां तक ख्याल है, सदन के सारे सदस्य इस बात को चाहते हैं कि, सभापति महोदय, एक तरफ तो गंग कैनाल, इन्दिरा गांधी कैनाल, उस पर गुड़गांवा की धमकियां कि पानी बन्द कर देंगे, राजस्थान को वापस रेगिस्तान बना देंगे। दूसरी तरफ राजस्थान में उपलब्ध पानी जिसके लिए बरसों से इस सदन में बार-बार बोला जा रहा है, सिंचित क्षेत्र

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामनारायण वर्मा)

विकास मन्त्री जी यहां बैठे हैं, सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमन्त्री के ऊपर दबाव डालें, जो मुख्यमन्त्री सदन में कितनी मर्तबा कह चुके हैं कि राजस्थान के माही और चम्बल के पानी का उपयोग किया जाये, उसके पानी के उपयोग की उन्होंने साल भर में क्या योजना बनाई है ? क्या राजस्थान को बंजर भूमि बनाना चाहते हैं, राजस्थान की जनता की सिंचाई क्षमता बढ़ाना चाहते हैं या नहीं ? आप देखिये, सभापति महोदय....

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय....

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा जहां तक ख्याल है आपको बहुत ज्यादा समय मिलेगा लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन्दिरा गांधी कैनाल, जिसमें अभी यह परिस्थिति बनी हुई है कि पानी बन्द किया गया, पानी कम दिया गया। राजस्थान में 12 माही नदियों में, मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे, चम्बल जब उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसती है, वहां सबसे ज्यादा पानी वेस्ट होकर बहता है तो चम्बल में बहता है। माही दूसरी नदी है। चम्बल नदी के हमारे राजस्थान के पानी को, राजस्थान के हिस्से के पानी को दूसरे स्टेट के लोग उपभोग में लेते हैं। चम्बल बेसिन की रिपोर्ट आ पड़ी है। माननीय मन्त्रीजी, समय नहीं मिला हो तो अब मिल जायेगा। आप देखिये, 15 मिलियन एकड़ फीट पानी वेस्ट होकर के आपके राहुघाट के नीचे से बहता है। गांधीसागर बांध में सवा 6 मिलियन एकड़ फीट पानी की क्षमता है। सभापति महोदय, सवा 6 मिलियन एकड़ फीट पानी की क्षमता वाले गांधी सागर बांध से तिगुना पानी राजस्थान का वेस्ट होकर बाहर जा रहा है। इससे भी ज्यादा समस्या, इससे भी ज्यादा चिन्ताजनक बात, माननीय सभापति महोदय, यह है कि उस पानी का उपयोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उस पर डेम बनाकर और मध्यप्रदेश लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के ज़रिये उसके ऊपर अपना अधिकार जमा रहा है। राजस्थान के पानी पर यदि दूसरे स्टेट ने एक दफा अधिकार जमा लिया, उसके बाद क्या उस पानी को दुबारा काम में ले सकते हैं, क्या उस पानी को रोकने के लिए बांध बना सकते हैं, क्या राजस्थान में यह स्थिति बाद में आयेगी ? तो यह सारा का सारा इण्टर स्टेट मामला हो जायेगा। सभापति महोदय, मैं पुरानी प्रोसिडिंग्स पढ़ रहा था। माननीय भैरोंसिंहजी ने गंग केनाल के आधा मिलियन एकड़ फीट पानी के लिए सदन में यह आरोप लगाया था, उस समय के मुख्य मन्त्री के ऊपर कि इन्होंने समझौता किया और राजस्थान के हितों को गिरवी रख दिया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा मन्त्रीजी को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिये। सदन के सारे सदस्य इस बात को बोलें, आप उनसे सीखें, आप इनसे ज्यादा समझदार हैं। आप राजस्थान के हितों के रखवाले हैं, आप राजस्थान के हितों को देखिये, यह चुनावी बात नहीं है, वह बात 15 दिन बाद करना आप। मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, चार दिन तक इस सदन में बहस हुई है, प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें, 1986 में और 1983 में आप देखिये उस टाइम में विपक्ष

(146)

(श्री रामनारायण वर्मा)

के नेता भैरोंसिहजी ने सदन का समय बरबाद किया, आधा मिलियन एकड़ फीट पानी के लिये। क्या भैरोंसिहजी इस बात को समझ पायेंगे, चम्बल का 15 मिलियन एकड़ फीट पानी जो व्यर्थ जा रहा है, उसकी योजना बनायेंगे? हम सहयोग देंगे, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, हम कह रहे हैं कि राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, राजस्थान के साथ दोगलापन हो रहा है। केवल पालिटिकली बात से राजस्थान को न चलाया जाये, राजस्थान के किसानों का गला नहीं काटा जाये। आप दूसरी तरफ देखिये, माननीय सभापति महोदय,

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह समझौता आपकी सरकार ने किया था।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय सचेतक महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि किसी आदमी ने कोई काम नहीं किया। जो आदमी कहता है, मैं काम करूंगा राजस्थान की जनता ने मौका दिया है उस आदमी को। साल भर के अन्दर-अन्दर उसका चेहरा काला है गोरा है, सामने आ जायेगा। 15 दिन की बात है, दो महीने बाद की बात है।

मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, कि मैं पश्चिमी राजस्थान से जैलेसी नहीं रखता, उसके हित के विपरीत बात नहीं करता। पश्चिमी राजस्थान में अरबों रुपये की लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनायी गयी हैं, बननी चाहिये, पानी का उपयोग होना चाहिए, शहरों को पेयजल मिलना चाहिए। इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी शहरों में पीने के लिए जाय, किसानों को मिले, बहुत बड़ी चीज है, अच्छी बात है लेकिन यह बात दूसरे माननीय सदस्य नहीं कहते कि अच्छा काम हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्या कि राजस्थान के पानी का, जिसके ऊपर दूसरे स्टेट अधिकार करते जा रहे हैं, उपयोग नहीं हो? माननीय सभापति महोदय, बीकानेर में आपने देखा होगा, दूसरी जगह देखा होगा, बीकानेर में पेयजल पहुंचाने के लिए चार जगह लिफ्ट करके 200 फीट ऊपर पानी पहुंचाया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि पानी का उपयोग हुआ, बीकानेर को पेयजल मिला, रास्ते में सिंचाई की गयी और ओपन कैनाल द्वारा बीकानेर को पानी पहुंचाया गया। क्या चम्बल नदी का पानी, जिसके लिए बरसों से कहते आ रहे हैं, जिसके ऊपर दूसरे अधिकार करते जा रहे हैं, उसी तरह ओपन कैनाल द्वारा जयपुर को नहीं दिलाया जा सकता? क्या चम्बल से जयपुर की पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता? ओपन कैनाल द्वारा यदि पानी लिया जाता है तो जिस तरह बीकानेर को पेयजल पहुंचाया जाता है उसी तरह सवाईमाधोपुर, टौंक और जयपुर जिले के काफी गांवों में सिंचाई के साधन जुटा पायेंगे, जिससे खेती में प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके बाद निश्चित तौर पर राजस्थान का हित होगा, नेशनल प्राफिट होगा। जयपुर की आबादी आज की तारीख में 20 लाख है, आज के 20 साल बाद 60–70 लाख हो जायेगी और 40 साल बाद जिसकी आबादी एक करोड़ हो जायेगी। बीसलपुर में एक करोड़ को देने के लिए पानी नहीं है और छः शहर और जोड़ दिये गये हैं केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद,

(श्री रामनारायण वर्मा)

किशनगढ़, अजमेर और ब्यावर। मुझे जानकारी मिली है कि श्री सीमेण्ट को उससे पानी देने की योजना है। जिस किसी ने भी योजना बनायी हो, यदि फैक्टरी को पानी दिया जाने लगा, गांवों को और ज्यादा पेयजल दिया जाने लगा तो क्या जयपुर को पानी दे सकेंगे ? जयपुर के नाम पर बीसलपुर योजना से जो चार करोड़ रुपये पेयजल के लिए खर्च किये जाने वाले हैं, क्या वे चम्बल की तरफ से पानी लाने में खर्च हो सकेंगे ? माननीय सभापति महोदय, बनास में मेजा, श्रोराई और गम्भीरी, तीन डेम बन चुके हैं। जिस बनास में पहले 32 एम.सी.एफ.टी. पानी आता था, उसमें आज की तारीख में 16 एम. सी. एफ. टी. पानी ही आता है, उससे ज्यादा पानी की कैपेसिटी उसकी नहीं है और खुदा न खास्ता, बदकिस्मती से यदि किसी साल बरसात नहीं हुई, बारिश का पानी नहीं आया तो क्या आप अजमेर को पानी दे पाओगे ? क्या आप दूसरे पांच शहरों को पानी दे पाओगे ? जयपुर के साथ अन्याय क्यों ? क्या पर्सेन्टेज कमाने के लिए इतने लोगों की राय में मन्त्री लोग चलेंगे ? मै मानता हूं कि ऐसे मंत्री नहीं हैं, चलेंगे भी नहीं और इस योजना के ऊपर विचार किया जायेगा। राजस्थान का एक-एक आदमी इस बात को मानेगा कि चम्बल के हमारे पानी पर अधिकार दूसरे कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह हमारे साथ अन्याय हो रहा है। चम्बल योजना बहुत बड़ी योजना है। इसके लिए बजट रखा है, पैसा भी ज्यादा रखते हैं लेकिन खर्च कम करते हैं। लिखा गया है कि हम लोग कंक्रीट और मिट्टी का काम करेंगे। यह बहुत पुरानी योजना है, बहुत वृहत् योजना की नहरें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं। इतना लास किसी दूसरी परियोजना में शायद नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार के मंत्री इस बात को समझेंगे, देखेंगे। मैंने एक नियम 295 का नोटिस दिया कि क्या स्थिति है, मैंने कहा कि बूंदी ब्रांच कैनाल का माडर्नाइजेशन कीजिए। जवाब आया, हमने झाड़ी कटायी, हमने जंगल कटाये। इस तरह का जवाब राजस्थान विधान सभा के सदस्य को दिया गया और सरकार के माध्यम से इस तरह का जवाब आया, मुझे खेद है। माननीय मंत्रीजी ने वह जवाब शायद देखा नहीं होगा, उनके पास समय नहीं होगा। चम्बल की नहरें जर्जर हो चुकी हैं, टेल पर पानी नहीं मिलता। इस साल भी सैंकड़ों बीघा भूमि सूख गयी है, एक पानी लास्ट में मिला है। किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, उनकी फसल का बीमा नहीं कर सकते तो हमें क्या अधिकार है कि पानी नहीं देकर किसान की फसल को हम सुखायें ? माननीय सभापति महोदय, नयी योजनाएं बनायी नहीं जा रही हैं, नयी योजनाओं के माध्यम से काम नहीं किया जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि माइनर इरिगेशन की बूंदी जिले में मेज नदी की योजना है। जिस जगह यह योजना बनायी जा रही है, मैं मान सकता हूं कि वहां जंगल हैं, फारेस्ट वाले नहीं बनाने देंगे। उसके ऊपर हमने कोशिश की, इरिगेशन के अधिकारियों को सर्वे के लिए लिखा, लेकिन मुझे खेद है कि आज दिन तक सर्वे प्रारम्भ नहीं हुआ। मोरली के बालाजी

(148)

(श्री रामनारायण वर्मा)

के पास कोई सिंचाई की जमीन डूब में नहीं आती है, किसी काश्तकार की दो बिस्वा जमीन भी नहीं आती। उससे सारे के सारे गांव सिंचित होंगे, नीचे उसका बहता हुआ पानी, सीपेज का पानी रामगढ़ अभयारण्य के पशुओं को मिल सकता है। उसमें गवर्नमेण्ट को कोई विशेष खर्चा अलग से नहीं करना। इस तरह की योजनाओं का सर्वे नहीं किया जा रहा है, इस तरह की योजनाओं को देखा नहीं जा रहा है। सिसोल योजना में काफी पैसा खर्च किया चुका है। मैंने इसके बारे में डिमाण्ड दी है, इसके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। सभापति महोदय, मैं सरकारी अमले की छोटी-सी बात का आपको उदाहरण दूं। बूंदी जिले में एक विस्तारी डेम है, लाखों रुपये उसमें खर्च हो चुके हैं, काफी ज्यादा बन भी चुका। हमने मालूमात की। यह अफसरशाही की बात है। बाबू लोगों को पता नहीं कि पांच साल पहले यह डेम बना था, उसके कागजात हैं, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है। उस डेम में थोड़ा-सा पैसा यदि सिंचाई मन्त्रीजी दे देने, हो सकता है दे दें। सिंचाई मन्त्रीजी से इस बारे में आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस विस्तारी डेम में किसी भी योजना, चाहे जवाहर रोजगार योजना से यदि आप पैसा दे देते हैं तो थोड़े-से पैसे में वह माइनर इरिगेशन योजना पूरी हो सकती है। इस साल नहीं तो अगले साल उस योजना को पूरा किया जा सकता है। इस योजना का कागजों में आज की तारीख में कोई हिसाब नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, 250 एकड़ तक को आप माइनर इरिगेशन में ले सकते हैं। कल्याणकारी स्टेट जन हित में काम करे, यह स्टेट भी चाहती है और वहां की जनता भी चाहती है। जिस इलाके में भूमिगत जल की सतह बहुत डाउन है, जहां इसलिए खेती नहीं हो सकती कि नीचे कुओं में पानी नहीं है उस तरह के इलाकों का सर्वे करें, इस तरह के इलाकों को छांट लें। मसलन बूंदी में बड़ का इलाका है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, बहुत संक्षेप में दो बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा। बूंदी जिले में नैनवां का इलाका है, उनियारा का इलाका है, इसके अलावा जहाजपुर का इलाका है, ये सूखे इलाके हैं। उनियारा की आज स्थिति यह है कि यदि ईमानदारी से चम्बल का पानी वहां सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसी भी इलाके को देंगे तो 15–20 फीट से ज्यादा लिफ्ट नहीं होगी। सन् 1964 के सर्वे को दिखाया नहीं जा रहा है। सन् 1964 के सर्वे में 110 गांव नैनवां तहसील के थे, उनियारा तहसील पूरी की पूरी थी, टौंक तहसील थी, सवाई-माधोपुर था। 1964 के सर्वे को, मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय को कि उसको वे देखें। बीसलपुर बांध बनने के बाद नैनवां और पर्टिकूलर उनियारा साइड में सतही जल बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। इस इलाके को कम्पेनसेट करने के लिए सिंचाई के एनीकट बनाये जायं, सिंचाई विभाग के एनीकट से किसानों

(श्री रामनारायण वर्मा)

को फायदा हो सकेगा। माननीय सभापति महोदय, सिंचाई एक ऐसा मामला है जो किसान से जुड़ा हुआ है, सीधा मामला है। यदि सिंचाई के मामलों पर सरकार कल्याणकारी स्टेट बनकर काम नहीं करे, उस पर ध्यान नहीं दे, छोटी-छोटी बातों पर इफ एण्ड बट्स लगाने की बात करे तो कभी किसान का हित नहीं हो सकता। हम तो सुनते हैं कि यह सरकार यह कहकर सत्ता मे आयी है कि हर हाथ को काम देंगे, हर खेत को पानी देंगे। हाथ को काम दिया नहीं। माननीय सभापति महोदय, बाहर धरने पर लोग बैठे हैं, कई और आ रहे हैं। गांवों में बेरोजगारी है, जहां जाते हैं वहां चिल्लाते हैं लोग। सैंकड़ों बेरोजगार युवक एक-एक गांव में मिलेंगे आपको। लाखों करोड़ों आदमियों की इन्होंने बेरोजगारी बढ़ायी है, खेतों को ये पानी देना नहीं चाहते, नयी योजनाओं का सर्वे करना नहीं चाहते। मेरा ख्याल है यदि सरकार काम नहीं कर सकती तो उसको गद्दी छोड़ देनी चाहिए नहीं तो राजस्थान की जनता देख लेगी। मैं इतना ही कहता हुआ पुनः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह किसानों के हित में सोचे। थोड़ी सी 10-5 प्रतिशत राशि बढ़ाकर....

श्री हेमराज मीणा : राजस्थान की जनता देख लेगी, उसके लिए तो खड़े हैं हम।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। तशरीफ रखें।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि जो आदमी आदिवासियों की जमीन को वापस आदिवासियों के खाते में नहीं लगा सकता, + + + इस तरह विघ्न करने से काम नहीं होता। किसानों के हित की बात सोचिये। किसान का हित उसकी आत्मा है, परमात्मा है, क्योंकि वह ठोस, मजबूत, खेतिहर आदमी है। वह इस तरह दुकानदारी कर, सैल्स टैक्स बचाकर अपनी आजीविका नहीं चलाता। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, माननीय सभापति महोदय, कि किसान असली परमात्मा है। किसान का हित सोचो, इसी में सबका भला है। इसी आशा और विश्वास के साथ....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : सिंचाई के साधनोंका उपयोग करेंगे, चम्बल और माही के पानी का उपयोग यह सरकार करेगी, यही मैं आशा करता हूं, यही राजस्थान के हित में है, जो कहते आये हैं, + + + में अन्तर नहीं करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री रामकरण सिंह जी।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े अदब और सत्कार के साथ आपसे अर्ज करूंगा कि मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उसका जवाब नहीं मिला। इसके अलावा आज की जो कार्य सूची थी, जो सस्पैण्ड की

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(150)

(श्री रामकरण सिंह)

गयी उसकी सूचना हमको नहीं है। यह सब कुछ होने के बाद भी इस तरह से बजट सैशन में हमारे साथ +++ बड़ी आशा के साथ हम अपने इलाके की बात कहते वह जो हमारे अधिकार हैं उनसे वंचित रखा जा रहा है। इसके विरोध में मैं हाउस से बहिर्गमन करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : श्री रामकरण सिंह जी आपके पास बोलने के लिये कुछ था ही नहीं।

श्री रामकरण सिंह : भाई मुझे बोलना नहीं आता है। सीखूंगा।

(बहिर्गमन)

श्री सभापति : मांगीलाल मेघवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि समय में ध्यान नहीं रखा गया है।

श्री सभापति : किस का समय ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरी पार्टी का।

श्री सभापति : आपका नाम है। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 46 पर बहस हो रही है इस पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्र का दूसरा प्रान्त है। इतने बड़े भू- भाग के होते हुए सिंचाई साधनों के अभाव कारण आज हमारा यह विशाल प्रदेश बड़ा पिछड़ा हुआ और उपेक्षित प्रदेश है। सौभाग्य से मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां राजस्थान में चम्बल की नहरों के माध्यम से अन्न देने वाली और विभिन्न फसलों के माध्यम से देश के विकास में योगदान देने वाली नहरें हैं, मैं उन्हीं के बारे में निवेदन करूंगा।

मान्यवर, 1960 से चम्बल की नहरों के माध्यम से, जो चम्बल बैराज के नाम से है कोटा की 4 और बून्दी की 2 तहसीलों का बहुत बड़ा भू-भाग सिंचित होता है। इसका लक्ष्य 2 लाख 29 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र रखा गया है। सरकारी आंकड़ें इस बात को दिखा रहे हैं कि 2 लाख 29 हजार हैक्टेयर में सिंचाई हुई है। पर, माननीय सभापति महोदय, यह वह एरिया है जहां डबल फसल होती है, इसका 1/3 क्षेत्र अभी भी पानी के लिये तरस रहा है। और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 30 साल के लम्बे कार्यकाल के बाद अभी भी कई ग्राम पंचायतों का क्षेत्र ऐसा है जहां पूरे साल भर के समय में मात्र 1 या 2 बार पानी दिया गया है, पानी देना मात्र उन नहरों को दिखाया गया पर किसान के खेत में आज तक पानी गया नहीं ऐसी विषमताएं रही हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सुधार होना चाहिये। 30 साल के लम्बे अन्तराल के

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

बाद में चम्बल की नहरों की डोलियां टूट गयी हैं, नहरों के अन्दर सिल्ट जमा हो गयी है। भारी डेमेज के बाद में आज नहरों की जो स्थिति है, मैंने बताया कि 2 लाख 29 हजार हैक्टेयर एरिया इसका है, जब से नहर बनी है, उसका डिजाइन 55 पर्सेन्ट रबी क्राप के लिये और 21 पर्सेन्ट खरीफ क्राप के लिये है, इस डिजाइन के माध्यम से इस क्षेत्र को पानी पिलाने की जो योजना है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आंकड़े बताये जा रहे हैं कि 2 लाख 29 हजार हैक्टेयर से भी ज्यादा कहीं 80, 90 और 100 पर्सेन्ट भी पानी दिया गया है। पर बड़े दुःख का विषय है कि इस डिजाइन के कारण जहां नहर के टेल एरिया के अन्दर पानी मिलना चाहिए वहां पानी मिल नहीं रहा है और आज भी वहां का किसान कमाण्ड एरिया होते हुए भी पानी के लिए तरस रहा है। मान्यवर, यह कमाण्ड एरिया है और वहां पर सौभाग्य से, बून्दी में 12 महीनों बहने वाली नदियां हैं, गंगा-जमुना के बीच में रहने वाले हमारे यहां के किसान आज पानी के लिये तरस रहे हैं। मैंने डी. आर. डी. ए. और कलक्टर के माध्यम से जानकारी चाही कि आप लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से इनको लिफ्ट करके पानी पिलवायें। तो उन्होंने मुझे कहा कि यह कमाण्ड एरिया है यहां पर लिफ्ट सिचाई नहीं हो सकती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि उस क्षेत्र के किसानों के लिए कमाण्ड एरिया है जहां पर पानी नहीं जाता है और दूसरी एजेन्सी कहती है कि यह कमाण्ड एरिया है इसलिये पानी नहीं दिया जा सकता है। जिसके लिये हम लोग लम्बे अरसे से जूझा करते थे, कोई-सा भी विधान सभा का सैशन ऐसा नहीं गया जब कोटा और बून्दी के सम्पूर्ण विधायकों ने इस मसले को लेकर सदन में नहीं बोला हो। मान्यवर, इस व्यवस्था में अभी भी सुधार नहीं होगा तो न जाने उस उपेक्षित क्षेत्र की क्या हालत होगी?

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को, और उन अधिकारियों को कि इस समय नहरों में पानी गया है। आज वहां पर किसान खुश होकर कह रहे हैं कि इस तरह से पानी देते रहेंगे तो हमारे भी दिन फिर जायेंगे। इसी क्रम में जो मैं निवेदन कर रहा था कि उपेक्षित नहरें हैं और कई नहरें की तो यह हालत है कि जिनको नहर नहीं कह सकते हैं, जिनमें बैलगाड़ियां चलती हैं, वह रास्ते हैं। मान्यवर, कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिन नहरों के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिये, देश का विकास होना चाहिये उनमें आज बैल-गाड़ियां चल रही हैं, वह रास्ते हैं। इसलिये आपके माध्यम से मैं सरकार का और माननीय सी. ए. डी. मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में जो बजट दिया जा रहा है, मैंने 21-7-86 को, 8वीं विधान सभा के समय में इस प्रश्न को उठाया था कि चम्बल के लिये, इस सी. ए. डी. क्षेत्र के लिये 7वीं पंचवर्षीय योजना में आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? तो मुझे बताया गया था कि 7 वीं पंचवर्षीय योजना में इस चम्बल कमाण्ड एरिया के लिये 10 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। जो भूमि सुधार के नाम से हमने आन्दोलन किये, इस विधान सभा के माध्यम से बहुत सारा कुछ किया, इन अखबारों के माध्यम

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

से यह कहा गया था कि चम्बल के किसानों में करोड़ों रुपयों बकाया है, सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने उस करोड़ों रुपये के कर्ज को माफ किया। आज खेत सुधार के नाम से 3 करोड़ 45 लाख रुपये और फसल मुआवजा के नाम से 1 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाराबन्दी नाम की व्यवस्था जो केवल कागजों में है, विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि यह भ्रष्टाचार है। मैं खुला आरोप लगाना चाहता हूं कि 1986 से लेकर इस राजस्थान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ होगा कि बाराबन्दी के नाम से 2 करोड़ रुपये खर्च किये गये। मैं अभी जिला परिषद् की मीटिंग में बैठा था 19–1–1991 को, मैंने उस समय कलक्टर से कहा कि मैं विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी दिन गाड़ी उठाकर मुझे वह एरिया बता दीजिये जहां पर बाराबन्दी हुई है, कलक्टर कहने लगे कि यह तो कागजों में है। आज भी जो प्रस्तावित बजट दिया गया है, इसमें बताया गया है कि बाराबन्दी के नाम से केन्द्रीय सरकार 16 लाख और राजस्थान सरकार 16 लाख, कुल 32 लाख रुपये दिये जा रहे हैं। 70–70 पटवारी कागज बनाते रहे। खेत में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। 2 करोड़ रुपये का मैंने आरोप लगाया, सरकार जांच कराये, माननीय मंत्री महोदय, मेरी खुली चुनौती है कि आप अधिकारियों को साथ में लीजिए, जन-प्रतिनिधियों और किसानों को साथ में ले जाइये, इस भ्रष्टाचार की जांच करवाइये। आज भी आप 32 लाख रुपये बाराबन्दी के नाम से दे रहे हैं। वह कुठाराघात है। मैं विनम्र शब्दों में प्रार्थना करता हूं और पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइये। उपेक्षित नहरों के लिये इस साल बजट दे रही है 1 करोड़ 14 लाख रुपये। मान्यवर, सैंकड़ों माइनर्स दुर्गति की हालत में हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर, मुझे बोलने दीजिये। इस पवित्र सदन में आप दल-बदलुओं के बारे में बोल सकते हैं, दूसरे नेता अपने पुराने संस्मरण सुना सकते हैं पर मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं, राजस्थान के उस क्षेत्र की बात कहता हूं, मान्यवर, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा कि....

श्री सभापति : बोलने वालों की लिस्ट बहुत लम्बी है और सभी महत्वपूर्ण मामले बोलते हैं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : इसलिये दुःख के साथ कहना पड़ रहा है....

श्री सभापति : आप बात संक्षिप्त में भी कह सकते हैं। कृपया संक्षिप्त में कहिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : संक्षेप में ही कह रहा हूं।

मान्यवर, बाराबन्दी के नाम से जितना पैसा खर्च हुआ उसकी जांच करवाइये और जहां बाराबन्दी नहीं हो पायी है तो जांच करिए, आप अप्रेल में पधारें या मई में पधारें, पुराने बाराबन्दी के आंकड़ों की छान-बीन करवायें, सर्वेक्षण करवायें और देखें कि

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

क्या हो रहा है ? और अगर नहीं हो रहा है तो मेरी मांग है कि यह पैसा फालतू जा रहा है इसको मेन्टीनेन्स में लगाइये।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि फसल मुआवजा के नाम से भी दिया गया है 35 लाख और 39 लाख रुपये, मैं अभी 15 जनवरी को कमिश्नर महोदय से मिला था, श्री मसीन साहब से जाकर मिला था। मैंने उनसे कहा कि हमारा मुआवजा चुकाइये। मान्यवर, जो 77 में नहरें बनी थीं, ड्रेनें खुदी थीं, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की बात करूंगा। एक करोड़ रुपया भूमि मुआवजे का बाकी है एक विधान सभा क्षेत्र का, छः तहसीलों में से एक का एक करोड़ रुपया बाकी है, 1975 से बाकी है। उस चम्बल कमाण्ड एरिया में किसान से जो पिलाई वसूल होती है, मान्यवर 12 महीने बाद में अगर वह पैसा नहीं देता है तो उससे शत-प्रतिशत ब्याज वसूल होता है, 100 का 200 तो एक तरफ तो किसान से पिलाई का पैसा डबल ब्याज से वसूल हो रहा है। एक तरफ उस किसान की लहलहाती धरती को जब ड्रेनस में ले आए, 15–16 साल बाद भी उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है इसलिए उस किसान के पैसे को दीजिए। उसका ब्याज नहीं है, उसकी जमीन नहीं है। जमीन तो दूर रही उसको पैसा देना तो दूर रहा, मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि किसान के खाते से भी यह जमीन नहीं निकली है। उस ड्रेन में, जहां 15 वर्ष पहले यह ड्रेन खुदी है उसका लगान लिया जा रहा है। यह कितने दुःख की बात है। इसलिए, मान्यवर, यह जो भी अनियमितताएं हो रही है इसमें सुधार कराइए।

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

दूसरा, मान्यवर, मैं बहुत कटु बात कहने जा रहा हूं। हमारे सदन में कई विधायक महोदय जो पहली बार आते हैं, विधान सभा की प्रक्रियाओं से परिचित भी नहीं होते हैं कि किस तरह से हाउस में मामले उठाए जाते हैं। मान्यवर, इस पवित्र सदन में बैठकर क्योंकि हम जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता के दुःख दर्द की बात इसमें कहते हैं। मैंने इसी तरह से कटौती-प्रस्तावों के माध्यम से सरकार से मांग की थी। मुझे 21-2-86 को जवाब दिया गया कि प्रस्तावित मेज परियोजना में बूंदी जिले के 33 गांवों में से कुल 6,375 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त की जा सकती है। मान्यवर, 33 गांव और 6,375 हैक्टेयर का क्षेत्र, यह मुझे 1986 में दिया गया। यह देने के बाद मैंने इसी प्रसंग को लेकर सिंचाई मन्त्री और मुख्य मन्त्री महोदय को 28-10-86 को एक चिट्ठी लिखी। जिसकी प्रति मैंने तत्कालीन केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री, श्री बी. शंकरानन्दजी को भी भेजी। तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय और सिंचाई मन्त्री महोदय के नाम की चिट्ठी की प्रति मैंने सिंचाई सचिव महोदय को भी भेजी। मैंने चम्बल आयुक्त को चिट्ठी भेजी। मैं धन्यवाद दूंगा दिल्ली से मुझे जवाब आया है कि राजस्थान को लिख दिया गया है यह लिखा है कि सिंचाई मन्त्री, राजस्थान को लिख दिया है और मुख्य आयुक्त, कोटा ने भी मुझे लिखा है।

(154)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

मान्यवर, 1986 और 1988 की बात है। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रस्तावित योजना का फिर मैंने विधान सभा में प्रश्न किया। यह मुझे बताया गया कि 33 गांवों की सूची दी गई है, रकबा दिया गया है पर आज दिन तक उसके प्रस्ताव यहां नहीं आये।

मान्यवर, माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं कहां-कहां जाकर के, किस-किस महकमे के पास जाकर, बैठ-बैठ कर अपने प्रस्ताव लिखवाऐगें ? यह पवित्र सदन किसलिए बनाया गया है, विधान सभा में क्यों समय दिया जाता है कि यहां विधायक बोलेंगे, क्यों तैयारी करके विधायक आते हैं ? इसलिए, मान्यवर, यही एक पवित्र सदन है जन-प्रतिनिधि के लिए, वह अपनी बात यहां कहे, सरकार से जो मांग करना चाहता है वह कहे। अधिकारियों की टेबल के पास बैठकर के रीराना–गिड़गिड़ाना हमें आता नहीं है। हम सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं कि 33–33 गांवों के जो राजस्थान में धरती में अगर इस तरह के कुठाराघात होते रहेंगे, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। पांच-पांच वर्षोंसे जो विधायक यहां चिल्लाते हैं उनके प्रस्ताव नहीं आते यहां, उनकी स्वीकृति तो बहुत दूर की बात है। इसलिए, मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के जो प्रस्ताव हैं वह अधिकारियों को चाहिए, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रस्ताव यहां लाए जायं, उनकी स्वीकृतियां दी जायं। इस राजस्थान के विकास में जो सिंचाई का महकमा सहयोग करता है इसको प्राथमिकता से लागू किया जाय।

मैं ज्यादा नहीं कहकर के इतना ही निवेदन करूंगा, मेरी यह मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी के लिए इस मेज परियोजना की प्रति शीघ्र स्वीकृति दिलाई जाए। चम्बल कमाण्ड एरिया के किसानों का 7–8 करोड़ रुपया पिछले 16 वर्षों से बाकी है उस मुआवजे को दिलवाने की तुरन्त व्यवस्था की जाए। इस बजट में जो 1 करोड़ 14 लाख रुपया मरम्मत के लिए रखा गया है उसको कम से कम तीन करोड़ रुपया रखा जाए ताकि इस समय जो नहरों में पानी दिया जा रहा है, तीन फीट पानी मेज नदी में बहता है, किसान टुकर-टुकर झांक रहे हैं। मैं अभी गांव–गांव में जाकर के आया हूं। वहां कहने लगे कि पानी का उपयोग करो। है कोई इस तरह की व्यवस्था ? है कोई अधिकारी, कोई सरकार का अधिकारी वहां जाकर के देखने वाला, है कोई सरकार का मन्त्री वहां जाकर के देखने वाला ? वहां पानी बह रहा है और किसान टुकर–टुकर झांक रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इस मरम्मत का पैसा बढ़ाया जाए और वहां सही व्यवस्था की जाए। पचास लाख की कालोनी बनी हुई है वहां सटियाड़ी और लबाण में। वहां अधिकारी नहीं हैं, जे. ई. एन. नहीं है। लोग तमाशा कर रहे हैं। मैं रात में वहां गया, वहां तो कोई डाक बंगलों का चपरासी भी नहीं रहता। वह तीन किलोमीटर दूर गांव में जाकर के सोता है। यह किसलिए बनाए हैं पचास–पचास लाख के, किसका पैसा लगा है ?

श्री सभापति : कृपया समय का ध्यान रखिए। आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है परन्तु और भी कहने वाले हैं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि सही व्यवस्था की जाए। वहां पांच-पांच नहरों के लिए, माइनरों के लिए जो दस–दस, बीस–बीस किलोमीटर में बसी हुई हैं एक बेलदार हैं। इसलिए हर माइनर पर एक-एक बेलदार की ड्यूटी हो। किसान जाता है कहां गए ए. ई. एन. साहब, दौरे पर गए हैं। ए. ई. एन. साहब का क्या कसूर है अधिकारी तो जाएगा काम करेगा। उसकी व्यवस्था जिसके पास है। मेरी पुरजोर मांग है कि एक–एक माइनर पर बेलदार रखा जाए। अधिकारियों को पाबन्द किया जाए कि वह नहरों की व्यवस्था सुधारे और यह बाराबन्दी पर होने वाले भ्रष्टाचार को बन्द किया जाए।

तीसरी बात, मैं धन्यवाद दूंगा हमारी सरकार को जिसने यह कर्ज माफ किए है। मान्यवर, इसमें जो टेक्निकल मशीनें हैं, जो हाई पावर की मशीनें हैं इनको नहर की खुदाई के लिए, जो पानी में खोदी जाती हैं, इसलिए इन मशीनों को नहरें ठीक करने के लिए, वहां फालतू पड़ी हैं, उन मशीनों को वहां लगवाइए।

मान्यवर, मैं इसके साथ ही मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की उस धरती को, जिसमें अरबों रुपया लगा है जिसके माध्यम से मैं गारण्टी से कह सकता हूं कि राजस्थान के 34 हजार गांवों में अगर आज व्यवस्था की जाए तो दस हजार गांवों को अकेला मेरा विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन खाने को अन्न दे सकता है। उस क्षेत्र को देखिए, उस क्षेत्र में पैसा खर्च हो रहा है उसका सही उपयोग हो। इन्हीं बातों को निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : सभापति महोदय, हमारी भी बारी आनी चाहिए।

श्री सभापति : आपका नाम मेरे पास तो नहीं है मेहता साहब। मैं देखूंगा समय रहा तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की डिमाण्ड्स पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा बिजली और सिंचाई पर ही हमारे बजट का बहुत कुछ हिस्सा हम देते हैं। यदि हम इनके प्रगति प्रतिवेदन पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे शब्दों में वह प्रगति प्रतिवेदन बनाए जाते हैं और उनसे यह भी जान सकते हैं कि हमारी इच्छा किस प्रकार की है। किस प्रकार कृषि का उत्पादन सिंचाई के माध्यम से, इस देश की खुशहाली हम सिंचाई के माध्यम से करना चाहते हैं। हमने सिंचाई विभाग के कई प्रोजेक्ट्स देखे हैं, मौके पर भी जाकर देखे हैं, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी पढ़ी है। आज सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय यह होना चाहिए कि आखिर हम हजारों करोड़ रुपये हर साल खर्च करते जा रहे हैं। मैंने इन्दिरा गांधी नहर को देखा है और जो गंग नहर है उसको भी देखा है। हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं, देखें कि आखिर कितनी जल्दी उस गंग नहर का निर्माण हुआ, जिस समय हमारे पास नई टेक्नोलोजी नहीं थी। केवल चूने पत्थर से

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

वह गंग नहर कितने थोड़े समय में कितनी कम लागत में वह बनाई गई। उसके बाद राजस्थान नहर का प्रोजेक्ट हमारे सामने आया, 68 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने बनाया। आज एक हजार करोड़ से ऊपर खर्च करने के बाद भी कोई न कोई छोटा-मोटा चेंजेज करके उस योजना का विस्तार करते-करते हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी उसका ठीक प्रकार से न सदुपयोग हुआ है, न वहां धरती को पानी पिलाया जा सका है। हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है।

केवल राजस्थान नहर की बात नहीं है। छोटी-छोटी माइनर इरिगेशन्स हैं, मीडियम क्लास की जो इरिगेशन हैं, उन सारे प्रोजेक्ट्स को यदि हम देखें तो वह समय पर पूरे नहीं होने के क्या कारण हैं? आज मैं ऐसा मानता हूं कि यदि वास्तव में इन सपनों को साकार करना है, इन कल्पनाओं को साकार करना है, जो हमारी इच्छा है कि हम बूंद-बूंद पानी का सदुपयोग करना चाहते हैं, राजस्थान की धरती पर हम स्वर्ग उतारना चाहते हैं, राजस्थान की धरती पर हम हरियाली लाना चाहते हैं ठीक है, क्योंकि आज ये मन्त्री हैं इसलिए ठीक ही नजर आता है। कल तक मैंने इसके भाषण भी पढ़े हैं और सुने हैं और मैं भी सरकारी पक्ष में हूं। मेरी भी यह मजबूरी है कि कई बातें यहां पर बोल नहीं पाता हूं। मन्त्रीजी की भी मजबूरी है कि वे इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि हमने प्रशासन को उत्तरदायी बनाया। आज मन्त्री व हमारी सरकार भी अपने आपको असहाय महसूस करती है। जब हम मन्त्रिमण्डल के माननीय सदस्यों से बात करते हैं तो वे कहते हैं हमारी ही नहीं है।

श्री सम्पत सिंह (कृषि मन्त्री) : कौन कहता है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप भी कहते हैं। योजनाओं का पैसा अधिकारी और वे मिलकर हड़प जाते थे। उनकी नहीं चलती थी ऐसी बात नहीं थी। उनका तो एडजस्टमेंट था कि इस सारे पैसे का किस प्रकार उपयोग किया जाय। इस बार लैप्स हो रहा है। वह लैप्स इसलिए हो रहा है क्योंकि न तो एडजस्टमेंट हो रहा है और न आप उसको नियन्त्रण में रख पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया जारी रखें। समय का भी ध्यान रखें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो आप किसी प्रकार का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या तो आप एडजस्टमेंट कर लें। कम से कम यह तो लगे कि रुपये का सदुपयोग हो रहा है। कुछ बीच में आ रहा है, कुछ आपके पास भी आ रहा है। न आपके पास आ रहा है न योजनाओं पर लग रहा है। यदि इस प्रकार की कार्यवाही, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे शासन आने के बाद इन योजनाओं को ठीक प्रकार से देखा गया है, मानीटरिंग भी हो रही है और कई योजनाएं, जैसाकि आज कह सकते हैं राजस्थान नहर का जो हाल हुआ, यदि इसी प्रकार चलता रहता तो बीसलपुर क

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

भी वही हाल होता। लेकिन एक साल यह केवल लेट हुई है 91 में जिसको बनाकर अजमेर को पानी पिलाया था और 91 में पहला फेस जो पूरा करना था वह अब 92 में होगा। यह केवल एक साल का विलम्ब बीसलपुर में हुआ है वरना तो मैंने ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट देखें हैं जिनका कोई अन्त ही नहीं होता। एक 8 लाख की स्कीम चली और एक करोड़ की स्कीम चली और वह बढ़ते-बढ़ते जब तक विभाग और यह सरकार रहेगी तब तक सारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होना चाहिए यह एम आज ठेकेदारों का और अधिकारियों का मिलकर बन जाता है मैं समझता हूं उसको तोड़ने की आवश्यकता है, तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन इसमें अभी भी और इस प्रकार की आवश्यकता है कि समय पर हो।

अभी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में हमारे सिंचाई मन्त्री ने एक आश्वासन दिया है कि हम मार्च में 6 करोड़ रुपये मुआवजे, मुआवजे की राशि तो बहुत ज्यादा है, वैसे आपने यह कहा है कि सारा मुआवजा मार्च तक चुका दिया जायेगा लेकिन सारा मन्त्री महोदय आप नहीं चुका सकते। आपने जो 6 करोड़ का प्रावधान किया है, मेरी जानकारी के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि वह पैसा ट्रांसफर हुआ है। आज 6 करोड़ रुपये आप देने की बात कर रहे हैं वह ट्रांसफर हो रहा है, आपका विभाग वह मुआवजा नहीं चुका सकेगा। नोटिस नहीं दिए गए हैं। मुझे पता है कि जोधपुर से अधिकारी बुलाकर आप इस बात का प्रयास कर रहे हैं। आपकी नीयत में शक है मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, आपकी नीयत बहुत साफ है आपने अधिकारियों को बुलाया है और जल्दी ही नोटिसेज जारी हों और वह पैसा मिले, इस बात का दबाव आपका है, मुझे यह भी पता है कि 3 करोड़ रुपया आपने एक अधिकारी के जिम्मे किया है और तीन-साढ़े तीन करोड़ रुपया किसी दूसरे अधिकारी के जिम्मे किया है और यह सारी व्यवस्था करने के बाद भी आज मैं मेरी सूचना के आधार पर बता रहा हूं कि वह 6 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को और इस बात का प्रयास किया जा रहा है, वहां पर अभी तक नोटिस ही नहीं मिले हैं आप मुआवजा क्या खाक देंगे? इसलिए कहीं यह नहीं हो जाय, इस बात का आप ख्याल रखिए। मुझे खुशी है कि आपने इसरदा बांध के लिए मेरे से यह कहा है कि इसी साल आप इसकी घोषणा करेंगे, यह इसरदा बांध भी बनेगा। यह महत्वपूर्ण योजना है। मैं कई योजनाओं की बात कर रहा था मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ठीक प्रकार से मानिटरिंग द्वारा इस प्रकार की योजनायें नहीं बनें और समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर आप इन योजनाओं को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां तक इसरदा बांध का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक तरफ आपकी सिंचाई बढ़ेगी, इस प्रगति प्रतिवेदन में यह कहा है कि पानी जीवन है। हमने प्रारम्भ यहां से किया है कि पानी जीवन है और यदि जीवन हम यों ही चले जाने देंगे, जीवन को यदि हम ऐसे ही समाप्त कर देंगे तो मैं समझता हूं क्या होगा? आज हमारा जो पानी यहां के बाद उत्तर प्रदेश में जाता है, हमारे यहां

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

वह किसी प्रकार के उपयोग में आने वाला नहीं है वह बेकार चला जायेगा । बीसलपुर बांध बनने से हजारों गांव प्रभावित हुए हैं, जल स्तर नीचे चला गया है, मीठा पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी खराब हो गया है जगह–जगह पर है और कोई दूसरे प्रोजेक्ट प्रभावित नहीं होते । आज आप सतही जल योजना की बात करते हैं, इन योजनाओं में जिक्र है कि सतही जल का हम उपयोग करेंगे दूसरी तरफ अभी क्वश्चन आवर में माननीय मन्त्रीजी कह रहे थे कि बजट के उपलब्ध होने पर हम एनीकट्स पर विचार करेंगे । यहां जो रटे-रटाये जवाब जो पिछली सरकार की परम्परायें रहीं हैं उन परम्पराओं को तोड़ने की आवश्यकता है । आज बजट इस बात के लिए कि वह माही में लगेगा, केवल इन्दिरा गांधी नहर में लगेगा, केवल कुछ चुनी हुई योजनाओं के ऊपर उनकी छोटी-मोटी डिजाइन पेश करके योजनाएं जो बना रहे हैं वहां सिंचाई विभाग का सारा पैसा केवल उन योजनाओं में पड़ा रहे वहीं पर खर्च होता रहे, वहां भ्रष्टाचार पनपता रहे और अधिकारी और ठेकेदार उस पैसे को खाते रहे । इसको आपको तोड़ना पड़ेगा । आपको छोटी-छोटी योजनाएं जो उपयोगी हैं, आज जमीन खराब हो रही हैं आवश्यकता इस बात की है कि वहां एनीकट बने । आज नालों-परनालों और छोटे-छोटे नदी–नालों में पानी जा रहा है । लेकिन उसका आप कह रहे हैं 1000 एनीकट्स का प्लानिंग बनाकर हमने पेश किया है । सभापति महोदय, क्या आप इन छोटी-छोटी योजनाओं को उपयोगी नहीं मानते हैं और जो बहुत बड़ी राशि बीसलपुर में, माही में, बजाज सागर में रिजर्व रखते हैं मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी-छोटी जगहों पर बांध बाधेंगे, पानी रोकेंगे तो अण्डरग्राउण्ड वाटर बढ़ेगा, चार्जेज होगा और वहां की स्थानीय समस्याओं का समाधान होगा । आज उन नालों-परनालों से, छोटी-छोटी नदियों से जमीन जो कट रही है वह कटाव रुकेगा । आज इन पानी के बांध बनाने के पीछे सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना हैं । जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसके मुकाबले में हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसके रिटर्नस नहीं आ रहे हैं । इसको आपको देखना पड़ेगा, देखने की आवश्यकता है । मेरी इस डिमाण्डस पर आपके माध्यम से निवेदन है कि छोटे-छोटे बांध, जो योजनाएं आपने बनाई हैं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मास्टर प्लान बनाया है, आपके पास सारी सूचनायें हैं कि इतना पानी उपलब्ध है, इतने का उपयोग हो रहा है, इतने का नहीं हो रहा है । जो पानी का उपयोग नहीं हो रहा है वहां आप छोटी-छोटी योजनायें बनायें । बड़ी योजनायें बनाना लाभप्रद नहीं है । जहां बड़ी योजनाओं के बहुत नुकसान हैं वहां इन छोटी-छोटी योजनाओं से नुकसान नहीं है । बड़ी योजनायें, मैं जानता हूं आज बीसलपुर बांध बन रहा है । यह बहुत बड़ी योजना नहीं है ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। बीसलपुर योजना बहुत बड़ी योजना नहीं है लेकिन बीसलपुर बांध बनने से हजारों गांव समस्याग्रस्त हो गये हैं। आप लाभान्वित किसी को नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कब करेंगे? लेकिन आज वहां हजारों गांवों को ऐसा प्रभावित कर दिया है कि वहां का फ्लो अभी तक रुका नहीं है, माननीय सभापति महोदय, जिस दिन पानी का फ्लो रुक जायेगा उस दिन क्या समस्या वहां पर होगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए यह आवश्यक हैं कि आप वहां पर इसरदा बांध बनायें। उसकी आज ही जवाब में आप घोषणा करें यह आपसे मेरा आग्रह है। मेरा यह भी आग्रह है कि वहां की जो सोदरा नदी पर जो बांध बना हुआ उसका पानी जितना वेस्टेज होकर, फ्लो होकर बहता है वहां पर छोटे-छोटे एनीकट्स बनाने की आवश्यकता है। वहां पर मासी बांध की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। जो लाइनिंग का काम नहरों में है वह लाइनिंग का काम नहीं होने की वजह से बहुत सारा पानी बेकार चला जाता है और जमीन खराब हो जाती है। लाईनिंग की स्वीकृति देने की आवश्यकता है और इन सारी योजनाओं में जो ठीक काम नहीं हो रहा है, जो ठेकेदार समय पर काम नहीं कर रहे हैं, यदि उन ठेकेदारों पर कोई एक्शन नहीं होता है तो मंत्री महोदय, आप उनकी मॉनीटरिंग करिये। जो अधिकारी एक्शन नहीं लेता है, ठेकेदारों से मिला हुआ है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। आप यहां पर इसलिए बैठे हैं कि उनकी मॉनीटरिंग करें। जो गरीब का एक-एक पैसा राज्य के खजाने में आता है उसका सदुपयोग हो ताकि कृषि का उत्पादन बढ़े। यदि आपने दो-तीन-चार साल ठीक प्रकार से मानीटरिंग कर ली तो, मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि जो हमने पचास हजार हैक्टेयर भूमि का टारगेट अचीव किया, यह जो घोषणा करनी पड़ती है, आपको आगे आने वाले समय में यह घोषणा करनी पड़ेगी कि हमने डबल टारगेट अचीव कर लिया और आज हमारी फसलें लहलहा रही हैं, कहीं सूखा नहीं है, कहीं पर हमको अन्न लाने की जरूरत नहीं है और राजस्व से आपका खजाना भर दिया जायेगा। यदि आपने कृषि का उत्पादन बढ़ा लिया, यदि आपने इन योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू कर दिया, यदि पानी जो जीवन है, वह जीवन आपने खेतों में पहुचा दिया, लोगों के पास पहुंचा दिया तो मैं आपको विश्वासपूर्वक कहता हूं कि आने वाला समय आपका है और आपकी जय-जयकार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो सिंचाई का बजट इसमें रखा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन भावनाओं के साथ यह शब्द लिखे गये हैं और जिस भावना के साथ यह सरकार चाहती है कि किसानों के खेत में पानी पहुंचे और उसकी बहबूदी बढ़े, इसी रूप में आप सफल हों। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर।

(अनुपस्थित)

श्री हेतराम बेनीवाल।

3.30 म.प.

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई की मांग पर अपने विचार रखना चाहूंगा। निश्चित तौर से जो हमारी परियोजनाएं हैं, अन्तर्राज्यीय पानी जिन फैसलों से हमको मिलता है पंजाब की नदियों से, उस फैसले में जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने 1981 और 1984 में उस वक्त की प्रधान मन्त्री के दबाव में आकर पंजाब में जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई उनको सनसाइज करने के लिए पानी के शेयर में हमको नुकसान पहुंचाया। हमारे सिर्फ आधा मिलियन पानी का ही नुकसान नहीं हुआ, उस वक्त जो यह फैसला किया गया कि जब तक राजस्थान कैनाल पूरी तरह नहीं बन जाती, उसका जो अनयूज्ड वाटर है उसको पंजाब को इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। यह फैसला करके भी निश्चित तौर से उस वक्त की सरकार ने राजस्थान के लोगों के हितों को देखा है। राजस्थान के लोगों के हितों के साथ राजनैतिक सौदा किया है। निश्चित तौर से आज मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब से पानी लेने के मामले में इस प्रदेश में जितनी सरकारें भी आयी हैं, आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने भी एक गलती की है जिस वजह से पंजाब से पानी मिलने में हमको नुकसान हुआ है। अभी सितम्बर के महीने में हमने वहां पर भाखड़ा-व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड की बैठक में इस बात को स्वीकार किया है कि भाखड़ा और पौंग डेम को, पंजाब के अधिकारियों के दबाव में, पंजाब सरकार के मैम्बर के दबाव में, हम लोग्रर डाउन करेंगे, खाली रखेंगे। यह निश्चित तौर से राजस्थान के और गंगानगर जिले के हितों के खिलाफ है। उस पौंग डेम की एक पुरानी टैक्नीकल रिपोर्ट को लेकर, 1974 की टेक्नीकल रिपोर्ट को लेकर बी.बी.एम.बी. की बैठक में जो वहां पर हमारे मैम्बर ने, मैं समझता हूं कि जो हमारा वहां पर मैम्बर गया, या तो वह डर गया या वह अकेला रह गया, केन्द्र सरकार के जो पांच मैम्बर हैं उस बोर्ड के, उन मैम्बर्स ने भी और जो चैयरमैन कुमार है, उसने भी पंजाब की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि या तो राजस्थान-हरियाणा इस बात की गारंटी दें कि तीन सौ करोड़ जो नुकसान हुआ था 88 में फ्लड से, उस तरह का कोई फ्लड आ जाय तो उसको हम देंगे, अदरवाइज इन दोनों डेमों को हम खाली रखेंगे। माननीय सभापति महोदय, वह जो एक डेम है—पौंग डेम, उसमें हमारा 52 प्रतिशत शेयर है और भाखड़ा डेम में हमारा 15 प्रतिशत शेयर है। अगर उसको हम दस फीट खाली रखते हैं जैसा कि इस साल रखा है, उसमें हमारा लगभग तीन लाख क्यूसेक डेज नुकसान हुआ है हमको, यानि एक हजार (क्यूसेक प्रति दिन) यानि दो-ढाई लाख एकड़ जमीन में हमारी फसलें बच सकती थी अगर इस पानी को हम इस्तेमाल करते और पानी भी हमारा इस तरह से इस्तेमाल में आता है। माननीय सभापति महोदय, इसी फैसले के दौरान राजस्थान कैनाल में पानी हमारा इतना कम हो गया कि राजस्थान कैनाल की एक नहर को सवा महीने के लिए बन्द करना पड़ा और वहां के किसानों की पूरी फसलें बरबाद हो गई। इसी तरह से एक दिन ऐसा आया कि सारे भाखड़ा सिस्टम में, जिसमें दो हजार क्यूसेक पानी है, केवल 2100 क्यूसेक पानी रहा। एक दिन के हमारे शेयर ने पूरे इलाके के लोगों की, जिनकी बारियां-बारियां थी,

(श्री हेतराम बेनीवाल)

उनकी फसलों को बरबाद कर दिया। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि यह फैसला करने पर मुझे एक एतराज है कि जो राज्य सरकार के अधिकारी ने फैसला किया है, कहीं अगर हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमेशा के लिए हम इस तरह से खाली रखेंगे और पंजाब की यह मांग आ गई, पंजाब आज निश्चित तौर से देश के हितों को नहीं देख रहा। जो उनका पानी है वह फालतू बहा देगा, पाकिस्तान में चला जायेगा, परन्तु राजस्थान में नहीं आयेगा। उन्होंने अगर यह शुरू कर दिया कि हर साल इस तरह से खाली रहेगा तो निश्चित तौर से राजस्थान का बहुत बड़ा अहित होगा। मैं समझता हूं कि, राज्य सरकार इस मामले में मजबूती से कदम उठायेगी और उन अधिकारियों को, जो उस बैठक में अटैण्ड होते हैं, उनको सचेष्ट करेगी कि हम इस बात का मुकाबला करेंगे और उस डैम को आयन्दा के लिए कभी खाली रहने नहीं देंगे, पूरा भरेंगे जिस तरह से पहले भरता रहा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात जो हमारे इस पूरे सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है वह यह कि हमने बीस करोड़ रुपये गंगानगर जिले में गंग कैनाल के ऑल्टरनेटिव एक लिंक कैनाल बनाने के लिए लगाये हैं। बीस करोड़ रुपये हमने लगा दिये, सारा पैसा हमारा लग गया, छः महीने से वह लिंक नहर, नहर से इसलिए नहीं जोड़ी जा रही कि पंजाब सरहिन्द नहर को बन्द नहीं करना चाहता। क्या राजस्थान सरकार की दयनीय स्थिति नहीं है कि हम पूरी सरकार, केन्द्र सरकार से हमारे इस तरह के सम्बन्ध है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन श्री चन्द्रशेखरजी से हमारे इस तरह के सम्बन्ध हैं, इनसे पहले भी प्रधान-मन्त्रीजी से हमारे इस तरह के सम्बन्ध रहे, क्या हम इस बात को नहीं कर सकते कि हमारी कैनाल जिस पर बीस करोड़ रुपये लग गये, उसको लिंक करने के लिए जो बीच की नहर है जिसके ऊपर से उसको लिंक होना है, पंजाब इस बात पर अड़ा हुआ है कि इसको बंद नहीं करेंगे। मैं आज कहता हूं, पिछली बार मन्त्रीजी यहां ऐलान कर रहे थे कि हम जून में शुरू कर देंगे, फिर दिसम्बर में और अब पता नहीं कि कौन से जून में शुरू करेंगे। हमारी दूसरी सबसे बड़ी बात इस विभाग की यह है कि हम उस कैनाल को, जिस कैनाल का बहुत बड़ा असर गंगानगर जिले की सिंचाई व्यवस्था पर पड़ेगा, उस लिंक कैनाल को हम शुरू करवायें, पंजाब पर दबाव डालकर और केन्द्र सरकार पर दबाव डालकर, मैं इसमें चाहूंगा कि सारे हाउस को एक होकर, पूरे के पूरे विरोध और सत्ता पक्ष, दोनों को इस बात पर एक साथ होकर इस मामले में लगना चाहिए, इसमें राज्य सरकार का हित है कि बीस करोड़ की हमारी योजना पूरी हो और यह लिंक शुरू हो सके।

दूसरी बात, माननीय सभापतिजी, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो कैनाल सिस्टम है, तीनों के तीनों बड़े कैनाल सिस्टम राजस्थान कैनाल, भाखड़ा कैनाल और गंग कैनाल, उसमें अलग-अलग अलाउन्सेज ऑफ वाटर हैं, ज्यों-ज्यों हमको पानी अवेलेबल हुआ, अलग-अलग अलाउन्सेज रखे। पहली

(162)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जो हमारी नहर है उसमें ढाई क्यूसेक पानी है एक हजार एकड़ का, दूसरी नहर में 2.34 प्रति हजार एकड़ है, तीसरी नहर जो हमारी है उसमें 3.5 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यह जो पानी का अलाउन्स रखा है, यह किसी वैज्ञानिक ने यह सोचकर नहीं रखा कि नीचे की धरती कैसी है। राजस्थान कैनाल के नीचे आगे हम जायें तो वहां कैल्शियम बहुत ज्यादा है और इसी वजह से राजस्थान क्षेत्र में साढ़े तीन की बजाय अब हम साढ़े छ: क्यूसेक तक इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका नतीजा है कि बहुत से इलाके में सिंचाई की वजह से वाटर लागिंग हो रहा है और दूसरी तरफ इस तरह का इलाका है इस भाखड़ा और गंग कैनाल का कि आज तक भी तीस प्रतिशत इलाका बिना सिंचाई के पड़ा है और जो इन्टेन्सिटी है भाखड़ा के इलाके में, कई जगह 65 प्रतिशत है, कई जगह 60 प्रतिशत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, इस तरह की योजनायें बनाये कि इन सारी कैनाल्स को रि-मॉडल किया जाये और सारी कैनाल्स को रि-मॉडल करके जिस जमीन में, जिस धरती में जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी दे और जिस किसान से हम आबियाना हिस्सा लेते हैं, टैक्स उससे वही लेते हैं, एक को पानी ढाई क्यूसेक दे, दूसरे को पांच क्यूसेक, यानि दुगना पानी दें, इसमें क्या तुक है, किस आधार पर हम देते हैं ? इसलिए रि-मॉडल करके कैनाल्स को एक-सा पानी सारी योजनाओं में दिया जाय।

सभापति महोदय, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि पानी के रेगूलेशन के लिए, माननीय सिंचाई मन्त्रीजी महसूस करेंगे कि किसानों को पानी देने का और नहर चलाने का रेगूलेशन इस तरह का बना हुआ है कि उसमें फ्लेक्चुएशन आने से पंजाब से और राजस्थान कैनाल का सिस्टम एक न होने से वहां के किसानों की फसलें हर साल बरबाद होती है। पानी हमारे पास है, हम अपने पास पानी रखें, एक नहर में पानी हम ज्यादा डाल रहे हैं, दूसरे में हम उसको पूरा चला नहीं सकते, इसलिए मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक दफ्तर वहां एडीशनल चीफ का खोला है, अगर चीफ का दफ्तर खोलें तो चार सौ रुपये और इनको खर्चा करना पड़ेगा, और एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, आज हमारा एडीशनल चीफ और एक्स. ईएन. उनको अपने दफ्तर में घुसने नहीं देगा, वहां का ए. ई. एन. भी उनसे नमस्ते नहीं करेगा।

मैं निवेदन करूंगा कि हनुमानगढ़ में एडीशनल चीफ के बजाय चीफ का दफ्तर हो, हमारा चीफ वहां बैठे और इन तीनों नहरों में जो पानी है उसके सिस्टम को वहां से रेगूलेट करे और जो चण्डीगढ़ का सर्किल है वह निश्चित रूप से उसके नीचे हो ताकि सारे पानी की व्यवस्था कर सके।

मैं अन्त में एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो नहरों का मेन्टीनेन्स है उस मेन्टीनेन्स के लिए हर साल

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लाखों रुपया सरकार रखती है कि नहरों की सफाई करवायेंगे, नहरों को ठीक करेंगे, उसके वर्क्स कटिंग करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय सभापतिजी, कि एक नया पैसा खर्च नहीं होता। मार्च के आखिरी दिनों में सारा पैसा, मुझे माफ करेंगे राजस्थान सरकार के इन्जीनियर्स, एक महीने के अन्दर सारा पैसा, वह आपस में बांट लेते हैं। इसका इलाज यह है कि उस पैसे को आप पूरी तरह से उन नहरों को पक्का करने में इस्तेमाल कीजिए जितना पैसा उन कैनाल के मेन्टीनेन्स का है। हम किसान, गंगानगर के उन नहरों की सफाई करते हैं, उन नहरों को मेन्टेन करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, हजारों एप्लीकेशन्स आपको दिखाऊंगा कि जिसमें किसानों ने परमीशन ली है कि हमको नहरों की सफाई करने की परमिशन दी जाये और ए. ईएन. और जे. ईएन. उनको परमिशन देते हैं। तो निश्चित तौर से किसान जब ठीक करते हैं उस नहर को, उनकी सफाई करते हैं तो वह सफाई का पैसा उन नहरों को पक्का करने में, उनका जो पोर्शन्स हैं धीरे-धीरे उनके पक्का करने में लगायें और अगर हम 5 साल तक इस बजट को इस्तेमाल करेंगे तो आधे से ज्यादा नहरें जो कि छोटे-छोटे माइनर्स हैं वह ठीक हो जायेंगे और उस तरफ की व्यवस्था हमको नहीं करनी पड़ेगी कि उनकी मेन्टीनेन्स का लाखों रुपया खर्च करना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं राजस्थान के सिंचाई मन्त्रीजी इस मामले में ध्यान देंगे और गंगानगर जिले की और बीकानेर जिले की समस्यायें हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे।

श्री सभापति : श्री बृजलाल मीणा।

(व्यवधान)

मैंने तो आपका नाम पुकारा था। आप कहीं बाहर गयी हुई थीं। श्रीमती मदन कौर। (व्यवधान)

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में सिंचाई के साधनों का अभाव है। इस प्रदेश में कैनाल चम्बल नदी को छोड़कर कोई ऐसी नदी नहीं है जो साल भर बहती हो। अब जो कुछ फ्लो इरिगेशन के हमारे पास छोटे-मोटे साधन हैं उनके स्रोत अधिकतर राजस्थान से बाहर हैं। उनकी वजह से मुसीबत से लड़-झगड़ कर जैसे-तैसे हमको जो पानी मिलता है वह हमारे इस प्रदेश के व्यापक क्षेत्रफल को देखते हुए बहुत ही अपर्याप्त है और इसी के साथ-साथ इतना ही नहीं हमारे प्रदेश में भूतल के पानी के स्रोत भी बहुत ही कम हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि राजस्थान में पानी का उपभोग, पानी का उपयोग बहुत ही जुडिशियस तरीके से किया जाना चाहिये। इस प्रदेश में अधिकांश नहरी क्षेत्र नहरों से सिंचित क्षेत्र गंगानगर जिले में, कोटा में, बूंदी में और अब थोड़ा बहुत बीकानेर में भी आने लगा है और इस बात को यह सदन जानता है कि जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हुए उसी के साथ बड़े विस्तृत क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की प्राब्लम भी हमारे सामने आकर खड़ी हो गयी। इसलिए यह जरूरी है कि जहां कहीं हमें इरिगेशन के साधन उपलब्ध हैं वहां नहरों के साथ-साथ ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था भी हमें करनी होगी अन्यथा एक तरफ हम पानी का

164.

(श्रीमती मदन कौर)

वेस्टेज करेंगे और दूसरी तरफ हमारी उपजाऊ जमीन भी अधिकाधिक ऊसर होती चली जायेगी। राजस्थान कैनाल जब आगे नीचे की तरफ टेल की तरफ जाती है तो वहां जैसलमेर जिले में बड़े विस्तृत क्षेत्र में नीचे जिप्सम के भण्डार हैं। अब उस क्षेत्र में तो निरन्तर सिंचाई होने के बाद भी उस जमीन के ऊसर होने का खतरा है। ऐसी स्थिति में मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि कम पानी से जो फसल ली जा सके उनको प्रोत्साहित करें और जो ऐसा क्षेत्र है जहां जिप्सम नहीं है और जहां आबादी है और वहां लोगों को पीने के पानी की किल्लत है कठिनाई है, पशुओं के लिए पानी की दिक्कत है तो कुछ नहरें बाड़मेर जिले के ऐसे क्षेत्र की तरफ डाइवर्ट की जानी चाहिए। मैं आपको सुझाव देना चाहती हूं फलसूण्ड से एक वितरिका हीरा की ढाणी, सोहड़ा गिड़ा से लेकर तिलवाड़ा लूणी नदी तक एक प्राकृतिक स्रोत है इसकी एक योजना बन चुकी है और फिजीबल भी है, उसे बनाया जाय। उस क्षेत्र में अच्छी खासी आबादी रहती है और मेरा यह आग्रह इसलिए है कि बाड़मेर जिले पर इन्दिरा गांधी कैनाल का बहुत बड़ा अधिकार होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि विभाजन से पहले बाड़मेर जिले में अकालग्रस्त लोग अपने रोजगार के लिए सिंध के इरिगेटेड क्षेत्र में अकाल के समय मजदूरी के लिए जाते थे लेकिन विभाजन के बाद दुर्भाग्यवश रोजगार का वह रास्ता हमारे लिए बन्द हो गया। अब छोटे-मोटे रोजगार साधन मिलते हैं। फलस्वरूप उसके बाद से वहां के लोगों की साल दर साल हालत खराब हुई इसलिए जो इरिगेशन सिस्टम इस प्रदेश को मिले हैं उस पर बाड़मेर जिले के लोगों का भी बहुत बड़ा अधिकार मिलना चाहिये, मैं आपको यह मेरा सुझाव देना चाहती हूं। मैं यह नहीं कहना चाहती कि इस नहर के माध्यम से वहां लोग गेहूं पैदा करें, रायड़ा पैदा करें, सरसों पैदा करें। जहां पानी की ज्यादा आवश्यकता है वह फसल हम नहीं करना चाहते हैं। हम एक वितरिका इस काम के लिए चाहते हैं कि पशुओं को पीने का पानी मिले, लोगों को पीने का पानी मिले और उसके साथ-साथ छोटे-छोटे चरागाह की व्यवस्था हो ताकि वहां की इकानामी सुधरे, वहां के लोगों पलायन नहीं करें और साथ ही साथ दूसरे क्षेत्रों में जो वाटर लागिग की प्राब्लम है उस समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

अब, मैं बाड़मेर जिले की जो लूणी नदी बहती है उसके सम्बन्ध में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। लूणी नदी हर साल नहीं आती। पांच, छः, सात साल में एक बार पानी आता हैं और बहुतायत में आता है। इस नदी में बाड़मेर से आगे सिंधरी के पास एक ऐसा रीच है जहां नदी बहुत गहरी है, पथरीली है और उसके साथ-साथ सकड़ी भी बहुत है और उसके आस-पास का जो क्षेत्र है वह बहुत उपजाऊ है। इसलिए मेरा सुझाव राज्य सरकार से यह है कि उस स्थान पर एक छोटा बांध बनाकर, छोटा एनीकट बनाकर पानी को रोका जाय, इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए जिससे न केवल हमारा यह पानी वेस्ट होने से ही नहीं बचेगा, पेय राहत भी होगी पेटाकाश्त का रकबा भी बढ़ेगा। राज्य सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

(श्रीमती मदन कौर)

सभापति जी, इस साल प्रदेश में पश्चिमी जिलों में अच्छी बरसात हुई, बाढ़ आई उसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में बाड़मेर जिले में जो बाढ़ बचाव के कार्य बने हुये थे। बन्ध बने हुए थे उनका भारी नुकसान हुआ। मैं उदाहरण देकर प्रस्तुत करना चाहती हूं सदन के सामने कि गुढामालानी तहसील का गांव डेडावा आज ऐसी स्थिति में आ गया है कि अगर मानसून में उस नदी में पानी आगा तो भारी जन धन की हानि होगी और वह पूरा का पूरा बह जाने का अन्देशा है, क्योंकि उसके बाद से लूणी और सूकड़ी दोनों ही नदियां दोनों तरफ से आती हैं। बन्धा बना हुआ था, पूरा टूट गया और आज स्थिति यह है कि बाड़मेर जिले में इस बाढ़ बचाव के कार्यों के तहत मरम्मत कराने के लिए एक रुपया भी राजस्थान सरकार ने आज तक स्वीकृत नहीं किया। इसी तरह बालोतरा के पास की नदी में स्पर्स बने हुए हैं, जहां साकरना गांव, लामड़ी गांव, यहां की जमीन बहुत उपजाऊ है। अगर बाड़मेर जिले की सबसे उपजाऊ जमीन है तो इस साकरना लामड़ी के बिठूजा के आसपास है। अगर इन स्पर्स को रिपेयर नहीं कराया गया, तो अगले मानसून में बरसात आती है तो इस बात का भारी खतरा है कि वहां बड़े व्यापक क्षेत्र में उपजाऊ जमीन समाप्त हो जायगी, लोग खतम हो जायेंगे और वहां सम्पत्ति नष्ट होगी। इसलिये मेरा राज्य सरकार को आग्रह है कि आप यह बाढ़ बचाव के कार्य तुरन्त चालू करें। उसमें समय लगता है और बरसात से किसी का रिश्ता नहीं है। पिछली बार बरसात आई, इस साल भी आ सकती है और अगर नदी आई तो यहां भारी नुकसान हमारे होगा।

मान्यवर, मैं इसी के साथ अपने प्रदेश में इरिगेशन डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट जो प्राईवेट कंसल्टेन्सी सर्विस का उपयोग करते हैं, इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं। सिंचाई विभाग में इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट में हमने कुछ विशेष काम वेपकोस (wapkos) नाम की एक कंसल्टेन्सी सर्विस के सुपुर्द किये हैं। वहां कमाण्ड एरिया के सर्वे का काम 1988 में उनको सुपुर्द किया। पहली बात तो मैं यह पूछना चाहती हूं, क्या हमारी राज्य सरकार की नीति यह है कि प्राईवेट कंसल्टेन्सी सर्विस का उपयोग करे जबकि वैसा ही एक्सपर्टाइज हमारे पास डिपार्टमेंट में मौजूद है। सिंचाई मन्त्रीजी जब आप जवाब दें तो यह भी बतावें कि क्या आपने इस तरह की नीति बना ली है। अगर आपने नीति बना ली है तो मैं आंकड़े देकर बताना चाहती हूं कि यह हमारी स्टेट के लिये एक महंगा सौदा है। वेपकोस की कंसल्टेन्सी सर्विस हम उपयोग में ले रहे हैं, 1988 में हमने यह काम उनको सुपुर्द किया और रेट क्या आई थी? 390 रुपये प्लस 8 परसेन्ट एस्कलेशन चार्जेज यह हमने उनसे एग्रीमेंट किया प्रति हैक्टेयर का और दो साल में काम पूरा करने की बात कही। दो साल में उन्होंने काम पूरा नहीं किया। अब इसी तरह का विभागीय काम किया गया है उसकी रेट आई थी 240 रुपये पर हैक्टेयर। इस कंसल्टेन्सी सर्विस को यह काम देने की वजह से आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट में दो सर्कल तोड़ने पड़े। दो सर्कल तोड़ने का मतलब, सभापति महोदय, यह हुआ कितने युवा इन्जीनियर

(श्रीमती मदन कौर)

बेकार हो गये, कितने जे.ई.एन. को काम नहीं मिला। एक तरफ हमारे प्रदेश में बड़ी सख्या में इन्जिनियर बेरोजगार बैठे हैं, डिग्री प्राप्त किये हुए इन्जीनियर्स सिविल में, दैनिक वेतन भोगी हैं मारे-मारे घूमते फिर रहे हैं नौकरी के अभाव में, दूसरी तरफ आप इस वेपकोस नाम की संस्था को काम सुपुर्द करते आ रहे हैं जिसका काम कोई श्रेष्ठ नहीं है। यह बात नहीं वहां कोई एक्सपर्ट नहीं है। इस संस्था में काम कौन कर रहे हैं यह भी सुन लीजिये आप। इस संस्था में आपके इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के बड़े अफसर जो रिटायर होते हैं वह इस संस्था में तनख्वाह से चौगुनी तनख्वाह पर वहां काम करते हैं। उनमें प्रतिभा रही होगी, उनको प्रतिभा दिखाने का मौका आपकी सर्विस में ये मिल गया, जो कुछ प्रतिभा उनके पास थी उसका लाभ स्टेट को मिल गया। इसलिये पहले तो आपको यह निर्णय बना लेना चाहिये कि आपके पास जो इंजीनियर्स हैं, आपके पास काम करने वाले लोग हैं, आप प्राइवेट कंसल्टेन्सी सर्विस को यह काम सुपुर्द नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास इन संस्थाओं के पास कोई नया एक्सपर्टाइज नहीं है। वही लोग हैं जो आपके यहां से रिटायर होकर जा रहे हैं। इस वेपकोस सस्था को आर.एस.ई.बी ने एक काम सुपुर्द किया। उसके एक्सपर्टाइज की मैं बात कहना चाहती हूं कि उनमें कितनी योग्यता है, कितने क्वालीफाइड हैं। वेपकोस संस्था को मांगरोल, कोटा में आर. एस. ई. बी. ने एक डिजाइन के लिये काम दिया। उनका डिजाइन इतना गलत था, उस स्ट्रक्चर में क्रेक्स आने लगे। तो इसलिये यह संस्थाएं आपको कोई एक्सपर्टाईज नहीं दे सकती हैं। आपके यहां इंजीनियर्स की बेरोजगारी खतम होगी, अतः आपको यह नीतिगत फैसला कर लेना चाहिये कि हम ऐसी प्राइवेट कंसल्टेन्सी संस्थाओं को अपने यहां किसी तरह का काम सुपुर्द नहीं करेंगे।

इसके बाद, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, आपके डिपार्टमेंट में भी जो छोटे इंजीनियर हैं, कनिष्ठ अभियन्ता, उनकी हालत बड़ी खराब है। 15-15 साल हो गये डिग्री होल्डर्स को, जो जूनियर इंजीनियर हैं, एक प्रमोशन नहीं मिला उनको। अब उनके अन्दर एक निराशा का वातावरण फैला हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास पोस्ट नहीं हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं दो मिनट में खतम कर रही हूं। आपके पास दो सौ सहायक अभियन्ता की पोस्ट्स सिंचाई विभाग में खाली हैं। लेकिन आपके अनिर्णय की स्थिति की वजह से, आपके विभाग में कन्फ्यूजन की वजह से यह पद भरे नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके जो कनिष्ठ अभियन्ता हैं वह बहुत निराश हो चुके हैं, उनमें कोई उत्साह नहीं है और अगर यही वातावरण रहा और यही स्थिति रही तो यह कनिष्ठ अभियन्ता जो आपके यहां लगे हुए हैं वह सेवानिवृत्त भी इसी पद से हो जायें। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इन दो सौ पदों पर इन लोगों को प्रमोशन देवें। आपने आर. पी. एस. सी. को पोस्ट दे दीं। आर. पी. एस. सी. को पोस्ट देने का मतलब यह हुआ कि जो 15-15 साल से इंजीनियर्स यहां काम कर रहे हैं उनको आप कम्पीट करायेंगे, इनसे जो नये निकल कर आये हैं

(श्रीमती मदन कौर)

उनके साथ यह कम्पीट कर नहीं सकते। आपने पी. डब्ल्यू. डी. में यह नतीजा देख लिया। पी. डब्ल्यू. डी. में आठ साल बाद आर. पी. एस. सी. हुई, उसमें इम्तिहान हुए, पचास पर्सेन्ट लोग दिल्ली और यू. पी. के ही यहां पास हुए हैं। फिर अपने प्रदेश के लोगों को कौन नौकरी पर लगायेगा। इसलिये आपको इस बात का फैसला करना चाहिये कि आठ-आठ, दस-दस साल तक आर. पी. एस. सी. नहीं हो तब फिर यह सीधी भर्ती के लिये जो सेवा में लगे हुए हैं, उन इंजीनियर्स को रिटर्न एग्जामिनेशन से एग्जम्प्शन मिलना जरूरी है।

आपने घंटी बजा दी, दुबारा घंटी बजायें उनसे पहले मैं उपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हीरालाल आर्य।

एक माननीय सदस्य : मेरा नाम पढ़ा था।

श्री सभापति : आप थे नहीं।

एक माननीय सदस्य : मैं खड़ा था, पहले उनको मौका दिया, किसने कहा नहीं था।

श्री सभापति : अब इनके बाद बुलवायेंगे। बाद में बोल लेना।

एक माननीय सदस्य : फिर पांच बजे बाद दिया जाय।

श्री सभापति : कोई बात नहीं। बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या हो।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, हमारा प्रान्त एक कृषि प्रधान प्रांत है। यहां के लोगों का मुख्य धंधा कृषि करना है। राजस्थान में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। राजस्थान में कभी अतिवृष्टि होती है और फसल नष्ट हो जाती है, कभी कम वर्षा से अकाल की स्थिति होती है। इसलिये भारत जैसे कृषि प्रधान एवं बहु संख्या वाले देश के लिये यहां की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने के लिये आवश्यक है कि कृषि के लिये सिंचाई का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और प्रान्त में वर्षा की कमी को देखते हुए जो कुछ भी जल हमें उपलब्ध है उसका सिंचाई के लिये उपयोग करने के लिये उपलब्ध कराना और प्रदेश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये सिंचाई के साधनों का महत्व और बढ़ जाता है। इस प्रकार बहुत कम क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध है। हमारी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो सरफेस वाटर है, जो भूमि के नीचे पानी है, उन दोनों का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। पिछले साल सिंचाई के लिए 182.73 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे और वर्ष 91-92 के लिए 232.57 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इससे मुझे विश्वास है कि अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वैसे राजस्थान में सिंचाई के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन मुख्य रूप से मैं चम्बल परियोजना से सिंचाई की चर्चा करूंगा। चम्बल सिंचाई परियोजना देश की बड़ी सिंचाई

(श्री हीरालाल आर्य)

और विद्युत परियोजना है इस पर तीन बड़े-बड़े बांध और एक बैराज है जिससे नहरें निकलती हैं और राजस्थान और मध्य-प्रदेश में सिंचाई करती हैं। इसमें दाहिनी मुख्य नहर 272 किलोमीटर लम्बी है जो 130 किलोमीटर राजस्थान में और बाकी मध्य प्रदेश में है और बांयी मुख्य नहर जिसकी लम्बाई 160 किलोमीटर है उससे मुख्य रूप से राजस्थान मे ही सिंचाई होती है। इस प्रकार राजस्थान के कोटा और बून्दी जिले की 6 पंचायत समितियों में चम्बल की नहरों से सिंचाई होती है। जल निकास और खेत सुधार की कमी, अपर्याप्त सड़कें, असन्तोषजनक रखरखाव और प्रभाव-शाली सहयोग के अभाव में कृषि उत्पादन निर्धारित सीमा तक नहीं पहुंच सका इस वजह से मूल्यवान भूमि की एक तरफ हानि हुई और दूसरी तरफ कृषि उत्पादन पर भी उससे प्रभाव पड़ा। इन दोषों को दूर करने के लिए 1974 में चम्बल सिंचित, क्षेत्र विकास की स्थापना की गई जिसके अधीन कई कार्यालय मुख्य रूप से सिंचाई, कृषि, राजस्व, वन विभाग भू-संरक्षण और सहकारिता जिसमें खाद बीज आदि की व्यवस्था करना प्रमुख था, इस परि-योजना में सिंचाई, कृषि और जलोत्सरण के कार्य किये जाने थे। चम्बल आयुक्त के अधीन कई आफिसेज जिनमें अधीक्षण अभि-यन्ता (सिंचाई), परियोजना निदेशक (कृषि), सयुक्त निदेशक (अनुसंधान), परियोजना निदेशक (भूमि विकास) और मुख्य लेखा-धिकारी थे। जिसको दो भागों में काम बांटा गया।

श्री सभापति : आप सारा समय इसी में बिता देंगे तो अपनी बात नहीं कह पायेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : फर्स्ट फेज में जो काम था मुख्य रूप से उसमें सिंचाई, ड्रेनेज, नहरों का रख रखाव, आदि प्रमुख था। खाद-बीज आदि की व्यवस्था करना सड़कें आदि बनाना यह काम किये जाने थे इन सारे कामों को मिला कर पूरी परियोजना का काम 1980 तक पूरा होना था लेकिन कुछ पैसा बच गया था उसके उपयोग के लिए इस योजना को 81–82 तक बढ़ा दिया गया। 1982-83 में जो कुछ राशि बची थी उससे अगले साल की सैकण्ड स्टेज की तैयारी की व्यवस्था की गई। लेकिन ज्योंहि सैकण्ड स्टेज के लिए प्रोग्राम बना कर, मुख्य रूप से विश्व बैंक की सहायता से सैकण्ड फेज की योजना बनाई गई थी जिसको बाद में परिवर्तित करके 86 करोड़ की गई। बाद में द्वितीय चरण की योजना को फिर परिवर्तित करके 69 93 करोड़ की योजना बना कर 1985 मे राज्य सरकार को भेजी लेकिन तब से पता नहीं क्यों कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी कि किसानों का इस क्षेत्र में विकास हो, सी. ए. डी. के सैकण्ड फेज को समाप्त कर दिया। राजनेताओं का स्वार्थ, अधिकारियों, कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण हाड़ौती की यह महत्वपूर्ण योजना जिसको समाप्त करने की सी. ए. डी. बात कर रही है उसे न तो समाप्त किया जा रहा है न दूसरे फेज को पास करके भेजा जा रहा है। इस वजह से जो पहले फेज में काम हुआ सड़कें, नहरें ड्रेनेज के आधे क्षेत्र में

(श्री हीरा लाल आर्य)

काम हुए और आधे क्षेत्र में काम नहीं होने की वजह से जो कुछ भी राशि इस पर खर्च की गई उसका कोई उपयोग नहीं किया गया है। क्योंकि यही कांग्रेस सरकार की नीति थी, मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि जो सी. ए. डी. की मूल योजना है सैकण्ड फेज की उसको वापस प्रारम्भ किया जाय और जो कैचमेन्ट का काम इसमें लिया गया है, जिसमें यद्यपि सिंचाई व्यवस्था करनी थी, ड्रेनेज, सड़कें बनानी थी, खाद-बीज आदि के कृषि अनुसंधान करके कृषि को उन्नत किया जाना था उसकी बजाय सी. ए. डी. का कैचमेन्ट का काम इतना बदनाम हो गया, भ्रष्टाचार की वजह से किसान जिन्दगी भर चुकायें तो भी रकम नहीं चुका पाते। किसानों को कोई लाभ मिला नहीं। कई बार यहां पर हमने कैचमेन्ट की राशि माफ करने की पुरजोर शब्दों में मांग की लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि कैचमेन्ट की राशि को माफ करने की उन्होंने बजट में घोषणा की है। इससे हमारे क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ मिला है क्योंकि कैचमेन्ट से उस इलाके के किसान बहुत प्रभावित थे, जिन्दगी भर चुकाते तो भी वह पैसा नहीं चुका पाते, उन 9763 किसानों पर जो करीब 10 करोड़ की राशि चढ़ी हुई थी वह माफ करके किसानों से वसूल नहीं करने की घोषणा की उससे किसानों को बड़ी राहत मिली है इसके लिए मैं राज्य सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

इस सी. ए. डी. में जो ड्रेनेज की व्यवस्था की गई थी उनके रख-रखाव के अभाव में सारी ड्रेनेज भरी हुई है। नहरें जर्जर और जगह-जगह पर टूटी पड़ी है, उनमें शिल्ट आ गई है, उनकी सफाई नहीं हुई है और इस वजह से पानी ओवर फ्लो होता है। नहरें और ड्रेनेज के रख-रखाव के लिए राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए तभी जाकर चम्बल सिंचाई परियोजना से किसानों को राहत मिल सकती है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सूकणी साइफन से पश्चिम की ओर रणोदिया गांव तक सूकणी नामक स्थान पर नहरें आने से पहले जमीन बहुत उपजाऊ थी लेकिन वहां पर नहरें आने से पानी भर गया है वहां डैम बनाने की बहुत आवश्यकता है। इस मांग को लेकर मैं बार-बार यहां पर निवेदन करता रहा हूं लेकिन राज्य सरकार की अकर्मण्यता की वजह से वहां अभी तक डैम नहीं बन पाया। चूंकि यह सरकार किसानों के हित में काम करने वाली है इसलिए सी. ए. डी. मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सूकणी नामक स्थान पर ड्रेन बनाने की अविलम्ब राशि स्वीकृत करें ताकि किसानों को लाभ मिल सके। रणोदिया बाण्या, भांडोल, मूंदेरा, डाडोदा गांवों में जो रास्ते अवरूद्ध हो रहे हैं वह ठीक हो सकें और किसानों की उपजाऊ जमीन में भरा हुआ पानी दूर हो सके। नहरों के रख-रखाव के लिए अभी तक दो-ढाई लाख ही दिये जाते हैं वह अपर्याप्त है। इटावा और रैना ब्रान्च कैनाल से निकलने वाली ड्रेनों और नहरों की हालत जर्जर है इसलिए नहरों के रख-रखाव के लिए अधिक राशि का प्रावधान किया जाय। चम्बल की नहरों से लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए

(श्री हीरालाल आर्य)

प्रस्ताव बना कर राज्य सरकार ने सी.डब्लू. सी. को भेजे हुए हैं—जिनमें गणेशगंज लिफ्ट योजना और उसके दक्षिण में हिंगोनिया ब्रान्च के लिए एक लिफ्ट योजना बना कर भेजी हुई है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गणेशगंज लिफ्ट सिंचाई योजना बनकर तैयार है, वहां का काम एक दम तैयार खुदा पड़ा है लेकिन केवल कनेक्शन पम्प हाउस का काम पूरा न होने की वजह से अधूरा पड़ा है।

मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इसके लिए इन्होंने 24 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। इसमें सिविल वर्क बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। सिविल वर्क प्रारम्भ करें, कनेक्शन की व्यवस्था करें ताकि उसमें पानी छोड़ा जाकर किसानों को राहत दी जा सके।

इसी प्रकार हिंगोनिया क्षेत्र के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना बनी पड़ी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बहुत समय लेते हैं। इससे दूसरे सदस्यों को बहुत परेशानी है। आप समाप्त कीजिये। आपने सबसे ज्यादा समय आलरेडी ले लिया है।

श्री हीरालाल आर्य : हिंगोनिया पंचायत के लिए श्यामपुरा, पारलिया, भटवाड़ा आदि गांवों के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना है, उसको भी स्टेट प्लान में लेकर लिफ्ट सिंचाई योजना को प्रारम्भ करें। इतना मेरा निवेदन है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले के चारों तरफ नदियां है, कहने के नाम पर हमारा क्षेत्र सी.ए.डी. के चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में आता है लेकिन समूचे क्षेत्र का एक चौथाई एरिया ही उससे सिंचित होता है। अब यह हमारे क्षेत्र की त्रासदी कहनी चाहिये कि 4–5 नदियां वहां बहती हैं जिनमें अतिरिक्त पानी है जिसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार इन नदियों में पर्याप्त पानी है। नदी और नालों में जल भण्डारण 103 टी. एम. सी. (थाउजैण्ड मिलियन क्यूबिक फीट) या 2.36 मिलियन एकड़ फीट है। सिंचाई का उपयोग करने के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना बनाई जानी चाहिये जिसकी मांग मैं बराबर करता आ रहा हूं लेकिन सिंचाई वाले तो कहते हैं कि यह कमाण्ड क्षेत्र में आता है इसलिए हम नहीं बनाते और कमाण्ड वाले कहते हैं कि हमारे यहां लिफ्ट की कोई योजना नहीं है। मंत्री महोदय ने जैसा मुझे परसों आश्वस्त किया था कि इन नदियों का पानी लिफ्ट के द्वारा सिंचाई करने के लिए शीघ्र एस्टीमेट बनाकर स्वीकृति जारी करेंगे। इस आश्वासन के लिए मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पानी का उपयोग करके शीघ्र ही लिफ्ट सिंचाई योजना बनाई जानी चाहिये।

इसी प्रकार बून्दी में अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ जिसमें चाकन बांध की एक मध्यम सिंचाई परियोजना का सर्वे करके सी.डब्लू. सी. को भेजा हुआ है। उसकी मंजूरी में थोड़ी कठिनाई है। उसमें जो डूब में आने वाला क्षेत्र हैं, थोड़ा वन भूमि का क्षेत्र है, मैं निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि उसके बदले में दूसरी जमीन लेकर उसमें वन

(श्री हीरालाल आर्य)

लगाये और जो पापड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना है, जिससे उस क्षेत्र के अनकमाण्ड क्षेत्र को बहुत बड़ी राहत मिलेगी तथा चाकन पापड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी शीघ्र स्वीकृति देकर उस क्षेत्र को सिंचित करने की व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बाराबंदी योजना है....

श्री समापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। पहले ही बहुत समय ले लिया है। आपने सबसे ज्यादा समय ले लिया है।

श्री हीरा लाल आर्य : चम्बल के सिंचित क्षेत्र में बाराबंदी योजना लागू है, लेकिन उसका प्रेक्टिकल एक भी चक में नहीं हो रहा है।

श्री समापति : आप क्षमा करेंगे, मैं दूसरे सदस्य का नाम ले रहा हूं।

श्री हीरा लाल आर्य : हर साल लाखों रुपया खर्च होता है। बाराबंदी के लिए एक चक करके बाराबंदी सफल करें ताकि नदियों में पानी उपलब्ध है, उसका सिंचाई के लिए ठीक तरह से उपयोग कर सके। इतना ही निवेदन करते हुए, आपने मुझे बोलने दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री समापति : आपने बहुत समय तो नहरों की लम्बाई-चौड़ाई बताने में ले लिया। अपनी बात कही नहीं। माननीय श्री परसादी लाल जी।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी ने सिंचाई विभाग की मांग संख्या-46 के सम्बन्ध में यहां पर जो डिमाण्ड प्रस्तुत की, उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान, जो कि अभी यहां नहीं हैं, आकर्षित करना चाहता हूं। आज राजस्थान में पिछले 10 वर्षों में पर्याप्त बारिश नहीं होने के बावजूद भी आज जो किसान ने कृषि उत्पादन में कमी नहीं आने दी, उसके कारण या दूसरे कारण से आपके विभाग का कोई ज्यादा किसानों पर अहसान नहीं है। आप उपलब्धि नहीं गिनाएं कि हमारी वजह से कृषि उत्पादन वर्षा कम होते हुए भी नहीं गिरा। सभापति महोदय, आप सीधे गांव से आते हैं और आप जानते हैं कि आज किसान सरकार के भरोसे नहीं है, सरकार किसानों के भरोसे हैं, आज किसान इतना सक्षम और टेक्नीकल हो गया है कि वह कहीं से पानी मिलेगा, उसको निकाल करके सिंचाई के साधन पिछले 5 वर्षों में इतने बढ़े हैं कि पहले उससे 5 बीघा सिंचाई करते थे, आज वे 25 बीघा सिंचाई करने की क्षमता रखते हैं। वास्तव में पानी मानव जीवन के लिए और वनस्पति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसाकि आपने दर्शाया। हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान प्रदेश के किसानों की खुशहाली हरियाणा और पंजाब के किसानों के मुकाबले क्यों नहीं है? जबकि आज राजस्थान के किसानों के पास वहां के किसानों से ज्यादा जमीन उपलब्ध है, परन्तु हम 40 वर्षों में भी हमारे यहां जो बरसात का पानी होता है, उसको रोक नहीं पाये। आज

(श्री परसादी लाल मीणा)

टी.वी. और रेडियों पर बार-बार यह कहा जाता है कि पानी की एक-एक बूंद महत्व-पूर्ण है, परन्तु हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी या हमारी सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती कि बरसात के दिनों में बेकार पानी बहकर चला जाता है, उसको रोक पाने के लिए छोटे-छोटे एनीकट्स या तालाब का यदि हम निर्माण नहीं करेंगे तो, सभापति महोदय, वह समय तो गया जब बहुत बारिश होती थी, आज वैसे ही बारिश की बहुत कमी है।

मैं, मेरे क्षेत्र पूर्वी राजस्थान की बात बताऊंगा विशेषकर जयपुर जिले की। आज कहां इतना बजट रखा जाता है, इतना पैसा रखा जाता है और यहां जयपुर जिले में भारी-भरकम मशीनरी लगा रखी है पर उसका क्या काम है, यह मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि इतना स्टाफ होते हुए, इतना साधन होते हुए, इतना पैसा होते हुए भी काम नहीं हो रहा है। सारा पैसा कहां जा रहा है, वहां गांव में पैसा नहीं पहुंच पाता है। सारी सरकारी मशीनरी पर टी. ए., डी. ए., व्हीकल्स पर, तनख्वाहों में और लेबर कम्पोनेन्ट में कितना पैसा जा रहा है। काम कितना होता है। मैं समझता हूं कि एक बांध पर एक रुपये का काम नहीं होता है। मोरेल बांध पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक कोड़ी का काम एक महीने में नहीं होता, परन्तु दो लाख रुपये पर मंथ, जो वहां पर लेबर है उसके लिए देना पड़ता है। वह पैसा निर्माण में नहीं लग रहा है। वह पैसा विशेषकर सरकार जब तक इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देगी, पैसा बेकार प्रशासनिक खर्च में जा रहा है, उसकी कटौती करके जब तक हम निर्माण कार्य में, नहरों, बांध या एनी-कट्स पर नहीं लगायेंगे तब तक क्या उपयोग है बजट रखने का और क्या उपयोग है हमारे कट मोशन्स देने का।

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में अकाल की स्थिति में इतने एनीकट्स और इतने बांध बने, सब बेकार हो गये, सब टूट गये बरसात में। जून तक काम देखते हैं सिंचाई विभाग के अधिकारी काम करा लेते हैं, उसके बाद कोई जाकर नहीं देखता कि बांध टूटेंगे या बांध रहेंगे या इनका क्या होगा? दो-दो, पांच-पांच लाख के ऐसे एनीकट्स बनाये गये लालसोट में, सारे जयपुर जिले में, सारे राजस्थान में बनाये गये। उनका विभाग से सर्वे करवाया जाना चाहिये और मन्त्रीजी को आदेश देना चाहिये कि पिछले पांच वर्षों में जो एनी-कट्स, कच्चे काम और पक्के काम कितने राजस्थान में हुए, उनमें से कितने काम आज भी मौजूद हैं और कितने टूट गये। जो काम टूट गये या जो काम बेकार हो गये या जो काम अधूरे हैं, उनको सरकार को सर्वप्रथम हाथ में लेना चाहिये। हर जगह पर बंधे, बांध या बड़ी योजनाएं नहीं बना सकेंगे, परन्तु छोटे स्थानों पर कोई नाला हो, कोई नदी हो, आप वहां पर पानी रोक सकते हैं। आप पानी को वहां पर रोकिये। पानी का जल स्तर नीचे चला जाता रहा है, उसको रोकने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिये कि जमीन के जल स्तर को किसान बोरिंग से या दूसरे साधनों से बाहर

(श्री परसादीलाल मीणा)

निकाल रहा है और आप उनको सिंचाई के साधन नहीं दे रहे हैं। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि किसान की खुशहाली इसी में है आप जहां भी एक गांव में चाहे एक नदी हो, नाला हो या तहसील में 50 नदियां हों, आप रोक दीजिये बड़े कामों को। आप वहां पर प्रशासनिक खर्च क्यों बेकार में कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे-छोटे एनीकट्स जगह-जगह गांव में पानी रोक दें तो कुओं का जल स्तर अपने आप स्वतः ही ऊपर आ जायेगा। अगर जल स्तर ऊपर आ जायेगा तो किसान को पानी जमीन में से ही मिलेगा, पानी तो मिलेगा। आज हालत यह हो रही है कि अगर एक साल या दो साल बारिश दुर्भाग्य से नहीं हुई या पिछले सालों जैसी हुई तो किसान का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। आज बांध में पानी नहीं आता है और सिंचाई विभाग के अधिकारी यह पानी देते हैं जबकि पिलाई पूरी लेते हैं।

मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि 5 पानी या एक पिलाई या एक पिलाई और चार पानी देने की जितनी पिलाई लेते हैं, वह आप पानी की क्यों वसूल करते हैं? एक पानी देते रहे हैं आप एक पिलाई और वसूली पूरी कर रहे हैं। आपको किसानों को यह गारंटी देनी होगी कि इस बांध से पूरी सिंचाई करेंगे, चाहे बारिश हो या नहीं हो। आपको ऐसे साधन उपलब्ध करवाने चाहिये वहां पर ट्यूब वैल्स या दूसरे कोई साधन अपनाकर, जहां बांध भरे या नहीं भरे पर बांध की नहरों में पानी की कमी नहीं आये। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? यह सब जानते हुए कि बारिश नहीं हुई, आप फिर उस बांध के अधिकारी लोगों का खर्चा, दूसरी मशीनरी का खर्चा और किसानों को पानी नहीं मिले, इसका क्या इलाज है? सिंचाई विभाग को या सरकार को गारण्टी देनी होगी किसानों को चाहे बारिश हो या नहीं हो, हम आपको सिंचाई का पानी कहीं से ही उपलब्ध करवायें, जरूर करवायेंगे।

इस प्रकार की व्यवस्था है कि किसान एक पानी से फसल पैदा की जा सकती है, सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि किसानों की क्या हालत है? किसान आज आपकी सरकार के या आपके विभाग के भरोसे नहीं रहा है। किसान आज खुद खड़ा होगा। आप किसानों को पाताल तोड़ कुओं के लिए सब्सिडी आप ऐसा नहीं कर सकते तो उस नहर के नीचे पड़ने वाले गांवों के किसानों को ऐसी सुविधा उपलब्ध करवा दें कि कोई ट्यूब वैल लगा सकें, वहां बिजली लगा सकें। सरकार यह करदे तो किसानों को कोई दिक्कत ही नहीं है। कृषि उत्पादन है वह आपका और भी दुगुना बढ़ सकता है। आज आप खुश हो सकते हैं कि इतना बजट रख दिया, यह कर दिया पर आखिर क्या किया है आपने? आप मूल्यांकन कर लीजिये आपने कुछ नहीं किया है। आप केवल अपनी लेबर को, जो वहां पर वर्क चार्ज पर है या दूसरे हैं उनको तनख्वाह देने के अलावा आप कोई काम ही नहीं करते। मैंने देखा है कि मोरेल बांध में आप एक पानी हर साल देते हैं और पिलाई पूरी वसूल करते हैं। आप क्यों नहीं किसानों को पूरा पानी देकर, एक पानी देते हो तो एक पानी की पिलाई लीजिये। आज किसान का

(174)

(श्री परसादी लाल मीणा)

भविष्य सरकार के भरोसे या विभाग के भरोसे तो अंधकार में हैं। आज विभाग को कोई चिन्ता नहीं कि किसानों को पानी मिला, क्यों नहीं मिला, कोई विभाग का अधिकारी चिन्तित नहीं है। वह अपने कमीशन पर, कहीं काम हो, बांध का हो, नहर का हो उसमें चिन्तित है कि कोई अच्छा जे.ईएन. या अच्छा ए.ईएन. लग जाय। इसकी चिन्ता में है किसानों के चिन्ता में नहीं हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां इतना बजट रखते हैं वह किस तरह से गांव में पहुंचा पायेंगे। आप वहां पर किसी लागत को छोड़ दीजिये, आप बड़े बांध पर काम मत करिये, आप एक साल में, एक तहसील में 5 या 7 या 10 एनीकट बना दो और वहां पानी को रोक दो तो गांवों में खुशहाली आयेगी, गांव के आसपास की जमीन में वाटर लैवल है वह उपर आयेगा और वाटर लेवल स्थिर भी बना रहेगा तो किसानों का भविष्य सुरक्षित होगा। आप वाटर लेवल को नहीं रोक पायें, वाटर लेवल दिन-प्रतिदिन नीचे चलता चला जायेगा तो आपका सिंचाई विभाग या कोई भी भू-जल विभाग बिल्कुल फैल हो जायेंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है इन विभागों को रखने की या कोई जरूरत नहीं है सिंचाई विभाग या भू-जल विभाग की क्या जरूरत हैं? आप बांध बना नहीं रहे, आप एनीकट बना नहीं रहे। मेरा आपसे यह सुझाव है कि जो हमारा एक-एक बून्द पानी बरसात के दिनो में बह करके चला जाता है उसको रोकने का सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिये, आगामी या इसी वर्ष में, मैं एक दिन सिंचाई मन्त्रीजी से मिला, मैंने कहा कि हमारे 8—10 काम ऐसे हैं यदि आप उनको ले लें तो पूरे हो सकते हैं। उनको पूरा करने का अर्थ है वहां पर बहुत बड़ा, मैं बताना चाहूंगा कभी कोई विभाग के अधिकारी गये होंगे मेरे इलाके में 3 या 4 काम ऐसे हैं जिनमें 12 महीने पानी रहता है। आपको ताज्जुब होगा कि वहां के कुओं का जल स्तर इतना हो गया, लोग देखकर ताज्जुब करते हैं। किसानों ने वहीं उसके पास पम्प सैट्स लगा लिये और खुद सिंचाई करते है। आपके कुओं से या नहर से भी अच्छी सिंचाई होती है। यदि आप गांवों में ऐसे एनीकट्स बना दें, आप उनसे सिंचाई लीजिये हमको क्या दिक्कत है, आप उनसे पिलाई ले लीजिये जितनी उनकी जमीन है। आप यह बांध बनाना, बड़ी योजनाएं बनाना बन्द कर दीजिए, क्योंकि पानी ही नहीं हैं। आज गांव-गांव में आप छोटे-छोटे बांध बना देंगे जिनमें नहर का पानी ही नहीं आता, तो आप वहां क्या देंगे? कुछ नहीं है। गांव वालों को इस बजट से कोई मतलब नहीं है। मैं मेरे इलाके की बात बताना चाहता हूं, वहां एक बांध है इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। जहां आप पैसा लगायें या दूसरा खर्च करें। आपको छोटे–छोटे एनीकट, मेरे वहां इलाके में 10-12 एनीकट हैं और आपने 2 एनीकट मंजूर किये हैं। अगर बरसात अच्छी हो गई तो कम से कम 20–25 लाख रुपये की जो लागत है वह आपकी बिल्कुल बरबाद हो जायेगी, सरकारी पैसे का दुरुपयोग होगा। सबसे पहले विभाग को यह करना चाहिये कि इन कामों का सर्वे करवा कर प्राथमिकता तौर पर ऐसे कामों को हाथ में लेना चाहिये जो तत्काल कराने लायक हैं। पर कोई परवाह नहीं करता,

(श्री परसादी लाल मीणा)

टूटे ना टूटे रहे तो रहे, इस बात की कोई परवाह नहीं करता। इस बात की परवाह करनी पड़ेगी। यह सरकारी पैसा जनता का है, इसके दुरुपयोग होने से रोकने के लिए हमको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आज हमारा प्रदेश बहुत खुशहाल हो जाता, हम पानी में पीछे रह गये। आज आप पाताल तोड़ कुए बनायें। इसके लिए गांवों में आप किसानों को सब्सिडी दीजिये या खुद बनाकर दे विभाग। विभाग के द्वारा गांव-गांव में एक पाताल तोड़ कुआं बना दो और उससे आप पिलाई कराइए, पूरा गांव आपको पिलाई देगा।

आपका सिंचाई विभाग कुछ नहीं करता, बांधो की देख-रेख के अलावा कुछ नहीं करता। एक कोई बांध है, उसकी नहर को कोई दूसरा उप-खण्ड बांट लेगा और एक दूसरा कोई दूसरा उप खण्ड बांट लेगा और दोनो मिल करके आराम से ए.सी. रूम में बैठ कर, चीफ इंजीनियर हो या एडीशनल चीफ इंजीनियर हो, सब मस्ती में रहते हैं। इन बातों को देखना होगा, गांवों के किसानों के लिए आपके सिंचाई विभाग को मजबूत करना होगा।

मेरे इलाके की थोड़ी समस्या है। मोरेल बांध है। उसको बने आज 40-50 साल हो गये। पर उस जमीन का मुआवजा आज तक किसानों को नहीं दिया गया। मैंने कई बार इस बात को विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से उठाया, कई बार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिये पर आज तक कोई विभाग का अधिकारी यह कहने को तैयार नहीं है कि हम कब तक मुआवजा दे देंगे। सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पुराने जो मुआवजे केस हैं या ऐसे मामले हैं, उनको सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर निपटाया जाना चाहिये। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोरेल बांध जो 1981 की बाढ़ में टूटा, बिल्कुल तहस-नहस हो गया और उसको ऐसे घुमाव देकर बनाया कि उसके पानी की भराव क्षमता आधी रह गयी, आधी रहने के बाद आपकी पिलाई भी आधी ही होगी। भारत सरकार को विभाग ने 1980 के आस-पास केन्द्रीय जल आयोग को एक प्रस्ताव भेजा था कि इसकी भराव क्षमता को छः फीट ऊंचा किया जाय। छः फीट ऊंचा करने के लिए उन्होंने कहा कि इसका आधुनीकीकरण करके आप इसका प्रस्ताव भेजें। मुझे ताज्जुब है, सभापति महोदय, आज 5-6-7 साल हो गये उस प्रस्ताव को केन्द्रीय जल आयोग को दुबारा भेजने की किसी ने कोई कोशिश नहीं की, कोई किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या करता है आपका विभाग? आखिर विभाग का काम क्या है? केन्द्रीय जल आयोग के पास जाकर विभाग के अधिकारी विचार-विमर्श करें। उस बांध की भराव क्षमता को पहले के बराबर या पहले से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाय। आपको पता है, सभापति महोदय, कि गांव में पहले 5 बीघा जमीन में गेहूं किसान पैदा करता था सरसों करता था। आज वह यह सोचता है कि मैं सारी जमीन में पिलाई करूं और सारी जमीन को सिंचित करूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मोरेल बांध आज अधूरा पड़ा हुआ है, केन्द्रीय जल आयोग को जो प्रस्ताव भेजना है वह शीघ्र भेज कर उसका आधुनीकीकरण करना चाहिये जिससे वहां के किसानों की 1981

(श्री परसादी लाल मीणा)

के पहले जितनी भूमि में सिचाई होती थी, 4 या 5 पानी आराम से लगता था। इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

मैं आपके माध्यम से, लालसोट में एक स्कीम बनायी गई थी, आप कभी गये हो लालसोट, सवाई माधोपुर तब आपने देखा होगा, बिल्कुल दो पहाड़ है। दो पहाड़ों के बीच में इतना पानी आता है कि वहां पर बस स्टेण्ड वगैरह सब डूब जाते हैं। मैंने विभाग से प्रस्ताव बनवाया, कई बार कहा भी कि वहां आप अन्दर पहाड़ों के बीच में जाकर ऊपर एक एनीकट बना दें जिससे बाढ़ का खतरा शहर को कम हो जायेगा और उससे लालसोट के किसानों को, आज खेती किये कम से कम उन्हें दो साल हो गये, कुओं में बिल्कुल ही पानी नहीं हैं, 100–200 हाथ कुएं गहरे कर लें तब भी वहां पानी नाम की कोई चीज नहीं है। उसका कारण है, पहाड़ से पानी आता है और बह कर चला जाता है। मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा था कि आप इस प्रकार का वहां एनीकट बना दें तो लालसोट के सारे किसानों की खुशहाली हो सकती है और कुओं का जल स्तर एक साल में ही बहुत ऊपर आ सकता है। स्कीम बन गई, सरकार के विचाराधीन पड़ी है उसको देख कर शीघ्र मंजूर करनी चाहिये।

सभापति महोदय, मेरे इलाके में दूसरे बिनोरी सागर और दक्षिणी सागर दो बांध हैं, दो अलग-अलग छोटे-छोटे बांध बना रखे हैं बिल्कुल जुड़वा हैं। बालाजी आप कभी गये होंगे तो देखा होगा, दो बांध पड़ते हैं। उनका यदि बीच का हिस्सा हटा कर, वह मिट्टी का है, उसको थोड़ा हटाकर कर दें तो एक बड़ा बांध बन सकता है। उन दो बांधों से जो अभी सिचाई होती है उससे दुगुनी या तिगुनी सिचाई होने लायक वहां पर इतना पानी आता है, पर कोई नहीं देखता है। आजादी के पहले जिस रूप में वह बने हुए हैं उसी रूप में आज भी बने हुए हैं। वहां विभाग ने एक पैसा खर्च करने की कभी कोशिश नहीं की, न उन्होंने कोई एक रुपया खर्च करने की भी कोई बात कही। मैंने कई बार विभाग के अधिकारियों से कहा कि आप इन दोनों बांधों को मिलाकर एक कर दें, जिससे बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी व जल स्तर भी बढ़ेगा। मान लो सिंचाई कम होगी तो जल स्तर तो निश्चित रूप से ऊपर आयेगा और पानी आयेगा तो किसान अपने कुओं में से या बोरिंग से सिंचाई से ज्यादा सुविधाएं ले सकेंगे।

एक बात और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मोरेल बांध है, आपने भी देखा है, उसकी एक पूंछ तो रख छोड़ी है सवाई माधोपुर में और एक पूंछ रखी है जयपुर में। अब आप बताओ कि किसान सवाईमाधोपुर जाये या जयपुर। वहां मोरेल उप-खण्ड नाम से जो उप-खण्ड है उसके बारे में हमने कई बार कहा कि आप इसको मोरेल ही रखें। किसान सवाई-माधोपुर जायेगा एक काम के लिए और दूसरे काम के लिए आयेगा जयपुर। आप उस उप-खण्ड को क्यों नहीं मोरेल ही रखते हैं? अगर उसको रख दिया जाय तो किसानों के लिए अच्छी बात होगी। सिंचाई की बात हो, नहर की बात होगी, बांध की

(श्री परसादी लाल मीणा)

होगी, बांध की देख-रेख भी अच्छी होगी, बाढ़ से कभी बांध को खतरा होगा, ज्यादा बारिश होगी तो वहां स्टाफ रहेगा तो वह तुरन्त व्यवस्था भी कर सकेगा। सवाई-माधोपुर या लालसोट या जयपुर में बैठ कर क्या कोई तुरन्त व्यवस्था कर सकता है?

मैं, माननीय सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से और सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि पानी की एक-एक बून्द अमूल्य है और इसको रोकने के लिए कोई तत्काल उपाय करना चाहिये। आप बड़े-बड़े बांध बना कर पैसे का वेस्टेज करते हैं। छोटी-छोटी, एक-एक तहसील में आप एक फिक्स कर लीजिये 10 या 5 एनीकट्स बनाने हैं और उनको निश्चित रूप से बनायें। सर्वप्रथम अकाल राहत में जो अधूरे काम रहे हैं उनको पूरा नहीं किया तो सारा का सारा, कम से कम एक-एक तहसील में 20–20, 30–30 लाख रुपये का नुकसान हो जायेगा। आपने मेरे को समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीचन्द मेहता।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : सभापति महोदय, मैंने सिंचाई विभाग की मांगों पर अपनी दो मांगें रखी हैं। सबसे पहले तो मैं नर्मदा परियोजना पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नर्मदा परियोजना पर इस बजट के अन्दर 548 रुपये का कर्जा भारत सरकार और विदेशों से मांगा गया है और इसके साथ-साथ गुजरात सरकार ने मुझे चिट्ठी लिखी है, आपकी आज्ञा से मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसमें उन्होंने लिखा है कि नर्मदा कैनाल का काम पूरे जोर-शोर के साथ आगे बढ़ रहा है और उसे निर्धारित अवधि में पूरा कराने के लिए हमारी कोशिश चल रही है। कुछ अन्तर्राज्यीय मामलों के बारे में राज्य सरकार के साथ परामर्श चल रहा है, जिन पर राजस्थान सरकार से सहयोग मिलने की आशा है। उम्मीद है कि इससे कार्य तेजी से आगे बढ़ सकेगा। उम्मीद है कि आप भी इस कार्य में सहकार देकर आपकी सरकार को जल्दी काम करने के लिए तैयार रखेंगे।

मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है इस बजट के अन्दर नर्मदा कैनाल के प्राइमरी वर्क को शुरू करने के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं रखा गया है। मैं समझता हूं गुजरात सरकार तैयार है और राजस्थान सरकार अगर अभी से जमीन की अवाप्ति, जमीन का कम्पेनसेशन, कलेम्स और बिल्डिंग वर्क शुरू नहीं करेगी तो यह पिछड़ जायेगा। 1977 में जब जनता राज था माननीय श्री भैरोंसिंहजी मुख्य मन्त्री थे, उस वक्त तीन करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। मगर हमारा दुर्भाग्य था कि सरकार चली गई। नयी सरकार आयी तो हमें आशा हुई है कि नर्मदा परियोजना का कार्य बड़े जोरों से शुरू होगा। इसका फायदा मेरे क्षेत्र के 80 गांवों को, बाड़मेर क्षेत्र को, भीनमाल तहसील को होगा और मैं चाहूंगा माननीय सिंचाई मंत्रीजी से आप एक डिवीजन सांचौर में खोलिये जो प्राइमरी वर्क को शुरू करे। इसके लिए बजट अलाट करिये।

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया जब राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे उस वक्त राजस्थान और गुजरात सरकार के बीच कड़ाना डैम के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और उसमें सांचौर के गांवों को पानी देने के लिए योजना बनी थी। मगर हमारा दुर्भाग्य रहा उधर श्री मोहनलाल सुखाड़िया चले गये और इधर श्री हरिदेव जी जोशी और श्री शिवचरण जी माथुर ने उस योजना को ठप्प करके पूरा पानी बांसवाड़ा को देना चाहा। इसलिए मैं माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से आग्रह करूंगा कि कडाना डैम के कागजात निकालें और जो एग्रीमेण्ट हुआ उस पर पुनः विचार करके इस योजना को चालू करें।

इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि इस साल आयी भयंकर बाढ़ से सिंचाई के बांध टूट गये हैं। इससे कई गांवों को क्षति पहुंची है। मेरी तहसील के हरियाली गांव में 60 घर बह गये, बालड़ी में नुकसान हुआ, बड़वल में हुआ, इसी प्रकार से कई जगह नुकसान हुआ। इंडिकेट बांध से नुकसान हुआ, पुराने बांध जो सिंचाई के थे उनसे नुकसान नहीं हुआ मगर जो इंडिकेट बांध बनाये गये थे सिंचाई विभाग द्वारा उनसे अनेक गांवों को नुकसान हुआ। इन बांधों को पुनः सुधारने के लिए राज्य सरकार ने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसलिए मैं माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह इस बजट में इसके लिए प्रोविजन करें और टूटे बांधों को ठीक करायें। इसके साथ-साथ इंडिकेट बांध जो गलत बन रहे हैं और उनसे जो नुकसान गांवों को हो रहा है उसको रोका जाय अन्यथा आने वाली वर्षा में इससे काफी नुकसान होगा। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे आग्रह करूंगा कि नर्मदा परियोजना पर डिवीजन खोलें और प्राइमरी काम को शुरू करावें। इसमें ही दो-तीन साल लगेंगे और गुजरात सरकार तेजी से कार्य कर रही है मगर आपकी प्रगति रिपोर्ट में लिखा है बात-चीत चल रही है, जैसे मालूम ही नहीं है। मैं इस पत्र को सदन के पटल पर रखता हूं इससे आपको मालूम होगा कि गुजरात सरकार कितनी एक्टिव है और हमारी सरकार के कर्मचारियों को पता नहीं है। बस बात-चीत चल रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्री और सिंचाई मन्त्री से कहूंगा कि इस परियोजना का प्रारम्भिक कार्य शुरू करने के लिए एक डिवीजन सांचौर में खोलें। नर्मदा का पानी आयेगा वह पहले सांचौर तहसील के अन्दर आयेगा। इस कार्य को प्रगति देने के लिए मैं गुजरात के सिंचाई मन्त्रीजी का पत्र है वह सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सीरोही) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं परम पिता का धन्यवाद करती हूं कि इस वर्ष शासन में परिवर्तन के साथ ही मानसून ने भी अपना रुख बदला और पूरे राजस्थान में बहुत अच्छी वर्षा हुई। अच्छी वर्षा होने से हमारे जिले के सभी बांध लबालब भर गये और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कई गुना अधिक सिंचाई हो सकी है। मैं माननीय

(श्रीमती तारा भण्डारी)

मुख्य मन्त्री जी का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने शिवगंज तहसील की सूकड़ी इननडेशन योजना को मंजूरी देकर हमारे काश्तकारों द्वारा पिछले लम्बे समय से की जा रही मांग को पूरा किया। सूकड़ी सन् 1973 में बह गया था तब से ही हमारे काश्तकार यह मांग करते चले आ रहे हैं कि इस योजना को पूर्ण कराया जाय और आज तक हम इसको पूरी नहीं कर पाये थे। हम आभारी हैं हमारे मुख्य-मन्त्रीजी के कि उन्होंने हमारी इस योजना को मंजूरी दे दी।

सभापति महोदय, सिरोही जिला चारों ओर से हरी-भरी पहाड़ियों से आच्छादित, घिरा हुआ, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जिला था परन्तु गत वर्षों में जंगलों की हुई निर्मम कटाई के कारण यह जिला जंगल रहित होना शुरू हो गया और वहां की हरियाली समाप्त हो गई। जंगल कट जानें के कारण हमारे जिले की वर्षा का औसत भी घट गया और पिछले वर्षों में निरन्तर अकाल पड़े। जिसमें शिवगंज तहसील की हालत तो और भी खराब है। जिन कुओं में 15–20 फीट पर पानी आ जाता था, जवाई बांध के बनने के पश्चात् शिवगंज तहसील के सारे कुएं सूख गये, उनका जल स्तर नीचा चला गया और सिचाई के साधनों की कमी के कारण यह इलाका दिनोंदिन रेगिस्तान बनता जा रहा है।

सभापति महोदय, हमारे सिरोही जिले के पास के पाली तथा जालौर जिले में मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन सिरोही जिले में इस कार्यक्रम का लाभ नहीं मिलता। यह जिला इस कार्यक्रम में जोड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि सिरोही जिले की वर्षा का औसत माउण्ट आबू में हुई वर्षा को जोड़कर निकाला जाता है, इस प्रकार जो वर्षा का औसत निकलता है वह मरु विकास कार्यक्रम के मापदण्डों में नहीं आने से इस जिले में मरु विकास कार्यक्रम चालू नहीं होते हैं तथा सिचाई की योजनाएं भी हमारे जिले में बहुत कम हैं। हमारे यहां पर जमीन पथरीली होने के कारण वर्षा का सारा पानी या तो बहकर गुजरात में चला जाता है या जालौर में जाकर नुकसान करता है। अतः इस जिले में हरित क्रांति लाने के लिए मेरा सरकार को सुझाव है कि जिले की जितनी भी लघु सिंचाई योजनाएं सरकार को प्रस्तावित हैं उन्हें शीघ्र स्वीकृति दी जाय। हमारे जिले में कैलाश नगर बांध, रेवाड़ा, बांध, गोडाना-ध्रुवाणा बांध, खेजड़िया बांध, बडगड़िया बांध, नून बांध, नवारा बांध, बरनट बांध, जावल बांध, माइलगढ़ बांध, कट्टूकेश्वर तथा नाबिया बांध आदि छोटी-छोटी सिचाई की अनेक योजनाएं सरकार के पास विचाराधीन हैं। आपके माध्यम से सरकार को विशेष आग्रह है कि इन योजनाओं पर विचार करके शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति दी जाय।

सभापति महोदय, हमारे गांव कालिन्द्री के बूढ़ेश्वर एनीकट तथा गोड़ाना बांध की दीवारें नीची होने से पानी का संचय बहुत कम हो पाता है तथा इसका ओवर फ्लो होने से जो भी पानी बहता है, बहाव तेज होता है, उससे पास के गांव की जमीन कटती जा रही है। गांव को नुकसान होता है। मेरा सुझाव है कि बूढ़ेश्वर

(180)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

एनीकट और गोड़ाना बांध की दीवारे ऊंची की जावें।

इस बार, सभापति महोदय, हमारे यहां पर अतिवृष्टि से नदी नालों ने अपना बहाव मोड़ लिया है, रास्ते बदल लिये हैं और कई नदी-नाले तो नये ही प्रकट हो गये हैं, जो पूर्व में पता ही नहीं थे कि यह कहां बहते हैं। इस प्रकार से नदी नालों के मोड़-बहाव बदल जाने मे, गांवों की ओर इनका रुख हो जाने से गांवों की जमीनों का बहुत ज्यादा कटाव हो रहा है तथा गांवों में हमेशा के लिए जान माल का खतरा हो गया है। यदि समय रहते पूरे जिले का सर्वेक्षण करा कर बाढ़ बचाओ कार्य नहीं आरम्भ किये गये तो कह नहीं सकते हैं कि आने वाले मानसून में इन नदी नालों का क्या रुख रहेगा। अतः मेरा सुझाव है कि सिरोही जिले का पूर्ण सर्वे करवाया जाकर जो भी गांव बाढ़ के खतरे में आ गये हैं उन गांवों में बाढ़ बचाओ कार्य आरम्भ किये जायं।

मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी की आभारी हूं कि उन्होंने बाढ़ के तुरन्त बाद नहरों की मरम्मत करवाकर काश्तकारों को समय पर पानी उपलब्ध कराया परन्तु कई बांधों की नहरें कच्ची बनी हुई हैं जिनका आधुनिकीकरण किया जाना अति आवश्यक है। शिवगंज तहसील में गौरा बांध की मुख्य नहर तथा माइनर 1 से 6 को पक्का करने एवं आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। पूर्व में इन नहरों पर अकाल राहत कार्य के तहत काम प्रारम्भ भी किया गया था, परन्तु वह नहरें उस समय अधूरी रह गईं। अब उन अधूरे कार्यों को लेकर इस माइनर को पक्का करने एवं आगे बढ़ाये जाने का काम आवश्यक है। इसी प्रकार जिले में अनजोर एवं फांसा बांध की नहरें भी कच्ची हैं तथा जगह-जगह क्षतिग्रस्त हैं। इसका भी आधुनिकीकरण एवं बड़ा किया जाना, विस्तृत किया जाना अति आवश्यक है।

सभापति महोदय, बाढ़ से क्षतिग्रस्त एनीकट इत्यादि बाढ़ बचाव कार्य जवाहर रोजगार योजना में तो कराये जा रहे हैं, परन्तु विभागीय कार्य नहीं चलाने से जो भी बांध इस बार क्षतिग्रस्त हो गये हैं, उनको पूरा खतरा बना हुआ है। हमारे जिले में अनगौर, गौरा, सांता आदि जो भी बांध हैं वहां पर ओवरफ्लो हुआ और पांच-पांच, छः छः फीट की चद्दर चली। इस कारण से ओवरफ्लो से दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि इन बांधों की मरम्मत हेतु विभाग को उचित बजट उपलब्ध कराया जाकर इनकी मरम्मत मानसून आने से पहले-पहले करा ली जाय। यदि मानसून आने तक इन बांधों की दीवारों को ठीक नहीं करवाया गया, तो नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में कौन से गांव को कितना खतरा हो जायेगा, क्या जान माल का नुकसान हो जायेगा, इसका अन्दाज लगाना बहुत ही कठिन है।

सभापति महोदय, सिंचाई विभाग ने निर्णय लिया हुआ है कि बांधों से जो पाणें दी जाती हैं, वह पश्चिमी राजस्थान में केवल तीन पाण ही दी जा रही हैं। हमारे यहां की भूमि पथरीली है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

एक मिनिट लूंगी। इसके कारण कई बार चार-चार पाण तो क्या, पांचवीं पाण के लिये भी काश्तकार मांग करते हैं। लेकिन इन पाणों को देने का निर्णय सरकार के अधीन होने से, स्वीकृति लेने में बहुत विलम्ब हो जाता है और स्वीकृति आने तक काश्तकार की फसल सूख जाती है। मेरा सरकार से यह सुझाव है कि बांधों से पानी वितरण करने या कितनी पाणें देनी चाहिये, या कौन से बांध से कितनी बार पानी दिया जायेगा, यह निर्णय जिला वितरण समिति के चेयरमैन के अधीन रहना चाहिये ताकि काश्तकारों को अपनी पाण की स्वीकृति के लिये इन्तजार न करना पड़े। इस बार भी पानी देने के सम्बन्ध में काफी कठिनाई आयी, काश्तकार पांचवी पाण की मांग करते रहे, परन्तु बांध में पानी होते हुए भी, समय पर खोलने के अभाव में, पानी न मिलने से फसल खराब होने का डर काश्तकारों के मन में हमेशा बना रहता है। अतः सरकार यह निर्णय जिला वितरण समिति के चेयरमैन के अधीन रखेगी तो काश्तकारों का ज्यादा भला होगा।

अन्त में सदन का ज्यादा समय न लेकर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार हमारे मुख्य मंत्रीजी ने काश्तकारों का ऋण माफ किया, बारानी भूमि का लगान माफ किया तथा 15-7-84 तक जो काबिजान थे, उनको खातेदारी हक देने का निर्णय किया, उसी प्रकार मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि जो भी बांध राजस्थान में बनाये गये, सिरोही जिले में बनाये गये, उनकी डूब में जो भी काश्तकारों की जमीन आयी है, उनमें से कई लोगों का अभी तक भी मुआवजा बाकी है, सरकार ने जिस प्रकार से काश्तकार के हित की बात सोची है, यह भी काश्तकार के हित का मामला है, अतः इस पर गम्भीरता से विचार करके, जिन काश्तकारों की भूमि डूब में आ चुकी है उनको या तो मुआवजा या भूमि के बदले भूमि देने का निर्णय शीघ्र लें।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री अमीन खां।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री अमीन खां।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, सब से ज्यादा, पीने के लिये तथा

(श्री अमीन खां)

पशुओं के लिये पानी का अभाव पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में है। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट का लक्ष्य जो था, कई बरस बीत गये, उस लक्ष्य के पूरे होने की अभी तक भी आम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है कि यह लक्ष्य इस पीढ़ी में भी पूरा हो सकेगा।

इस नहर पर जितने भी काम हो रहे हैं उनमें सीमेन्ट का घोटाला आम जनता खुले आम देख रही है और इस सीमेन्ट कांड के अन्दर सीमेन्ट ट्रक की ट्रक भर कर बाजार में बिक रही है। इसी प्रकार इस नहर पर लोगों ने देखा कि जो ठेकेदार मामूली आदमी लगा था, आज वह चन्द ही दिनों में करोड़पति बनता जा रहा है। ऐसी हालत में आम जनता महसूस करती है कि इस पैसे को राष्ट्र हित में खर्च करने की किसी को चिन्ता नहीं। सभापति महोदय, सदन के नेता प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो बातें कहते थे....

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : माननीय सदस्य ने सीमेन्ट घोटाले के बारे में बताया, मैं पहले की बात तो कह नहीं सकता, इनके पास कोई जनरल शिकायत की बात अलग है, स्पेसिफिक अगर कोई बतायेंगे, सीमेण्ट घोटाला था, सरे आम सीमेण्ट जा रही है, राजस्थान कैनाल की सीमेण्ट अगर कहीं जा रही है, आप बतायेंगे तो निश्चित तौर पर मैं उनकी जांच करवाकर, सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करके ऐसा नहीं कि आपके जमाने में जैसे पैण्डिंग पड़ी रहती थी वैसे पैण्डिंग नहीं रहने दूंगा, तुरन्त उनको सजा दूंगा। कोई स्पेसिफिक केस आपके पास है तो प्रमाण पेश कीजिए, मैं तत्काल एक्शन लेता हूं।

श्री अमीन खां : यह आप कर दोगे तो सब कुछ हो जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप कर दोगे?

श्री सभापति : कृपया व्यवधान पैदा नहीं करें। कोई बात नहीं, बाद में बता देना।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, प्रशासनिक स्तर पर आप सजा देने में कितने सक्षम हैं, इसको आपने देख लिया है क्या? आप मुख्य मंत्रीजी से राय तो कर लें। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मत्री) : भ्रष्टाचार के मामले में मुझे राय लेने की जरूरत नहीं है, मुख्य मंत्रीजी की राय हमेशा रहती है, भ्रष्टाचारियों को दण्ड देने की। इसलिए आप बताइये, मैं निश्चित तौर से दण्ड दूंगा।

श्री हरिसिंह : श्रीमान् एक किसान के लड़के....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय श्री हरिसिंहजी। (व्यवधान)

माननीय सदस्य। कृपया शांत रहिये। कृपया विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : अजी गुर्जर साहब, आपको पता ही नहीं है, कहां नहर है, नहर का क्या होता है, कहां सीमेण्ट आयी है, यह पता ही नहीं है। आप तो यूं ही खड़े हो रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री जी, पांचना बांध है, बिचूर बांध है, इनके घोटाले आप देखें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें। माननीय मंत्रीजी ने सुझाव दिया है कि आपके पास स्पेसिफिक कोई एलीगेशन हो तो बता दें, वह उसका ध्यान रखेंगे।

श्रीमती मदन कौर : इसी तरह से माननीय सदस्य ने सरकार को विजिलेन्ट रहने की सलाह दी है। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री): बहिनजी, मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि ऐसा कोई मामला है, मैं ऐसे ही प्रकरण ढूंढ रहा हूं, अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो आप बताइये, कार्यवाही की जायेगी। यह कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। अमीन खां जी।

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, इस नहर की सागरमल गोपा ब्रांच तो गडरा रोड तक बाड़मेर जिले के लिए ले जानी है, उस ब्रांच का आज तक, सभापति महोदय, जीरो है। जब तक इस ब्रांच के कार्य को सरकार युद्ध स्तर पर नहीं लेगी, तो पश्चिमी राजस्थान के जिले-बाड़मेर और जैसलमेर की जितनी भी पेयजल की योजनाएं हैं, अण्डर ग्राउण्ड वाटर के आधार पर जो आज चलाई जा रही हैं, उनका पानी दिनोंदिन कम होता जा रहा है। चन्द सालों या महीनों में वह पानी खत्म होने वाला है। यहां की जनता और पशुओं के लिए पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जायेगा। इसके साथ ही माननीय मंत्रीजी को मेरा सुझाव है कि पशुपालक सदियों से अपने धंधे को बहुत इज्जत से करते आ रहे हैं. इन पशुपालकों को एग्रीकल्चर से पहले बाड़मेर और जैसलमेर जिले में प्राथमिकता दी जाये और पशुओं के लिए, इस नहर में अलग से चरागाहों के लिए इन्तजाम किया जावे। छोटे-छोटे किसानों के लिए जो फलों के पेड़ वगैरह हैं, उनका भी इस नहर में इन्तजाम किया जाना चाहिये।

दूसरा रहा सवाल, जिस का माननीय श्री गंगारामजी से सम्बन्ध है, अभी तक बाड़मेर जिले के एक भी भूमिहीन किसान को नहर क्षेत्र में जमीन अलाट नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, इससे लगता हुआ एरिया है, वहां के लोग बेरोजगार हैं, हमेशा अकाल से पीड़ित हैं, हमेशा गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मकराना, जयपुर, सवाईमाधोपुर तक मजदूरी करने आते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसलिए कम से कम बाड़मेर जिले के भूमिहीन किसानों और दूसरे स्पेशल किसानों को इस साल भूमि अलाट करके राहत दी जाये।

आखिर में, मंत्री महोदय, जो आपने सुझाव देने के लिए कहा है, मैं सुझाव दे

(84)

(श्री अमीन खां)

दूंगा लेकिन मैं किसी पर कोई इल्जाम लगाकर बरी नहीं हो सकता, बड़ा आदमी हो जाऊंगा, मेरी वाह-वाही हो जायेगी यह मेरी मंशा नहीं है। आप यह कहते हैं कि मैं कोई घोटाला नहीं चलने दूंगा इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परन्तु जब तक घोटाले बंद नहीं होंगे, यह राजस्थान नहर पूरी होने वाली नहीं है। कागजों और भाषणों में हम पूरी कर दें उसमें किसी को लाभ मिलने वाला नहीं है। सागरमल गोषा ब्रांच को गडरा रोड तक आप शीघ्र राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मानकर पूरा करवायें, इतनी ही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : सभापति महोदय, यह किसानों का सवाल है। किसानों का राज होने के नाते किसान राज्य के भाग्य विधाता हैं, प्रान्त के भाग्य विधाता हैं, इस नाते सिंचाई का जितना भी बजट आता है, अधिकांशत : वह लैप्स हो जाता है, समय पर खर्च नहीं हो पाता है। मैं अपने जिले झालावाड़ की कुछ परियोजनाओं के बारे में बतलाना चाहता हूं। झालावाड़ की छापी परियोजना है, उस पर बजट जितना स्वीकृत हुआ, वह समय पर खर्च नहीं हो सका और लैप्स हो गया। इसी प्रकार सन् 1977 में बिनायका, यासरा बांध और कई बांध स्वीकृत हुए आज उनसे नहरें निकालकर किसानों को काफी राहत मिल रही है। झालावाड़ जिले में कई नदियां हैं, परवन है, चम्बल है, आहू नदी है लेकिन उनका पानी व्यर्थ जा रहा है। यदि उनका सर्वे करवाकर पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाय, उपयोग में लिया जाय तो हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है, उससे किसान भाग्यशाली हो सकता है। हमारे कोटा संभाग की जो जमीन है, झालावाड़ जिले की जो जमीनें हैं, वह सोना उगलने वाली जमीनें हैं। वहां पर अफीम पैदा होती है, सन्तरे की खेती होती है। नागपुर के बाद संतरे की उपज का दूसरा केन्द्र झालावाड़ जिला है।

सभापति महोदय, आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां जो चम्बल नदी है, आहू है, परवन नदी है, घोड़ापछाड़ है, उनका सर्वे करवाया जाय और उनका पानी रोककर, उन पर बांध बनाकर किसानों को राहत पहुंचायी जाय। सभापति महोदय, इसी प्रकार झालावाड़ जिले में और मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कई बड़े तालाब हैं जो पुराने हैं, जिनकी यदि मरम्मत करवायी जाये, जैसे सोमेला के पास जेताखेड़ी तालाब है और सरोज पंचायत में सरोज तालाब है, यदि उनका सर्वे करके सिंचाई विभाग में लेकर मरम्मत करायी जाये तो किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है और उनसे कई प्रकार की सुविधाएं किसानों को मिल सकती हैं। मक्खी गांव के पास, पारा पीपली के पास, कुण्डला गांव के पास बड़ी चम्बल नदी निकली हुई है, यदि उनका सर्वे करवाया जाये, उन गांवों में विद्युत की मंजूरी करवाई जाये तो कई और लिफ्ट योजनाएं बनाकर किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कई छोटे-छोटे फाल हैं जिनके ऊपर एनीकट बना करके किसानों को हम अधिक से अधिक लाभ दे सकते हैं। लेकिन अभी

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

वर्तमान में झालावाड़ जिले में, कोटा संभाग में सिंचाई विभाग में बिल्कुल पैसा नहीं दिया गया है। मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि कोटा संभाग प्रगति की ओर है, एक औद्योगिक नगरी है और झालावाड़ जिला नागपुर के बाद संतरे का दूसरा बड़ा केन्द्र है, यदि वहां पर सिचाई के अधिक से अधिक साधन जुटाये जायेंगे तो किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जय भारत।

श्री सभापति : श्री गुलाम मुस्तुफा खान। (अनुपस्थित) श्री रामस्वरूप मीणा।

(5.00 म. प.)

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, आज किसानों की मुख्य समस्या पानी की है। सिंचाई के लिए पानी अगर किसान को मिलता रहेगा तो खेती होगी और खेती होगी तो सबको अनाज मिलेगा। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज विचार किया जा रहा है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि मेरे जिले सवाईमाधोपुर की पांचना बांध की योजना है। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के एकमात्र इलाका नादौती उसमें पैदावार केवल मात्र वर्षा के आधार पर होती है और केवल बरसात में बांधों के अन्दर जो पानी इकट्ठा होता है, उससे सिंचाई होती है और उससे पैदा होती है। इस बात का विचार रखकर राज्य सरकार ने पांचना बांध का निर्माण किया था। सरकार जिस उद्देश्य को लेकर बांध बनाती है, जिस पर किसानों की आशा लगी हुई थी कि अब यह बांध बनेगा, जो माड का इलाका पीने के पानी के लिए भी तालाबों पर निर्भर करता है, सिंचाई की बात तो बाद की है उस माड के इलाके में इतने बड़े बांध को बना दिया गया लेकिन बड़े दुःख के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि उस पांचना बांध से आज उस माड के इलाके को पानी नहीं दिया जा रहा है। पानी नहीं देने के जब कारण पूछे जाते हैं तो बार-बार जवाब आ जाता है कि सरकार के पास विचाराधीन है, पानी नहीं चढ़ता है, लिफ्ट सिंचाई योजना चालू की जायेगी तब जाकर इसमें पानी चढ़ेगा। लेकिन जिसकी जमीन को दिखलाकर इतने बड़े बांध को बना दिया गया हो, सरकार का पैसा जिसके ऊपर खर्च कर दिया गया हो उस बांध से सिवाय भ्रष्टाचार के किसानों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, लिफ्ट के द्वारा जो पानी चढ़ना था उसकी आज तक किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी, जो इलाका पांचना बांध से सिंचित होना था पूरा का पूरा सूखा पड़ा हुआ है। मेरा यह निवेदन है कि सरकार तुरन्त इस बात पर विचार करे और लिफ्ट योजना के जरिये इस पानी को वहां पर दिया जाय। वहां की हजारों बीघा जमीन बेकार पड़ी हुई है, किसान अनाज के लिए तरसता है, चारे के लिए तरसता है। सरकार ने पैसा लगाया है लेकिन उस इलाके को आज तक पानी नहीं दिया।

श्री सम्पत सिंह : सुनाई नहीं दिया।

श्री हरिसिंह : यह माइक हटा दो तब भी रामस्वरूपजी को सुन सकते हैं आप।

(186)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको सुनाई नहीं देगा, जनता आपको सब सुना देगी। आपको जनता सब सुना देगी, आप क्यों सुनोगे। आप तो मंत्रीजी बन गये इसलिए +++ आप काहे को सुनोगे हमारी बातों को।

माननीय सभापति महोदय, अभी मंत्रीजी कह रहे थे कि किसी ने अगर किसी प्रकार का घोटाला किया हो तो आप लोग मुझे बताओ, मैं उनको दण्ड दूंगा। माननीय मंत्रीजी, आप तो दण्ड नहीं दोगे। आप जब दण्ड नहीं दोगे तो जनता आपको दण्ड दे देगी, यह तो निश्चित ही है। यह एक घोटाला हमारे पांचना बांध के अन्दर हुआ, उसके बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। आप ध्यान देकर सुन लेना और कुछ कार्यवाही कर सको तो कर देना। नहीं तो जनता तो कार्यवाही कर देगी। पांचना सिंचाई बांध, श्री महावीरजी, जिला सवाई माधोपुर के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री जे. एम. माथुर एवं बी. पी. सिंह, उप खण्ड प्रथम द्वारा लाखों रुपए के किये गये भ्रष्टाचार की कार्यवाही करने के बारे में। इसके पूरे प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं, माननीय मंत्रीजी, यह सारा रिकार्ड मेरे पास है, अगर आप चाहे तो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप इसमें कोई कार्यवाही कर सको तो करना, क्योंकि आप बहुत कहते हो कि हम भ्रष्टाचार को मिटायेंगे। हां, उधर मैं देख रहा हूं, सभापति महोदय से भी निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह जो भ्रष्टाचार हुआ है आपके समय मे हुआ है या अभी हुआ है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके समय में हुआ या अब हुआ, सरकार आपकी है, आप भ्रष्टाचार मिटाइये।

श्री हरिसिंह : आपका जन्म भी कांग्रेस के ही राज में हुआ है, इसलिए यह भी धरती के बाहर है, निकल जाओ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने निवेदन किया था कि घोटालों को मिटायेंगे, किसी प्रकार का कोई गलत काम हुआ हो तो उसको हमारी जानकारी में लाइये। मैं आपकी जानकारी में यह मामला ला रहा हूं। सारे प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा।

इसके साथ साथ दूसरी बात और निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के लिए इतने बड़े बड़े बांध तो आप लोग सिंचाई के लिए बनाते हो उसका लाभ जब किसानों को नहीं मिलता है तो उसके मूल में कारण यही होता है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण उस पैसे का सही तौर से उपयोग नहीं होता। एक दूसरा उदाहरण आपको निवेदन करना चाहूंगा, आप इसको भी ध्यान देकर सुन लेना। कार्यवाही आप कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है, आपने बहुत भ्रष्टाचार मिटा दिया है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आप सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वह हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करे। यह मामला है बिचूर बांध सिंचाई खण्ड प्रथम जयपुर के अन्दर। उसमें मिट्टी का कार्य हुआ था। एक से लेकर बारह बिल तक जो मिट्टी

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

की लीड थी, वह आधा एवं एक किलोमीटर दूरी की थी। इसकी दर 65 एवं 70 रुपए प्रति दस क्यूबिक मीटर थी। दूसरी रेट से ठेकेदार को भुगतान हुआ। बिल तेरहवें में मिट्टी की लीड 10 किलोमीटर बतलायी और 14.12.1990 को चैक नम्बर 272903 के द्वारा तीन लाख चार हजार तीन सौ छियासी रुपए का ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया। 5.2.1991 को माननीय मुख्य मंत्रीजी को शिकायत की गयी कि फर्जी पेमेण्ट उठाया गया है। जांच शुरू की गयी तो अधीक्षण अभियन्ता श्रीमान कल्ला साहब ने जांच करके मुख्य अभियन्ता को रिपोर्ट दी कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तब पुनः शिकायत की गयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहा गया कि मामला दबा दिया गया है तो पुनः मुख्य मंत्रीजी ने सिंचाई सचिव को निर्देश दिये कि इस मामले को व्यक्तिगत रूप से दबाव देकर देखा जाय। इसके बाद सिंचाई सचिव ने अधिशासी अभियन्ता श्री जैन साहब से जांच करायी। जैन साहब ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट में कहा कि घपला हुआ है।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात सरकार के सामने रख रहा हूं।

श्री सभापति : आप बता दीजिए पर पढ़ना नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं घोटालों को पढ़कर सुना रहा हूं, जो तथ्य मेरे सामने हैं उनको बता रहा हूं। मैं यह आप चाहो तो दिखा दूंगा।

श्री सभापति : बात बता दीजिए, कण्टेण्टस बता दीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : चार लाइनें हैं, केवल चार लाइनें सुनानें दें इस + + + सरकार को। शिकायत सही है यह जांच रिपोर्ट की गयी। तब तक दोषी अधिकारियों ने सिंचाई सचिव से सम्पर्क कर लिया एवं उनको + + + एवं दुबारा विस्तृत जांच कराने के आदेश कर दिये। मजेदार बात यह है कि अधीक्षण अभियन्ता....

श्री विजयसिंह झाला : माननीय सदस्य, इसकी जांच चल रही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मुख्य अभियन्ता द्वारा मुख्य मंत्री महोदय को प्रेषित की गयी।

श्री विजयसिंह झाला : इसकी जांच चल रही है। अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, जांच चल रही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जांच तब सफल होगी जब आप उन अधिकारियों को सस्पैण्ड करोगे। अगर आपने उनको सस्पैण्ड नहीं किया और जांच चालू रखी तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे लोगों को, जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, जिन्होंने गलत काम किये हैं, चाहे वे कितने बड़े लोग क्यों न हों, माननीय

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मंत्रीजी, पहले हटावें उसके बाद अपनी जांच पूरी करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हुआ अन्त में यही निवेदन करूंगा कि इस सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाकर किसान के साथ न्याय किया जाय और सिंचाई की व्यवस्था की जाय।

श्री सभापति : श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, बजट में जो व्यवस्था की गयी है, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा अन्याय यदि इस बजट में हुआ है तो वह है झुंझुनू जिले के साथ और वह भी उन क्षेत्रों के साथ जो डार्क जोन की पीड़ा से पीड़ित हैं। एक ओर पानी जमीन के नीचे जाता जा रहा है दूसरी ओर पहाड़ों से बहने वाला पानी हजारों घन फीट मिट्टी ले जाकर सिंचित जमीन पर डाल देता है। प्रति वर्ष किसान जमीन पर लायी गयी मिट्टी को हटाता है, हजारों रुपया उसका खर्च होता है। बाढ़ नियन्त्रण की बात तो की गयी लेकिन बाढ़ नियन्त्रण के साथ साथ खेती पर आने वाली उस मिट्टी को हटाने के बारे में व्यवस्था न पहले थी, न इस समय व्यवस्था है। आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि डार्क जोन के कारण जो पानी की समस्या बनी है उसको समाप्त करने के लिए वहां के नदी-नालों पर बांध बनाकर, एनीकट बनाकर उस पानी को रोका जाना चाहिए। इस कारण से पानी का जल स्तर ऊपर आयेगा, पानी सिंचाई के काम भी आयेगा और पानी जो बेकार जाता है उसका उपयोग भी होगा। साथ ही बहता हुआ पानी हजारों घन फीट मिट्टी ला कर डाल देता है जिससे किसानों के खेत खराब हो जाते हैं, किसानों को उस मिट्टी को निकालना पड़ता है उस हानि से किसान बच सकेंगे।

आश्चर्य की बात है, माननीय सभापति महोदय, 3 इस प्रकार के उस क्षेत्र में बांध हैं जिनका 75 पर्सेन्ट काम हो गया लेकिन अधिकारियों की उदासीनता की वजह से और एक दूसरे डिपार्टमेण्ट के झमेले के कारण से छापोली और मण्डावरा के कांकड़दा बांध का सवाल हो, चाहे मणकचास खो बान्ध का सवाल हो या फिर बांबोली के मोजीड़ा बांध का सवाल हो, तीनों बांध विभाग और सरकार की अकर्मण्यता के कारण जाल में फंसे हुए हैं। उसमें सरकार का काफी पैसा अटक गया है। इस बारे में बार बार आग्रह करने के बाद भी, जुलाई सत्र में भी मैंने इस बात को रखा था, इस बार भी 3–4 दिन पहले मैंने इस बात को रखा था लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अधिकारियों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने माननीय मंत्रीजी से बात-चीत की है लेकिन अधिकारी वर्ग जब तक कोई कहता नहीं, माननीय मंत्रीजी या दूसरे बड़े अधिकारी जब तक जाकर नहीं कहेंगे तब तक कार्यवाही नहीं करेंगे।

मेरे क्षेत्र में जे.ई.एन. की पोस्ट है, लेकिन जे.ई.एन. कब जाकर बैठता है मुझे तो पता नहीं। जे.ई.एन. है कौन, मैं नहीं जानता और जहां तक मैं समझता हूं कि

(189)

(श्री मदनलाल सैनी)

जे. ई.एन. को भी पता नहीं होगा कि यहां का विधायक कौन है और मुझे यह पता नहीं कि उदयपुरवाटी में जे ई.एन. का ईरिगेशन आफिस कहां है, मैंने आज तक नहीं देखा।

यह जो सारी स्थिति है, मैं समझता हूं कि विभागीय अधिकारियों की उदासीनता किस स्तर तक है, यह इससे परिलक्षित होता है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं उदयपुरवाटी क्षेत्र को तबाह करने वाले खेतड़िया और ऊंडा नाले की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जहां पर 2 ऊंट जितने खड्डे हो जाते हैं जब वह नाले चलते हैं तब, वह एरिया झुंझुनू जिले का सबसे ज्यादा उर्वरा और उपजाऊ क्षेत्र रहा है, उदयपुरवाटी, किसी जमाने में। उस क्षेत्र में खेतों में मिट्टी डाल देते हैं और उसके कारण से हर दो वर्ष के बाद में किसानों के हजारों रुपए इस मिट्टी को हटाने में काम आते हैं।

वास्तव में यह बजट बड़ा सुन्दर है। इस बजट को बनाते समय सावधानी इस बात की रखनी पड़ेगी कि सोने का बरतन हो। लेकिन अगर उसमें पैंदा नहीं होगा तो सुन्दरता का कोई उपयोग नहीं, सोने का कोई उपयोग नहीं। उससे अच्छा तो मिट्टी का बरतन होगा जिससे पैंदा होगा, जो काम आ सकेगा। इसमें इस प्रकार की सावधानी भी माननीय मन्त्रीजी रखेंगे कि पैंदे में छेद न हो और बजट का पूरा उपयोग हो सके। यह जो ऋण नीति है, आज डार्क होने के कारण से किसानों को न खेतों में लाभ मिलता है, न कुएं खोदने में मिलता है, न बिजली लगाने में मिलता है। दूसरी "जल-धारा", "जीवन-धारा" जो भी योजनाएं हैं किसी भी प्रकार का ऋण डार्क जोन होने के कारण किसानों को मेरे क्षेत्र में नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार की कहानी झुन्झुनू जिले की और खेतड़ी क्षेत्र की है जहां पर इतने नदी नाले हैं, लेकिन वहां पर भी बांधों का काम, रख-रखाव पर तो पैसे उपयोग होते-होंगे लेकिन कोई नयी योजना इस क्षेत्र के लिये नहीं बनाई गई है। टैक्स तो यहां की जनता भी देती है। टैक्स यहां की जनता से भी लिये जाते हैं लेकिन ईरिगेशन में इस क्षेत्र के लिये, उपयोग के लिये और लाभ के लिये कोई योजना का इसमें वर्णन नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में मैंने जो यह एनीकट्स बनाने के बारे में कहा है, जिन बांधों के बारे में कहा है, और भी बांध हो सकते हैं जो नये हो सकते हैं, एनीकट्स हो सकते हैं उनको बनाया जाना चाहिये। उनके कारण से पानी रुकेगा, जमीन का कटाव रुकेगा, मिट्टी जो आती है और उससे जमीन खराब होती है वह रुकेगी, जल स्तर बढ़ेगा और लोगों को सिंचाई के लिये पानी मिलेगा। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति : श्री गोपालसिंह खंडेला।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : माननीय सभापति जी, वैसे तो सारे देश में ही खेती और सिंचाई का अपने आप में बड़ा महत्व है लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो इस प्रदेश में इन्दिरा गांधी नहर का क्षेत्र और चम्बल क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के शेष सारे भाग में नहरी सिंचाई की कोई खास योजना नहीं है और न इस तरफ कोई

(१९०)

(श्री गोपाल सिंह)

विशेष कदम उठाये गये हैं। राजस्थान में जहां पर औद्योगिक क्षेत्र नाम के नहीं, औद्योगिक इकाइयां यहां लग नहीं सकती सफलतापूर्वक तो फिर एक खेती ही बचा हुआ काम है इस प्रदेश में जिसको बचाने के लिये और जिसको बढ़ाने के लिए सरकार को बड़े निर्णय के साथ में सिचाई पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। यदि खेती बढ़ेगी तो निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में भी कई सम्भावनाएं बढ़ेंगी।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 10-12 वर्षों से प्रदेश में लगातार वर्षा का अभाव रहा और सारे इलाकों में कुओं का पानी स्वतः ही नीचे चला गया। पहले तो जो ट्रेडिशनल लिफ्ट इरिगेशन का किसान का तरीका था वह टूट गया। बिजली के कुएं लगे, कुओं पर बिजली के कनेक्शन्स लगे तो पानी जो नीचे चला गया तो वह पानी किसान को अब नहीं मिलता है। अब एक ही रास्ता है कि किसान पाताल तोड़ कुएं बनवाये। लेकिन यह किसानों के बल-बूते की बात नहीं हैं। आज राजस्थान का किसान ढाई-तीन लाख रुपए ट्यूब वैल पर खर्च नहीं कर सकता पर अब दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिये इस विषम परिस्थिति में सरकार को नीतिगत निर्णय लेना चाहिये कि इस प्रदेश में अगर खेती को उबारना है तो जो उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है कि सिंचाई विभाग द्वारा माइनर इरिगेशन स्कीम्स के अन्तर्गत ट्यूब वैल्स बनाये गये हैं, उस ट्यूब वैल्स से सारे गांव में पानी जाता है, सिंचाई की जाती है और पैसे लिये जाते हैं, वह व्यवस्था कुछ सुधारों के साथ में इस प्रदेश में भी हो सकती है। सरकार की तरफ से कम्युनिटी ट्यूब वैल्स की स्कीम रखी गई थी, पर 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, इसी सदन में इस पर काफी चर्चा हुई थी, परन्तु इस दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। उसके कारण हैं, 3-4-5 किसान मिलकर कुआं बना लें यह सम्भव नहीं है। यह सरकारी दृष्टिकोण खेती के लिये अभी जुड़ा नहीं है और न कभी जुड़ सकेगा। इसलिये कम्युनिटी ट्यूब वैल 3-4-5 किसान मिलकर बना लेंगे यह व्यावहारिक भी नहीं है। यह विचार अच्छे हैं लेकिन व्यावहारिक नहीं हैं। इसलिये इस बात को सोचते हुए सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से माइनर इरिगेशन के अन्तर्गत ट्यूब वैल्स खुदवाने चाहिये, पाताल-तोड़ कुएं बनवाने चाहिये और विभाग की तरफ से किसानों को पानी उपलब्ध करवा कर पैसा लेकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिये।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, जहां पानी बहुत ज्यादा आता है उसको बड़े बांध बनाये जाकर रोका जाना चाहिये इससे हम असहमत नहीं हैं। लेकिन केवल योज-नाओं के नाम पर बहुत बड़ा पैसा बड़ी-बड़ी योजनाओं पर बांध बना कर खर्च कर दिया जाय और उसका उपयोग भी मुकाबले में कम हो वहां पर निश्चित रूप से ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभा-पतिजी, सारे क्रांतिकारी कहां चले गये, कोई सुनने वाला ही नहीं जनता दल का ?

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : आप तो सुन रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसलिये आज आवश्यकता है कि केवल बड़े बांध

(श्री गोपालसिंह)

नहीं बनाये जाकर, जहां आवश्यकता है, जिसको टाला नहीं जा सकता है वहां पर निश्चित रूप से बड़े बांध बनें (व्यवधान).

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें ।....

एक माननीय सदस्य : पूर्वाभ्यास कर रहे हैं साफ होने का ।

श्री गोपाल सिंह : सभापति महोदय, जहां छोटे बांध बनाये जा सकते हैं वहां इस पानी का इस प्रदेश के अन्दर ज्यादा उपयोग हो सकता है । इसलिए नीतिगत निर्णय करके सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि सोइल कन्जर्वेशन हो सके और पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो ।

सभापति महोदय, आपकी मार्फत, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । मैं सीकर जिले की बात करता हूं । सीकर जिले के दो भाग हैं । एक उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, रेगिस्तानी है, एक दक्षिणी पूर्वी भाग है जहां पहाड़ी क्षेत्र है, पानी का ज्यादा बहाव है । काटनी नदी का उद्गम स्थान सीकर जिला है । काटनी नदी का सारा पानी बहकर झुन्झुनू जिले को पार करता हुआ चूरू जिले में राजगढ़ के टीबों में जा करके सूख जाता है । इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसको आज तक सिंचाई विभाग ने रोका नहीं है । वहां के किसानों ने कई बार इसको उठाया है, कई बार इसकी चर्चा विधान सभा में भी हुई है लेकिन सभापति महोदय, दुर्भाग्य रहा है, सरकार इस दिशा में कोई निश्चित कदम नहीं उठा सकी । छोटे-छोटे 1, 2, 3, 4 बांध की योजनाएं जरूर बनायीं । श्रीमाधोपुर तहसील में नाथपा कोटडी बांध की योजना बनी, नीमकाथाना तहसील में ठीकरिया बांध की योजना बनी, बजट स्वीकृत हुए लेकिन उस वक्त के जन प्रतिनिधि न मालूम क्या सोचते थे, किसी ने कान में आकर कह दिया सरकार के, आपने उल्टी बात कह दी, वह योजनाएं आगे नहीं चलीं । बड़ी आवश्यकता है इस पानी को रोकने की । यदि ठीकरिया बांध बनता है तो श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना दोनों क्षेत्र के गांवों में लाभ होगा, कुओं का पानी बढ़ेगा, सीधी सिंचाई भी कुछ होगी । इसी तरह से नाथपा कोटडी का बांध है । यदि वह बांध बनता है तो कोटडी, नाहरपुरा, कैरपुरा, कारोई, झाड़ली, चौमड़ी इन गांवों को निश्चित रूप से फायदा होगा । यह बड़ी महत्व की योजनाएं हैं ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो परम आवश्यक योजनाएं हैं और जिनके लिए बजट स्वीकृत हो गये हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर इस वर्ष हाथ में लेना चाहिए ताकि नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, खण्डेला इस क्षेत्र का जो इलाका है, यहां पानी रुकेगा, यहां बांध बनेंगे, कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, सीधी सिंचाई भी होगी । सभापति महोदय, यदि इतना कुछ भी होता है तो निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर यह भाग एक दूसरा हरियाणा बनेगा, हरियाली होगी और खेती के बहुत बड़े नतीजे हासिल होंगे । इसलिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए यह कुछ मूल बातें कह रहा हूं, ज्यादा बड़े बांध न बना करके छोटे बांधों की तरफ ध्यान देना चाहिए और काटनी नदी का जो पानी बिल्कुल बेकार जा रहा है, टीबों में जाकर सूख गया है इस सारे पानी को जगह-जगह रोक करके झुन्झुनू, सीकर इन

(श्री गोपाल सिंह)

इलाके के लोगों की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बृजराज मीणा।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई की मांग संख्या 46 पर अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ समस्याएं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। कोटा मे चम्बल कमाण्ड एरिया स्थित है। इस चम्बल कमाण्ड एरिया के अन्दर तहसील पीपल्दा, दीगोद, नारपुरा, केशोरायपाटन और कालेड़ा, पांच तहसीलें आती हैं और मण्डरोल जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है। दीगोद के अन्दर मुख्य नहर से सिंचाई होती है। इस क्षेत्र के अन्दर कई ऐसी जमीनें हैं, 2-2, 4-4 हजार बीघा के प्लाट्स हैं जो ड्राई हैं और वह चम्बल कमाण्ड एरिया में स्थित हैं। उनकी सिंचाई की परियोजना बनाने के लिये, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम सिंचाई वालों से कहते हैं तो, कहते हैं कि कमाण्ड एरिया में स्थित है और कमाण्ड एरिया वालों से कहते हैं तो हमारे पास बजट नहीं है। मैं सिंचाई मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एबरा और फतेहपुर दो जगह ऐसी हैं जहां पर एक-एक हजार एकड़ के प्लाट्स हैं काश्तकारों के, वहां लिफ्ट सिंचाई योजना बनाई जाये, उसका तखमीना बनाया जाये और उसको बजट आवंटित किया जाये।

दूसरा एक नाला बहता है इस नाले में 60 क्यूसेक पानी बहता है। जब-जब नहर चलता है, इसमें राजस्थान का 60 क्यूसेक की लिमिट से पानी बहता है। यहां पर पम्प हाउस लगाया जाये या इस पानी को माइनर्स में डाल दिया जाये तो टेल की प्राब्लम खतम हो जायेगी। इस सम्बन्ध में जब पहले दिग्विजय सिंहजी सिंचाई मन्त्री थे, उन्होंने जब कोटा में मीटिंग ली थी तो हमने वहां भी यह प्रस्ताव रखा था, हमारे एस. ई. साहब को भी नोट कराया था कि वहां पम्प हाउस की योजना बनाई जाये और इस पानी को लिफ्ट करके टेल पर पहुंचाया जाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1977 में सी. ए. डी. द्वारा जब ओ. एफ. डी. वर्क चला था तब कुछ सड़कें बनी थीं, सुल्तानपुरा, जाखेड़ मूण्डला से कोरसां, बोरां से बोरां स्टेशन और बम्बोरी। सन् 1977 में आज से 13 वर्ष पूर्व गिट्टी रोड बने थे। आज दिन तक न तो इसमें एक पैसा दिया गया, ना इनकी कोई मरम्मत हुई। यह वैसी की वैसी हालत में पड़ी हुई हैं। मैं सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इनको बजट दिया जाये और इनको रिपेयर कराया जाये या इनको बिल्कुल ही पी. डब्ल्यू. डी. के हैण्ड ओवर कर दिया जाये। सरकार का पैसा लग गया, पब्लिक यूटिलिटी में नहीं आ रहा है, ऐसी इनकी खराब हालत हो रही है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। सन् 1962 से पूर्व हमारी छोटी-छोटी नहरें और माइनर बने थे। आज दिन तक उनकी पूरी सफाई नहीं हुई है गत वर्ष जो बजट दिया गया वह यूटिलाइज नहीं हो पाया क्योंकि पानी

(श्री बृजराज मीणा)

चल चुका था उस समय नहरों में। आज नहरों में बम्बूल बढ़ रहे हैं। नहरें जगह-जगह फूट रही हैं। तो यह जो पैसा सिंचाई की सफाई का दिया जाता है वह जल्दी दिया जाये और जल्दी कार्य प्रारम्भ किया जाये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सी. ए. डी. में सुल्तानपुरा पंचायत समिति कस्बे में एक सी. ए. डी. का एक्स. ईएन. आफिस बनाया गया था। उस समय सन् 1980 में करीब एक करोड़ रुपया लगा होगा। आज तक वह एक्स.ईएन. आफिस जो बना था वैसी की वैसी हालत में पड़ा हुआ है। सिंचित क्षेत्र मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराई जाये, किस कारण से यह भवन पड़ा हुआ है। उस भवन में 10-15 कमरे हैं। यदि उपयोग में नहीं आ रहा है तो दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया जाये।

सभापति महोदय, हमारे सी.ए.डी. में ओ.एफ.डी. वर्क हुआ था जिसको कैचमेन्ट वर्क कहते हैं जिसके अन्तर्गत नालियां बनाई गई थीं। आज से 13 और 15 वर्ष पूर्व जो नालियां बनाई गई थीं, जो ड्रेनेज खोदी गई थीं वह भर गई हैं। प्रायोरिटी के आधार पर जो भी ड्रेन्स हैं उन सबकी सफाई कराई जाये, मशीनें लगाई जायें, उनको एक एडीशनल बजट अलाट किया जाये। ओ.एफ.डी. वर्क जो चले थे, कई जगह नालियां नहीं बनीं, कई जगह धोरे नहीं बने, कई जगह पुलियाएं नहीं बनीं, कई ड्रेनों को अधूरी छोड़ दिया। तो जो-जो भी वर्क अधूरे रह गये हैं उनको पूरा करवाया जाये।

सभापति महोदय, जब ओ एफ.डी. वर्क चला था सी ए.डी. कैरियर ड्रेन और मैन ड्रेन खोदी गई थी। उस कैरियर ड्रेन और मैन ड्रेन का 13 वर्ष तक भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। जब मुआवजा दिया जाता है तो मार्च में जाकर पहुंचता है। मार्च में उसका भुगतान हो नहीं पाता और लैप्स हो जाता है बार-बार। तो जो 13 साल पहले काश्तकार की जमीन सी.ए.डी. ड्रेन और मेन ड्रेन में ली गई है उसके मुआवजे का तुरन्त भुगतान किया जाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सांगोद पंचायत समिति है वहां सिंचित क्षेत्र में नहीं है तो मैं सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सावन भादवा डेम पर 12 करोड़ रुपये खर्च हो चुके अब तक। उस सावन-भादवा डेम की हालत आज की तारीख में यह है कि वह पानी की भराव क्षमता को रोक नहीं सका। बांध बनते-बनते टूट गया, उसकी जांच भी चल रही है। काश्तकारों की जमीनों में नहरें निकाल दी गईं उससे जमीन बिगड़ गई, मुआवजा का उनको आज तक भुगतान नहीं किया गया तो ऐसी हालत में उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये और जिसने भी गड़बड़ी की है उसकी जांच कराई जाये और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

दूसरा, हमारे कोटा के एस. ई. साहब, यहां के अधिकारी भी बैठे होंगे। दांता और मदारियां दो परियोजनाएं चल रही हैं। इस मदारियां पर कितना पैसा अब तक खर्च

(श्री बृजराज मीणा)

किया जा चुका है। मैंने जाकर देखा है कि 300–500 ट्रक गिट्टी पड़ी होगी। सारी गिट्टी को उठा उठाकर ले गये। सिंचाई मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच की जाये कि कौन ले गया 500 ट्रक गिट्टी को और कहां गई वह और कितना पैसा खर्च हुआ मदारियां पर। मदारियां पर एक डेम सैंक्शन हुआ है आपके यहां से, उस पर बार-बार पैसा जाता है, एक भी पैसा उस पर नहीं लगा, वहां कोई 500 ट्रक गिट्टी पड़ी होगी जिसमें से 300 ट्रक गिट्टी चली गई। जहां तक सागर परियोजना का सवाल है उसमें पानी सीजनली दिया जाता है, उसमें पानी स्टोरेज करने का कोई साधन नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट को मोडिफाइ किया जाय और पानी को स्टोरेज करने की व्यवस्था की जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि डाराडेम, खातीखेड़ा डेम सन् 77–78 में मंजूर हुए थे। डारा डेम से एक नहर निकलती है यह नहर निकलती है उसमें 400 बीघा सिंचाई होती है और 1600 बीघा जमीन उसके डूब में आती है। वह नहर 13 साल से कोटा-बारां रोड है उसके क्रास पर रुकी हुई है। मैंने कई बार मन्त्री महोदय से भी निवेदन किया है और अधिकारियों से भी निवेदन किया है लेकिन आज दिन तक एक साल में भी उसका काम नहीं करा पाये। वह वहां की वहां है उसके ऊपर क्रास नहीं नहीं दिया गया। वह 12 साल पहले जैसी बना दी गई वह वैसे की वैसे है। तो ऐसी योजनाएं बनाने से क्या फायदा? जब योजना का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, सरकार का पैसा भी व्यर्थ जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा इसकी जांच कराई जाय और विशेष रूप से जो भी उचित कार्यवाही हो वह शीघ्र की जाय।

दूसरी, सांगोद तहसील में कालीसिंध नदी बहती है, उजाड़ नदी बहती है। कालीसिंध 12 मासी नदी है इसमें बहुत पानी है। हमारी इरिगेशन की स्कीम आयी थी वह भी आज दिन तक मजूर नहीं हो पाई। इसके अलावा टोल्या, टोच्या कई जगह जो छोटी-छोटी माइनर स्कीम हैं जो 40–50 लाख में कम्पलीट हो सकती हैं उनका सर्वे कराया जाय और उसके पानी को यूटिलाइज किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो योजनाएं चली थीं ये 80 से पहले की चली हुई थी। पर आज दिन तक काश्तकारों को उनकी अवाप्त की गई भूमि का भुगतान नहीं किया गया। 12 साल हो चुके वे काश्तकार क्या कर रहे होंगे जिनको 12-12 साल हो गये? और उनकी जमीनों के मुआवजे का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में तत्काल मुआवजे का भुगतान कराया जाय और आज की बाजार रेट के अनुसार कराया जाय। पूर्व में कांग्रेस सरकार ने तो नहीं करवाया था। 10 साल तक शासन रहा 80 से 90 तक एक भी पैसा मुआवजे का नहीं दिया। मैं वर्तमान सरकार से जो किसानों की हितैषी है, निवेदन करना

(श्री बृजराज मीणा)

चाहता हूं उन काश्तकारों को तुरन्त मुग्रावजे का भुगतान कराया जाय और वह मुआवजा बाजार रेट के अनुसार हो उनको रिहेबिलिटेशन अलाउन्स मिले।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, दीगोद विधान सभा क्षेत्र के सांगोद में कई तालाब हैं। कई जगह बांध बने हुए हैं। ये बांध पुरानी रियासत के जमाने में बने थे परन्तु आज उनकी हालत डेमेज हो रही है उनके लिए भी अतिरिक्त बजट सैंक्शन किया जाय और अलाट किया जाय तथा उनकी मरम्मत कराई जाय जिससे पुराने टाइम से जो सिंचाई हो रही है वो सिंचाई उससे होती रहे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बृजराज मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से सिंचाई मन्त्री को यह निवेदन करता हूं कि हमारी कालीसिंध, कोपन और उजाड़ नदी पर जहां पर लिफ्ट ईरिगेशन बन सकती है और उससे सिंचाई हो सकती है उसका सर्वे कराया जाय और योजनाएं मंजूर की जायं तो विशेष रूप से सिंचित क्षेत्र मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारी चम्बल की नहरें हैं उनकी सिंचाई के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाय और अलाट किया जाय, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में मांग संख्या 46 सिंचाई विभाग, साथ-साथ इंदिरा गांधी नहर योजना तथा उससे सम्बन्धित विभागों की मांगों की चर्चा हो रही है, के संदर्भ में मैं माननीय इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री से विशेषकर मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

सर्वप्रथम मैं इस सदन का और माननीय मन्त्री महोदय का और राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि इस राजस्थान की भागीरथी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का, यह तो सर्वविदित है कि यह योजना बहुत लम्बित हो गई है जिसके फलस्वरूप इसकी लागत जो लगनी थी उससे कई गुना वृद्धि हो गई है और इसके निर्माण के उपरान्त भी दुर्भाग्यवश हमारे जिले में इसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जो इन्दिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके साथ ही सिंचित क्षेत्र विकास विभाग है एवं उपनिवेशन विभाग है इसमें तालमेल की निश्चित रूप से कमी है जिसके फलस्वरूप जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं उसके अनुसार जैसलमेर जिले में केवल 188 करोड़ रुपये इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण पर खर्च हो चुके हैं तथा करीब 70 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र विकास के लिए भूमि डवलप की जा चुकी है पर दुर्भाग्यवश केवल 5018 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकी है जिसके फलस्वरूप इसका यूटिलाइजेशन 14 प्रतिशत हुआ है जो कि बिल्कुल नगण्य है। इसके कई कारण हैं और प्रमुख कारण यह है कि जो नहर में उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। आवंटन में भी कई अनियमिततायें हुई हैं और जो सिंचित क्षेत्र विकास विभाग

(श्री जितेन्द्र सिंह)

है उसकी भी कार्यप्रणाली जैसी होनी थी वैसी नहीं रही है । कार्य फलौदी जैसलमेर जिले के नाचना, मोहनगढ़, रामगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में होता है पर कई कारणों से या अधिकारियों की सुविधा से सिंचित क्षेत्र विकास विभाग का मुख्यालय बीकानेर में स्थित है जो कि लगभग 300 किलोमीटर फील्ड से दूर है । पूर्व में डेढ़-दो साल पहले अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारियों के विभाग का स्थानान्तरण करने का आदेश हुआ था, किन्तु किन्हीं कारणों से और राजनीतिक कारणों से वह निरस्त कर दिया गया और मुख्यालय वापस बीकानेर कर दिया गया । मेरी सरकार से मांग है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सिंचित क्षेत्र विकास विभाग को इन्टीग्रेट करके एक मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी का मुख्यालय जैसलमेर में स्थापित किया जाय ताकि इस योजना को द्रुत गति प्राप्त हो सके । नहर का निर्माण मुख्यतः या तो सिंचाई करके कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हुआ था या पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हुआ था, परन्तु जो जैसलमेर की गजूप सागर परियोजना है जिससे जैसलमेर और 23-24 गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है उसके अन्तर्गत 47 आर. डी. पर देवा माइनर पर इन्दिरा गांधी नहर विभाग ने अभी तक जल उपलब्ध नहीं कराया है । यह जो मैं मांग प्रस्तुत कर रहा हूं यह पेयजल से संबंधित नहीं है । क्योंकि पेयजल की प्राप्ति तो 2-3 विभागों के कार्डिनेशन से होती है इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जल उपलब्ध कराती है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इसका पूरा नियंत्रण करके पाइप लाइन बिछाता है और विद्युत विभाग विद्युत उपलब्ध कराता है । पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है, विद्युत उपलब्ध कराई जा चुकी है पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिससे पेयजल योजना की क्रियान्वित में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है । यह पेयजल ही नहीं बल्कि जैसलमेर के जितने तालाब हैं उनको भरने की योजना थी और इससे पर्यटन आकर्षण में 4 चांद लगते । परन्तु इस योजना की क्रियान्विती में विलम्ब हो रहा है जिससे पर्यटन विभाग को भी नुकसान हो रहा है और इससे महत्वपूर्ण जो शहर की पेयजल योजना है, ग्रामीण पेयजल योजना है इसका भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है । इसलिए दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी विपुल धनराशि इस नहर योजना पर खर्च हो जाने के उपरांत भी इसका समुचित लाभ इस जिले में प्राप्त नहीं हो रहा है । जो प्रमुख समस्या है वह है क्षेत्र के काश्तकारों को खातेदारी राइट्स उपलब्ध करवाने की । यह मामला बहुत समय से लम्बित है, तीस-पैंतीस साल से चल रहा है, 15 एएए के केसेज भी चल रहे हैं और अभी तक इस क्षेत्र की जनता को, विशेषकर कोलायत से लेकर जैसलमेर जिले में अभी तक खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये । जन आक्रोश बढ़ रहा है और इस बात की संभावना से इन्कार करने में मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि अगर इसमें और विलम्ब किया गया तो जन आक्रोश इतना भड़क सकता है कि आन्दोलनात्मक रूख अपना सकते हैं । मेरा सरकार से निवेदन है कि इस क्षेत्र में तत्काल खातेदारी अधिकार दिये जायें और जो पीढ़ियों से यह काश्तकार बसे हुए हैं

(श्री जितेन्द्र सिंह)

उनकी भावनाओं का आदर करते हुए सरकार त्वरित गति से इस दिशा में काम करे। भूमि का आवंटन नहर क्षेत्र में हो रहा है उसमें अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां भूमि नहर के किनारे आवंटित की जाय उसमें सर्वप्रथम उस गांव के काश्तकार को प्राथमिकता दी जाय, उसके उपरांत उस तहसील के काश्तकार को प्राथमिकता दी जाय और उसके उपरान्त उस जिले के काश्तकार को प्राथमिकता दी जाय। इसके बाद जनरल या रिजर्व अलाटमेंट किये जायें ताकि जो जमीन नहर के किनारे रिजर्व लेण्ड कर रखी है और जो अच्छी भूमि है, इस क्षेत्र की गरीब जनता के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह इतनी ज्यादा धन-राशि देकर ओपन आक्शन में उसको खरीद सके। इसलिए सरकार इस पर तुरन्त विचार करे और जो आठ-दस हजार प्रार्थना-पत्र पैंडिंग पड़े हैं उन पर तत्काल निर्णय करके भूमि आवंटित कराये ताकि नहर का लाभ तो कम से कम किसान ले सके और इस क्षेत्र में हरित क्रान्ति आरम्भ हो सके। इसके अलावा मेरे दो सुझाव और थे। एक तो यह था कि इससे पहले मोहनगढ़ का दस मीटर पानी लिफ्ट करके जैसलमेर के मध्य से होते हुए बाड़मेर तक नहर का पानी ले जाने की योजना थी। जैसी कि मेरी जानकारी है, उससे गांवों में पेयजल भी उपलब्ध करवाया जाता और उससे सिंचाई भी करवाई जाती। इस संदर्भ में जो पूर्व में माननीय इन्दिरा गांधी नहर मंत्री और राज्य मंत्री का दौरा हुआ था उस समय मैं साथ था, तब भी उनको यह सुझाव दिया था और मण्डाऊ ब्राउन जब इन्सपेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को इस संदर्भ में आदेश भी दिए थे। मुझे यह नहीं पता कि इस संदर्भ में उन्होंने क्या विचार किया है या उसको अभी तक बिल्कुल विचारार्थ नहीं लिया है। मैंने इस संदर्भ में मुख्य अभियन्ता से भीकमपुर में यह निवेदन किया था कि इस योजना पर विचार करें। इसके उपरान्त जो जैसलमेर के पुराने खडीन हैं जहां बरसात से पानी एकत्रित करके वाही भूमि में कृषि की जाती है उसके लिए भी राजस्थान नहर से जल उपलब्ध करा कर उन सब खडीनों को पानी दिया जाये ताकि उनका समुचित विकास हो सके और इस जिले का कृषि उत्पादन बढ़ सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद, धन्यवाद। श्री हरिसिंह

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46 पर विचार पूरा होने, मंत्रियों के उत्तर देने, उस पर मतदान होने एवं निर्णय होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 पर विचार होने तक, माननीय मंत्रियों के जवाब होने तक और उस पर निर्णय होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

(198)

(श्री सभापति)

मांग संख्या 46 पर विचार

माननीय श्री हरिसिंह

श्री परसादीलाल मीणा : कोरम ही नहीं है, साहब।

श्री सभापति : कोरम है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, आज सिचाई विभाग की मांग के सम्बन्ध में हम यहां विचार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से, चूंकि किसानों से सम्बन्धित मामला है सिंचाई का, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछली बार भी सदन में जब मुख्य मंत्रीजी विराजमान थे, मैंने उनसे अनुरोध किया कि सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, विद्युत विभाग और सहकारिता विभाग की कोई कॉर्डिनेटिव कमेटी होनी चाहिए ताकि किसान की सम्मिलित मांगों का सर्वे करवाया जाय, उन्हें असेस किया जाय और उसके आधार पर किस विभाग का क्या-क्या काम है, उस पर सम्मिलित विचार होना चाहिये लेकिन वह नहीं हो रहा। अपने-अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचार आपने सुने हैं। आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह अनुरोध करना चाह रहा हूं कि हमारे जो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है और दूसरे शब्दों में यह कहें कि राजस्थान का बहुत बड़ा बजट हमने राजस्थान कैनाल, जिसको इन्दिरा गांधी कैनाल कहते हैं, उस पर खर्च किया है लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। जैसा कि मैंने, प्रोफेसर केदारजी ने पूर्व में भी यहां अनुरोध किया था कि इनके जो हैड वर्क्स है उन पर हमारे राजस्थान का इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। अन्तर्राज्यीय जो जल विवाद है उनको हम सुलझा नहीं पाये और सबसे जबरदस्ती एक और जो आशंका पैदा हो गई है, जो घटना है, वह यह है कि आज तक सरकार छिपाये हुए बैठी हैं, सभापति महोदय, वहां पर पंजाब के उग्रवादियों ने जबरदस्ती उनको बाध्य कर दिया है कि राजस्थान का जो मौजूदा हिस्सा है वह भी राजस्थान को नहीं दिया जाय और हकीकत यह है कि जल की आपूर्ति राजस्थान कैनाल और भाखड़ा डेम, दोनों में कम हो गई है और पूरी की पूरी सरकार भयभीत है और आज तक इसका प्रोटेस्ट तक राजस्थान सरकार न पंजाब को, न राष्ट्रपतिजी को और न केन्द्र सरकार को कर सकी है। अगर यही स्थिति रही तो हजारों करोड़ रुपये जो राजस्थान कैनाल पर खर्च किए जा रहे हैं, कल नट से, बंदूक की नोक पर राजस्थान की आबादी को, राजस्थान के पश्चिमी जिलों को भूखा मरने के लिए बाध्य कर दिया जावेगा। पाकिस्तान को जो मुआवजा दिया गया है, तीन नदियां जो हमारे हिस्से मे आई, उसमें सबसे बड़ा तर्क यही था, पंजाब के पानी के मामले में जो आर्बिटेशन था, कि हमें राजस्थान के रेगिस्तान को हरा-भरा बनाना है और इसीलिए हम इन नदियों का पानी राजस्थान के रेगिस्तान में ले जायेंगे। मेनली यह जो वाटर है सतलज, रावी और व्यास का, यह राजस्थान की धरती को हरा-भरा करने के लिए लिया गया था इससे पाकिस्तान की पूरी इकोनोमी इफेक्टेड हो गई थी, सभापति महोदय, और पाकिस्तान के तत्कालीन सिंचाई मंत्री और प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि नागासाकी और हिरोशिमा में बमों ने वह तबाही नहीं मचाई जो हिन्दुस्तान में पोग बांध रोक कर के, सतलज का पानी रोक करे, व्यास का पानी रोक करके, रावी

(श्री हरीसिंह)

का पानी रोक करके पाकिस्तान में तबाही मचा दी और उसकी एवज में हमने उनको 35 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी उस समय। आज सबसे बड़ी आशंका यह है कि वह जो रीढ़ की हड्डी है उस पर बंदूक की नोक पर उसको बंद करने की धमकी दी जा रही है और सरकार सो रही है, आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं किया....

श्री किशनाराम नाई : सरकार जाग रही है।

श्री हरिसिंह : सरकार के + + + जरूर जाग रहे हैं। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री हेमराज मीणा : यह असंसदीय भाषा का उपयोग कैसे कर रहे हैं आप ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, असंसदीय नहीं है शब्द।

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड : माननीय सदस्य ने अभी कहा कि सरकार सो रही है और + + + जाग रहे हैं, यह शब्द कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री हेमराज मीणा : मैदान छोड़कर के जा रहे हैं आप....

श्री सभापति : कृपया शांत रहें, कृपया बिराजें।

श्री हरिसिंह : आप किनको सरकार के + + + मान रहे हैं ? अगर इसमें कोई अवमानना हो रही है तो मुझे तो कोई एतराज है नहीं।

श्री सभापति : यदि आप शब्द वापिस लेते हैं तो इसको निकाल दिया जाय।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरा पूरा भाषण ही निकाल दीजिए, सारा।

श्री सभापति : चलो, कोई बात नहीं।

श्री हरिसिंह : आप मेरा पूरा भाषण निकाल दीजिए, निर्णय तो आपका है, आप निर्णय करेंगे वह होगा।

श्री सभापति : हां, हां। ले लिया निर्णय, निकाल दिया गया है।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य ऐसा भाषण ही क्यों देते हैं कि निकालना पड़े।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। कोई बात नहीं, आवेश में हो जाता है। कृपया बिराजें।

श्री किशनाराम नाई : सदन की गरिमा का तो ध्यान रखें कम से कम।

श्री सभापति : ठीक है, ध्यान रखिये साहब। बिराजें।

श्री हरिसिंह : श्रीमानजी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक तथ्य की ओर और आकर्षित करवाना चाहता हूं सातवीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है, आठवीं में प्रवेश कर रहे हैं और एक ऐसी स्थिति बन गई कि राजस्थान में सिंचा

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरिसिंह)

के साधनों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है, रीजनल इम्बैलेन्स । सातवीं पंचवर्षीय योजना का बजट आप उठाकर देख लें, जो बड़ी-बड़ी योजनाएं, चाहे वह राजस्थान कैनाल हो, चाहे वह भाखड़ा कैनाल हो, चाहे चम्बल प्रोजेक्ट हो, चाहे माही प्रोजेक्ट हो, वह सिमट कर राजस्थान के कुछ हिस्सों में आ गई है और राजस्थान के भरतपुर, अलवर, जयपुर और सवाई माधोपुर में सिचाई की सुविधा प्रदान करने से बिल्कुल वंचित कर दिया है और उससे एक जबरदस्त क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है और इस जिले की जनता यह सोचने के लिए बाध्य है कि सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है ।

अब चूंकि धौलपुर से चुने गये हैं हमारे मुख्य मन्त्री, बड़े सौभाग्य की बात थी । सोचा था पूर्वी राजस्थान के साथ यह कुछ न्याय करेंगे और उस अंचल के साथ में न्याय करेंगे जहां पर एकमात्र राजस्थान में बहने वाली बारामासी नदी चम्बल का पूरा का पूरा पानी वेस्टेज होकर यू.पी. में जा रहा है । सभापति महोदय, 80 में चम्बल पर मंडराई के पास अटारीगटा और रऊघाट के पास में एक लिफ्ट इरिगेशन कैनाल का सर्वे करवाया गया था । छठी पंचवर्षीय योजना में उसका इन्क्लुजन नहीं किया गया और वह इतनी बेहती और इतना बड़ा प्राजेक्ट है कि उससे 4 लाख एकड़ जमीन सींचने का सर्वे हो चुका है और वह सर्वे कम्पलीट है । अभी सोच रहे थे क्योंकि मुख्य मन्त्रीजी धौलपुर से आ रहे हैं तो शायद इससे धौलपुर, करौली, हिन्डौन, गंगापुर, बयाना के क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगे लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह सिर्फ सर्वे किया हुआ आज भी सरकारी चुप्पी के बस्ते में बन्द है । उसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी कहीं प्रस्ताव उसका पेश नहीं किया गया है । दूसरी बात यह है कि रऊघाट पर चम्बल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की एक योजना बनाई गई थी और उस योजना पर भी सरकार सोती रही और मध्यप्रदेश पहल कर गया और वह भी इनके हाथ से निकलती जा रही है । (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें ।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वयं के भी बाणगंगा नदी बहती है । आपने स्वयं ने देखा है कि वहां पर टुडियाना पर बांध है बनाने का भी सर्वे हो चुका है । यह भी सन् 80 में कम्पलीट हो गया था और मुझे खुशी इस बात की है कि भैरोंसिंह जी जब पहले मुख्य मन्त्री थे तब उसका सर्वे कराने के आदेश भी इन्होंने ही दिये थे लेकिन आज दुःख इस बात का है कि पुनः सत्ता में आने के बाद भी भैरोंसिंह जी ने इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में उसको भी प्रस्तावित नहीं किया । इससे बड़ा जबरदस्त रीजनल इम्बेलेन्स पैदा हो रहा है । हमें ले देकर दिया गया है सिर्फ एक पांचना प्रोजेक्ट और वह भी सभापति महोदय, गम्भीरी नदी की बाढ़ जो भरतपुर में तबाही मचाती थी उस बाढ़ के पानी को रोकने का एक प्रोजेक्ट है । उससे कितनी सिंचाई होगी यह तो स्वयं आप भी जानते हैं । सभापति महोदय, भरतपुर जिले में पूर्व राजा ने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने बाणगंगा और गम्भीरी नदी

(श्री हरिसिंह)

के पानी को एक डेम के बाद में दूसरे और दूसरे के बाद में तीसरे, चौथे और पांचवें इस ढंग से इस पानी को रोकते हुए चले गये। आज उस बांध की मरम्मत नहीं है। बाढ़ के नाम पर भरतपुर में करोड़ों रुपये खर्च कर दिये लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के लिए पानी 450 किलोमीटर से चलकर आ सकता है और सिर्फ 40 किलो मीटर जमुना का पानी भरतपुर जिले, सवाई-माधोपुर जिले और जयपुर जिले को नहीं मिल सकता। इतना अन्याय हो रहा है इन चारों जिलों के साथ, सभापति महोदय।

आप स्वयं जानते हैं, आप अलवर से आ रहे हैं और अलवर के पास में जो बांध है उसको मेनली अलवर के महाराजा ने सिंचाई के लिए बनाया था। दुर्भाग्य की बात है पूर्ववर्ती सरकार का भी इसमें हाथ है। उसका पानी काटकर अलवर की जनता को पिला दिया और किसान को छोड़ दिया। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके। जयपुर के जमुआ रामगढ़ के बंधे की सिंचाई की नहरें आज तक भी दौसा तक खुदी हुई है जिसका पानी जयपुर की प्यासी जनता को पिला दिया और जयपुर में पानी का कोई आल्टरनेट सोर्स तैयार नहीं किया। यह गरीब की गाय है किसान इसके खेत का पानी काट दो और कहीं भी उसको ले जाओ। और भी अन्याय किया है इसके साथ अभी-अभी कि भरतपुर में बंध बारेठा का पानी भी भरतपुर की जनता को ले गये। वहां भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके। जमुना भरतपुर से बहुत नजदीक थी। यहां पर किसान पर सरकार एक दया करती कि जमुना का पानी भरतपुर को पीने के लिए आ सकता था और उसमें कोई लम्बा खर्चा नहीं था लेकिन जब-जब भी गवर्नमेन्ट को अगर घात करना होता है तो सिर्फ किसानों पर करती है। उम्मीद तो यह है और कहते हैं कि हम किसानों को यह करेंगे, किसानों को वह करेंगे। इनसे तो खैर, मुझे तकलीफ नहीं है, यह तो बेसिकली, माननीय सभापति महोदय, निहित स्वार्थ पूंजीपति लोगों के समर्थक हैं। इसलिए मुझे तकलीफ नहीं है अगर किसानों के लिए यह कुछ भी नहीं करें तो।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा कि बहुत परिवर्तन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात भी कर रहे हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि सिंचाई मन्त्री महोदय ठेकेदारों का और इन्जीनियर्स का जो कमीशन का पर्सेन्टेज है क्या वह बन्द हो गया है ? हमसे कहते हैं कि आप हमको उदाहरण पेश करो। आप जांच करवा लीजिए जयपुर में कितने एक्स. ईएन. के क्या कोठी और बंगले बने हुए हैं। आप उनका वेल्यूएशन करवा लीजिये पी.डब्ल्यू.डी. से। आपके पास है कलम। आपके पास है एजेन्सियां....(व्यवधान)....आप सबको पता है। उन्हीं कोठियों में बैठकर आप चाय पीकर आते हैं। आपकी खुद की जानकारी है। यह किसी की जानकारी से बाहर नहीं है....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज. . .कृपया शांत रहें....माननीय सदस्य,

श्री हरिसिंह : आप सिर्फ भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर सकते हैं। हकीकत यह है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने भ्रष्टाचार के सामने अपने + + +

श्री सभापति : बिराजें ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : उसका 35 पर्सेन्ट ही यूटिलाइजेशन होता है। एक रुपये में से 35 पैसे का काम होता है और बाकी सारा पाकेट मनी है। सिंचाई मन्त्री जी, अगर इसकी स्क्रूटिनी कर लेंगे, अगर इसका मानीटरिंग कर लेंगे, इस कमीशनबाजी को आप रोक देंगे तो हम समझेंगे कि परिवर्तन आया है। नहीं तो हम भी यही कहेंगे कि + + + इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते।

सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद और जो मांग जिस ढंग से आपने पेश की है मैं उसका सख्त, सख्त शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सिंचाई मन्त्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 में जो कि सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है उसमें कुछ भाग इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट सिंचित क्षेत्र विकास बीकानेर और सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल कोटा का भी आता है। इस नाते कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत ही लाभकारी सुझाव दिये हैं, उनका स्वागत करते हुए मैं जवाब जिस उत्साह से देना उस उत्साह से नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल से सम्बन्धित जो भी माननीय सदस्यों के और श्री बुलाकीदास कल्ला जो कि नहर मन्त्री भी रह चुके हैं उनके कटौती प्रस्ताव भी मैंने पढ़े हैं,

(5.58 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

उन सब कटौती प्रस्तावों के जवाब मैं भिजवा रहा हूं परन्तु फिर भी मा. सदस्यों ने सिंचित क्षेत्र विकास कोटा और इन्दिरा गांधी कैनाल प्राजेक्ट के बारे में जो सुझाव दिये हैं उनका मैं संक्षेप में बिन्दुवार जवाब दे रहा हूं।

सदन के वयोवृद्ध सदस्य प्रोफेसर केदार जी ने सुझाव दिया कि शायद ऐसा लगता है कि समन्वय आपस में तीनों विभागों का नहीं है। ऐसा है, हालांकि उपनिवेशन विभाग अलग से है। कुछ खामियां हैं, अलाटमेन्ट समय पर नहीं हो पाया, लोग कब्जा नहीं ले पाये, लोग नहीं जा पाये और कई जगह खाले बन गये वहां पर पानी बह रहा है लेकिन उनको जमीन अलाट नहीं हुई। जो वास्तविक स्थिति है उससे हम परे नहीं हट रहे हैं परन्तु कई जगह अलाटमेन्ट होने के बाद भी काश्तकार वहां मौके पर नहीं जा रहे हैं। जहां तक प्रश्न है खालों के निर्माण का। पिछली साल मुख्य मन्त्रीजी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि 50 हजार हैक्टेयर में सैकण्ड स्टेज में खाले बन जायेंगे। अगर समन्वय नहीं होता तो 45 हजार हैक्टेयर का लक्ष्य जो हमने अर्जित

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कर लिया है तो निश्चित तौर से मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि पिछले दिनों मुख्य मन्त्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी हुई थी और वहां बीकानेर के जो हमारे डवलपमेन्ट कमिश्नर हैं उनको चाहे फारेस्ट हो, चाहे सिन्चित विकास क्षेत्र हो सब विभागों से जो सम्बन्धित मामले हैं उनको वहां का ग्राडीनेटर ग्रध्यक्ष के रूप में उनको बना दिया गया है। यह निर्णय पिछले दिनों लिया गया है और इसके साथ-साथ आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि अलाटमेन्ट ...

श्री केदारनाथ शर्मा : किस को बना दिया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : एरिया डवलपमेन्ट कमिश्नर बीकानेर को। अलाटमेन्ट के बारे में फर्स्ट स्टेज में 91149 आवंटियों की जिनकी संख्या 11149 है 17 लाख 5886 एकड़ भूमि अलाट की गयी है और सैकण्ड स्टेज में 24480 आवंटियों की जिनकी संख्या 4 लाख 19 हजार 566 एकड़ जमीन आवंटित की गयी है। इसके साथ-साथ आपका एक बहुत अच्छा सुझाव था खालों की कीमत के बारे में। अपन जब विपक्ष में बैठते थे, खालों की कीमत को लेकर आपने आंदोलन भी किया था और गिरफ्तारियां भी दी थीं। इसके बारे में ज्यादा विस्तार से चर्चा करने के बजाय जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के प्रत्युत्तर में जो बताया है कि खालों की कीमत वसूल नहीं होगी तथा राजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा जो धनराशि दी हुई है उसकी भी कोई वसूली नहीं हो रही है और जो बैंकों द्वारा दस हजार रुपये तक की राशि दी गई है उस राशि को भी माफ कर दिया गया है। इसके साथ-साथ....

श्री हेतराम बेनीवाल : मुकदमे वापस ले लेंगे ? बैंक्स के जो मुकदमे हैं किसानों के खिलाफ, वापस ले लेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : बैंक के जो पैंडिंग हैं, अब कोई वसूली होनी है, जो मुकदमे बैंकों ने दायर किये हैं उनमें राज्य सरकार गम्भीरता से विचार करेगी। (व्यवधान)

वापस लेने का आ गया। उसमें जो भी कुछ करना है, गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्रीमती मदन कौर ने वाटर लागिंग के बारे में मामला उठाया।

एक माननीय सदस्य : वह यहां नहीं हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : गई तो उनका सुझाव है। उन्होंने वेपकोस के बारे में बताया कि एक प्राइवेट संस्था वेपकोस को काम दिया हुआ है। मैं सदन की जानकारी के लिये बता दूं, वेपकोस कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। यह भारत सरकार की, केन्द्रीय सरकार की संस्था है। इस संस्था द्वारा अधिकाधिक अभियन्ता राजस्थान से लिये जाते हैं जो सर्वे के तौर पर काम कर रही है। उसके परिणाम अच्छे हैं।

इसके साथ-साथ माननीय हीरालालजी आर्य ने जो चम्बल की योजना के बारे में सुझाव दिये हैं वह योजना 1986 में पुनः भारत सरकार को संशोधित कर प्रेषित कर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दी गई है और उस पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि टोंक से आने वाले माननीय सदस्य महावीर प्रसादजी ने जानकारी दी, उन्होंने कहा कि प्रथम चरण पर अब तक इतना रुपया खर्च होने के बावजूद कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं, वैसे तो आपके पास प्रगति प्रतिवेदन है ही, सब माननीय सदस्यों ने पढ़ लिया होगा पर महावीर प्रसादजी की संतुष्टि के लिए बता रहा हूं 268 करोड़ रुपया खर्च हुआ प्रथम चरण में, तो प्रतिवर्ष साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का कृषि उत्पादन हो रहा है। यह आपकी जानकारी के लिये बता दूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कितना होना चाहिये था, लक्ष्य क्या थे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय महावीर प्रसाद जी फरमा रहे हैं, मैं उसी क्षेत्र से आने वाला हूं....

श्री अध्यक्ष : महावीरजी, आपस में बहस नहीं करे। आप बोलने दीजिये। अब आप जल्दी समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये बता दूं, मैं उसी क्षेत्र में रोजड़ी नाम का गांव है, मैं जिस समय सरपंच हुआ करता था, रोजड़ी के लोग अपने पशुओं को जब बरसात नहीं हुई वहां से लेकर चले गये, उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था मैंने उनकी गायों को रुकवा कर की। आज उसी क्षेत्र में रोजड़ी गांव में जाकर देख लीजियेगा कि पंजाब जैसा इलाका हो रहा है, सरसब्ज इलाका है, उस रोजड़ी गांव में निश्चित तौर से प्रगति हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप महावीरजी को उधर घुमाने की व्यवस्था कर दो। फिर वह नहीं करेंगे। देख लेंगे, आंख से देख लेंगे।

श्री केदारनाथ शर्मा : हवाई जहाज से।

श्री भंवरलाल शर्मा : महावीरजी को माल्टा खिलाने के लिये ले जाऊंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गंग नहर से लोगों ने क्या हालत कर दी, उसके मुकाबले मैंने आपको दिया था। देखा आपने गंगनहर को।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं वहीं पैदा हुआ था। मांगीलाल जी मेघवाल ने कुछ सुझाव दिये हैं। जैसा कि वाराबंदी का आपने बताया। मैं आपकी जानकारी के लिये कह दूं, अब वहां पर वाराबंदी लागू नहीं है। वाराबंदी के बजाय जो पैसा आपने 32 लाख रुपये बताये वह स्टाफ पर ही खर्च हो रहा है। मैं आपको पूर्ण तौर पर आश्वासन नहीं बल्कि विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ वहां चलूंगा, किसी भी तरीके की वहां वाराबंदी या काश्तकारों के साथ जो कोई ज्यादती सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा हुई है तो निश्चित तौर से उस पर विचार किया जायगा।

इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, कनाडा सरकार के सहयोग से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

57.54 मिलियन कनेडियन डालर की एक स्कीम कोटा के लिये है । अगर डालर की कीमत 18 रुपये मानते हैं तो 104.40 करोड़ की है जिसमें पंचवर्षीय योजना में नालियां बना कर उस क्षेत्र का जो पानी है, उसके सुधार के लिये, वाटर लागिंग जिस ढंग से हो रहा है वह नहीं हो और वह एक्सपेरीमेंट के तौर पर कार्य शुरू कर दिया जायगा ।

इसके साथ साथ माननीय बृजराजजी मीणा, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने सुल्तानपुर सी ए. डी. में कालोनी के बारे में जो विश्व बैंक की सहायता से बनी हुई है, जो सुझाव दिये हैं, वहां से विभाग शिफ्ट होने की वजह से वहां भवन खाली है, अगर दूसरे किसी विभाग के काम में आते हों तो उस पर निश्चित तौर से विचार किया जायगा ।

इसके साथ साथ माननीय अमीन खां जी ने एक विशेष तौर से जानकारी सागरमल गोपा के बारे में चाही है । आपने पशुपालन के बारे में फरमाया, वहां घास पैदा करने के लिये । आपकी जानकारी के लिये बता दूं, इसी साल से पशुपालन की एक योजना ली है जिसमें किसानों की सहायता देना और साथ साथ उस क्षेत्र में घास का उत्पादन करना भी उस योजना में शामिल है । वहां भी निश्चित तौर से कार्य किया जायगा । इसके साथ साथ जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक जानकारी दी है सिंचित क्षेत्र विकास सिंचाई का मुख्यालय बीकानेर हो । मैं इस बात से सहमत हूं । परन्तु मैं जैसा कि आपको पहले आपके प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं, अगर ऐसी स्थिति आई तो अधिकारियों की सुविधा से उनका मुख्यालय बीकानेर नहीं रहेगा, जहां कहीं भी जिस अधिकारी का हैडक्वाटर करने की जरूरत पड़ेगी, निश्चित तौर से उस हैडक्वार्टर को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्वासन देता हूं, चेंज कर दिया जायगा ।

श्री हरिसिंह : आप भी चेंज हो जाओगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम चेंज हो जायेंगे वह तो समय बतायेगा । आप तो नहीं आओगे । मैं चेंज हो जाऊंगा फिर भी आप तो नहीं आओगे, यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं । आप चिन्ता ही मत कीजिये । आप तो अपनी चिन्ता करो, परसादी लाल जी । जैसा कि माननीय जैसलमेर से आने वाले सदस्य ने देवा माइनर की चर्चा की है, देवा माइनर में पानी पूरा नहीं चलता है, यह मार्च 1992 तक कार्य पूरा हो जाने के बाद देवा माइनर का कार्य पूर्ण रूप से करा दिया जायगा ।

इसके साथ साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे दोनों विभागों की तरफ से काश्तकारों की सहूलियत के लिये कुछ जहां तक माननीय कल्लाजी आज मौजूद नहीं हैं, दो-तीन माननीय सदस्यों ने और कटौती प्रस्ताव दिये हैं, जो नहर का निर्माण कार्य ढीला चला है उसके बारे में मैं विशेष तौर से बताना चाहता हूं कि डीजल की किल्लत रही और पिछले दिनों सीमेंट का जो अनुबंध था उसमें भी रेट्स बढ़ गई । फिर वित्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उन्होंने बैठकर दुबारा रेट्स रिवाइज

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कि इस वजह से विलम्ब हो गया। फिर भी सीमेंट की जो कमी है उस वजह से कार्य बंद नहीं हुआ। मैं विशेष तौर से माननीय कांग्रेसी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जैसे हर साल लक्ष्यों की पूर्ति है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने पिछले तीन सालों के लक्ष्य देखे हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की जानकारी के लिये बता दूं कि हर साल यह लक्ष्य मार्च के अन्त में ही पूरे क्यों होते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में यह आ रहा है, मैं प्रधान भी रहा हूं, सरपंच भी रहा हूं, जिस प्रकार पंचायत समितियों की कैश बुक खुली रहती है 15 अप्रेल तक, इसी प्रकार मैं शायद सोचता हूं कि हमारा जो विभाग है इनकी भी निश्चित तौर से खुली होगी। कैसे यह मेजरमेंट लेते हैं और कार्यों की प्रगति है वह निश्चित तौर से आखिरी महीने में कार्य पूरे कर दिये जाते हैं। तो इस हिसाब से मैं पिछले तीन साल के आंकड़े देखते हुए मैं बता देना चाहता हूं, मेरी इंजीनियर्स और विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, हम निश्चित रूप से लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे। (व्यवधान) बिल्कुल आपकी परम्परा डाली हुई है। कई परम्पराओं को निभायेंगे। भ्रष्टाचार में तो तोड़ेंगे लेकिन निर्माण कार्यों में निभायेंगे।

एक विशेष तौर से नहरों में पानी की बरीयता के संबंध में पिछले दिनों में छतरगढ़, खाजूवाला और पूगल के क्षेत्रों में गया वहां काश्तकारों को पता नहीं रहता कि कौनसी नहर किस समय प्रथम वरीयता में आएगी, किस समय द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वरीयता में आयेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दो तो वहां के क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि जिनमें प्रधान और विधायक शामिल होंगे और दो प्रतिनिधि काश्तकार होंगे जो ए. डी. सी. की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है उसमें चार सदस्य राज्य सरकार निश्चित रूप से मनोनीत करेगी ताकि काश्तकारों को पता रहे कि पानी की कौनसी नहर किस स्थिति में चल रही है। इसलिए चार सदस्यों के मनोनयन की मैं घोषणा करता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जो आपने कमेटी घोषित की है इसके फैसले बाइंडिंग होंगे या रिकमण्डेटरी होंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसकी सिफारिश से जो फैसले होंगे उनके लिए वह बाध्य होंगे। यही तो कहलवाना चाहते हैं ना। काश्तकार के हित की बात सोची जाएगी। अधिकारी जो दफ्तर में बैठ कर फैसले ले लेते हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : इसके फैसले मेण्डेटरी होंगे या रिकमण्डेटरी होंगे ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : स्वविवेक से जो समय पर उचित समझा जाएगा उसके आधार पर उसको लागू कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : फैसले क्या होंगे यह आपको बाद में पता चल जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां तक मैंने कोलायत और साहबा की लिफ्ट कैनाल को देखा, वहां किन्हीं कारणों से जितनी लाइनिंग हम करना चाहते थे उतनी नहीं कर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पाये । मेरी जानकारी में लाया गया ईंटों का । मैं हरियाणा भी गया हूं । मैंने वहां के अधिकारियों से बात की । उन्होंने कहा कि गिल कमेटी बनी हुई है पंजाब के कोई रिटायर नहर बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में । गिल कमेटी की रिपोर्ट मैं चारणवाला में देख कर आया हूं । वहां जो लाइनिंग का कार्य सीमेंट कंक्रीट से हो रहा है वह काफी सन्तोषप्रद है और मैं सोचता हूं जिस तरह से छोटी लिफ्ट कैनाल वगैरह बन रही है उनमें ईंटों की काफी तौर से शिकायत माननीय सदस्यों ने की है । वह नहीं किया जाकर एक्सपेरीमेंट के तौर पर दो लिफ्ट कैनाल्स को सीमेंट और कक्रीट से निश्चित तौर पर उनकी लाईनिंग की जाएगी ताकि कार्य की गति बढ़े और कार्य जल्दी पूरा हो और काश्तकारों को लाभ मिल सके ।

इसके साथ-साथ स्टेज फर्स्ट में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए सेकेण्ड स्टेज में तो वस्तुस्थिति यह है कि खाले बने हुए हैं वहां काश्तकार नहीं पहुंच रहे है और स्टेज फर्स्ट में छतरगढ़ और पूगल का जो इलाका है उसमें स्थिति यह है कि वहां काश्तकार अगर बस गये, काश्तकार खेती कर रहे हैं, स्टेज फर्स्ट से मिलता जुलता वह इलाका है, एक जैसा ही है स्टेज फर्स्ट का और सैकण्ड का दूसरा इलाका है परन्तु वहां पर पक्के खाले हैं काफी इलाके में भू भाग ऐसा पड़ा है उसमें बनाये नहीं गये हैं। मैं निश्चित तौर से आने वाले वर्ष 91–92 में करीब 25 हजार हैक्टेयर्स फर्स्ट स्टेज में खाले बनाने की घोषणा करता हूं । इसके साथ साथ 60 मीटर की लिफ्ट कैनाल चाहे वह कोलायत लिफ्ट कैनाल हो चाहे साहबा लिफ्ट कैनाल हो, आयोग से जो 60 मीटर की लिफ्ट मन्जूरशुदा है उसके अन्तर्गत जो भी गांव आएंगे चाहे वह चूरू जिले के हों चाहे बीकानेर और जैसलमेर जिले के हों, 60 मीटर के अन्दर जो भी गांव आयेंगे, निश्चित तौर पर उनको सर्वे करा कर लाभान्वित किया जावेगा ।

मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि सुझाव दिये, और समय समय पर सुझाव देते रहेंगे, निश्चित तौर पर उन पर विचार किया जायेगा । मैं मेरी मांग संख्या 46 पारित करने के लिए, मेरे विभाग के जितने भी कटौती प्रस्ताव हैं उनमें से कोई बचा नहीं है, बाकी माननीय झाला साहब बतायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्री ।

श्री विजयसिंह झाला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग के कुल 187 कट मोशन आये हैं । मैं सब का जवाब तो यहां पर नहीं दे सकूंगा लेकिन जैसा सुबह यह आदेश मिला था कि सब का लिखित जवाब जिन्होंने कट मोशन्स भेजे हैं, उनके पास भेज दिया जायेगा ।

श्री परसादीलाल मीणा : कब तक ?

श्री विजयसिंह झाला : मैं कोशिश करूंगा कि दस दिन के अन्दर अन्दर उसका जवाब आप लोगों के पास पहुंच जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आभारी हूं माननीय सदस्यों का जिन्होंने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये । विधान सभा में कोई सदस्य बोलता है तो वह प्रदेश के हित में

(श्री विजयसिंह झाला)

ही बोलता है चाहे वह करप्शन का चार्ज किसी पर लगाये, चाहे अपने क्षेत्र में किसी विकास की मांग करे, चाहे इंटर स्टेट के मामले को लेकर कोई समस्या उठाये। मैं उन सभी सदस्यों का, जिन्होंने सुझाव दिये हैं स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दरअसल राजस्थान में सिंचाई के बहुत ही सीमित साधन हैं। देश का यह दूसरा प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और देश का 11% क्षेत्र राजस्थान का है जब कि सिंचाई के मामले में केवल एक प्रतिशत है और उनका भी पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में यह दरअसल बहुत ही गम्भीर समस्या है कि हम किस प्रकार सीमित साधनों से किसानों को जल देकर उसका उपयोग कर सकें। इसके बारे में हमें बहुत ही गहराई से सोचना पड़ेगा और पानी का उपयोग भी सही हो इसके बारे में भी गहराई से सोचना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, सीमित जल के साधन होने के साथ साथ बजट भी बहुत ही सीमित है। जिस प्रकार सदस्यों की मांग हो रही है मैं उसको भी स्वीकार करता हूं कि बहुत से क्षेत्रों में जो काम होना चाहिए था वह काम नहीं हुआ है। उनका जो असन्तोष है उसको मैं मानता हूं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो सीमित धन के साधन हैं उनको देखते हुए अधिक से अधिक उपयोगी योजना कौन सी हो सकती है इस बात को निगाह में रखते हुए हम आगे भी काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत ही खुशी होती है कि हमारा फिजीकल टार्गेट एक्स्ट्रा जो सिंचाई का 19 हजार हैक्टर होने का था, 15 सालों में पहली बार हमने प्राप्त किया है। 19 हजार से 20 हजार एक्स्ट्रा....

एक माननीय सदस्य : जब पानी ही नहीं है तो कैसे प्राप्त किया ?

श्री विजयसिंह झाला : साहब, वह तो अलग है। पानी की दृष्टि से जो हमने फिजीकल टार्गेट नियुक्त किये थे, हमारी जो पूंजी लगी थी उसके अगेन्स्ट में 15 साल में पहली बार अपने टार्गेट जो अचीव किये है वह 15% ज्यादा टार्गेट अचीव किये हैं।

मुझे यह कहते हुए भी खुशी होती है कि हमने सारा बजट इस साल उपयोग में ले लिया है। कोई बचत नहीं है बल्कि जे. आर. वाई. का पांच करोड़ हमने अलग से ज्यादा खर्चा किया है ऐसी स्थिति में कोशिश यह की जा रही है कि व्यवस्थित काम जमे। माननीय प्रो. केदार ने कहा था कि कुछ विभागों का को-आर्डिनेशन होना चाहिए ... (व्यवधान) मैं सभी का जवाब दे रहा हूं। प्रोफेसर केदार जी ने कुछ मुद्दे उठाये थे को-आर्डिनेशन के, मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं और हम यह कोशिश करेंगे कि यदि सिंचित क्षेत्र या दूसरे हमारे तीन विभागों में किसी प्रकार की कमी हो तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रोफेसर केदार जी से यह निवेदन करूंगा कि समय समय पर हमको इसके बारे में अपने सुझाव देते रहें, हम उस पर चलने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर केदार जी ने यह कहा था कि हमारा जो राबी व्यास का

(श्री विजय सिंह झाला)

हिस्सा था वह इस साल हमने कम लेने का कोई एग्रीमेन्ट किया है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है, न ही हम करेंगे जिससे कि राजस्थान का कोई भी हिस्सा पानी का कम हो। मैं आंकड़े देकर यह भी बताना चाहता हूं कि 88–89 में हमने 35 लाख क्यूसेक बेस का पानी रावी व्यास से प्राप्त किया था, 89–90 में जनवरी तक हमने 10 लाख बेस क्यूसेक पानी प्राप्त किया था जबकि इस वर्ष हमने 15 लाख क्यूसेक बेस पानी प्राप्त किया है और फरवरी तक हमने 18.5 लाख क्यूसेक बेस पानी प्राप्त किया है जबकि 89-90 में यह बहुत ही कम था तो ऐसी स्थिति में पानी कम प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह बात जरूरी है....

श्री हेतराम बेनीवाल : 31 जनवरी तक हमारा शेयर कितना था ?

श्री विजयसिंह झाला : मैं आपको बता देता हूं। वह शेयर भी बता देता हूं। 31 जनवरी तक हमारा जितना शेयर था, उससे ज्यादा हमने प्राप्त कर लिया है। वह पानी हमने आगे भी लिया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह पानी हमने आगे का लिया है ?

श्री विजयसिंह झाला : मेरी बात सुनिये। चार महीने का पानी प्राप्त किया है। हर साल....

श्री हेतराम बेनीवाल : आगे का।

श्री विजयसिंह झाला : नहीं, आगे का नहीं किया है। इस साल हम ज्यादा पानी प्राप्त करेंगे। गये सालों में जितना पानी प्राप्त किया है, उससे ज्यादा ही पानी और प्राप्त करेंगे। इसलिए कम लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मन्त्री जी, 31 जनवरी तक हमारा शेयर 11 लाख था और हमने 15 लाख ड्रा कर लिया है। क्या बी.बी.एम.बी. की मीटिंग में यह सवाल नहीं उठा था कि यह जो 4 लाख आपने ज्यादा ले लिया है इसको एडजस्ट किया जाय ? इस समय तो पानी हमने आगे का लेकर एडजस्ट कर लिया है मई और जून तक का। यह नहीं बताया है।

श्री विजयसिंह झाला : नहीं लिया है। हमने आगे का पानी नहीं लिया है। जितना शेयर हमारा बनता था उससे ज्यादा पानी हम लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं इन्टर स्टेट का विवाद जिस गति से हल होना चाहिए उस गति से हल नहीं हो रहा है और उसके कई कारण हैं। केवल राजस्थान के ही प्रयासों से यह मामला हल होने वाला नहीं है। यह केन्द्र का भी प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रदेशों से जुड़ी हुई समस्या है। हम दूसरे प्रदेशों से अच्छा व्यवहार रख करके इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं ? इसकी ओर हम देख रहे हैं। पंजाब में हमारा लिंक कैनाल का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने गवर्नर से 2–3 बार बात की। मैंने भी स्वयं 4–5 बार पंजाब के गवर्नर साहब से बात की और उन्होंने कहा कि अप्रेल तक हम क्लोजर देंगे यह बात निश्चित है कि क्लोजर की वजह से हमको नुकसान हो रहा है। लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी हमको

(श्री विजयसिंह झाला)

क्लोजर मिल जाय और लिंक का काम पूरा हो जाय ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक दूसरे विवाद का प्रश्न है, नर्मदा का प्रश्न है, जहां पर कि हमको 0.5 मिलियन क्यूसेक फिट पानी मिलने वाला है उसके लिए 548 करोड़ रुपये की योजना बना करके फारेन असिस्टेंस के लिए भेज दी गई है और हम आशा करते हैं कि इसमें सफलता मिलेगी। जहां तक अध्यक्ष महोदय, माही का प्रश्न है और जहां तक...

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : नर्मदा कैनाल के लिए सब डिवीजन खोलने की बात है ।

श्री विजयसिंह झाला : सब डिवीजन की बात तो अपने आपस की है । मैं इन्टर स्टेट की बात कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, जहां तक माही से पानी लेने का प्रश्न है, जहां तक गुड़गांव नहर का प्रश्न है, गुड़गांव नहर से हमने इस साल 200 क्यूसेक पानी ले लिया है और उसकी जो नहर है वह केवल 8 किलोमीटर की बाकी है जो 91–92 में बन करके पूरी हो जायेगी । जहां तक माइनरी डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है 80 पर्सेन्ट वह बन चुकी है तथा हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी ले करके उसका हम उपयोग कर सके । अध्यक्ष महोदय, चम्बल का पानी आज यू. पी. में जाता है उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं । 4 योजनायें हाइडल पावर की पैंडिंग पड़ी हुई हैं अभी दिल्ली में मैं जब था, मध्य प्रदेश के सिंचाई मन्त्री से मेरी बात हुई थी और वे 8 या 9 तारीख को यहां आने वाले थे लेकिन वहां विधान सभा होने की वजह से वे नहीं आ सके । परसों ही मेरे पास उनका पत्र आया है वे आ करके शीघ्र इस विवाद को हल करके 8 एम. एफ. में हमारा जो 4 एम. एफ. पानी है उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही शीघ्रता से सोच रहे हैं । इसके सिवाय आबू पर्वत से गुजरात में जो पानी जाता है उस पानी का उपयोग हम करना चाहते हैं जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि हमारे सिंचाई के बहुत ही सीमित साधन हैं । इस पानी को हम ज्यादा से ज्यादा किसी भी तरह बाहर नहीं जाने दें और इसका उपयोग हम करें इसके बारे में हम काफी सक्रिय हैं । अध्यक्ष महोदय, जहां तक करप्शन के चार्जेज लगे हैं चाहे पांचना के हों, चाहे बिचूर डेम के हों या अन्य प्रकार के चार्जेज हों, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी उनके पास में किसी भी प्रकार का एविडेन्स हो, मैं उनके पास स्वयं जा करके कलैक्ट कर लूंगा । मुझे देने की कोशिश करें और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी जांच होगी वह जांच करके दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जायेगा । अतः किसी भी प्रकार से किसी को छोड़ने या बख्शने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : श्री राजेन्द्र जैन जो पहले चेयरमैन रहे हुए हैं राजस्थान कैनाल बोर्ड के, जिनके खिलाफ सीमेन्ट के चार्जेज लगे हैं और बेरी ने जिनके बारे में रिपोर्ट दे दी थी आप उसको तो सजा दे दो ।

एक माननीय सदस्य : पुराने मन्त्रियों की भी जांच कराओगे क्या ?

श्री विजयसिंह भाला : अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने दो दिन पूर्व दे दिया था। यदि राजेन्द्र जैन के खिलाफ किसी प्रकार का दोष साबित होगा तो उनको बख्शा नहीं जायेगा। उनको भी सजा दी जायेगी। (व्यवधान)

यह आप कभी भी न सोचें क्योंकि आपने किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह उठा था कि पहले के काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया है, ऐसी भी एक समस्या उठी है। मैं चाहता हूं किसी भी काश्तकार की जो जमीन डूब में आई है मिले। वह बगैर मुआवजे के नहीं रहे। अप्रेल की आखरी तारीख तक इस प्रकार का कोई उदाहरण हो तो लिखित में मेरे पास भेजें। मैं अगले वर्ष तक मुआवजा जल्दी से जल्दी उनको दिलाऊंगा बाकी का कार्य बाद में किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मुआवजे का जहां तक प्रश्न है आपके बीसलपुर का मामला उलझा हुआ था। माननीय महावीर जी ने कहा कि हमको शंका है कि 6 करोड़ रुपया मार्च में दिया जायेगा या 6 करोड़ का दूसरी जगह उपयोग किया जायेगा। मैं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 6 करोड़ रुपया 31 मार्च तक वितरण कर दिया जायेगा, कोई बचाया नहीं जायेगा। किसी प्रकार का दूसरी तरह से नहीं दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सोम कमला अम्बा के मुआबजा का प्रश्न बहुत दिनों से उलझा हुआ था। कई प्रकार की उलझनें उसमें थीं। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसका मुआवजा भी 4 अप्रेल तक सारा का सारा किसानों को दे दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में हम बहुत ही सक्रिय हैं कि जिन किसानों की जमीन डूब में आयी है उनको मुआवजा मिले और इस प्रकार के किसानों का हमारे पास में उदाहरण नहीं रहे कि जिनको मुआवजा नहीं मिला हो। अगर हमारे ध्यान में नहीं हो तो अप्रेल के आखिरी महीने तक मेरे पास में भेज दें, मैं उन सभी किसानों को मुआवजा देने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही समिति साधन हैं तो भी जो मांगें मेरे सामने आयी हैं, जो नार्म्स बने हुए हैं सिचाई के, उसके अनुसार उन सब कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। धन्यवाद।

मांग संख्या 46 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46—सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,19,92,05,000/- (पांच अरब उन्नीस करोड़ बानवें लाख पांच हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग पारित की गई।

सदन की कार्यवाही दिनांक 19 मार्च, 1991 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म.प. 6.33 बजे मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 1991 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 19 की सूची

पंचायत समिति लूणी में विद्युतीकृत गांवों के नाम जिनमें ट्रांसफार्मर नहीं लगे हुए हैं एवं उनमें बकाया आवेदनों की संख्या

क्र.सं,	गांव का नाम	कोड नं. (1971)	विद्युतीकरण की तिथि	आवेदनों की संख्या श्रेणी-वार		लम्बित आवेदनों की तारीख
1.	कागनाडा	13/4/132	31-3-87	37	घरेलू	20-4-87
2.	खेजडली खुर्द	132	31-3-88	18	,,	2-1-90
3.	डोलीकाकाणी	158	31-12-88	8	,,	28-12-89
4.	मोडी जोशीया	188	31-1-90	68	,,	22-2-90
5.	लोलावास	191	28-2-90	134	,,	16-5-90
6.	पेसावास	180	31-1-90	28	,,	24-8-90
7.	सनाई	130	31-1-90	75	,,	11-6-90
8.	सिगासनी	178	28-2-90	—		—

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

सहायक जेलरों का चयन

20. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1986 में जेल विभाग में 12 सहायक जेलरों के चयन हेतु किन-किन अधिकारियों की चयन समिति बनाई गई थी। क्या चयन समिति की सिफारिश पर की गई नियुक्तियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में कोई रिट याचिका दायर की गई थी ? यदि हां, तो उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय की पालना विभाग द्वारा की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सहायक जेलरों की नियुक्ति में हुई अनियमितता की जांच हेतु राज्य सरकार ने कोई समिति बनाई थी ? यदि हां, तो समिति ने क्या किसी को दोषी पाया ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

(3) वर्ष 1987–88 व 1988–89 व 1989-90 में जयपुर जेल में कैदियों हेतु सेव व नींबू किस भाव से कितनी मात्रा में खरीदे गये ? क्या सेव नींबू केला की खरीद हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई थीं ? यदि हां, तो किन-किन फर्मों ने किस-किस दर पर निविदायें दीं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 12 सहायक कारापालो की नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 8-10-86 को प्रसारित की गई थी, जिसके चयन हेतु राजस्थान कारागार अधिनस्थ सेवा नियम 1976 के नियम 23(8) के अनुसार निम्नांकित अधिकारियों की चयन समिति माह जून 87 में गठित की गई थी :—

1. श्री रामानुज शर्मा, अध्यक्ष एवं महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर

2. श्री मोती लाल गुप्ता, सदस्य एवं उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग

3. श्री आर.पी. श्रीवास्तव, सदस्य एवं उप शासन सचिव गृह (जेल) विभाग

4. श्री एम ए. अन्सारी, सदस्य एवं उप महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर

वर्ष 87 में गठित की गई चयन समिति की अनुशंसा पर की गई नियुक्तियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दायर की गयी थी, जिनके निर्णय की पालना विभाग द्वारा करदी गई है।

(2) जी हां, उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। अन्वेषण प्रगति पर है।

(3) वर्ष 1987–88, 1988–89 एवं 1989–90 में जयपुर जेल के कैदियों हेतु क्रय किये गये सेब, नींबू की मात्रा एवं भावों का विवरण परिशिष्ट "ए" सदन के पटल पर रख दिया गया है। सेब नींबू एवं केला की खरीद हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई थी, प्राप्त निविदाओं एवं रेटों का विवरण परिशिष्ट "बी" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

वर्ष 1987–88, 1988–89 एवं 1989–90 में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर क्रय किये गये नींबू, सेव एवं केलों का विवरण

क्रमांक	वर्ष	सामान्य क्रय का विवरण	अवधि	मात्रा कि. ग्राम	दर	राशि
1.	1987–88	नींबू	4/87 से 3/88	8143.550	4.69	38,193.20
2.	1988–89	—,,—	4/88 से 7/88)	5345.590	10.95)	58,535.24
			8/88 से 3/89)	10721.870	11.95)	1,28,126.34
3.	1989–90	—,,—	4/89 से 6/89)	6280.080	11.95)	75,047.52
			7/89 से 3/90)	12379.045	6.25)	77,368 84
4.	1987–88	सेव	4/87 से 3/88	6857.550	4.94	33,876.30
5.	1988–89	—,,—	4/88)	29.000	9.95)	288.55
			8/88 से 3/89)	14331.150	12.95)	1,85,588.28
6.	1989–90	—,,—	4/89 से 3/90	9197 140	6.80	6[illegible],540.55
7.	1987–88	केला	4/87 से 3/88	5956.920	2.44	14,534.90
8.	1988–89	—,,—	4/88 से 3/89	27276.330	4.75	1,29,562.56
9.	1989–90	—,,—	4/89 से 6/89)	15524.950	4.75)	73,743.51
			7/89 से 3/90)	8990.700	3 65)	32,816.05

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर 87–88, 88–89 एवं 89–90 में सेव, नींबू व केले के सम्बन्ध में प्राप्त निविदाओं का विवरण

वर्ष 1987–88

क्र. सं.	नाम फर्म	दर प्रति किलो नींबू	सेव	केला
1	2	3	4	5
1.	मै. भारत ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	5–31	4–94	2–44
2.	मै. शिवा आयल मिल, धौलपुर	8–90	दर नहीं दी	दर नहीं दी
3.	मै. राणी सती ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	4–95	4–95	2–91
4.	मै. मोहम्मद हनीफ, जयपुर	4–69	5–60	2–95
5.	मै. राधेश्याम दालवाला, जयपुर	दर नहीं दी	दर नहीं दी	दर नहीं दी

वर्ष 1988–89

1.	मै. मोहम्मद हनीफ, जयपुर	15–00	14–00	4–45
2.	मै. राणी सती ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	12–25	10–95	2–50
3.	मै. राधेश्याम दालवाला, जयपुर	10–95	10–45	4–25

उक्त टेण्डरों में प्राप्त दरें स्वीकृत नहीं की गई, पुनः निविदायें आमन्त्रित की गई जो निम्न प्राप्त हुई :—

1.	मै. हरिओम एन्टर प्राइजेज, जयपुर	14–00	14–00	6–00
2.	मै. गायत्री ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	13–50	13–00	5–00
3.	मै. संदीप कुमार अनिल कुमार, जयपुर	15–00	13–00	5–00
4.	मै. मोहम्मद हनीफ, जयपुर	10–95	9–95	4–75
5.	श्री राणी सती ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	12–00	12–95	4–80

क्रम संख्या 4 व 5 के टेण्डर डाक से प्राप्त हुए जो क्रम संख्या 1 से 3 के टेण्डर खुलने के बाद प्राप्त होने के कारण पुनः निविदा आमन्त्रित की गई निम्न कोटेशन प्राप्त हुई :—

1	2	3	4	5
1.	मै. सर्वेश्वर एण्ड कम्पनी, जयपुर	12–25	14–00	4–80
2.	मै. फिरश ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	10–95	15–00	दर नहीं दी
3.	मै. हमीद भाई एण्ड कम्पनी,	11–50	20–00 बढ़िया 15–00 घटिया	दर नहीं दी
4.	मै श्री रासी सती ट्रेडिंग कं. जयपुर	11–15	18–15	5–95
5.	मै. शोभराजमल प्रतापराय	12–00	20–00	6–00
6.	मै. मोहम्मद हनीफ	10–95	9–95	4–75
7.	मै. चन्दालाल टकसाली	15–00	22–00	7–00
8.	मै. भारत ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	12–66	15–55	4–95
9.	मै. बाबूभाई, अब्राहीम भाई	12–00	22–00	6–00

स्वीकृति दिनांक से 30-6-89 तक के लिए निम्न निविदायें प्राप्त हुई।

क्र. सं.	नाम फर्म	दर प्रति किलो नींबू	सेव	केला
1.	मै. मोहम्मद हनीफ जयपुर	12–00	13–50	5–00
2.	मै. श्री सर्वेश्वर एण्ड कम्पनी, जयपुर	11–95	12–95	4–75
3.	मै. रासी सती ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	12–00	14–00	5–25
4.	मै. संदीप कुमार अनिल कुमार	निविदा व दर नहीं दी	16–00	5–00
	वर्ष 1989–90			
1.	मै. इस्लामुद्दीन कुरैशी	6–25	6–80	3–90
2.	मै. कन्हैयालाल नेणूमल	7–25	7–25	4–25
3.	मै, अशोक कुमार कर्मचन्द	7–75	7–75	4–50
4.	मै. वर्धा एण्ड सन्स	9–50	11–95	4–75
5.	मै. ज्योती ट्रेडर्स	6–95	दर नहीं दी	दर नहीं दी
6.	मै. सुरेश कुमार खण्डेलवाल	8–95	10–95	4–35
7.	मै. सर्वेश्वर एण्ड कम्पनी	7–85	6–95	3–65
8.	मै. बृजबिहारी भगत	8–30	7–40	3–90

लाडनूं क्षेत्र में शिक्षा केन्द्र

21. श्री मनोहर सिंह (लाडनूं) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पंचायत समिति लाडनूं के ग्राम रायधना, डाबडी, मीठड़ी, कुसम्बी, चक गोरडी, बिडासरो की ढाणी, रताऊ बिडासरो की ढाणी सीलनवाद आदि ग्रामों में शिक्षा केन्द्र खोले थे।

(2) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों ने केन्द्र चलाने के लिये जवाहर रोजगार योजना की राशि से पाठशाला भवन का निर्माण करवाया था।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उपरोक्त सभी स्थानों पर शिक्षा केन्द्र बन्द कर दिये हैं जिसके फलस्वरूप पाठशाला नहीं चलने से भवन बेकार पड़े है।

(4) क्या राज्य सरकार पाठशाला भवन की उपलब्धता को देखते हुए इन ग्रामों में पुनः प्राथमिक विद्यालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कुसम्बी, चक गोरडी, बीडासरों की ढाणी, सिलनवाद में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण कराये गये हैं।

(3) जी हां। शिक्षा केन्द्र योजना समाप्त कर दी गई है।

(4) जी हां। निर्धारित नीति के अनुसार नयी पाठशालाएं खोली जायेंगी।

जोधपुर जिले की पत्थर की खानों का आवटन

22. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर जिले में पत्थर की कितनी खदानें किन-किन व्यक्तियों के पास कब-कब से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नाम से खदाने आवंटित की गई हैं ? यदि हां, तो ये खदान किन-किन को कब से आवंटित हैं।

(3) प्रत्येक खदान का रकबा, ठेकेदार व खनिज पट्टेधारी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में पत्थर की (मैंसेनरी स्टोन व सैण्ड स्टोन) के 41 खनन पट्टे स्वीकृत एवं चालू है जिनकी सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त कुल 5803 क्वारी लाइसेन्स भी प्रभावी हैं।

(2) आवेदन पत्रों में परिवार के सदस्यों का उल्लेख करने का प्रावधान नहीं है, अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है। खननपट्टा धारियों की सूची संलग्न हैं।

(3) खनन-पट्टेधारियों की सूची, क्षेत्रफल सहित, संलग्न है।

खनन पट्टा मैसेनरी स्टोन की सूची जोधपुर

क्र.सं. 1	नाम पार्टी 2	क्षेत्र 3	खनिज 4
1.	श्री जानूखां पुत्र श्री पीरखां	गांगाणा	मेसेनरी स्टोन
2.	श्री इदूखां/कालूखां	,,	,, ,,
3.	श्री केवलराम/सालगराम	रोहिलाकला	,, ,,
4.	श्री मोहनलाल/सियाराम	बोरुन्दाघाटी	,, ,,
5.	श्री जहूरखां/हनिफ खां	रोहिलाकला	,, ,,
6.	श्री अल्लादीन/अल्लाबक्स	गांगाणा	,, ,,
7.	श्री कालूराम/स्वरूपजी	खोखरिया	,, ,,
8.	श्री इदूखां/दीने खां	रोहिताकला	,, ,,
9.	श्रीमती केसोदेवी/आन्नदाराम	खोखरिया	,, ,,
10.	श्री वलर खां/पीर खां	गांगाणा	,, ,,
11.	श्री सिद्धूखां/सत्तारखां	गांगाणा	,, ,,
12.	श्री रमेश कुमार शर्मा	बासनीतम्बोलिया	,, ,,
13.	श्री मग्याराम/नारायण राम	,, ,,	,, ,,
14.	श्री बरकतखां/पीर खां	गांगाणा	,, ,,
15.	श्री समरथसिंह/विधानसिंह	गांगाणा	,, ,,
16.	श्री दलपतसिंह/	सुजावड़	,, ,,
17.	श्री मूलसिंह/नरपतसिंह	सुजावड़	,, ,,
18.	श्री नत्थूखां/सफीखां	सुजावड़	,, ,,
19.	श्री आसूराम/मंगलाराम	रोहिलाकला	,, ,,
20.	श्री सूरजाराम/जस्साराम	,, ,,	,, ,,
21.	श्री रजाक मोहम्मद/	गांगाणा	,, ,,
22.	श्री हनिफखां	गांगाणा	,, ,,
23.	श्री मुकेखां/नैनखां	सुजावड़	,, ,,
24.	श्री सुखाराम/सांवलराम	गांगाणा	,, ,,
25.	श्री इसूखां/दीनेखां	रोहिलाकला	,, ,,
26.	श्री जहूरखां/हनिफ खां	रोहिलाकला	,, ,,

तहसील 5	स्थिर भार 6	अवधि 7		विवरण क्षेत्रफल 8
जोधपुर	5700/–	28-3-89	से 10 वर्ष	190 × 100 मीटर
,,	5700/–	28-3-89	से 10 वर्ष	,,
,,	2486/–	31-8-82	से 10 वर्ष	10,000 वर्गमीटर
बिलाड़ा	4306/–	3-3-84	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	7-12-89	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	21-1-86	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	2282/–	22-2-81	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	23-12-89	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	17-1-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	13-2-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	21-2-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	25-1-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	13-2-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	5-4-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	2-6-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	3-8-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	30-8-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	30-8-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	3-9-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	4-10-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	15-1-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	15-10-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	4-11-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	7-11-90	से 10 वर्ष	,,
जोधपुर	3000/–	20-12-90	से 10 वर्ष	10,000 वर्ग मीटर
जोधपुर	3000/–	5-2-91	से 10 वर्ष	,,

1	2	3	4
27.	श्री अशोक पारीक	माण्डियाई	सैण्ड स्टोन
28.	श्री घनश्यामदास व्यास	खवासपुरा	,, ,,
29.	श्री मनोहर सिंह	भूतेश्वरकागाल	,, ,,
30.	श्री भीमसिंह/भागीरथसिंह	चौकडी प्लोट नं. 7	सैण्ड स्टोन
31.	श्री रामेश्वरलाल	,, ,, नं. 8	
32.	श्री बिरमाराम	मिरासिबा	,, ,,
33.	श्री मनरुप सिंह	,, ,,	,, ,,
34.	श्री मनोहरसिंह/हीरालाल	माण्डियाई	,, ,,
35.	श्री रामनिवास	मिरासिया	,, ,,
36.	श्री अशोक पारीक	माण्डियाई	,, ,,
37.	श्री बाबूलाल/भंवरलाल	मिरासिया	,, ,,
38.	श्री लूणाराम/सालगराम	मिरासियां	,, ,,
39.	श्री भंवरगिरी/भीकगिरी	,, ,,	,, ,,
40.	श्रीमति साता	खारिया	,, ,,
41.	श्री गंगाराम/मानाराम	खारिया	,, ,,

221

5	6	7		8
ओसियां	5106/–	20-9-87	से 10 वर्ष	10000 वर्गमीटर
ओसियां	2100/–	8-10-82	से 10 वर्ष	,,
भोपालगढ़	4420/–	21-2-82	से 10 वर्ष	610 × 1219.20 मीटर
,,	810/–	15-5-89	से 10 वर्ष	150 × 230 मीटर
,,	917/–	17-5-89	से 10 वर्ष	,,
,,	7700/–	28-11-82	से 10 वर्ष	10,000 वर्गमीटर
,,	3880/–	29-11-82	से 10 वर्ष	5000 वर्गमीटर
ओसियां	6000/–	24-3-88	से 10 वर्ष	10,000 वर्ग मीटर
भोपालगढ़	6000/–	17-9-70	से 10 वर्ष	,,
ओसियां	6000/–	2-7-90	से 10 वर्ष	,,
भोपालगढ़	6000/–	23-5-90	से 10 वर्ष	,,
,,	6000/–	30-8-90	से 10 वर्ष	,,
,,	6000/–	30-8-90	से 10 वर्ष	,,
,,	6000/–	15-2-91	से 10 वर्ष	,,
भोपालगढ़	6000/–	15-2-91	से 10 वर्ष	,,

ह०/–
खनि अभियन्ता
जोधपुर

बिलौना कलां (लालसोट) के मृतक वैद्य का पेन्शन प्रकरण

23. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, बिलौना कलां तहसील लालसोट में कार्यरत वैद्य श्री मथुरा लाल शर्मा का दिनांक 23-9-62 को निधन हो गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उनके परिजनों (पत्नी) को अभी तक पेन्शन नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उनकी पत्नी के बार-बार आवेदन करने के बाद भी पैन्शन सम्बन्धी पूर्ण विवरण पेन्शन निदेशालय को विभाग द्वारा नहीं भिजवाया जा रहा है ? यदि हां तो अब कब तक भिजवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पारिवारिक पेंशन दिये जाने के आदेश दिनांक 1–3–64 से प्रभावी थे, जिसके अनुसार दिनांक 1–3–64 या इसके बाद मृत्यु हुए राज्य कर्मचारियों के आश्रित परिवारजनों को ही पारिवारिक पेंशन देय थी, जबकि मथुरालाल शर्मा का निधन दिनांक 23-9-62 को ही हो गया था। इसी कारण इन्हें पूर्व में पारिवारिक पेंशन नहीं दी गई।

(3) राज्यादेश क्रमांक एफ. 1 (50) एफडी/ग्रुप–2/82 दिनांक 18–7–88 द्वारा दिनांक 1–3–64 या इससे पूर्व जिन कर्मचारियों का स्वर्गवास हो गया है और जिनकी विधवाओं को पारिवारिक पेंशन नहीं दी गयी है, उनको 1–4–88 से पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्रावधान करने पर निदेशालय के पत्रांक 5169–73 दिनांक 5-2-91 द्वारा पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्रस्ताव निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर को भेज दिया गया है।

राज्य के शिक्षित एवंम अशिक्षित बेरोजगार

24. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) एवं **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सुलभ कराने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही हैं ?

(3) गत एक वर्ष (1 मार्च, 1990 से 31 जनवरी, 1991 तक) में सरकार ने जिलेवार कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार कब से देना शुरू किया जावेगा एवं कब तक सारे परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 31-12-90 को रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर कुल 9,15,018 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 5,32,488 शिक्षित एवं 3,82,530 अशिक्षित आशार्थी थे।

(2) नियोजन कार्यालयों द्वारा शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को जहां जहां रिक्तियां होती है वहां वहां योग्यतानुसार नाम सम्प्रेषित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिला रोजगार कार्यालयों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीयन किया जाता है और उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाता हैं, उन्हें नियोजन सहायता दी जाती है और स्व-नियोजन हेतु प्रेरित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मेले आयोजित कर ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार, स्व-रोजगार के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है और उन्हें स्व-रोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है।

(3) गत वर्ष (1 मार्च, 1990 से 31 दिसम्बर, 90 तक) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 6,256 बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इस विभाग के पास इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजित आशार्थियों की संख्या
(1 मार्च, 90 से 31 दिसम्बर, 90 तक)

क्र. सं.	रोजगार कार्यालय का नाम	नियोजित आशार्थियों की संख्या
1	2	3
1—	अजमेर	428
2—	अलवर	475
3—	बांसवाड़ा	124
4—	बाड़मेर	183
5—	भरतपुर	137
6—	भीलवाड़ा	235
7—	बीकानेर	159
8—	बून्दी	267
9—	चित्तौड़गढ़	150
10—	चूरू	44
11—	धौलपुर	79
12—	डूंगरपुर	164
13—	जयपुर	307

(224)

1	2	3
14—	जैसलमेर	90
15—	जालौर	137
16—	झालावाड़	142
17—	झुन्झुनू	202
18—	जोधपुर	488
19—	कोटा	434
20—	नागौर	128
21—	पाली	137
22—	सवाईमाधोपुर	87
23—	सीकर	170
24—	सिरोही	190
25—	श्रीगंगानगर	286
26—	टौंक	141
27—	उदयपुर	652
28—	पी०एण्ड०ई०, जयपुर	107
29—	वि०रो०का०वि०, जयपुर	8
30—	यू०ई०बी०, जयपुर	——
31—	यू०ई०बी०, जोधपुर	48
32—	यू०ई०बी०, उदयपुर	57
	योग	6,256

बाड़मेर जिले के डार्क जोन क्षेत्रों का सर्वे

25. **श्रीमती मदन कौर** (गुडामालानी): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर जिले के कुछ क्षेत्रों में जहां पूर्व की सर्वे रिपोर्ट में डार्क जोन बताया गया है, वहां क्या अब मीठा पानी उपलब्ध है ?

(2) क्या राज्य सरकार पश्चिमी राजस्थान में भू-जल का पुनः सर्वे कराने का विचार रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार प्रदेश में गहरे कुएं खुदवाने हेतु देश में उपलब्ध अत्यधिक गहराई तक पानी की खोज लेने वाली मशीनों/रिग्स का परीक्षण बतौर प्रयोग करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मीठे पानी का डार्क जोन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है क्योंकि डार्क जोन में भी मीठा पानी उपलब्ध होता है।

(2) पश्चिमी राजस्थान के जिन जिलों में भू-जल सर्वेक्षण किया जा चुका है उन जिलों में आधारभूत कुओं को हर वर्ष मानसून पूर्व व मानसून उपरान्त मानीटरिंग करके भूजल उपलब्धि का पुनःमूल्यांकन किया जाता है।

(3) जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

बामनवास के ग्रामों की जल प्रदाय योजनाएं

26. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बामनवास पट्टीकलां तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर में उच्च जलाशय बने हुए करीबन तीन वर्ष हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या उनसे अभी जल वितरण चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार इस योजना को डाबर स्कीम से जोड़ने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि डूंगरपट्टी प्रभाखा ग्राम जल प्रदाय योजना में स्वीकृत है ? यदि हां, तो यहां पर कार्य कब चालू किया जायेगा ?

(4) वर्ष 1990-91 में बामनवास पंचायत समिति में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत हुए व कितने लगे तथा शेष कब तक लगा दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) संदर्भित उच्च जलाशय के निर्माण एवं सम्बन्धित समस्त कार्य जुलाई 90 में पूर्ण किये गये हैं। इसकी टेस्टिंग का कार्य अभी भी प्रगति में है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। कार्य धन उपलब्धि के अनुसार करवाना सम्भव हो सकेगा।

(4) संदर्भित अवधि में बामनवास पंचायत समिति में कुल स्वीकृत 37 हैण्डपम्पों के विरुद्ध 24 लगाये जा चुके हैं। शेष 13 हैण्डपम्प लगाने का कार्य शीघ्र करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

वर्ष 90–91 में पंचायत समिति बामनवास में स्वीकृत एवं लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या	लगाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	शेष हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	पिपलाई	1	1	—
2.	—,,—	1	1	—
3.	बिछोछ	1	1	—
4.	बेरखंडी	1	1	—
5.	खेरली	1	1	—
6.	—,,—	1	1	—
7.	नारोली चोड	1	1	—
8.	जाखोलास कलां	1	1	—
9.	वाटोदा	1	1	—
10.	भांवरा	1	1	—
11.	मोरपा	1	1	—
12.	—,,—	1	1	—
13.	सीतोड	1	1	—
14.	मोरपा	1	1	—
15.	सुन्दरी	1	1	—
16.	रामसिंहपुरा	1	1	—
17.	वाटोदा स्कूल	1	1	—
18.	बरनाला	1	1	—
19.	पलासोद	1	1	—
20.	मोरपावेरवा	1	1	—
21.	नारोली चोड	1	1	—
22.	मांवरा दुजई	1	—	1
23.	जीवद मन्दिर वाली ढांणी	1	1	—
24.	कोहली प्रेमपुरा	1	—	1
25.	बन्धावत	1	—	1
26.	शफीपुरा	1	—	1

1	2	3	4	5
27.	भावड	1	—	1
28.	बामनवास पट्टीकलां	1	—	1
29.	लिवाली	1	—	1
30.	रिवाली	1	—	1
31.	पिपलाई	1	1	—
32.	सीतापुरा	1	1	—
33.	दातासूती	1	—	1
34.	रिवाली	1	—	1
35.	बामनवास पट्टीकलां	1	—	1
36.	भांवरा	1	—	1
37.	बिचपुरी	1	—	1
	कुल योग :—	37	24	शेष 13

रुग्ण इकाइयों को स्वस्थ करने की योजना

27. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) औद्योगिक नीति 1990 के अन्तर्गत रुग्ण इकाइयों को स्वस्थ करने की क्या योजना है ? इस योजना के अन्तर्गत अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को स्वस्थ करने में क्या-क्या अड़चनें सरकार के सामने आ रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं तथा कितनी रुग्ण इकाइयों को स्वस्थ करके फिर से चालू किया गया ?

उत्तर

(1) औद्योगिक नीति, 1990 के अन्तर्गत रुग्ण इकाइयों के पुनर्संस्थापन/पुनर्चालन हेतु प्रस्तावित उपायों तथा अब तक उठाये गये कदमों के विवरण की सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्संस्थापन/पुनर्चालन में अनुभव की जा रही कठिनाइयों/अड़चनों तथा उनके निराकरण हेतु उठाये गये कदमों एवं रुग्ण इकाइयों को को पुनर्संस्थापित कर पुनर्चालित करने सम्बन्धी विवरण की सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

बेगूं क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाएं

28. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन-सी सिंचाई योजनाएं कार्यरत हैं और उनके निर्माण में कितनी-कितनी राशि अब तक व्यय हो चुकी है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कौन-कौन सी सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और उनकी क्रियान्विति कब तक हो जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) अन्य किसी योजना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में इस समय तीन सिंचाई योजनाएं कार्यरत हैं जिन पर किये गये खर्चे का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	योजना का नाम	मार्च 1990 तक व्यय की गई राशि (लाख रुपये)
(1)	डोराई	72.15
(2)	रूपारेल	13.18
(3)	बूझड़ा	7.52

जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर का विद्यालय परिसर में आवास

29. **श्री शान्ति लाल** (राजसमंद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर, गुरु गोविन्द सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में निवास करते हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर से मकान किराया एवं बिजली-पानी का खर्चा वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक उनसे कितना मकान किराया, नल-बिजली का खर्चा वसूल कर राजकोष में जमा किया गया ? प्रतिमाह का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शान्ति लाल)

(3) क्या यह भी सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर से मकान किराया व नल बिजली का खर्चा नहीं लिया जा रहा है तथा वे निःशुल्क आवासीय सुविधा का उपयोग कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 1-10-88 से निवास करते है।

(2) जी हां, किराया रु 2214/- तथा नल-बिजली के रु. 950,— राजकोष में जमा करवाये गये हैं। चालान की प्रति व रसीद का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ट्राइसम योजना के अन्तर्गत खोले गए प्रशिक्षण केन्द्र

30. **श्री किशन गोपाल कोगटा** (मसूदा): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुल 12 प्रशिक्षण केन्द्र ट्राइसम योजना के तहत खोले हैं, उनमें से राजस्थान कोओपरेटिव मिल्स, गुलाबपुरा भी एक है?

(2) क्या इस संस्थान ने पिछले 5 वर्ष में अजमेर जिले की समीपस्थ पंचायत समिति मसूदा व भिनाय क्षेत्र के लोगों को इस योजना के तहत लिया है?

(3) यदि हां, तो क्या अजमेर जिला अभिकरण द्वारा ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा भेजी गई व्यक्तियों की सूची को अमान्य किया जा रहा है? यदि हां, तो किस आधार पर?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने जिन प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान की है, उनमें से एक राजस्थान को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स गुलाबपुरा भी है।

(2) विचाराधीन है।

(3) विचाराधीन है।

रामसीण कृषि उपज मण्डी के निर्माण पर व्यय

31. **श्री रतना राम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामसीण (रानीवाड़ा) में कृषि उपज मंडी की दुकानें बनी हुयी हैं? यदि हां तो यह कृषि उपज मण्डी कब बनाई गई थीं और उस पर कितना व्यय हुआ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक कृषि उपज मण्डी पर काश्तकारों का माल क्रय विक्रय नहीं होता है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक कृषि उपज मण्डी रामसीण चालू कर दी जावेगी?

(श्री रतनाराम चौधरी)

(3) क्या यह भी सही है कि कृषि उपज मण्डी भवन व उसकी बाउण्ड्री गिर गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच करवा कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गौण मंडी यार्ड, रामसीन में कृषि उपज मंडी के द्वारा दुकाने मय गोदामों का निर्माण अक्टूबर 1989 में पूर्ण कराया गया कुल व्यय 7.17 लाख रुपये का हुआ है।

(2) जी हां। कुछ आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं होने से वहां कृषि उपज का क्रय विक्रय नहीं होता, शेष कार्य को पूरा कराने के लिए मंडी समिति को निर्देश दे दिये गये हैं ताकि इन कामों को पूरा होते ही वहां मंडी कार्य चालू हो सके।

(3) जी नहीं।

फाटीखान बांसवाड़ा की बंजर भूमि पर अकाल राहत कार्य

32. **श्री सोमा** (बागीदोरा) एवं **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के फाटीखान में बंजर भूमि पर वन विभाग द्वारा अकाल राहत के अन्तर्गत दिनांक 1-7-88 से कार्य करवाया गया था ? यदि हां, तो उस कार्य पर कितने मजदूर लगाये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दि. 1-7-88 से 15-7-88 तक 80 मजदूरों ने काम किया ? क्या उन सभी मजदूरो का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या मजदूरों के भुगतान हेतु जिलाधीश महोदय को कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या राज्य सरकार वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जांच करवायेगी और मजदूरों को बकाया मजदूरी दिलवायेगी यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वन विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं।

(3) वन विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

खैरवाड़ा तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

33. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय कनबई, बलीचा, पाटिया, डबायचा सरेरा, ढीकवास, और सागवाड़ा में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त पंचायतों

(श्री दयाराम परमार)

के करीब 50 गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई स्कीम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । तहसील खैरवाड़ा के शेष अविद्युतीकृत सभी ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत कराने की कार्यवाही जारी है ।

जयपुर जिले के प्रधान, विकास अधिकारी व सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

34 **श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले के किस-किस प्रधान व विकास अधिकारी तथा सरपंचों की गत एक वर्ष में शिकायतें प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उनमें से किस-किस ने अदालत की शरण ली तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के प्रधान, विकास-अधिकारी एवं सरपंचों के विरुद्ध गत वर्ष में प्राप्त शिकायतों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(2) सरकार को किसी भी प्रधान व विकास अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त उक्त शिकायतों की जांच प्राप्त नहीं हुई । 29 सरपंचों के विरुद्ध जो जांच रिपोर्ट भेजी गई थी उनमें से एक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई शेष 28 में से एक को निलम्बित कर दिया गया है एवं एक की वित्तीय शक्तियां वापिस ली गई हैं ।

24 सरपंचों को आरोप पत्र दिया जा कर, जवाब मांगा गया है । दो प्रकरण समाप्त कर दिये गये हैं । उक्त में से मात्र एक सरपंच ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

मकराना क्षेत्र की खानों से रायल्टी

35. **श्री बिरधा राम चौधरी (मकराना) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मकराना स्थित खनिज अभियन्ता के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत मारबल उद्योग से औसतन रायल्टी सैल्स टैक्स से राज्य सरकार को हर माह कितनी आमदनी होती है ?

(2) क्या मकराना स्थित खनिज अभियन्ता कार्य क्षेत्र में मारबल के उद्योग से रायल्टी, सैल्स टैक्स से होने वाली आमदनी से मकराना मार्बल उद्योग के विकास के लिए सड़कों आदि के लिए कोई राशि खर्च करने का प्रावधान है यदि हां, तो कितनी प्रतिशत ?

(3) क्या मकराना बिदियाद, बोरावड़ कोलाडूंगरी, गुणावती में जो खाने चालू

(श्री बिरधाराम चौधरी):

है उन खानों से निकलने वाले मलबे के लिए खनिज विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर मलबा नहीं डालने व कृषि भूमि पर डालने से काश्त की जमीन अनुपयोगी हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उन काश्तकारों की क्षतिपूर्ति करने का विचार रखती है?

(4) मार्बल की चिराई करने से जो पाउडर आम रास्ते व सड़कों पर फैलाता है उससे उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) मकराना स्थित सहायक खनिज अभियन्ता के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मार्बल उद्योग से राज्य सरकार को औसतन रूप से प्रतिमाह लगभग 36 लाख रुपये रायल्टी व 61 लाख रुपये सैल्स टैक्स से आय होती है।

(2) मकराना स्थित खनिज अभियन्ता कार्यक्षेत्र में मार्बल के उद्योग से रायल्टी व सैलसटैक्स से होने वाली आमदनी से मकराना मार्बल उद्योग के विकास के लिए सड़कों आदि के निर्माण हेतु राशि खर्च करने का पृथक से कोई प्रावधान नहीं है। विभागीय सड़क के निर्माण एवं मरम्मत हेतु राशि समय समय पर विभागीय स्कीम "एप्रोच रोड टू माइन्स एण्ड क्वारीज" के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

(3) जी नहीं। सामान्यतया खानधारी अपने स्वीकृत क्षेत्र में अथवा आसपास के सरकारी अथवा खालसा भूमि में मलवा डालते हैं। यदि वे काश्तकारों की जमीन में मलबा डालते हैं तो खातेदार की स्वीकृति से ही यह सम्भव है। ऐसी स्थिति में खानदार द्वारा ही खातेदार को क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

(4) प्रदूषण नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रदूषण निराकरण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया हुआ है।

(233)

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची

पाली जिले में विषयवार रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय	विषय	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1.	राउमावि रोहट	अंग्रेजी	1	–	–
		गणित	1	–	–
		इतिहास	1	–	–
2.	राउमावि तखतगढ़	भौ. विज्ञान	1	–	–
		भूगोल	1	–	–
		वाणिज्य	1	–	–
		सामान्य	–	–	1
3.	राउमावि सुमेरपुरा	सामान्य	–	–	2
4.	राउमावि रानी	अर्थ शास्त्र	1	–	–
		सामान्य	–	–	–
5.	राउमावि सोजतनगर	हिन्दी	2	–	–
		विज्ञान	–	1	–
6.	राउमावि सोजतरोड	हिन्दी	1	–	–
7.	राउमावि बगडीनगर	हिन्दी	1	–	–
8.	राउमावि बाली	हिन्दी	1	–	–
		विज्ञान	–	1	–
		सामान्य	–	1	–
9.	राउमावि सेवाडी	इतिहास	1	–	–
10.	राउमावि बेड़ा	भूगोल	1	–	–
11.	राउमावि खौड	हिन्दी	2	–	–
		इतिहास	1	–	–
12.	राउमावि जंगशन	भौ. वि.	1	–	–
		हिन्दी	2	–	–
		विज्ञान	–	1	–
		सामान्य	–	–	2
13.	राउमावि कंटालिया	इतिहास	1	–	–
14.	राउमावि देसूरी	वाणिज्य (व्या.)	1	–	–

1	2	3	4	4	6
		भूगोल			
		विज्ञान	–	1	–
15.	राउमावि सादड़ी	ना. शा.	1	–	–
		कृषि	1	–	–
		हिन्दी	1	–	–
16.	राउमावि आनन्दपुरकलां	जीव. वि.	1	–	–
		कृषि	1	–	–
		अर्थशास्त्र	1	–	–
17.	राउमावि नोपाज	सामान्य	–	–	1
18.	राउमावि जैतारण	अर्थशास्त्र	1	–	–
19.	राउमावि पाली	सामान्य	–	2	–
20.	राउमावि रायपुर	विज्ञान	–	1	–
21.	रामावि बीसलपुर	विज्ञान	–	1	–
22.	रामावि सिवतलाव	गणित	–	1	–
23.	रामावि पावा	अंग्रेजी	–	1	–
24.	रामावि चाणोद	विज्ञान	–	1	–
25.	रामावि दोता	विज्ञान	–	1	–
26.	रामावि कोसेलाव	आंग्ल	–	1	–
27.	रामावि मांवरी	गणित	–	1	–
		विज्ञान	–	1	–
28.	रामावि गादा	विज्ञान	–	1	–
29.	रामावि वाणेराव	विज्ञान	–	1	–
30.	रामावि गुंडाविजा	विज्ञान	–	1	–
31.	रामावि दादाई	विज्ञान	–	1	–
32.	रामावि वोपारी	विज्ञान	–	1	–
33.	रामावि कूठा	विज्ञान	–	1	–
34.	रामावि निम्बेड़ा कलां	विज्ञान	–	1	–
35.	रामावि पिलक्षेत्र पाली	आंग्ल	–	1	–
36.	रामावि गण्डावास	गणित	–	1	–
37.		आंग्ल	–	1	–
37.	रामावि टेवाली	गणित	–	1	–
38.	रामावि जवाली	आंग्ल	–	1	–

1	2	3	4	5	6
39	राबासीउमावि पाली	रसायन शा.	1	–	–
		भौतिक	1	–	
		इतिहास	1	–	–
		सामान्य	1	–	–
40.	राबासीउमावि सुमेरपुर	हिन्दी	1	–	–
41.	राबामावि देसूरी	सामान्य	–	1	–
42.	राबामावि सादड़ी	गणित	–	1	–
		सामान्य	–	1	–
43.	राबामावि कोशेलाव	हिन्दी	–	1	–
		सामान्य	–	1	–
44.	राबामावि तखतगढ़	विज्ञान	–	1	–
		भूगोल	–	1	–
45.	राबामावि मिमाज	सामान्य	–	2	–
46.	राबामावि जैतारण	सामान्य	–	[illegible]	–
47.	राबामावि भाकाजू	हिन्दी	–	1	–
		सामान्य	–	1	–
48.	राबामावि फालना	सामान्य	–	2	–
		कुल योग	34	43	6

236

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 11 की सूची

जालौर जिले के डार्क जोन क्षेत्र का ब्यौरा

1 (वर्ष 1989–90 में किये गये भू जल सर्वेक्षण के आधार पर कुछ क्षेत्रों को जहां भू जल विकास का स्तर 85% से अधिक है, डार्क जोन घोषित किया गया है । उक्त क्षेत्र का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	पंचायत समिति	जोन का नाम	भू-जल धारक इकाई	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.	नेट रिचार्ज (एम सी एम)	नेट ड्राफ्ट (एम सी एम)	सरप्लस (एम सी एम)	भूजल स्तर(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आसेर	ए1/1	यंगर अलुमियम	65.62	3.0170	6.9518	—3.9348	230.42
		बी1/2	ओल्डर	46.87	1.7239	4.2739	—2.5500	247.92
		बी2/1	,,	25.00	0.9185	1.5271	—0.6076	166.07
		बी3/3	,,	206.25	2.6356	3.1214	—0.4858	118.43
2	भीनमाल	ए1/2	यंगर अलुमियम	56.25	2.9627	5.2273	—2.2645	176.43
		ए2/1 (प.)	,,	62.56	3.2919	1.9885	—8.6966	364.68
		ए2/1 (उ.)	,,	68.75	3.6210	7.9156	—4.2946	218.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2–मीनमाल		बी1/1	ग्रोल्डर	43.75	1.8435	7.1695	—5.3260	388.90
		बी2/1	,,	97.75	4.11881	4.6294	—10.5106	355.18
		बी2/2	,,	262.501	1.0607	9.4954	—1.5635	85.84
		सी2/2	ग्रेनाइट	31.25	0.6853	0.7762	—0.0909	113.26
3–जालौर		ए1/2	यंगर अलुमियम	68.75	3.3327	11.1812	—7.8485	355.49
		बी1/2	ग्रोल्डर	168.75	3.7039	8.3866	—4.6827	226.42
		बी2/1	,,	25.00	0.9695	1.5725	—0.6030	162.21
		सी1/1	ग्रेनाइट	43.75	1.6729	8.3083	—0.6154	136.35
4–जावंतपुरा		ए1/1	यंगर अलुमियम	50.00	2.9644	5.8663	—3.9019	231.62
		बी1/1	ग्रोल्डर	34.34	1.3108	2.2856	—0.9748	174.37
		सी2/1	ग्रेनाइट	50.00	1.3834	1.9656	—0.5822	192.08
5–रानीकाड़ा		ए1/1	यंगर अलुमियम	187.501	2.3864	18.1205	—5.7341	146.29
		ए1/3 (उ.)	,,	25.00	1.3463	2.3380	—0.9917	173.66
		ए2/2	,,	31.25	1.1679	1.8469	—0.6790	158.14
		बी1/1	ग्रोल्डर	118.75	5.11621	4.8159	—9.6997	289.59
		बी1/2 (प.)	,,	68.75	2.9620	2.7619	—0.2001	93.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5–रानीबाड़ा		बी1/2 (उ.)	ओल्डर	15.62	1.0338	2.0823	—1.0485	201.42
		सी1/1	ग्रेनाइट	15.62	0.6938	1.3349	—0.6411	192.40
6–सांचौर		बी2/1	ओल्डर अलुमियम	68.75	2.7292	3.8455	—1.1163	140.90
		बी2/1 (द.)	,,	168.75	6.6990	16.8940	—10.2950	252.19
		बी3/1	,,	118.75	4.7141	10.0657	—5.3516	213.52
		बी4	,,	1956.25	36.6852	79.8586	—43.1736	217.69
7–साम्ला		ए1/1	यंगर अलुमियम	397.25	19.2569	33.0826	—13.8258	171.79
		ए2/3	,,	18.75	0.9089	1.9421	—1.0332	213.60
		बी 1/1	ओल्डर अलुमियम	343.75	13.3307	13.3636	—0.0329	100.27
		बी1/2	,,	181.25	7.0290	6.4562	—0.5728	91.85
		बी2/1	,,	81.25	3.1509	3.3566	—0.2057	106.57
		बी3/2	,,	93.75	3.6356	3.9614	—0.3248	108.90

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची

वर्ष 1990 में जिला बांसवाड़ा में पंजीबद्ध हुए कुल अपराध बलात्कार एवं कतल की सूची :—

क्र. सं.	नाम थाना	कुल अपराध			बलात्कार			कतल		
		दर्ज	चालान	एफ़आर	दर्ज	चालान	एफ़आर	दर्ज	चालान	एफ़आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1–	बांसवाड़ा	575	436	134	1	1	–	1	1	–
2–	सदर	641	421	215	5	3	2	6	4	1
3–	गढ़ी	540	413	120	3	2	1	3	2	1
4–	लोहारिया	372	268	103	6	3	3	4	3	1
5–	खमेरा	343	224	118	3	1	2	4	3	1
6–	पपिलखूंट	146	107	37	7	5	2	1	1	–
7–	दानपुर	154	102	51	3	2	1	1	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	माही डेम	109	77	32	–	–	–	–	–	–
9	कुशलगढ़	519	444	73	3	3	–	4	4	–
10	कलिंजरा	547	432	105	2	2	–	2	1	1
11	आनन्दपुरी	225	178	46	3	3	–	1	1	–
12	सल्लोपाट	177	93	22	1	1	–	3	1	1
13	पाटन	82	62	20	1	–	1	2	1	1
	योगः—	4430	3257	1076	38	26	12	32	23	7

(241)

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार

रोजनामचा तफतीश

थाना पाटन जिला–बांसवाड़ा (राजस्थान)

ईतलाअव्वल नं. 33/90, तारीख 1–7–90 कानून धारा 302,201 भा. दं. सं.

घटना स्थल मिर्च घाटी घटना तिथि 28–6–90 नाम अभि. मकन

रोजनामचा तफतीश नं. 33 तारीख 30–9–90 मुकाम थाना

किमत माल मसरुका शून्य माल वाज्यापता निल

गिरफ्तार की संख्या निल जमानत पर निल गिरफ्तार बाकी निल

तारिख समय	तफ्तीश का विवरण	खुलासा
1. 30–9–90 5 पी एम	डायरी मामला पूर्व डायरी संख्या 32 दिनांक 23–9–90 के क्रम में शुरू की गई।	शुरू डायरी
2. ,, ,,	प्रस्तुत प्रकरण में पतेरसी मुल्जिमान की समय समय पर जाप्ता द्वारा व मुख आई. ओ. द्वारा की गई मगर कोई मालुम नहीं चला मामले में आज श्रीमान् सी. ओ. साहब कुशलगढ़ से एफ. आर. अदमपता मुल्जिम में आदेश प्राप्त किया गया। जो नतीजा आखरी दर्ज होता है।	
	नतीजा आखरी	एफ. आर. नं 11/30-9-90

3. ,, ,,
मान्यवर,

निवेदन है कि प्रार्थी श्री मकना पुत्र जोरण बारिया आदिवासी आयु 55 वर्ष पेशा खेती निवासी पिपलोन ने दिनांक 1–7–90 को थाना पाटन पर जबानी इतला दी कि मेरी लड़की हजना आयु 18 वर्ष की शादी खुब चन्द पुत्र माव जी खराड़ी आदिवासी निवासी पलवाड़ा से कराई गई थी। शनिवार को मेरी लड़की हजना को उसके

242

सास ससुर दोनों पिपलोन मेरे घर छोड़ गये थे शनिवार को वो लोग चले गये। गुरुवार को हजना को लेकर मैं हाट में गया उसकी सास वेशा हाट में आयी। हजना हाट में मैने वेशा को सुपुर्द कर दी जो उसे तेडा कर ले गई मैं घर आ गया। आज सुबह गायों का ग्वाल नाहर सिंह ने बताया कि मिर्च घाटी नाले में एक आदमी और एक औरत की लाशे मरी पड़ी है। आसपास के लोग रावदा चौखवाड़ा पिपलोन, मिर्चघाटी देखने आये मैंने लाश देखी तो मेरी लड़की हजना की थी। उसकी छाती गर्दन में तलवार के घाव थे। मुंह जला रखा था आदमी की लाश हालू परवाड़ा की थी केरी के सरपंच पाटन व मिर्च घाटी का पूर्व सरपंच खातू मौके पर आ गये थे। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही फरमावें।

इस इतला पर मुकदमा नं. 33/90 धारा 302,201 भादसं पंजिबद्ध कर अन्वेषण प्रारम्भ किया। प्रार्थी श्री मकना, श्री खातू भाई केहरीन भाई नाहर सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये दौराने तफतीश घटना स्थल पर पहुंच फर्द याददाश्त मौका व नक्शा नजरी मुर्तिब किया गया। हजना व हालू की लाश का पंचायत नामा मुर्तिब किया गया दोनों की लाश का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्ट मार्टम करवाया गया तथा लाश अन्तिम संस्कार हेतु वारिशान के सुपुर्द की गई। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली की गई। थाना पाटन के मुलाजमान द्वारा व मुफ आई/ओ द्वारा समय समय पर मिर्चघाटी पिपलोन, रावदा, चौकवाड़ा, उमरजोका बाजना रेट कुआ, सूरजबडला, कलाणी, खाल परवाड़ा, सिमलाकुण्डी, मोरझरी, देवली सज्जनपुरा, कुन्दनपुर बरसाला, महुडा, जोड़ला, पिपलीवाला बड़ीसंख्या में घूम फिर कर तलाश की तो मुलजिमान का कोई सुराग नहीं चला। संदिग्ध व्यक्ति हड़िया पुत्र नेवजी डामोर आदिवासी निवासी जामू खाटन से तफतीश की गई कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई मजीद दरियाफ्त करना था व घर से लापता है। तलाश जारी है। प्रकरण थाने पर करीब 3 माह से पैंडिग है प्रकारण पैंडिग रखना बेशुत समझता हू फिल्हाल तुरन्त पते लगने की कतई सम्भावना नहीं है। वर्तमान में एफ. आर. अदम पता मुल्जिमान में एफ. आर. नं. 11 दिनाक 30–9–90 में कता की जाकर श्रीमान् एम. जे. एम.साहब न्यायालय, कुशलगढ़ की सेवा में मार्फत डो. वाई. एस. पी. साहब, कुशलगढ़ के पेश है। प्रार्थी को नतीजे से अवगत करा दिया गया है बाद पत्रावली स्वीकृत एफ. आर. फरमाते हुए थाना हाजा पर भिजवाने का आदेश बक्षावें।

ह०
एस. एच. ओ
थाना पाटन

परिशिष्ट–6 परिशिष्ट "अ"

अतारांकित प्रश्न संख्या–8 की सूची

विधान-सभा क्षेत्र बांदीकुई में थाने वाइज दर्ज अपराध वर्ष, 1980 से जनवरी, 1991 तक ।

वर्ष	थाना बांदीकुई	थाना कोलवा	थाना मानपुर	योग
1980	206	25	—	231
1981	210	20	6	236
1982	244	22	5	271
1983	291	28	5	324
1984	279	27	5	311
1985	254	18	8	280
1986	284	23	9	316
1987	233	24	15	272
1988	228	21	5	254
1989	303	19	8	330
1990	304	13	3	320
जनवरी, 91	19	1	—	20
योग :—	2855	241	69	3165

(2) इन अपराधों में से हत्या/चोरी/डकेती के निम्न प्रकार अपराध दर्ज हुए मय निस्तारण ।

		दर्ज अपराध	चालान	एफ.आर. दी गई	पैण्डिग पुलिस	मुकदमात जिनमें माल बरामदगी हुई ।
1.	हत्या	51	31	19	1	—
2.	डकेती	5	2	3	—	2
3.	चोरी	712	151	554	7	149
	योग :—	768	184	576	8	151

थाना–बांदीकुई

नंशु	शीर्षक	दर्ज अभियोग	चालान	एफ.आर.	पैण्डिग पुलिस	कितने मुकदमों में माल बरामद हुआ ।
1	2	3	4	5	6	7
1.	हत्या	46	28	17	1.	—
2.	डकेती	5	2	3	—	2
3.	चोरी	637	139	492	6	139
	योग :—	688	169	512	7	141

थाना—कोलवा

1.	हत्या	5	3	2	—	—
2.	डकेती	—	—	—	—	—
3.	चोरी	65	9	55	1	7
	योग :—	70	12	57	1	7

थाना—मानपुर

1.	हत्या	—	—	—	—	—
2.	डकेती	—	—	—	—	—
3.	चोरी	10	3	7	—	3
	योग :—	10	3	7	—	3

विधान सभा-क्षेत्र बांदीकुई में चोरी, डकेती, हत्या सम्बन्धी अपराध, जिला जयपुर ग्रामीण वर्ष 1980 से 1991 तक वर्ष वाईज निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	शीर्षक	रिपोर्ट	एफ.आर.	चालान	मालमसरूका	बाजयाफ्त
1980	चोरी	82	66	16	171316=00	42920=00
	डकेती	—	—	—	—	—
	हत्या	4	1	3	—	—
1981	चोरी	66	56	10	91586=00	40125=00
	डकेती	1	—	1	12800=00	7800=00
	हत्या	2	—	2	—	—
1982	चोरी	88	72	16	153775=00	57725=00
	डकेती	—	—	—	—	—
	हत्या	5 (पांच)	1	4	—	—
1983	चोरी	68	53	15	95815=00	51220=00
	डकेती	—	—	—	—	—
	हत्या	1	—	1	—	—
1984	चोरी	61	47	14	161070=00	77240=00
	डकेती	1	1	—	—	—
	हत्या	3	1	2	—	—
1985	चोरी	58	49	9	80217=00	12825=00
	डकेती	—	—	—	—	—
	हत्या	10	2	8	—	—
1986	चोरी	69	56	13	76530=00	33658=00
	डकेती	—	—	—	—	—
	हत्या	4	3	1	—	—

(२५७)

1	2	3	4	5	6	7
1987	चोरी	46	29	17	217350=00	144000=00
	डकेती	3	2	1	20000=00	—
—	हत्या	4	1	3 (तीन)	—	—
1988	चोरी	46	28	18	123950=00	47650=00
	डकेती	—	—	—	—	—
	हत्या	4	1	3	—	—
1989	चोरी	57	49	8	106719=00	39039=00
	डकेती	—	—	—	—	—
-	हत्या	9	4	5	—	—
1990	चोरी	61	48	13	234600=00	138100=00
	डकेती	—	—	—	—	—
—	हत्या	5	3	2	—	—
1991	चोरी	10	1	2	6000=10	500=00
	डकेती	—	—	—	—	—
	हत्या	—	—	—	—	—

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची

क्र.सं. 1	नाम थाना व जिला 2	मुकदमा नं. व जुर्म धारा 3	नाम विधायकगण 4	नतीजा 5
1.	थाना महामन्दिर, जिला जोधपुर	44/90 धारा 147/323/379/भादसं	श्री मान सिंह देवड़ा	चालान
2.	थाना छीपाबड़ौद, कोटा ग्रामीण	236/89 धारा 147/149/447/427/188 भाद सं. 3 प्रिवेन्शन आफ डैमेज आफ पब्लिक प्रोपर्टी	श्री प्रताप सिंह सिंघवी	तफतीश जारी है।
3.	थाना मांगरोल, कोटा ग्रामीण	58/90 धारा 353/341/147/504 भादसं	श्री रघुवीर सिंह कौशल	एफ. आर. अदमवकू
4.	थाना अटरू, कोटा ग्रामीण	44/90 धारा 147/142/332/353/504 भादसं	श्री मदन लाल दिलावर	तफतीश जारी है।
5.	थाना राजगढ़, चूरू	257/90 धारा 147/504/341/342/365/323 भादसं व 3 1101 एससी/एसटी एक्ट, 1989	श्री इन्द्र सिंह पूनिया	तफतीश जारी है।
6.	थाना मानपुर, जयपुर ग्रामीण	115/90 धारा 332/353/327/भादसं	श्री किरोड़ी लाल मीणा	तफतीश जारी है।

1	2	3	3	4
7.	थाना फागी, जयपुर ग्रा.	199/90 धारा 332/353 भादंसं	श्री प्रकाश बैरवा	तफतीश जारी है।
8.	जीआरपी, जोधपुर	81/89 धारा 147/149/353/332/ 341 भादंसं	श्री राजेन्द्र गहलोत व श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास	तफतीश जारी है।
9.	थाना खेतड़ी, झुन्झुनूं	171/90 धारा 141/323 भादंसं.	श्री हजारी लाल	तफतीश जारी है।
10.	थाना विजयनगर, गंगानगर	17/90 धारा 336/188 भादंसं व 27 आर्म्स एक्ट	श्री सुनील विश्नोई	तफतीश जारी है।
11.	थाना जहाजपुर, भीलवाड़ा	180/90 धारा 342/365 भादंसं	श्री शिवजी राम	एफ. आर. अदमवकू
12.	थाना गड़मोरा, सवाई माधोपुर	187/89 धारा 147/149/452/353 भादंसं व 131, 132, 135, 136, जन प्रतिनिधि अधिनियम	श्री किरोड़ी लाल मीणा	तफतीश जारी है।
13.	थाना गडमोरा, जि. सवाई माधोपुर	188/89 धारा 147/149/452/353/ 171 भादंसं	श्री किरोड़ीलाल मीणा	तफतीश जारी है।
14.	थाना गड़मोरा, जि. सवाई माधोपुर	189/89 धारा 147/149/352/452/ भादंसं	श्री किरोड़ीलाल मीणा	तफतीश जारी है।
15.	बामनवास, जि. सवाई-माधोपुर	149/89 धारा 379/171 एफ भादंसं व 132/133/135/136 ग लोकप्रति अधि.	श्री किरोड़ीलाल मीणा	तफतीश जारी है।
16.	थाना गंगापुर, जि. सवाईमाधोपुर	428/89 धारा 147/323/441 भादंसं	श्री हरीश पालीवाल	एफ आर. अदम वकुआ।

1	2	3	4	5
17.	थाना गंगापुर, ज़ि. सवाई माधोपुर	429/89 धारा 147/323 भादंसं	श्री हरीश पालीवाल	एफ आर. अदम वकुआ ।
18.	थाना अशोकनगर, जयपुर शहर	65/89 धारा 341/283/151/186 भादंसं	श्री किरोड़ीलाल मीणा	चालान ।
19.	थाना शास्त्रीनगर, जयपुर शहर	306/89 धारा 147/186 भादंसं	श्री खंगारसिंह श्री हीरासिंह श्री नाथूसिंह श्री गिरधारीलाल भार्गव श्री हरीश कुमावत श्री हरीशंकर औदिच्य श्री ग्यारसीलाल श्री कालीचरण सर्राफ श्री भंवरलाल शर्मा श्री रघुवरदयाल	एफ.आर. अदम वकुआ ।
20.	थाना सोडाला, जयपुर शहर	495/89 धारा 447 भादंसं	श्री माधोसिंह दीवान	एफ आर. अदम वकुआ ।
21.	थाना सदर, जिला बीकानेर	195/91 धारा 332/353/147 भादंसं	श्री देवीसिंह भाटी	चालान ।
22.	थाना गंगाशहर, जिला बीकानेर	72/89 धारा 332/353 भादसं	श्री देवीसिंह भाटी	चालान ।

249

1	2	3	4	5
23.	थाना सदर, जिला बीकानेर	39/90 धारा 447/147/149 भादंसं	श्री देवीसिंह भाटी	एफ.आर. अदम वकुआ ।
24.	थाना तिजारा, जिला अलवर	149/89 धारा 147/341/353 भादंसं	श्री जगमालसिंह यादव	चालान ।
25.	थाना कोतवाली, जिला अलवर	317/89 धारा 341/147/323 भादंसं व 7 पी सी आर एक्ट	श्री जगमालसिंह	एफ.आर. अदम वकुआ ।
26.	थाना कोतवाली/ जिला अलवर	556/89 धारा 147/341/352/386 भादंसं	श्री जगतसिंह दायमा	चालान ।
27.	थाना कोतवाली, जिला अलवर	292/89 धारा 341/323 भादंसं	श्री जगतसिंह दायमा	एफ.आर. अदम वकुआ ।
28.	थाना कोतवाली, जिला अलवर	279/89 धारा 279/337 भादंसं	श्री जगतसिंह दायमा	एफ.आर. अदम वकुआ ।
29.	थाना भीण्डर, जिला उदयपुर	130/89 धारा 147/140/149/427/ 436/336/323 भादंसं	श्री रावकमलेन्द्र सिंह	तफतीश जारी है ।
30.	थाना सूरजपोल, जिला उदयपुर	435/90 धारा 147/447 भादंसं	श्री शिवदान सिंह	तफतीश जारी है ।

परिशिष्ठ-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 10 की सूची

प्रतापगढ़ व अरनोद तहसील में जीवन–धारा योजना के अन्तर्गत
वर्ष 1989–90 में पूर्ण एवं अधूरे कुओं की सूचना

क्र सं.	नाम तहसील	पूरे हुए कुओं की संख्या	अधूरे कुओं की संख्या
1.	प्रतापगढ़	175	1
2.	अरनोद	54	26

परिशिष्ट–ब

जीवनधारा योजनान्तर्गत वर्ष 1990–91 में स्वीकृत किये गये कुओं की
काश्तकार का नाम व ग्राम वाइज सूची (तहसील अरनोद, प्रतापगढ़)

क्र. सं.	नाम काश्तकार मय पिता	नाम ग्राम
1	2	3
(1) तहसील अरनोद		
1.	रूपजी/जाल्या मीणा	लिलिया
2.	बेलिया/ऊंकार मीणा	बोरी
3.	श्रीमती छगनी/उदयलाल मीणा	रातडिया
4,	हरजी/माणा मीणा	भाटखांली
5.	लिबिया/मानजी मीणा	मोटा धामनिया
6.	मोहनलाल/जगजी मीणा	अचलावदा
7.	भैरूलाल, जीवला/होमला मीणा	हिंगलाट
8.	कचरू/ऊंकार मीणा	कमलगडी
9.	देउबाई/वजेराम मीणा, रामलाल/वजेराम मीणा	कनाड़
10.	भीमजी/होमजी मीणा	मोटा धामनिया
11.	रंगजी/लाला मीणा	,,
12.	भगवान/भीमजी मीणा	भरी घाटी
13.	वेला/देवजी मीणा	गंगाखोट
14.	गौतम/नन्दा मीणा	नया खेड़ा

252

1	2	3
15.	उद्धा/बदा मीणा	मीरावंता
16.	सामा/मन्ना मीणा	,,
17.	बरसिंह/भाणजी मीणा	लिलिया
18.	ऊंकार/भगवाना मीणा	सेवना
19.	डेलूराम/रालिया मीणा	,,
20.	कालू/जीवा मीणा	,,
21.	शंकर/अमरा मीणा	उदियाखेड़ी
22.	प्यारा/काना मीणा	मोरूण्डी
23.	रखिया/गांगजी मीणा	मोटा धामनियां
24.	रंगलाल/नाथु मीणा	खड़वास
25.	देवजी/लालु मीणा	लालखा आम्बा
26.	कारू/बरदा मीणा	ओडा
27.	काना/नारिया मीणा	,,
28.	दित्या/मंगला मीणा	रायपुर
29.	रामा/मंगला मीणा	,,
30.	जीवा/मनजी मीणा	बामनखेड़ी
31.	दुलिया/खुसाला मीणा	बोरी
32.	मानजी/खातिया मीणा	केसरापुरा
33.	रमजु/होमला मीणा	मोटा धामनियां
34.	दित्या/जोधा मीणा	सुथार घाटी
35.	कचरू/वजिंगा मीणा	सरदारपुरा
36.	भमकुड़ी/रंगजी मीणा	लिलियां
37.	देवजी/हीरा मीणा	बिलीया
38.	रूपा/रोड़ा मीणा	बोरी
39.	रमजु/गुमान मीणा	मोटा धामनियां
40.	रूपा/खेमजी मीणा	माटखाली
41.	हरजी/नागजी मीणा	छोटा धामनियां
42.	रामलाल/बदिया मीणा	मोटा धामनियां
43.	नाथिया/राजिंगा मीणा	,,
44.	जोवला/हुकजी मीणा	,,
45.	गोतम/लाला मीणा	मचलाया
46.	राजिंगा/अमरा मीणा	कराड़िया
47.	फूलजी/मेघा मीणा	पुरावंतों की खेड़ी

1	2	3
48.	कालू/अर्जुन मीणा	आटाखाली
49.	नाथूजी/पूना मीणा	नया खेड़ा
50.	कमजी/प्यारा मीणा	,,
51.	चोखला/फूलजी मीणा	सेवना
52.	देवजी/बिजिया मीणा	,,
53.	शंकरलाल/पूंज्या मीणा	साहसहेली
54.	रूपलाल/हकुरा मीणा	सेवना
55.	शम्भा/मोती मीणा	,,
56.	जोख्या/कचरिया मीणा	लापरियुाखण्डी
57.	रामलाल/हेमता मीणा	चोखली पीपली
58.	बदिया/मल्ला मीणा	सरकोट
59.	नगजी/मावजी मीणा	,,
60.	मांगू/जोखिया मीणा	,,
61.	गिल्या/माणजी मीणा	हमीरपुरा
62.	रकड़ा/कानजी मीणा	कानगढ़
63.	कालू/गेमरा मीणा	ओड़ा
64.	रामा/तेजा मीणा	गोतमेश्वर
65.	धारिया उर्फ हीरिया/देवा मीणा	बगड़ावद
66.	मांगीलाल/सददारा मीणा	लालगढ़
67.	लालीआ/खुमा मीणा	रूपाबाटी
68.	ऊंकार/गोतम मीणा	खरखड़ा
69.	नावड़ा/नगजी मीणा	नयाखेड़ा
70.	मोहन/मोढ़िया मीणा	बोरी
71.	धूलिया/हरदारा मीणा	,,
72.	बीजिया/नाथजी पिता मानिया मीणा	,,
73.	जालमा/पूंजा मीणा	लिलिया
74.	बिजिया/मोती मीणा	सरदारपुरा
75.	खातिया/नानजी मीणा	,,
76.	कुशाला/कालू मीणा	रानो का खेड़ा
77.	अर्जुन/मोगूजी मीणा	माण्डारिया
78.	रूपा/हरजी मीणा	सागडों का खेड़ा
79.	नाबूड़ा/जोखिया मीणा	रीछड़ी
80.	रकमा/पूज्या मीणा	रायपुरजंगल

1	2	3
81.	लछीया/धूला मीणा	रायपुरगंज
82.	गोपाल/भोमजी मीणा	हमीरपुरा
83.	तोलिया/फूलजी मीणा	हमीरपुरा पठार
84.	सवला/नाथू मीणा	भोमपुरा
85.	नाकला/जोख्या मीणा	माउखेड़ा
86.	भोगजी/रावजी मीणा	कानड़
87.	आशिया/गमेरा मीणा	ओड़ां
88.	झमकु/मगनलाल मीणा	बड़वासकलां
89.	काना/किशन मीणा	मण्डीखेड़ा
90.	रगजी/हवजी मीणा	भूरी घाटी
91.	मांगीलाल/गोतम मीणा	पीपलिया
92.	गोटिया/रखीया मीणा	मोटा वामनियां
93.	खातिया/ऊंकार मीणा	अम्बीरामा
94.	रकमा/नाथू मीणा	सरकोट
95.	कानजी/हीरा मीणा	अम्बीरामा
96.	मोती/वेस्ता मीणा	,,
97.	बालू/रामा मीणा	डोराना
98.	भैरू/लाला मीणा	,,
99.	रामा/नाथू मीणा	रूपगढ़
100.	हरिजी/मग्गी मीणा	रीछड़ी
101.	रकमा/रामा मीणा	भरियां होली
102.	छलिया/रूपा मीणा	जाम्बवड़ी
103.	रूगजी/पूज्या मीणा	केसरपुरा
104.	नाकूड़ा/दीपा मीणा	हमीरपुरा
105.	डूलजी/उदा भील	मानपुरा
106.	नन्दा/दीपा मीणा	रातलिया

(2) तहसील प्रतापगढ़

1.	ऊंकार/लाला मीणा	पिपल्या आबाद
2.	कुशाला/जोखमा मीणा	लखमा खेड़ी
3.	जगदीश/अम्बीलाल चमार	खोरियां
4.	रूपा/कानजी मीणा	छोटामांयगा
5.	केशुरामा/कमूजी मीणा	हरमरखेड़ा

1	2	3
6.	खातु/पूरा मीणा	खाराबरंदा
7.	काना/होलिया मीणा	ढलमु
8.	भुवान/नन्दा मीणा	ढलमु/मानपुरा
9.	भंवरलाल/भुवानीराम नायक	कोलवी
10.	प्रकाशचन्द्र/उदेराम ढोली	बूरड़िया
11.	रामा/कालू चमार	पीलु
12.	पापुबाई/गोरधन चमार	तोफाखेड़ा
13.	नन्दा/देवा मीणा	कोटखेड़ा
14.	बागजी/विरता मीणा	पण्डाबा
15.	रामा/सरदारा मीणा	"
16.	कोदरिया/कानजी मीणा	"
17.	कमलाशंकर/खातिया मीणा	"
18.	मोहन/काना मीणा	"
19.	बक्तिया/रकबा मीणा	वासपुर
20.	केशुराम/मन्ना मीणा	"
21.	धनजी/हरिया मीणा	चन्दानाफला
22.	आशाराम/किशनलाल मीणा	बेलारी
23.	देवीलाल, कारू/मन्ना मीणा	"
24.	वेणीराम/पांचिया मीणा	घयासपुर
25.	बालिया/हरजी मीणा	"
26.	गोतम/कचरू मीणा	आमली खेड़ा
27.	मांगीलाल/गंगाराम मीणा	भगवानपुरा
28.	दितिया/नंगा मीणा	तलाया
29.	लालु/रामींगा मीणा	पाडलिया
30.	कमजी/मौरा मीणा	लखमाखेड़ी
31.	जगदीश/नन्दलाल मीणा	आमली
32.	जीवा, काना, गुलाब/जीवा मीणा	डांगपुर
33.	रामा/नन्दा मीणा	मानपुरा (ढलमु)
34.	चौथा/खेमा मीणा	बिहारा
35.	पूंजिया/उदा मीणा	कमला कुड़ी
36.	कमजी/वजीया मीणा	"
37.	हूरजी/पूंजा मीणा	बड़ी बम्बोरी
38.	रकमा/ऊंकार मीणा	छोटीलांक

1	2	3
39.	पेमा/लालु मीणा	बड़ी बम्बोरी
40.	रुपका/लालु मीणा	,,
41.	रोड़ा/प्रथा मीणा	सीतामगरी
42.	नन्दा/जीवला मीणा	दीयापुरा
43.	किशन/बरदा बलाई	अमलावद
44.	तेजसिंह/रामा मीणा	रामपुरिया
45.	देवारुया/भगवानिया मीणा	सा. फ. ग्यासपुर
46.	अमरिया/भगवाना मीणा	ग्यासपुर
47.	नाथिया/खेमा मीणा	,,
48.	बगला/भीमा मीणा	,,
49.	उदा/बागा मीणा	दांतलाकुण्ड
50.	पूना/कचरा मीणा	बिहारा
51.	गोपीलाल/काबरू मीणा	बंजारा
52.	अमृतराम, पन्ना, सीताराम, रामचन्द्र/शोभाराम चमार	बम्बोरी
53.	मांगीलाल/रकबा मीणा	केशरपुरा
54.	मांगू/खेमा मीणा	नया टापरा
55.	फूलजी/आशिया मीणा	डिडोरखेड़ा
56.	हुकजी/ऊंकार मीणा	छोटीलांक
57.	रामा/ऊंकार मीणा	,,
58.	रामा/कोकिया मीणा	जोलर
59.	नारू/थावरा मीणा	सामली पठार
60.	कचरिया/जगला मीणा	,,
61.	हरजी/रकबा मीणा	चिकलाड़
62.	कालिया/केसिया मीणा	पाल
63	नजभी/केशुराम मीणा	,,
64.	बर्जेराम/भीरमा मीणा	,,
65.	पांचिया/देवजी मीणा	पीपली खेड़ा
66.	हुरिया/हकरु मीणा	ग्यासपुर
67.	देवा उर्फ दितिया/सरदारा मीणा	पण्डावा
68.	पीथिया/देवा मीणा	ग्यासपुर
69.	लाला/नन्दा मीणा	कड़ियावद
70.	वक्ता/मानीया मीणा	कमलाकुंडी
71.	नानका/बीजिया मीणा	,,

1	2	3
72.	मंगला/बिजिया मीणा	,,
73.	गवरा/रोडा मीणा	मानपुरा
74.	हवजी/पूजा मीणा	पाडलिया
75.	धरीया/पालीया मीणा	ग्यासपुर
76.	दीपला/नागजी मीणा	दीपपरी
77.	रामा/लच्छीराम मीणा	बगवास
78.	रामा/हरजी मीणा	कमला बुड़ी
79.	रूपा/सरदारा मीणा	,,
80.	लाल/धन्ना मीणा	खोरिया
81.	छगन/लाला मीणा	नकोर
82.	प्यारा नागजी/हीरा मीणा	मोटा मांईगा
83.	प्रथा/मूरा मीणा	छोटीलांक
84.	खातिया/वेश्या मीणा	,,
85.	रूपा/धुलजी मीणा	केरवास
86.	बाला/धुलजी मीणा	नाई की पाठार
87.	हीरालाल/मन्ना मीणा	सोहनपुर
88.	अम्बाजी/हरजी मीणा	हिंगोरिया
89.	इन्द्रमल/शंकर मीणा	रामपुरिया
90.	खेमा, मन्ना, गंगाराम/हूरजी मीणा	दोतड़
90.	खेमा मन्ना, गंगाराम/हूरजी मीणा	दोतड़
91.	थवरचन्द/शम्भु मीणा	नाईका पठार
92.	रोडा/डामला मीणा	बिहारा
93.	उदिया/थावरा मीणा	पभडावा
94.	हरजी, लच्छा, नाथू, रंगजी/दोला मीणा	छोटीलांक
95.	उदा/रूपा मीणा	अनोपपरा
96.	मनजी/रतना मीणा	सेमलोपुर
97.	कचरू/पूरा ,,	खीचनखेड़ा
98.	अर्जुन/धन्ना ऊर्फा धुला मीणा	आमलीखोरा
99.	मन्ना/नाथू मीणा	नारायणखेड़ा
100.	पादमा/मोरा ,,	खेरीयादो
101.	मानिया/लाला मीणा	कलसिया
102.	नानूराम/मोती ,,	लखमाखेड़ी
103.	गोतिया/नाथू ,,	ग्यासपुर

258

1	2	3
104.	दितिया/धारा मीणा	ग्यासपुर
105.	केल्या/चौखला ,,	,,
106.	बाबरिया/आखिया ,,	,,
107.	रामा/धन्ना ,,	खोरियासी
108.	भीरा/मांगिया ,,	आमलीखोरा
109.	लक्ष्मण/जीवा ,,	,,
110.	तेजाराम/कचरू ,,	बोहरान खेड़ा
111.	माणिया/प्यारा ,,	डांगरपुर
112.	कचरू/कालू ,,	अखेपुर
113.	कारू/लाला ,,	छोटीलांक
114.	देवजी/हरजी पिता हरजी मीणा	बिल्यारूण्डी
115.	गोतम/नाथु मीणा	चरीधमोतर
116.	हकरिया/खातिया ,,	पण्डावा
117.	माणिया/होलिया ,,	नालवा
118.	कन्हैयालाल/धारा, धारा/देवा मीणा	मउड़ी खेड़ा
119.	नागजी, चौखा/देवा मीणा	धमोत्तर
120.	गोतम/बाला ,,	खेरियादो
121.	नगजी/दल्ला ,,	तलायां
122.	नाथू/दल्ला नायक	कोटा तलाई
123.	हीरा/चमना मीणा	वीरपुर
124.	गोतम/लिम्बिया ,,	बोहरान खेड़ा
125.	लालिया/मगलिया ,,	,,
126.	भैरू/माणिया ,,	सुहागपुरा
127.	बगदीराम/थावरा ,,	भगवानपुरा
128.	वेलिया/नारू ,,	,,
129.	गंगाराम/शिवजी ,,	बावड़ी खेड़ा
130.	केशुराम/गमा ,,	,,
131.	नाथु/भौरा ,,	खेरिया खेड़ी
132.	दोला/रूपा ,,	सोहनपुरा
133.	नानुराम/कचरू ,,	भगवानपुरा
134.	कारू/दल्ला ,,	बावड़ी खेड़ा
135.	धन्ना/पदमा ,,	,,
136.	दल्ला/कचरा ,,	खीजन खेड़ी
137.	निर्भयराम/चतरभुज चमार	खेरोट

259

1	2	3
138.	रंगजी/कमजी मीणा	नाईका पठार
139.	अम्बालाल/किशन ,,	रामगढ़
140.	कमजी/मौरा ,,	पटेलियां
141.	नानका/जंगला ,,	अनोपपुरा
142.	तेजिया/ऊंकार ,,	खेमावती का खेड़ा
143.	गोतम/थावरा ,,	जगपुरा
144.	तोरिया/देवा ,,	डांगरपुर
145.	फलिया/नाथिया ,,	छोटी खेड़ा
146.	मारमा/नारिया मीणा	पटेलिया
147.	मांग/गबरिया मीणा	अखेपर
148.	लालू/बरेदा मीणा	सिघरिया
149.	रूपा/जोधा मीणा	घासखेड़ा
150.	हकिरिया/रूपा मीणा	कोटखेड़ी
151.	दुधिया/हरिया मीणा	बारांबरदा
152.	पून्या/बगदीराम चमार	बिलड़ी
153.	गौतम/प्यारा मीणा	कानपुरिया
154.	सूरज/ऊंकार मीणा	खेरियादो
155.	लालु/अमरा मीणा	,,
156.	देवा, हकरा/गौतम मीणा	,,
157.	हकरिया/गमीरा मीणा	भगवानपुरा
158.	गोटिया/अमरा मीणा	,,
159.	मांगीलाल/नारू मीणा	बावड़ीखेड़ा
160.	कारू/रूपा मीणा	,,
161.	गेन्दालाल/प्रथा मीणा	,,
162.	नारायण/कारू, कारू/हक्का मीणा	खेरियादो
163.	मोहन/किशना मीणा	बावड़ीखेड़ा
164.	खातु/लिम्बा मीणा	,,
165.	ऊंकार/किशना मीणा	,,
166.	राजिगा/रतना मीणा	महुड़ीखेड़ा
167.	थावरा/रतना मीणा	बिल्यारूण्डी
168.	गोतम/हरदारा मीणा	घमोत्तर
169.	कबरू/सरदारा मीणा	,,
170.	शिवजी, रामा/खातू मीणा	,,

२८५

1	2	3	4
171.	फूला, रामा/देवा मीणा/		उण्डःखोरा
172.	गोतम/नाथ, रामा/कबरू मीणा		नारायणखेड़ा
173.	चूनिया/ऊकार मीणा		भोवड़िया
174.	खेमजी/खात्या मीणा		अनोपपुरा
175.	नन्दा/मानजा मीणा		,,
176.	पेमजी/थावरा मीणा		बोहरानखेड़ा
177.	ऐलिया/गुमाना मीणा		मोटीखेड़ी
178.	रकमा/कालिया मीणा		टोटीपटवास
179.	जीथा/चोखा मीणा		खोरिया
180.	लच्छी/नारू, नारू/मारा मीणा		पाडाखोरा
181.	प्रथा/मांगीलाल मीणा		,,
182.	ऊकार, अम्बाबा/हरिया मीणा		धमोत्तर
183.	हीरा/पदमा मीणा		बावड़ीखेड़ा
184.	रतनलाल/लाला मीणा		जहाजपुर
185.	आधाराम/धन्ना मीणा		,,
186.	सुखा/सवा, कंवन/मांगू चमार		सोहेनपुर
187.	हीमा/घासी मीणा		नयाटापरा
188.	नानूराम/ऊकार मीणा		खेरियादो
189.	नाथु/देवजी मीणा		सेलाटोंक
190.	बाबरू/चौखा मीणा		केसरपुरा
191.	दीपा/रूपजी मीणा		जोगीखेड़ा
192.	लक्ष्मण/वेस्ता मीणा		कानपुरिया
193.	नागजी/कवरिया मीणा		कचोटिया
194.	नानूराम/लखमा मीणा		बिल्यारूभड़ी
195.	पूनिया/धन्ना मीणा		चिकलाड़
196.	प्रतीबा/धनजी मीणा		,,
197.	कालू/भीमा मीणा		,,
198.	उदा/साला मीणा		यासपुर
199.	मोतिया/पांच्या मीणा		,,
200.	धरमा/बेलिया मीणा		आमलीखोरा
201.	तेजिया/नगजी, काना/नाथू मीणा		डांगपुर

261

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 की प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर, क्षेत्र जोधपुर

क्रमांक : जेडीजेड 1628 जेपीआर/2285 दिनांक 15/2/89

अति० कलक्टर

भू० रू० जोधपुर।

विषयः—ग्राम चौपासनी के खसरा नं. 146 में राय हेतु

सन्दर्भः—आपका पत्र क्र० 145 दिनांक 4–12–89

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्णित खसरे का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान में रहवासीय है। इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दि० 31-10-83 द्वारा इस खसरे का खसरा प्लान चाहा गया था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शीघ्र भिजवाने का श्रम करावें।

भवदीय,

ह०/–

सहायक नगर नियोजक

जोधपुर

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या–16 की प्रतिलिपि

Certified copy of Stay Order dated 19-5-83, in S. B. Civil Misc. Stay Petition No. 1049/83, in S. B. Civil Writ Petition No. 1124/83, pending in the High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur.

Petitioner.

Ganpat Singh S/o Shri Lalsingh by caste Rajput aged 43 years resident of Revenue Inspector, Municipal Board, Sojat.

Versus.

Respondents

1. The State of Rajasthan.
2. The Municipal Board, Sojat District Pali.
3. The Municipal Board, Raipur Distt. Pali.
4. Shri Dewan Madho Singh, Member Legislative Assembly, Sojat.

Date of Order : 19.5.83.

Hon'ble D. L. Mehta, J.

Mr. J. N. Bhandari for the petitioner.

Issue fresh notices to the unserved respondents, The stay granted shall continue. Rule is made returnable within a period of ten weeks.

Put up after ten weeks.

Sd/– D. L. Mehta, J.

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का विवरण

श्री चिमन सिंह स्वास्थ्य अधिकारी, नगर परिषद्, जोधपुर के विरुद्ध चल रही जांचों का विवरण

क. सं.	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	विभागीय जांच प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	विभिन्न तरह की अनियमितताएं करने के सम्बन्ध में।	29-7-88	मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर नियमित जांच की कार्यवाही की जा रही है।	सी सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत जांच प्रक्रिया जारी है।
2.	कर्मचारियों पर अनुचित दबाव डालकर बीमा पालिसियों कराने व अन्य अनियमितताएं करने बाबत।	23-9-89	दिनांक 18-4-90 को उप निदेशक (प्रथम) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। मामला सुनवाई में चल रहा है।	सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत जांच प्रक्रिया जारी है।
3.	नगरपरिषद् की गाड़ियों को स्वःहित में नाजायज कब्जे छुडाने ले जाने एवं गाडियां क्षतिग्रस्त होने बाबत।	—	यह शिकायत हाल ही में प्राप्त हुई है एवं प्राथमिक जांच आयुक्त नगर परिषद, जोधपुर से करवा कर परीक्षणाधीन है।	आरोप सिद्ध होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4.	पत्नि द्वारा परिषद के कर्मचारियों के जीवन बीमा कराने सम्बन्धी परिवाद।	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में परिवाद सं. 2045/86	प्रशासक, नगर परिषद, जोधपुर द्वारा जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।	

२६५

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 19 की सूचना

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में निर्माणाधीन योजनाओं व गांवों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	गांव का नाम	कार्य पूरा किये जाने की संभावित अवधि
1	2		3
1.	पशु पेयजल योजना तालकिया	तालकिया	वर्ष 1990–91
2.	पशु पेयजल योजना देवरिया	देवरिया	—,,—
3.	पशु पेयजल योजना लाम्बिका	लाम्बिया	—,,—
4.	पशु पेयजल योजना धनेरिया	धनेरिया	कार्य पूरा हो चुका है।
5.	संवर्धन पाइप्ड जल योजना अगेवा	अगेवा	बजट उपलब्धि के अनुसार कार्य पूर्ण हो सकेगा।
6.	संवर्धन पाइप्ड जल योजना सेवरिया	सेवरिया	—,,—
7.	संवर्धन पाइप्ड जल योजना कुडकी	कुडकी	—,,—
8.	संवर्धन क्षेत्रीय योजना सांगवास जानासनी	1. सांगवास 2. जानासनी	—,,—
9.	संवर्धन हैण्डपंप योजना बस्सी चैनपुरा	बस्सी चैनपुरा	—,,—

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का विवरण

क्र. सं.	साक्षात्कार की अवधि	साक्षात्कार करने वाले अधिकारियों की संख्या	चयनित कनिष्ठ अभियंताओं की संख्या
1.	5-4-88 से 4-5-88	3	150
2.	12-6-89 से 17-6-89	3	50
3.	16-8-89 से 21-1-90	3	विचाराधीन
4.	16-10-89 से 30-3-90	3	—,,—

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का विवरण

वर्ष 1990–91 में राज्य के विभिन्न शहरों में सीवर लाइनों के कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण :—

क्र. सं.	शहर का नाम	वर्ष 1990–91 में दिसम्बर, 90 तक व्यय (रु. लाखों में)
1.	जोधपुर	0.32
2.	बांसवाड़ा	15.01
3.	बीकानेर	4.49
4.	पुष्कर	0.21
5.	जयपुर	9.25
6.	कोटा	1.52(1/91 तक

नोट :—क्र. सं. 5 के अन्तर्गत प्रदर्शित व्यय के अतिरिक्त 7.88 लाख रुपये की राशि बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को भी हस्तान्तरित की गई।

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 की सूची

निर्मित एवं निर्माणाधीन गांवों की सड़कों की सूची :—

कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत आज तक निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कें निम्नानुसार हैं :—

निर्मित सड़कें :—

क्र. सं.	सं. सड़क का नाम	लंबाई	गांव जो जुड़ गया	प्रगति
1.—	सं. सड़क चरलिया ब्रामण से नीमच रोड़	2.50	चरलिया	पूर्ण
2.—	,, गादोला रठाजना	2.40	गादोला	पूर्ण
3—	,, नारायनी चौंकी से बारूदा वाया	2.00	गागरोत	पूर्ण

निर्माणाधीन सड़कें :—

1—	सं. सड़क गादोला से रठाजना द्वितीय चरण	1.50	रठाजना	कार्य प्रगति पर है।
2—	,, केसुन्दा	1.50	केसुन्दा	,,
3—	,, उदयपुर रोड़ से जालिया	1.50	जालिया	,,
4—	,, नीमचरोड़ से जालिया	0.70	जालिया	,,
5—	,, नीमचरोड़ से पिपलिया	0.70	पिपलिया	,,
6—	,, हृडमतिया कुडाल से छोटी सादड़ी	2.50	हृडमतिया	,,
7—	,, बरवाड़ा नाका से छोटी सादड़ी वाया अचलपुरा	2.00	अचलपुरा	,,
8—	,, अरनियाजोशी से टाईउखलिया	2.00	उखलिया	,,
9—	,, बरेखन	1.00	बरेखन	,,
10—	,, आखिया से अम्बा माता	—	अम्बामाता	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

वर्ष 1990–91 में प्रस्तावित सड़कें

कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़कों का नाम	लंबाई	राशि	स्वीकृती दिनांक
1–	सं. सड़क कदमाली	2.00	5.00	11-2-91
2–,,	सतखण्ड से सीतारामजी का खेड़ा	3.50	8.50	,,
3–,,	अरनिया माली	2.00	5.00	,,
4–,,	अरनीदा से चरलिया	2.00	5.00	,,
5–,,	टाटरमाला से मीनाणा	2.00	5.00	,,
6–,,	मोसलिया से गोवाणा रोड़	2.00	5.00	,,
7–,,	स्वरूपगंज से मुख्य सड़क	1.00	2.50	,,
8–,,	नीमच रोड़ से सुवी	1.50	3.75	,,
9–,,	गोटड़ा से कारूण्डा चौराहा	2.00	5.00	,,
10–,,	बरेखन निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी	1.00	2.00	31-10-90
11–,,	बोरा खेड़ी	3.00	7.50	स्वीकृति नहीं दी गई है।
12–,,	बम्बोरा पंचायत से मानपुरा	2.00	5.00	,,
13–,,	कनेरा से मेलाना	5.00	15.00	,,
14–,,	कनेरा से सरसी	2.00	6.00	,,
15–,,	कनेरा से बांगरेड़ा बढ़ावली	8.00	24.00	,,
16–,,	बड़ोली से हांगरिया भट्कोटड़ी	3.00	9.00	,,
17–,,	भूजाखेडी से अरनिया जोशी	2.50	7.50	,,
18–,,	बरबाड़ा नगन से अचलपुरा	4.00	16.00	,,

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 का विवरण

दिनांक	किराया राशि	कार्य का नाम
दि० 5-3-90 से 10-3-90 तक एवं 12-3-90 से 20-3-90 तक	3,375/- रु०	जवाहर रोजगार योजना डी.आर.डी.ए. हेतु
दि० 11-10-90 से 15-10-90 एवं 23-10-90 से 29-10-90 तक	2,700/- रु०	आई.आर.डी.पी. कार्य हेतु
दि० 1-11-90 से 30-11-90 तक	6,750/- रु०	आई आर.डी.पी. एवं जे आर.वाई. कार्य हेतु
दि० 1-12-90 से 12-12-90 तक	2,700/- रु०	आई.आर.डी.पी. जे.आर.वाई एवं जीवन-धारा कार्य हेतु।

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 की सूची

निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र के प्राबि/उप्राबि/माबि/उमाबि का विवरण

क.सं.	नाम विद्यालय	क.सं.	नाम विद्यालय
1	2	3	4

प्राथमिक विद्यालय

1.	छोटी सादड़ी (कन्या)	2.	प्रावि नं. 1 निम्बाहेड़ा (कन्या)
3.	प्रावि नं 2 निम्बाहेड़ा (क)	4.	आदर्श कालोनी, निम्बाहेड़ा (कन्या)
5.	नं 1 निम्बाहेड़ा	6.	नं 2 निम्बाहेड़ा
7.	प्रावि नं. 3 निम्बाहेड़ा	8.	नं. 4 निम्बाहेड़ा
9.	नं. 5 निम्बाहेड़ा	10.	नं. 6 निम्बाहेड़ा
11.	नं. 1 छोटी सादड़ी	12.	नं. 2 छोटी सादड़ी

1 2	3 4
13. नं 3 छोटी सादड़ी	14. फाचर अहिरान
15. रसूलपुरा	16. लक्ष्मीपुरा
17. बासा	18. मुरलिया
19. गोदिया पिपलीया	20. चरलिया गदिया
21. रावलिया	22. अहिरपुरा
23. कानूपुरा	24. करथाना
25. पायरी	26. साण्ड
27. अरनिया पंथ	28. टाई
29. अरनिया पालीवाल	30. सीतारामजी का खेड़ा
31. करपाराम जी का खेड़ा	32. सरथल
33. नवाबपुरा	34. मोहम्मदपुरा
35. भुजिया खेड़ी	36. फाचर सोलंकी
37. साहबाद	38. मोठा
39. टीलाखेड़ा	40. मेवासा
41. अरनोदा	42. चरलिया
43. नरसिंहगढ़	44. सगवाड़िया
45. खेड़ा नजीद	46. घटेरा
47. कदमाली	48. नरसा खेड़ी
49. कासोद	50. चांदखेड़ा
51. मण्डागुलफरोसान	52. सेमलिया
53. गुलसनपुरा	54. मखनपुरा
55. डोरिया	56. धीनवा
57. कचारिया खेड़ी	58. ऊंचा
59. सागरिया	60. साकरिया
61. मटकोटड़ी	62. लसडावन
63. कलवा	64. चंगेडी
65. चाटसादड़ी	66. मण्डावरी
67. बोरखेड़ी	68. मालियाखड़ी
69. कल्याणपुरा	70. सेगवा
71. भादियाखेड़ी	72. अरनियावालो
73. रठांजना	74. जलिया पिपलिया
75. जलिया	76. आकिया
77. ढला सोमावली	78. कोटड़ी खुर्द
79. सलाई	80. बिनोता छात

1 2	3 4
81. मिठाना	82. टोडरवाला
83. बिरिया खेड़ी	84. बूढ़ा खेड़ा
85. करवाड़ा	86. साजनपुर
87. केनरा	88. लूणखणदा
89. पिलखेड़ी	90. श्रीपुरा
91. श्रीनगर	92. घारेश्वर
93. निबोदा	94. निब्ला की ढाणी
95. आजोता	96. मनोहर खेड़ी
97. पानगढ़	98. कोजवा
99. बडावली	100. बेनीपुरीया
101. लक्ष्मीपुरा	

उच्च प्राथमिक विद्यालय

102. कचहरी, निम्बाहेड़ा	104. छोटी सादड़ी
103. नूरमहल, निम्बाहेड़ा	106. बेली
105. ऊखलिया	108. चरलिया
107. गादोला	110. जावदा
109. पनोड़ा	112. बाड़ी
111. बागबेड़ा	114. बडोली
113. बामरेडा गाटा	116. मावलिया
115. बोरखेड़ा	118. मरजीवी
117. मांगरोल	120. रानीखेड़ा
119. मेलाना	122. सरसी
121. सतखण्डा	124. बडोलीघाटा
123. कोटडी कला	126. अम्बावली
125. मण्डलाचरण	128. गोमाना
127. गणेशपुरा	130. घोलापानी
129. जालोदिया बालूखेड़ा	132. बसेड़ा
131. नाराणी	134. स्वरूपगंज
133. बरखेड़ा	136. समरेड़ा
135. सूबही	138. मोडिया
137. सेमरथली	140. बम्बोरी (कन्या)
139. गोरोल	
141. बोनोता (कन्या)	

सैकण्डरी विद्यालय		सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल
42. कनेरा	143. अरनोदा	152. छोटी सादड़ी (कन्या)
144. बिनोदा	145. अरनियाजोशी	153. निम्बाहेड़ा
146. फलवा	147. छोटी सादड़ी	154. निम्बाहेड़ा
148. बम्बोरी	149. काऊण्डा	
150. केसून्दा	151. बराड़ावन	

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 की सूची

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (पुरुष) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय आदेश

राजस्थान, अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1957 के नियम 26 (सी) के अन्तर्गत विभागीय चयन समिति द्वारा उदयपुर मण्डल के कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठ लिपिकों के पद पर अस्थायी पदोन्नति नियमन हेतु नियमानुसार चयन उनके नाम के सामने अंकित वर्ष हेतु कर लिया है।

चयनित लिपिकों की पारस्परिक वरिष्ठता नियमानुसार निर्धारित रहेगी।

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक मंडल स्तर	नाम कर्मचारी	जन्म तिथि	चयन वर्ष	विवि
1.	49ए/70	श्री भवानी शंकर	11-10-39	78-79	
349.	407 ए	श्री मोहनलाल रेगर	7-7-50	85-86	अ.जा.
423.	444	श्री देवीलाल राजोरा	31-9-62	88-89	
437.	456	श्री रणजीत कुमार	23-10-56	88-89	

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक शिउनि/उदय/सप-अ/स्थायीकरण वलि/81 दिनांक 13-7-81 एवं शिउनि/उदय/स्था-स/डीपीसी/वलि/83 दिनांक 20-8-83 एवं 2-7-86 द्वारा प्रसारित आदेशों में चयन वर्ष 75-76 एवं 78-79 में जिन लिपिकों के नाम थे उनमें से जिनके नाम इस सूची के क्रम संख्या 1 से 437 तक में पुनः सम्मिलित हुए हैं उन्हें पूर्व की सूची से क्रम संख्या 215 से 301—78-79 एवं वरिष्ठता क्रमांक 62 "ए". 166 "ए" को विलोपित किया जाता है।

ह०/—
(आर० एस० बूब)
शिक्षा उपनिदेशक (पुरुष) उदयपुर

क्रमांकः—शिउनि/उदय/स्था-स/वलि/डीपीसी/78-79/88-89/90-91 दिनांक 9-9-90

ह०/—
शिक्षा उपनिदेशक (पुरुष)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 की सूची

औद्योगिक क्षेत्र सोजत सिटी में विभिन्न सुविधाओं पर व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण:—

क्र.सं.	वर्ष	विवरण	राशि (लाखों में)
1.	1976–77	सड़क एवं पुलियों का कार्य	0.12
		सर्वे एवं डिमार्केशन	0.01
2.	1977–78	सड़क एवं पुलियों का कार्य	0.49
3.	1978–79	सड़क एवं पुलियों का कार्य	0.02
		सर्वे एवं डिमार्केशन	0.02
4.	1979–80	स्ट्रीट लाइट	0.05
		जल प्रदाय योजना	0.48
5.	1980–81	स्ट्रीट लाइट	0.05
6.	1981–82	सड़क एवं पुलियों का कार्य	0.01
		स्ट्रीट लाइट	0.01
7.	1982–83	स्ट्रीट लाइट	0.02
		कुल:–	1.28

मद वार कुल व्यय

1.	सड़क एवं पुलियों का कार्य –	0.64
2.	सर्वे एवं डिमार्केशन	0.03
3.	स्ट्रीट लाइट	0.13
4.	जल प्रदाय योजना	0.48
	कुल–	1.28

सूची "ब"

औद्योगिक क्षेत्र सोजत प्रथम एवं द्वितीय चरण में सर्विस चार्जेज राशि की वसूली की गई राशि का वर्षवार विवरणः—

वर्ष	राशि (रु० लाखों में)
1985-86	0.08
1986-87	0.08
1987-88	0.02
1988-89	0.05
1989-90	0.10
1990-91	0.02
कुल योग :	0.35

सूची "स"

औद्योगिक क्षेत्र सोजत सिटी प्रथम एवं द्वितीय चरण में वसूल किये गये सर्विस चार्जेज के विरुद्ध रख-रखाव पर व्यय की गई राशि का वर्ष-वार विवरण :

वर्ष	राशि (रु० लाखों में)
1985-86	0.06
1986-87	0.02
1987-88	0.02
1988-89	0.02
1989-90	0.13
1990-91	0.01
कुल योग :	0.26

(574)

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न संख्या 58 की सूची

राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर की बकाया राशि का विवरण

क्र. सं.	पार्टी का नाम	दिनांक 31-3-90 तक बकाया राशि का विवरण
1	2	3
	पी. डी. आर. एक्ट के तहत विचाराधीन मामले	
1.	मैसर्स जगदीश सिंह, गजियाटोला, मिर्जापुर	1,439.25
2.	मैसर्स प्रसाद कारपेट, खमरिया	1,359.46
3.	मैसर्स अब्दुल रहिफ खान, भदोही	15,029.70
4.	मैसर्स मोहम्मद सइद, दानापुर	2,017.70
5.	मैसर्स इन्द्रा कारपेट, गोपीगंज	51,555.00
6.	मैसर्स अवधेश कुमार अनिल कुमार, भदोही	51,984.25
7.	मैसर्स जायसवाल कारपेट, गोपीगंज	31,996.40
8.	मैसर्स मेट्रोपोलिटन कारपेट इन्डस्ट्रीज जोगीपुर	4,439.50
9.	मैसर्स बी. एन. पी. एन्टरप्राइजेज	10,390.00
10.	मैसर्स इबरार अली इकराल अली, भदोही	65,385.00
11.	मैसर्स एस. के. गुप्ता, चण्डीगढ़	5,61,279.00
12.	मैसर्स आई. एस. हुसनवालिया, दिल्ली	5,30,533.92
13.	मैंसर्स कमल सिंह नरेन्द्र कुमार, बीकानेर	—(ब्याज 880.00)
14.	मैसर्स एच. एन. राठी, राजस्थान क्राफ्ट, नई दिल्ली	27,476.00
	विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में बकाया राशि की सूची	
1.	मैसर्स जहीद कारपेट, भदोही	12,270.00
2	मैसर्स बाशेवल कारपेटखभदोही	40,003.00
3.	मैसर्स इस्ट्रन एन्टरप्राइजेज, भदोही	8,878.00
4.	मैसर्स ग्लोब कारपेट एक्सपोर्ट, भदोही	850.00
5.	मैसर्स अपमान आर्टस, खमरिया	10,205,25
6.	मैसर्स अग्रवाल हैन्डलूम्स, खमरिया	61,834.00
7.	मैसर्स ग्लोब कामर्शियल, खमरिया	46,075.25
8	मैसर्स हिन्द कारपेट, खमलिया	25,766.57

1	2	3
9.	मैसर्स पापूलर हैन्डस ग्राफ इण्डिया, मदोही	28,699.00
10.	मैसर्स जय ग्रम्वे, वूलन मिल्स, गुड़गांव	5,44,592.27
11.	मैसर्स ग्रब्बास वजीर, प्रा. लि,, मदोही	25,256.54
12.	मैसर्स ए. रशीद एण्ड ब्रदर्स, खमरिया	9,099.82
13.	मैसर्स इण्डियन कारपेट ट्रेडर्स, मदोही	30,519.00
14.	मैसर्स विनस कारपेट, गोपीगंज	44.727.18
15.	मैसर्स बी. एस. करपेट, ज्ञानपुर	52,853.80
16.	मैसर्स हिन्द ग्रोरियन्ट रग्स, मदोही	1,26,062.53
17.	मैसर्स रायल कारपेट पैलेस, खमरिया	20,877.14
18.	मैसर्स जे. जे वूलन मिल्स, बीकानेर	68,75,188-00
19.	मैसर्स, रमेश ट्रान्सपोर्ट, बीकानेर	14,661.04
	विभिन्न बकाया राशि	
1.	मैसर्स ग्रम्बिका ट्रेड्स, जयपुर	202,60
2.	मैसर्स कारटेटिव स्टोर, धौलपुर	40.16
3.	मैसर्स कुमार एण्ड कुमार, नई दिल्ली	42.40
4.	मैसर्स श्री कल्ला जी, पुलिस विभाग	66.96
5.	मैसर्स एस. बी. सिंह, नई दिल्ली	26.00
6.	मैसर्स श्रीमति सरोज शर्मा, देहरादून	25.39
7.	मैसर्स एस. एन. मिश्रा, बीकानेर	20.67
8.	मैसर्स इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन, श्रीनगर	805.10
9.	मैसर्स राजस्थान हैन्डी क्राफ्ट, नई दिल्ली	29.32
10.	मैसर्स टार्टस फील्ड एण्ड क., बम्बई	202.50
11.	मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स, बहादुरगढ़	591.45
12.	मैसर्स ग्रतुल कारपेट, जयपुर/कोटा	11,317.35
13.	मैसर्स जिला ग्रामोद्योग कमीशन, बीकानेर	2,763.27
14.	मैसर्स वूल ग्रेडिन सेन्टर, राजस्थान	3,166.00
15.	मैसर्स स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना	1,129.04
16.	मैसर्स यू. पी. स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, कानपुर	1,307.38
17.	मैसर्स श्री ग्रार. के. गुप्ता, जालौर	60.00
	कुल योगः—	93,64,118.00

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 की सूचना

जिला पाली की तहसील जैतारण में खनिज पदार्थ की जो खाने व्यक्तियों के पास है उनकी सूची :—

क्र. सं. 1	पट्टाधारियों का नाम मय पता 2	खनिज 3	क्षेत्र 4
1.	श्रीमती पुष्पा बल्दुआ पत्नी श्री जयकिशन बल्दुआ नि. गोविन्द भवन प्रताप नगर ब्यावर जिला अजमेर	लाइम स्टोन	सिनला जिला पाली
2.	श्रीमती गीता बल्दुआ पत्नी श्री गोपीकिशन बल्दुआ नि. प्रताप नगर गोविन्द भवन ब्यावर जिला अजमेर	एजन	एजन
3.	श्री गिरधारी नवाल नि. गलीन 4 मकान नं. एक प्रताप नगर ब्यावर जिला अजमेर	एजन	डिगरना जिला पाली
4.	श्री विकास श्रीवास्तव पुत्र श्री आर. एन. श्रीवास्तव निवास 4 एम 20 ए जवाहरनगर जयपुर	एजन	एजन
5.	श्री गफूर खां पुत्र श्री करीम खां जी निवासी बस स्टैण्ड जैतारण जिला पाली	एजन	एजन
6.	श्रीमती मोतीलाल रतनानी पत्नी डाक्टर एम. एम. रतनानी नि. 3/71 गांधीनगर जयपुर	एजन	डिगरना
7.	श्री रतनलाल माली पुत्र श्री सीमाराम माली नि. गवारियो का वास सोजतसिटी	एजन	सिनला जिला पाली
8.	श्री कानाराम माली पुत्र श्री भीखाराम माली चौहान किराना स्टोर जैतारण जिला पाली	एजन	एजन

1	2	3	4
9.	श्री जयनारायण गहलोत पुत्र श्री स्वरूपजी गहलोत नि. खोखरिया बेरा मण्डोर जोधपुर	एजन	एजन
10.	श्री राकेश मित्तल पुत्र श्री रतनलाल मित्तल नि. 2/234 लोहागल रोड जवाहरनगर अजमेर	एजन	डिगरना जिला पाली
11.	महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामनारायण माली बस स्टैण्ड के पास जैतारण जिला पाली	एजन	सिनला जिला पाली रणसी गांव, हरियाणा प्लाट नं. 98
12.	श्री किशोर कुमार केयर आफ राजस्थान चूना पत्थर उद्योग बस स्टेण्ड के पास जैतारण जिला पाली	एजन	एजन प्लोट नं. 126
13.	श्री भंवरलाल सोलंकी पुत्र श्री मांगीलाल सोलंकी बस स्टेण्ड के पास जैतारण जिला पाली	एजन	कपड़ावास वेड लाटोती जिला पाली
14.	श्रीमती दीपक वैष्णव पत्नी श्री छगनलाल वैष्णव सिंघवियों का बास सोजतसिटी जिला पाली	एजन	डिगरना जिला पाली
15.	श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल पुत्र श्री बालगोविन्द अग्रवाल नि. तिलक मार्ग सोजत रोड जिला पाली	एजन	एजन
16.	श्री चमनराज मेहता नि. लखारों का चौक जैतारण जिला पाली	एजन	एजन
17.	श्री हजारी नायक पुत्र श्री मोतीलाल नयाक नि. गैना कालाबड़ वाया सेन्दड़ा जिला पाली	एजन	सिनला जिला पाली

मार्बल

1	2	3	4
1.	श्री भोपालसिंह पुत्र श्री केशरसिंह नि. सेवरिया तह. जैतारण जिला पाली	मारबल	सेवरिया तह. जैतारण
2.	श्री रामाकिशन प्रजापत पुत्र श्री चनणराम नि. जलवाना पोस्ट मेड़ता जिला नागौर	एजन	एजन
3.	श्री रामसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह राठौड़ नि. राजपूत होस्टल के पास जैतारण जिला पाली	एजन	हेमडाई जिला पाली

(278)

1	2	3	4
4.	श्री गफूर खां पुत्र श्री करीम खां नि. बस स्टैण्ड जैतारण जिला पाली	एजन	एजन
5.	श्री महेन्द्र साहू पुत्र श्री मूलचन्द साहू नि. रामनगर नरसिंहपुरा अजमेर	एजन	एजन
6.	श्री राधेश्याम मंगरोला नि. कडक्का चौक अजमेर	एजन	एजन
7.	श्रीमती सरिता भण्डारी पत्नी श्री सुशील भण्डारी केयर आफ शिवनाथमल भण्डारी ब्रह्मपुरी महामन्दिर जोधपुर	एजन	एजन
8.	श्री रामप्रकाश गुप्ता नि. मकान स. 2164 खेजो का रास्ता जयपुर	एजन	एजन
9.	श्री रतनलाल मोर पुत्र श्री चांदमल मोर नि. बोराबड तह. परबतसर जिला नागौर	एजन	एजन
	मैसेनरी स्टोन		
1.	श्री नारायणसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह नि. बलाडा तह. जैतारण जिला पाली	मैसेनरी स्टोन	बलाडा जिला पाली
2.	श्री रतनलाल सेन पुत्र श्री पुखराज सेन नि. बलाडा तह. जैतारण जिला पाली	एजन	टुकड़ा जिला पाली
	गहलोत नि. महामन्दिर क़ासिम मंडोर रोड जोधपुर		
3.	श्री पुरखाराम गहलोत पुत्र श्री रूपसिंह	एजन	समोखी जिला पाली
1.	श्री सत्यनारायण आसोपा पुत्र श्री कासीराल बगरी मोहल्ला बीकानेर	व्हाईटक्ले फायरक्ले, येलोआकर-बालक्ले	खारडी जिला पाली
2.	श्री अब्दुल रहीम एण्ड संस मेठतिया सिलावटो का सोजती गेट के अन्दर जोधपुर	बालक्ले	लिथरिया जिला पाली
3.	अब्दुल समी सल्फी 13 पोलो ग्राऊण्ड जोधपुर	एजन	एजन
4.	जे. के. सिमेन्ट वर्क्स कैलायानगर निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़	चायनाक्ले	राजपूतों की ढाणी जिला पाली

सहायक खनि. अभियन्ता
सोजत सिटी

279

परिशिष्ट–22

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 की सूचना

परिशिष्ट—"क"

राज्य के श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में दिनांक 31-12-90 तक विचाराधीन मामलों की स्थिति निम्न प्रकार से है—

क्र.स.	न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम	3 माह से कम	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	श्रम न्यायालय, जयपुर	942	229	358	233	162	468	440	25	2857
2.	औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर	94	108	332	463	293	342	61	5	1698
3.	श्रम न्या. एवं औद्यो. न्या., कोटा	94	166	391	445	407	417	262	20	2202
4.	,, ,, ,, उदयपुर	64	89	376	251	191	143	11	14	1139
5.	,, ,, ,, बीकानेर	110	78	206	160	133	115	43	5	850
6.	,, ,, ,, जोधपुर	78	46	318	236	115	123	4	—	920
7.	,, ,, ,, भरतपुर	97	273	222	533	470	378	188	14	2175
	योगः—	1479	939	2203	2321	1771	1986	1009	83	11841

———